मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश

वर्ष 2010–11

मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग

पंचम तल, मेट्रो प्लाजा, ई–5, अरेरा कालोनी, बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा
खुदरा–विद्युत–प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश

याचिका क्रमांक

03/10 (पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)

04/10 (मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)

05/10 (पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लि.)

उपस्थित :

के.के. गर्ग, सदस्य

सी. एस. शर्मा, सदस्य

विषयः–वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों, यथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि., द्वारा दाखिल किये गये टैरिफ आवेदनों के आधार पर संपूर्ण राजस्व आवश्यता तथा खुदरा प्रदाय विद्युत दर का अवधारण

विषय तालिका

ए 1 : आदेश	9
याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है	11
विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत दरें	12
राज्य सलाहकार समिति	14
जन–सुनवाई	14
वितरण हानियां	15
पूंजीगत व्यय योजना का क्रियान्वयन/पूंजीकरण	18
विनियमों का अननुपालन	19
विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	19
आदेश का कार्यान्वयन	22
ए 2 : याचिका क्र. 03/10, 04/10 तथा 05/10 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार	23
ए 3 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	24
अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका	24
विक्रयों के संबंध में आयोग का विश्लेषण	26
अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय	26
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन	28
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन	31
विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन	35
अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार	35
ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण	38
वितरण हानियां	38

बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां 38
विद्युत क्रय लागतें 51
नेटवर्क की लागतें 59
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 59
आयोग का विश्लेषण 66
प्रचालन एवं संधारण लागतें 67
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 67
प्रचालन एवं संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण 68
अवमूल्यन 71
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 71
अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण 73
ब्याज तथा वित्त प्रभार 76
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 76
ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण 79
कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज 83
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 83
कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण 85
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज 87
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण 87
पूंजी पर प्रतिलाभ 88
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 88
आयोग का पूंजी पर प्रतिलाभ पर विश्लेषण 90
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण 91
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 91
डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण 91
अन्य आय 92
अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण 92
अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण 93
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई वार्षिक राजस्व आवश्यकता 94

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व 95
नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य 96
ए 4 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां 97
ए 5 : खुदरा विद्युत–दर रूपांकन 139
कानूनी स्थिति 139
विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति 139
एक–समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें 139
विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता 140
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) रूपांकन के मुख्य बिन्दु 141
निम्न दाब उपभोक्ता 142
एल वी–1 घरेलू उपभोक्ता 142
एलवी–2 गैर घरेलू उपभोक्ता 142
एलवी–5 कृषि एवं अन्य कृषि उपयोग हेतु 143
उच्च दाब उपभोक्ता 145
एचवी–3 औद्योगिक, गैर औद्योगिक तथा शॉपिंग माल 145
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता 146
उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणियों हेतु अन्य विशिष्ट प्रावधान 146
ए 6 : आयोग के दिशा निर्देश 149

तालिका सूची

संख्या क्र.	विवरण	पृष्ठ संख्या
तालिका 1:	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य	11
तालिका 2:	प्रस्तावित विद्युत दर के कारण राजस्व में वृद्धि	12
तालिका 3:	राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली	12
तालिका 4:	जन–सुनवाई	14
तालिका 5:	विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	15
तालिका 6:	विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण	15
तालिका 7:	प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति	17
तालिका 8:	किये गये पूंजी निवेश की प्रगति	18
तालिका 9:	सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका	20
तालिका 10:	नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य	20–21
तालिका 11:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय	25–26
तालिका 12:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन	28
तालिका 13:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता	29–31
तालिका 14:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत	33–34
तालिका 15:	दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)	35
तालिका 16:	नवीन क्षमताएं (मेगावाट में)	36
तालिका 17:	मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	36
तालिका 18:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तिरक पारेषण प्रभार	37
तालिका 19:	अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर की गई विद्युत की औसत लागत (रूपये प्रति किलोवाट आवर में)	37
तालिका 20:	दाखिल की गई कुल विद्युत की लागत	37
तालिका 21:	विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)	38
तालिका 22:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ऊर्जा की सकल आवश्यकता	39
तालिका 23:	विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)	40–41
तालिका 24:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मेगावाट में)	43–44
तालिका 25:	विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)	44–45
तालिका 26:	विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)	46

तालिका 27:	सुयोग्यता क्रम (Merit Order)	46–47
तालिका 28:	सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता	47–48
तालिका 29:	सुयोग्यता क्रम पर विचारोपरांत माहवार वितरण कंपनीवार उपलब्धता	49
तालिका 30:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार (मिलियन यूनिट में)	49
तालिका 31:	विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत	51
तालिका 32:	न्यूनतम क्रय दायित्व	53
तालिका 33:	विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार	54
तालिका 34:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार	54
तालिका 35:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार	55
तालिका 36:	विद्युत वितरण कम्पनियों के बीच स्थाई लागत का आवंटन	55–56
तालिका 37:	स्टेशनवार स्वीकृत परिवर्तनीय लागत	56–57
तालिका 38:	ट्रेडको से अनुज्ञेय की गई ऊर्जा की आवश्यकता, आवंटन	58
तालिका 39:	स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत	58
तालिका 40:	निवेश योजना	59
तालिका 41:	वित्त प्रबंध योजना	60
तालिका 42:	पूंजीकरण योजना	61
तालिका 43:	पूंजी निवेश योजना	62
तालिका 44:	पूंजीकरण योजना	63
तालिका 45:	वित्त प्रबंध योजना	63
तालिका 46:	पूंजी निवेश नियोजन	64
तालिका 47:	वित्त प्रबंध योजना	65
तालिका 48:	पूंजीकरण योजना	66
तालिका 49:	वित्तीय वर्ष 11 हेतु दावा किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	67
तालिका 50:	मरम्मत तथा संधारण व्यय	69
तालिका 51:	विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय	69
तालिका 52:	विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	70
तालिका 53:	वित्तीय वर्ष 11 हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	70
तालिका 54:	अवमूल्यन	71–72
तालिका 55:	अवमूल्यन	72
तालिका 56:	अवमूल्यन	73
तालिका 57:	अवमूल्यन	75
तालिका 58:	ब्याज लागत	76–77
तालिका 59:	ब्याज लागत	78
तालिका 60:	ब्याज लागत	78–79

तालिका 61:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार	81–82
तालिका 62:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	83
तालिका 63:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	84
तालिका 64:	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	84–85
तालिका 65:	आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	86
तालिका 66:	उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	87
तालिका 67:	पूंजी पर प्रतिलाभ	88
तालिका 68:	पूंजी पर प्रतिलाभ	88–89
तालिका 69:	पूंजी पर प्रतिलाभ	89
तालिका 70:	पूंजी पर प्रतिलाभ	90
तालिका 71:	दावा/दायर किये डूबन्त ऋण	91
तालिका 72:	अन्य आय	93
तालिका 73:	वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (करोड़ रूपये में)	94–95
तालिका 74:	वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति	95–96
तालिका 75:	अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति (राशि करोड़ रूपये में)	96

ए 1: आदेश

(आज दिनांक 18 मई, 2010 को पारित किया गया)

1.1 यह आदेश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (जिन्हें एतद् पश्चात वैयक्तिक रूप से पूर्व क्षेत्र वितरण कंपनी, मध्य क्षेत्र वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी एवं सामूहिक रूप से ''वितरण कंपनियां'' अथवा ''अनुज्ञप्तिधारी'' संदर्भित किया गया है) द्वारा मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (जिसे एतद् पश्चात मप्रविनिआ या आयोग संदर्भित किया गया है) के समक्ष दायर की गई याचिकाओं क्रमशः क्रमांक 03/10, 04/10 तथा 05/10 से संबंधित है। ये याचिकाएं मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबंधन तथा शर्तें एवं प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 (जिन्हें एतद् विनियम संदर्भित किया गया है), की अर्हताओं के अनुसार दायर की गई हैं।

1.2 इन विनियमों के अनुसार, राज्य के विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से दिनांक 30 दिसम्बर, 2010 तक वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उनसे संबंधित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) एवं टैरिफ प्रस्ताव दायर किये जाने की अपेक्षा की गई थी। पश्चिम क्षेत्र वितरण कंपनी ने उनके पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 द्वारा अपनी वांछित याचिका दिनांक 4 जनवरी, 2010 तक समय वृद्धि किये जाने का अनुरोध किया गया। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने उनके पत्र दिनांक 29 दिसम्बर, 2009 द्वारा अपनी याचिकाएं दायर किये जाने के संबंध में दिनांक 10 जनवरी 2010 तक की समय वृद्धि पर विचार किये जाने के संबंध में अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा उनके इस अनुरोध पर विचार किया गया तथा विद्युत वितरण कंपनियों को अपनी याचिकाएं दिनांक 6 जनवरी 2010 तक दायर किये जाने के निर्देश दिये गये। प्रत्युत्तर में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी–अपनी याचिकायें दिनांक 6 जनवरी, 2010 को दायर की गईं जबकि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अपनी याचिका 11 जनवरी, 2010 को दायर की गई।

1.3 प्राथमिक परीक्षण किये जाने पर याचिकाएं अपूर्ण पाई गईं क्योंकि इनमें वांछित आंकड़ों/जानकारी का अभाव था। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों को प्रेषित पत्र दिनांक 1 फरवरी, 2010 में अनुज्ञप्तिधारियों को ऊर्जा विक्रय, विद्युत क्रय, अवमूल्यन तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (AAR) के अन्य घटकों के संबंध में दिनांक 8 फरवरी, 2010 तक अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने संबंधी निर्देश दिये। उन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशन हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रारूप भी, हितधारकों (स्टेकहोल्डर) से टिप्पणियां प्राप्त करने हेतु

दाखिल किए जाने संबंधी निर्देश दिये गये। प्रत्युत्तर में मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा समय अवधि क्रमशः 16 फरवरी, 2010 तथा 18 फरवरी, 2010 तक बढ़ाने का अनुरोध किया गया। आयोग द्वारा अनुरोध पर विचार किया गया तथा राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों को अतिरिक्त जानकारी/स्पष्टीकरण प्रस्तुत किये जाने की समय अवधि 16 फरवरी 2010 तक बढ़ा दी गई। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सार्वजनिक सूचना का प्रारूप दिनांक 16 फरवरी, 2010 को तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत कम्पनी द्वारा इसे 22 फरवरी, 2010 को दाखिल किया गया। आयोग द्वारा याचिकाएं 26 फरवरी, 2010 को स्वीकार की गईं तथा सार्वजनिक सूचनाओं में आवश्यक सुधार कर, विद्युत वितरण कम्पनियों को अपनी संसूचना दिनांक 26 फरवरी, 2010 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को उनके आवेदनों के सार तथा विद्युत दर (टैरिफ) प्रस्तावों को समाचार पत्रों में अंग्रेजी तथा हिन्दी संस्करणों में अन्तिम दिनांक 2 मार्च, 2010 तक, उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हितधारकों से उनकी टिप्पणियां आमंत्रित किये जाने हेतु, निर्देश दिये गये।

1.4 सार्वजनिक सूचनाएं, जिनके अन्तर्गत विद्युत–दर (टैरिफ) तथा विद्युत–दर प्रस्ताव सम्मिलित थे, मध्य, पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा समाचार पत्रों में दिनांक 28 फरवरी, 2010/1 मार्च, 2010 को प्रकाशित किये गये। हितधारकों को उनकी टिप्पणियां/सुझाव/आपत्तियां दिनांक 23 मार्च, 2010 तक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये गये।

1.5 इस मध्य, आयोग द्वारा एक ''अवधारणा पत्र (Approach Paper)'' जारी किया गया जिसमें विचार किये जाने वाले विषयों के अन्तर्गत आगामी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत टैरिफ रूपांकन पर समस्त हितधारकों को अपने विचार प्रकट किये जाने हेतु आग्रह किया गया था। इस संबंध में सार्वजनिक सूचना दिनांक 12 मार्च, 2010 को जारी की गई तथा हितधारकों को उनकी प्रतिक्रियाएं दिनांक 25 मार्च, 2010 तक प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया।

1.6 चूंकि पूर्व में दिनांक 29 जुलाई, 2009 को जारी किया आदेश दिनांक 31.3.10 तक ही वैध था, अतः आयोग द्वारा निर्णय लिया गया कि खुदरा विद्युत दरें तथा प्रभार जिनकी याचिकाकर्त्ताओं द्वारा उनके अनुज्ञप्ति–प्राप्त क्षेत्र में आयोग के टैरिफ आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 द्वारा अनुज्ञेय की गई थीं, को तब तक जारी रखा जाएगा, जब तक आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु टैरिफ आदेश जारी नहीं कर दिया जाता है। इस संबंध में आदेश दिनांक 26 मार्च, 2010 को जारी किया गया।

1.7 उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए, वर्ष 2010–11 के दौरान, विद्यमान विद्युत–दरें जैसी कि ये आयोग द्वारा दिनांक 29 जुलाई, 2009 को जारी टैरिफ आदेश के अन्तर्गत अवधारित की गई हैं, जारी रहेंगी जब तक यह टैरिफ आदेश प्रभावशील नहीं हो जाता। आयोग द्वारा वर्तमान आदेश में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण किया

गया है। प्रक्षेपित राजस्व प्राप्तियों पर इस प्रकार विचार किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल राजस्व आवश्यकता की वसूली विद्यमान विद्युत दर के अनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 के प्रथम दो माह हेतु की जाएगी तथा शेष दस माह की अवधि (दिनांक 1 जून 2010 से दिनांक 31 मार्च 2011 तक) हेतु इस आदेश के अन्तर्गत पारित विद्युत–दर के आधार पर की जाएगी।

1.8 याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं का सार निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 1 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत याचिकाओं का परिदृश्य (करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
विद्युत के विक्रय से राजस्व की प्राप्ति	2780	3590	3045
गैर–टैरिफ राजस्व की प्राप्ति	23	98	21
सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	4165	4842	4436
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आय तथा व्यय में राजस्व अन्तर (करोड़ रूपये में)	-1385	-1252	-1391
मप्रविनिआ द्वारा उसके वित्तीय वर्ष 06 के सत्यापन आदेश के अन्तर्गत आरक्षित किया गया व्यय	118	164	140
वित्तीय वर्ष 08 के अन्तर का प्रत्युत्सर्जन (amortization)	274	395	207
वित्तीय वर्ष 09 के अन्तर का प्रत्युत्सर्जन (amortization)	434	0	0
दाखिल किया गया कुल राजस्व अन्तर (करोड़ रूपये में)	**-2211**	**-1811**	**-1738**

1.9 अतिरिक्त जानकारी प्रस्तुत किये जाने के बावजूद, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी याचिकाएं पूर्ण नहीं पाई गईं क्योंकि इनमें प्रमुख जानकारी का अभाव था। उदाहरण के तौर पर, पूर्व वर्ष की नेटवर्क सांख्यिकी तथा याचिका दायर करते समय की अद्यतन स्थिति, जिससे कि आगामी वर्षों हेतु नेटवर्क के आंकड़ों का पूर्वानुमान किया जा सके। इसी प्रकार, अवमूल्यन संबंधी गणनाओं के विवरण, श्रेणीवार परिसम्पत्तियों में अभिवृद्धि तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्य घटक दर्शाते हुए, प्रस्तुत नहीं किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों ने वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण (डीटीआर मीटरिंग) के आधार पर अमीटरीकृत विक्रय को प्राक्कलित किये जाने संबंधी कोई विश्लेषित अध्ययन भी प्रस्तुत नहीं किया, केवल पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर, जिनमें उचित गुणवत्ता का

अभाव था तथा इसके साथ–साथ नमूना आकार, की मात्रा भी अपर्याप्त थी जो कि अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के बिलिंग के प्रयोजन हेतु स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

1.10 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उनकी याचिकाओं में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 2211 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 1811 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रु. 1738 करोड़ के कुल राजस्व अन्तर का पूर्वानुमान किया गया है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा राजस्व अन्तर के कुछ भाग को प्रस्तावित विद्युत दर में अभिवृद्धि द्वारा तथा अवशेष राशि को विनियामक परिसम्पत्ति (Regulatory Asset) के रूप में आगामी पांच वर्षों के दौरान प्रतिधारित रखा जाना प्रत्युत्सर्जन किये जाने हेतु (to be amortized) प्रस्तावित किया है। प्रस्तावित विद्युत दर में अभिवृद्धि के कारण राजस्व में प्रक्षेपित वृद्धि के वितरण तथा विनियामक परिसम्पत्ति के रूप में प्रतिधारित रखे जाने वाली राशि निम्न तालिका में दर्शाई गई है :–

तालिका 2 : प्रस्तावित विद्युत दर के कारण राजस्व में वृद्धि **(करोड़ रूपये में)**

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पूर्व	पश्चिम	मध्य
विद्यमान विद्युत दर के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति	2780	3590	3045
प्रस्तावित विद्युत दर के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति	3383	4487	3824
प्रस्तावित विद्युत–दर के अनुसार कुल राजस्व में अभिवृद्धि	603	897	779

तालिका 3 : राजस्व अन्तर की प्रस्तावित वसूली

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	कुल राजसव अन्तर (करोड़ रू. में)	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तावित टैरिफ पुनरीक्षण के माध्यम से राजस्व वृद्धि (करोड़ रू. में)	विनियामक परिसम्पत्ति (रेग्यूलेटरी असेट) (करोड़ रू. में)
पूर्व	2211	603	1608
पश्चिम	1811	897	914
मध्य	1738	779	959
संपूर्ण राज्य	**5760**	**2279**	**3481**

विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान खुदरा विद्युत दरें (uniform Retail Tariffs across Discoms)

1.11 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एक समान खुदरा विद्युत दरें रखे जाने के प्रयोजन से, आयोग द्वारा अपने पत्र दिनांक 3 मई, 2010 द्वारा मध्य प्रदेश शासन का दृष्टिकोण चाहा गया। सचिव, ऊर्जा विभाग, मध्य प्रदेश द्वारा अपने पत्र क्रमांक 3691–13–10 दिनांक 5.5.2010 द्वारा मप्र शासन को परामर्श प्रेषित किया गया कि राज्य में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु समस्त विद्युत

वितरण कम्पनियों की विद्युत–दरें एक समान होनी चाहिए ताकि राज्य में उपभोक्ताओं तथा उपयोगिताओं (कम्पनियों) के हितों का संरक्षण हो सके तथा कोई भी उपभोक्ता उसके विद्युत संयोजन की भौगोलिक स्थिति के कारण अलाभकारी स्थिति में न रखा जाए। इस संसूचना के सुसंगत भाग का भाषा रूपान्तर निम्नानुसार उद्धरित किया जाता है :

''शासन आयोग से सहमत है कि विद्युत वितरण कम्पनियां विभिन्न महत्वपूर्ण मानदण्डों पर स्वाभाविक रूप से अलग–अलग हैं, जिनमें सम्मिलित हैं उपभोक्ता मिश्र, हानियां तथा लागत संरचना, जो कि भिन्न–भिन्न लागत तथा राजस्व प्रवाहों में परिणत होते हैं। यह कारक भी गतिशील (dynamic) हैं तथा इनमें समयानुसार परिवर्तन होते रहते हैं।

राज्य भर में एक समान विद्युत दर सुनिश्चित करने हेतु ताकि कोई भी उपभोक्ता उसके विद्युत संयोजन की भौगोलिक स्थिति के कारण अलाभकारी स्थिति में न रहे, राज्य शासन यह सुनिश्चित करने का इच्छुक है कि :

- *कम से कम निकट भविष्य में राज्य के एक ही श्रेणी के उपभोक्ताओं की विद्युत–दरें एक समान रखी जाएं ;*
- *यथा समय, उसका यह भी विश्वास है कि विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य राजस्व घाटे अथवा बचत के संबंध में कोई वृहद अंतर नहीं होने चाहिए, सिवाय संक्रियाओं (आप्रेशन्स) की उन्नत दक्षता हेतु ;*
- *दक्षता में अभिवृद्धि बाबत् वितरण कंपनियों के समक्ष पर्याप्त प्रोत्साहन भी उपलब्ध होने चाहिए।*
- *चूंकि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूंजी निवेश योजनाएं तैयार कर ली गई है जो कि भार में वृद्धि, प्रणाली में सुदृढ़ीकरण तथा आयोग द्वारा हानि प्रक्षेपण की प्राप्ति में सहायक होंगी, अतः ये निवेश आयोग द्वारा निर्दिष्ट सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अवधि हेतु अनुज्ञेय किये जाएं।*
- *जीवनांकिक मूल्यांकन का अभ्यास पूर्ण हो चुका है तथा इसका प्रतिवेदन मप्रविनिआ को प्रस्तुत किया जा चुका है। आयोग द्वारा विद्युत–दरों में समुचित प्रावधानों द्वारा टर्मिनल दायित्वों के वित्तीय प्रबंधन पर विचार किया जाए।*

वित्तीय वर्ष 2008 से वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान, विद्युत दरों का अवधारण करते समय आयोग को उपरोक्त उल्लेखित उद्देश्यों को सन्तुलित किये जाने हेतु परामर्श दिया गया था। आयोग द्वारा विद्युत–दरों का निर्धारण करते समय शासन के परामर्श पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया। राज्य शासन आगे भी उपरोक्त रेखांकित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु आयोग को वर्ष 2010–11 हेतु भी विद्युत–दर अवधारण प्रक्रिया में सहायता प्रदान किये जाने का परामर्श देता है।''

1.12 वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी, तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के बीच राजस्व घाटे/बचतों में संतुलन के प्रयोजन से तथा इसी के साथ–साथ राज्य भर में एक समान खुदरा विद्युत–दरों को बनाये रखे जाने की दृष्टि से, आयोग द्वारा राज्य शासन को विद्युत वितरण कम्पनियों तथा मप्र ट्रेडको के बीच विद्यमान तथा नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं के पुर्नावंटन हेतु, परामर्श दिया गया। इसे मध्यप्रदेश शासन को आयोग के पत्र दिनांक 3 मई, 2010 द्वारा संसूचित किया गया। राज्य शासन ने उनकी पूर्व अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2009 का पुनरीक्षण उनकी अधिसूचना क्रमांक 3823–एफ–3–24–2009 दिनांक 11 मई, 2010 को किया गया।

राज्य सलाहकार समिति ((State Advisory Committee)

1.13 आयोग द्वारा दिनांक 19 मार्च, 2010 को राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों के साथ इन याचिकाओं पर चर्चा के प्रयोजन से तथा जन–सामान्य से प्राप्त सुझावों/टिप्पणियों पर एक बैठक का आयोजन किया गया। टैरिफ याचिकाओं की मुख्य विशेषताओं पर एक प्रस्तुतिकरण, जो व्यय तथा राजस्व के मुख्य बिन्दुओं को प्रदर्शित करता है, समिति के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस संबंध में, सदस्यों द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किये गये जिन पर आयोग द्वारा इस आदेश में समुचित प्रसंगों के अंतर्गत विचार किया गया है।

जन–सुनवाई (Public Hearing)

1.14 आयोग द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों के मुख्यालयों तथा गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु आयोग के कार्यालय में टैरिफ याचिकाओं पर जन सुनवाईयों का आयोजन किया गया। इन सुनवाईयों का आयोजन निम्न तिथियों को किया गयाः

तालिका 4 : जन–सुनवाई

स. क्र	विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	जन सुनवाई की तिथि
1.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, इन्दौर	5.4.2010
2.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, जबलपुर	7.4.2010
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी, भोपाल	8.4.2010
4.	केवल गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु, भोपाल में	9.4.2010

1.15 आयोग द्वारा कई गैर–शासकीय संस्थाओं (NGOs) को टैरिफ अवधारण प्रक्रिया में भाग लेने तथा उपभोक्ताओं के हितों के प्रतिनिधित्व हेतु आमन्त्रित किया गया। इस आदेश को अंतिम रूप देते समय, इन सुनवाइयों के दौरान प्राप्त की गई टिप्पणियों/आपत्तियों/सुझावों पर यथोचित विचार किया गया है।

वितरण हानियां (Distribution Losses)

1.16 आयोग द्वारा यह पाया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियां मप्र शासन द्वारा पूर्व में निर्दिष्ट की गई हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण के स्तर तक वितरण हानियां कम किये जाने में असमर्थ रही हैं। विद्युत वितरण हेतु बहुवर्षीय विनियम को अधिसूचित करते समय, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 10–11 से वित्तीय वर्ष 12–13 हेतु हितधारकों के साथ, विद्युत वितरण कम्पनियों को सम्मिलित करते हुए विचार विमर्श कर, उपभोक्ताओं के साथ विद्युत वितरण कम्पनियों के हितों को ध्यान में रखते हुए, हानि प्रक्षेपण (Loss Trajectory) को पुनरीक्षित किया गया। विनियमों में वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु निर्दिष्ट की गई हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 5 : विनियमों के अनुसार हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
30%	26%	33%

उपरोक्त निर्दिष्ट किये गये हानि प्रक्षेपण के विरूद्ध, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्न हानि स्तरों के आधार पर दायर की गई है :–

तालिका 6 : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर किये गये हानि कम किये जाने संबंधी प्रक्षेपण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी
32.5%	29.76%	33%

1.17 यह पाया गया कि केवल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर, अन्य दो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रक्षेपित वितरण हानियों को दाखिल करते समय सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता दायर किये जाने संबंधी उपबन्धों का अनुपालन नहीं किया गया है।

1.18 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के विद्युत–दर आदेश में प्रकट किया गया था कि वास्तविक वितरण हानियां निर्दिष्ट की गई वितरण हानियों से अधिक रहना अभी भी जारी है तथा काफी गंभीर चिन्ता का विषय भी है। इसे कम किये जाने की दर अत्यधिक धीमी है तथा वास्तविक वितरण हानियां अत्यधिक होना अभी भी जारी है यदि इसे अधिकांश पड़ोसी राज्यों के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया जाए। कई राज्यों में तो अनुज्ञप्तिधारियों ने इस क्षेत्र में अत्यन्त प्रशंसनीय कार्य भी किया है। इसके फलस्वरूप न केवल उपभोक्ताओं को बढ़ी हुई उपलब्धता के कारण निम्न विद्युत–दर के रूप में राहत प्रदान की गई है, वरन् वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के समुन्नत वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार भी परिलक्षित हुआ है। इसके कारण, इन राज्यों की

सरकारों को भी राहत मिली है क्योंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा राज्यों से अपेक्षित उत्तरोत्तर वित्तीय सहायता में कमी आई है। मध्य प्रदेश राज्य में हानियों का वास्तविक स्तर अस्वीकार्य उच्च स्तरों पर रहना अभी भी जारी है।

1.19 चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का लगभग 70% भाग विद्युत क्रय की लागत में ही व्यय हो जाता है, अतएव हानियों का समग्र रूप से सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। आयोग उच्च स्तर की वास्तविक हानियों के स्तर पर विद्युत क्रय की लागत को मान्य नहीं करता है तथा राजस्व आवश्यकता का अवधारण हानि स्तर के विनिर्दिष्ट हानि प्रक्षेपण के आधार पर करता है जो कि वास्तविक हानि स्तर से सामान्यतः कम होता है। अतएव, इस विधि को अपनाते हुए आयोग एक ओर यह सुनिश्चित करता है कि उपभोक्ता को उच्चतर हानियों के स्तर के कारण वित्तीय हानि न होने पाय; दूसरी ओर वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को पर्याप्त रूप से अतिरिक्त लागतों को भी खपाना होता है। विद्युत वितरण कम्पनियों की संचित हानियां खतरनाक रूप से उच्च स्तरों पर है तथा उनकी वित्तीय व्यवहार्यता हेतु एक गंभीर जोखिम भी है।

1.20 चूंकि वितरण अनुज्ञप्तिधारी सामान्यतः शासन के स्वामित्व वाली कंपनियां हैं अतएव अंततः, कुछ उपभोक्ता श्रेणियों को अनुदान प्रदाय किये जाने के अतिरिक्त, यह अतिरिक्त दायित्व राज्य के राजकोष को उसे वितरण कंपनियों के आर्थिक कष्ट निवारण हेतु अथवा बढ़ी हुई आर्थिक सहायता के रूप में इन्हें वित्तीय रूप से चलायमान रखने के लिए राज्यों को आर्थिक रूप से वंचित कर देता है।यह अत्यावश्यक हो गया है तथा यह क्षेत्र की भलाई के लिये भी निर्णायक हो गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एक समयबद्ध संगठित अभियान चलाया जाए। आयोग अपेक्षा करता है कि हानियां कम किये जाने हेतु राज्य शासन के प्रशासकीय सहयोग से तथा इसके साथ–साथ सामान्य–जन को भी संबद्ध किया जाए ताकि विद्युत वितरण कम्पनियां आने वाले समय में सकारात्मक रूप से उपलब्धियां प्रदर्शित कर सकें।

ऊर्जा लेखांकन एवं मीटरीकरण (Energy Accounting & Meterisation)

1.21 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में ऊर्जा लेखांकन तथा मीटरीकरण के महत्व पर जोर दिया गया था। विभिन्न स्तरों पर, जैसे कि उपकेन्द्रों, वितरण संभारकों, वितरण ट्रांसफार्मरों तथा उपभोक्ता छोर पर उचित ऊर्जा लेखांकन तथा ऊर्जा वितरण हानियों, यथा तकनीकी एवं अन्य हानियों के वास्तविक स्तर के संबंध में आवश्यकता प्रतिपादित की गई थी ताकि समुचित हानि कम किये जाने संबंधी रणनीतियां तैयार की जा सकें। तथापि, आयोग यह महसूस करता है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा मीटरीकरण को यथोचित ध्यान तथा महत्व प्रदान नहीं किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों को मीटरीकृत किये जाने संबंधी प्रगति निराशाजनक रही है। ऐसे संयोजनों की काफी बड़ी संख्या (35%)

का अमीटरीकृत रहना अभी भी जारी है। इसी प्रकार, कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफर्मरों पर मीटर लगाये जाने की प्रगति मध्य तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों के क्षेत्रों में काफी असन्तोषजनक है। वास्तव में, इस संबंध में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। पिछले टैरिफ आदेश के अन्तर्गत, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को न्यूनतम 25% कृषि प्रधान वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित किये जाने संबंधी दिशा–निर्देश दिये गये थे, जबकि उनके द्वारा अभी तक मात्र 10% वितरण ट्रांसफार्मरों पर ही मीटर स्थापित किये गये हैं। वितरण ट्रांसफार्मरों पर स्थापित किये गये मीटरों द्वारा अभिलिखित खपत संबंधी प्रस्तुत आंकड़े भी किसी उपयोगी निष्कर्ष तक पहुंच पाने हेतु सुसंगत तथा पर्याप्त नहीं पाये गये हैं। आयोग द्वारा अपने पिछले टैरिफ आदेश में भी यह माना गया है कि 100% मीटरीकरण किये जाने के संबंध में कुछ मुद्दे हैं, विशेष कर काफी बड़ी संख्या में कृषि उपभोक्ताओं के वैयक्तिक मीटरीकरण के संबंध में। आयोग द्वारा समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों का भी बारंबार कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों पर मीटरीकरण प्रक्रिया में गति बढ़ाये जाने संबंधी निर्देश दिये गये हैं। माह दिसम्बर 09 तक प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति निम्नानुसार है :

तालिका 7 : प्रस्तुत प्रतिवेदनों के अनुसार मीटरीकरण की प्रगति

क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	घरेलू (शहरी)			घरेलू (ग्रामीण)			कृषि वितरण ट्रांसफार्मर		
	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरी कृत संयोजनों की संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों का प्रतिशत	संयोजनों की कुल संख्या	अमीटरीकृत संयोजनों की संख्या	अमीटरी कृत संयोजनों का प्रतिशत	कृषि बाहुल्य वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या	वितरण ट्रासफार्मरों का संख्या जिन पर मीटर स्थापित किये गये हैं	वितरण ट्रांसफार्मरों का प्रतिशत जिन पर मीटर स्थापित किये गये है (%)
पूर्व	807085	1,517	0.19	1,378,032	722,981	52.46	24,872	517	2.08
पश्चिम	927195	-	-	1,263,472	272,128	21.54	57,584	5923	10.28
मध्य	834359	18,038	2.16	763,765	215,412	28.20	48,076	2,334	4.85
राज्य का योग	2568639	19,555	0.76	3,405,269	1,210,521	35.55	130,532	9,717	7.44

1.22 विद्युत अधिनियम, 2003 इसके लागू होने की तिथि से दो (2) वर्षों के अन्दर समस्त उपभोक्ताओं को मीटरीकृत किये जाने हेतु अधिदिष्ट करता है। आयोग भी इस विषय पर विद्युत वितरण कम्पनियों से विभिन्न बैठकों के दौरान गंभीरतापूर्वक विचार–विमर्श करता आ रहा है तथा उनके साथ परामर्श द्वारा निष्पाद्य (Achievable) लक्ष्य निर्धारित करता आ रहा है। परन्तु, विद्युत वितरण कम्पनियां इन लक्ष्यों के निष्पादन में निरन्तर असफल रही हैं। यदि विद्युत वितरण कम्पनियां मीटरीकरण प्रक्रिया में ढील का प्रदर्शन जारी रखती हैं तो आयोग को यहां पुनर्विचार करने पर बाध्य होना पड़ेगा कि भविष्य में भी ऐसे अमीटरीकृत संयोजनों को अनिश्चित काल के लिये जारी रखे जाने को अनुज्ञेय किया जाए अथवा नहीं।

पूंजीगत व्यय योजना का क्रियान्वयन/पूंजीकरण (Capex implementation/Capitalization)

1.23 अंकेक्षित तुलन पत्रों पर आधारित निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 8 : किये गये पूंजी निवेश की प्रगति **(राशि करोड़ रूपये में)**

वर्ष	क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	टैरिफ याचिका में दायर किये गये अनुसार निवेश योजना	किये गये निवेश			
			सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि (GFA)	प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) में की गई वृद्धि	कुल वृद्धि (GFA+CWIP)	पूंजी निवेश योजना के संबंध में कुल प्रतिशत वृद्धि
				तुलन–पत्र के अनुसार		
2007–08	पूर्व	714.83	194.35	30.19	224.54	31%
	पश्चिम	391.09	127.45	85.34	212.79	54%
	मध्य	359.71	345.16	-181.51	163.65	45%
	योग	1465.63	666.96	-65.98	600.98	41%
2008–09	पूर्व	1081.53	302.98	27.34	330.32	31%
	पश्चिम	565.66	60.82	86.34	147.16	26%
	मध्य	522.10	300.40	-44.40	256.00	49%
	योग	2169.29	664.20	69.28	733.48	34%

1.24 यह पाया गया है कि उपरोक्त दो वर्षों के दौरान पूंजी निवेश योजना की तुलना में वास्तविक उपलब्धियां 26% से 54% के बीच रही हैं। समग्र रूप से, यह जबकि 41% पूंजी निवेश वर्ष 2007–08 के दौरान किये गये थे, पूंजी निवेश योजना के साथ तुलना किये जाने पर वर्ष 2008–09 में घटकर यह 34% आ गया है। यह प्रगति असाधारण रूप से काफी कम है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनकी तकनीकी हानियां कम किये जाने संबंधी प्रयासों के संबंध में सही छाप नहीं छोड़ती। यह भी पाया गया है कि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) उनके दो वर्षों में किये गये पूंजी निवेश से लगभग तीन गुना है। केवल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में ही प्रगति पर निर्माण कार्य दो वर्षों के निवेश से कम है। यह स्पष्ट है कि कार्यों के पूंजीकरण के संबंध में ध्यान नहीं दिया जा रहा है। विद्युत वितरण कार्य की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आयोग महसूस करता है कि ऐसे कार्यों की संख्या काफी अधिक है जो पूर्ण हो चुके हैं तथा कार्यशील भी किये जा चुके हैं परन्तु फिर भी प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) की मद के अन्तर्गत किये जा रहे हैं परन्तु इनका पूंजीकरण (Capitalization) नहीं किया जा रहा है। आयोग इस विषय पर तथ्यों की खोजबीन हेतु एक अध्ययन आयोजित कराये जाने का इच्छुक है। फिर भी, परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण में की जा रही ढील के कारण विद्युत वितरण कम्पनियां पूंजीकृत किये जाने वाले वांछनीय व्ययों से भी वंचित हो रही हैं। आयोग ने वित्तीय वर्ष 2009–10 की विद्युत–दर संबंधी आदेश जारी करते समय राज्य सरकार को पूंजीगत व्यय (Capex) हेतु एक अनुवीक्षण तन्त्र (Monitoring Mechanism) स्थापित किये जाने बावत परामर्श दिया था। आयोग यह महसूस करता है कि

इसे कम्पनी स्तर के साथ–साथ राज्य स्तर पर भी गंभीरता पूर्वक तथा कड़ाई से क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है।

विनियमों का अननुपालन (Non Compliance of Regulations)

1.25 विनियमों के अंतर्गत सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की विभिन्न मदों जैसे कि वितरण हानियों से संबंधित प्रक्षेपण, प्रचालन तथा संधारण व्यय तथा अवमूल्यन, आदि हेतु मानदण्ड निर्दिष्ट किये गये हैं। इन विनियमों के अधिनियमन समस्त हितधारकों के सुझावों/टिप्पणियों पर विचार करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों को सम्मिलित कर, यथोचित प्रक्रिया द्वारा किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत की गई याचिकाओं की समीक्षा किये जाने से ज्ञात होता है कि उनके द्वारा मुख्य लागत मदों में विचलन (deviations) किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा हानि स्तर के प्रक्षेपण, अवमूल्यन, प्रचालन तथा संधारण आदि के संबंध में किये गये दावे, विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप नहीं किये गये हैं। आयोग विनियमों के उपबन्धों से विचलन किये जाने संबंधी प्रस्तुतिकरण के कारण जानने में असमर्थ रहा है। आयोग द्वारा इसे गंभीरता से संज्ञान में लिया गया है तथा वह भविष्य में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्तावों को विनियमों में विनिर्दिष्ट मानदण्डों के अनुरूप दाखिल न किये जाने पर, इन्हें निरस्त कर सकेगा। अनुज्ञप्तिधारी भी, यदि वे महसूस करते हैं, कि विनिर्दिष्ट मानदण्डों से विचलन किये जाने के कारण वैध हैं तो वे इस हेतु अतिरिक्त प्रस्तुतिकरण, न्यायोचित कारणों को दर्शाते हुए, इन्हें प्रस्तुत कर सकते हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (Aggregate Revenue Requirement of Discoms)

1.26 आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों की खुदरा विद्युत प्रदाय की विद्युत–दरों (टैरिफ) को पुनरीक्षित किया गया है जिन्हें इस आदेश के साथ परिशिष्टबद्ध किया गया है। आयोग द्वारा तीन विद्युत कंपनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दरों से प्राप्त होने वाले राजस्व का आकलन किया गया है। इन्हें वितरण कंपनीवार विस्तृत आदेश में दर्शाया गया है।

1.27 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, आयोग द्वारा वर्तमान आदेश में अवधारित राज्य के तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार दर्शाई गई है:

तालिका 9 : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता की संक्षेपिका **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं	पश्चिम क्षेत्र विविकं	मध्य क्षेत्र विविकं	सम्पूर्ण राज्य हेतु
विद्युत क्रय, पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	2211.51	3354.12	2698.20	8263.83
प्रचालन एवं संधारण लागत	566.61	525.77	518.29	1610.67
अवमूल्यन	52.50	54.98	53.95	161.43
परियोजना ऋणों पर ब्याज	40.93	19.72	53.90	114.56
पूंजी पर प्रतिलाभ	92.83	92.01	94.15	279.00
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	0.00	0.00	0.00	0.00
मप्रविनिआ शुल्क	0.53	0.68	0.60	1.81
डूबन्त ऋण	0.00	0.00	0.00	0.00
उपभोक्ता प्रतिभूति निवेश पर ब्याज	45.45	22.02	16.54	84.01
अन्य आय	-80.00	-100.00	-80.00	-260.00
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल संपूर्ण राजस्व आवश्यकता	**2930.36**	**3969.30**	**3355.63**	**10255.31**

1.28 आयोग द्वारा राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय वर्ष 2010–11 की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दरों का अवधारण विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट हानि प्रक्षेपण (loss trajectory) के आधार पर किया गया है।

1.29 तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु इस आदेश के अन्तर्गत खुदरा प्रदाय विद्युत दर के सत्यापन हेतु याचिकाएं दाखिल की गई थीं। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय आदेश के सत्यापन हेतु विस्तृत आदेश पारित किया जा चुका है तथा इस आदेश के अन्तर्गत रू. 223.10 करोड़ के पड़ने वाले प्रभाव को मी माना गया है।

1.30 उपरोक्त दर्शाये गये सत्यापन के प्रभाव पर विचार करते हुए, आयोग द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अनुमोदित की गई है। निम्न तालिका अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, चालू विद्युत दर के अनुसार राजस्व तथा राजस्व अन्तर तथा इस आदेश के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की जा रही नवीन विद्युत दरों से राजस्व की प्राप्ति दर्शाती है :

तालिका 10 : नवीन विद्युत–दरों पर अंतर/आधिक्य **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए)	2930.36	3969.31	3355.64	10255.31
वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु सत्यापन (वितरण कम्पनियों हेतु) (बी)	171.79	16.12	35.19	223.10
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित की गई कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी–सी)	3102.15	3985.43	3390.83	10478.41

चालू विद्युत–दरों पर राजस्व से प्राप्ति (डी)	2798.30	3610.88	3059.93	9469.10
चालू विद्युत–दरों पर अंतर (डी–सी)	-303.85	-374.55	-330.90	-1009.31
नवीन विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति (ई)	3099.42	3987.39	3391.02	10477.83
अप्रावाधानित अन्तर/आधिक्य (करोड़ रूपये में)	-2.73	1.96	0.19	-0.57

1.31 आयोग निर्देश देता है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा नियमित रूप से तथा नियतकालिक (अधिमानतः त्रैमासिक आधार पर) विक्रयों तथा राजस्वों के प्राक्कलनों की समीक्षा की जानी चाहिए तथा किसी गंभीर असंतुलन होने की दशा में उन्हें आगामी समुचित दिशा–निर्देशों हेतु आयोग से संपर्क करना चाहिए।

1.32 आयोग ने अधिकतम अनुज्ञेय संयोजित भार को विद्यमान निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी हेतु 100 अश्वशक्ति (HP) से 150 अश्वशक्ति तक बढ़ाये जाने का निर्णय लिया है। इसे प्रभावशील बनाये जाने हेतु, उपभोक्ता हेतु निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी के अन्तर्गत एक नवीन उप–श्रेणी का सृजन किया गया है जिनकी अनुबन्ध मांग 100 अश्वशक्ति तक की है तथा जिनका संयोजित भार 150 अश्वशक्ति तक का है। बहुसंख्यक निम्न दाब उपभोक्ताओं को उच्च दाब श्रेणी में स्थानान्तरण हेतु, आयोग द्वारा उच्च दाब हेतु प्रवेश मांग के स्तर को घटा कर 50 केवीए करने का भी निर्णय लिया गया है। 50 से 100 केवीए मांग वाले उच्च दाब उपभोक्ताओं को निम्नतर न्यूनतम खपत भी निर्दिष्ट की गई है। अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश दिये जाते हैं कि वे 100 अश्वशक्ति तक की मांग वाले तथा 150 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार तक के उपभोक्ताओं हेतु 30 दिवस की अवधि के अन्दर या तो इस आदेश के अन्तर्गत अथवा प्रारंभ की जा रही नवीन श्रेणी का चयन करने अथवा उच्च दाब संयोजन का चयन करने के लिये अपना विकल्प प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान करें। समस्त निम्न दाब उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 100 अश्वशक्ति से अधिक है अथवा जिनका संयोजित भार 150 अश्वशक्ति से अधिक है, को यथाशीघ्र उच्च दाब संयोजन प्राप्त किये जाने संबंधी निर्देश दिये जाएं।

1.33 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 की विद्युत–दर (टैरिफ) जारी करते समय विभिन्न क्षेत्रों हेतु विद्युत प्रदाय के घंटो के संबंध में विवरण चाहे गये थे तथा तद्नुसार राज्य के वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निम्नानुसार न्यूनतम विद्युत घंटे बनाये रखे जाने संबंधी निर्देश प्रसारित किये गये थे :

(अ) संभागीय मुख्यालय – 22 घंटे
(ब) जिला मुख्यालय – 19 घंटे
(स) तहसील मुख्यालय – 14 घंटे
(द) ग्रामीण तीन फेस – 12 घंटे, [जिसमें से न्यूनतम 06 (छः) घंटों की तीन फेज विद्युत प्रदाय का संधारण सुनिश्चित करना होगा।]

134. आयोग पुनः अनुज्ञप्तिधारियों को उपरोक्तानुसार न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे बनाये रखे जाने हेतु पुनः निर्देशित करता है। विद्युत वितरण कंपनियों को विनिर्दिष्ट न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे संधारित न किये जाने की दशा में आयोग स्थाई प्रभारों में आनुपातिक कमी किये जाने पर विचार कर सकेगा।

आदेश का कार्यान्वयन (Implementation of the order)

1.35 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (टैरिफ अवधारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण एवं आवेदन देने की रीति और उसके लिये भुगतान योग्य फीस) विनियम, 2004 की कण्डिका 1.30 के अनुसार समाचार पत्रों में सात (7) दिवस का नोटिस देकर आदेश के क्रियान्वयन के संबंध में त्तकाल कदम उठाने चाहिए। इस आदेश द्वारा अवधारित विद्युत–दरें (टैरिफ) दिनांक 1 जून, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक प्रभावशील रहेंगी, जब तक कि आयोग द्वारा इनमें किसी आदेश के माध्यम से इनमें संशोधन अथवा सुधार न कर दिया जाए। दिनांक 29 जुलाई, 2009 को जारी पूर्व टैरिफ आदेश दिनांक 31 मई 2010 तक वैध रहेगा।

1.36 अतएव, आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाएं, सुधारों के साथ तथा सशर्त स्वीकार कर ली गई हैं तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान विद्युत प्रदाय के अनुज्ञप्ति प्राप्त क्षेत्र में खुदरा विद्युत–दरों तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वसूली योग्य प्रभारों का अवधारण कर दिया गया है। आयोग निर्देश देता है कि यह आदेश दिये गये निर्देशों तथा दी गई शर्तो के साथ–साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार क्रियान्वित किया जाए। अनुज्ञप्तिधारियों को आगे उपभोक्ताओं को केवल इस टैरिफ आदेश के उपबंधों के अनुसार ही देयक जारी किये जाने के आदेश भी दिये जाते हैं।

हस्ता/–

(सी.एस.शर्मा)
सदस्य (इकॉनामिक्स)

हस्ता/–

(के.के. गर्ग)
सदस्य (अभियांत्रिकी)

दिनांक 18 मई, 2010

स्थान : भोपाल

ए 2: याचिका क्र. 03/10, 04/10 तथा 05/10 के संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 18 मई, 2010 को जारी खुदरा विद्युत दर (टैरिफ) आदेश के साथ संलग्न विस्तृत कारण तथा आधार (DETAILED REASONS AND GROUNDS ATTACHED WITH RETAIL SUPPLY TARIFF ORDER ISSUED BY MPERC ON 18TH MAY, 2010 IN RESPECT OF PETITION NUMBER O3/10. 04/10 AND 05/10)

श्री पी.के.सिंह अतिरिक्त (मुख्य अभियंता) द्वारा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री ए.आर. वर्मा, महाप्रबंधक तथा अधीक्षण यंत्री (वाणिज्यिक) द्वारा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

श्री नगेन्द्र तिवारी (अधीक्षण यंत्री), द्वारा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का प्रतिनिधित्व किया गया।

तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान टैरिफ के अवधारण तथा वसूली योग्य प्रभार के विस्तृत आदेश, कारण तथा आधार दर्शाते हुए, निम्नानुसार दिये गये हैं। विस्तृत आदेश में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यात्मक तथा वित्तीय निष्पादन की चर्चा की गई है तथा आयोग के दिशा–निर्देशों पर अनुपालन की अद्यतन स्थिति तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया पर एक भाग तथा टैरिफ के प्रस्तावों पर हितधारकों से संपूर्ण राजस्व आवश्यकता पर प्राप्त किये गये सुझावों तथा टीपों पर आयोग की अभ्युक्ति संबंधी प्रतिवेदन भी सम्मिलित किये गये हैं।

ए.3 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मध्यप्रदेश पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों (ईस्ट, वेस्ट तथा सेंट्रल डिस्काम) की संपूर्ण राजस्व आवश्यकता (AGGREGATE REVENUE REQUIREMENT FOR FY 2010-11 OF MADHYA PRADESH POORVA, PASCHIM & MADHYA KSHETRA VIDYUT VITARAN COMPANIES LIMITED (EAST, WEST & CENTRAL DISCOMS)

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित विक्रयों के पूर्वानुमान की संक्षेपिका (Summary of Sales Forecast as proposed by the Licensee)

3.1 वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान विद्युत वितरण कंपनियों के कुल विक्रय 24845 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किये गये हैं, अर्थात् पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों का विक्रय 7232 मिलियन यूनिट, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी का विक्रय 9527 मिलियन यूनिट तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का विक्रय 8086 मिलियन यूनिट प्राक्कलित किया गया है। (विवरण हेतु देखें तालिका 11)

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.2 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि पिछले तीन वर्षों की श्रेणी वार संयोजित वार्षिक विकास दर (सीएजीआर) के विक्रयों, संयोजित भार तथा उपभोक्ताओं की संख्या की गणना की गई तथा तथ्यात्मक रूझानों तथा अन्य कारकों के आधार पर एक वर्ष, दो वर्ष तथा यहां तक कि तीन वर्षों हेतु भी विभिन्न श्रेणियों हेतु विक्रयों का पूर्वानुमान किया गयां। अन्य कारकों, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण विक्रय में वृद्धि, अनाधिकृत संयोजनों आदि के नियमितीकरण के कारण भी घरेलू श्रेणी हेतु अतिरिक्त विक्रय नर विचार किया गया है। निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 4216.07 मिलियन (यूनिट कुल विक्रय का 58.30%) तथा उच्च दाब श्रेणी में 3015 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 41.70%) प्राक्कलित किया गया है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.3 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि पिछले तीन वर्षों की श्रेणीवार संयोजित वार्षिक औसत विकास दर (सीएजीआर) के विक्रयों पर विचार किया गया है। एक तथा दो वर्ष हेतु संयोजित वार्षिक विकास दरों की भी गणना की गई है। अन्य कारकों जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण विक्रय में वृद्धि, अनाधिकृत संयोजनों आदि के नियमितीकरण के कारण भी घरेलू श्रेणी हेतु अतिरिक्त विक्रय पर विचार किया गया है। तथ्यात्मक रूझानों के आधार पर तथा घरेलू

श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या में अपेक्षित वृद्धि के कारण संयोजित वार्षिक विकास दर से अधिक विकास दर पर विचार किया गया है जबकि अन्य श्रेणियों के लिये पिछले दो वर्षों की संयोजित वार्षिक विकास दर के आधार पर विक्रय प्राक्कलित किये गये हैं तथा जहां संयोजित वार्षिक विकास दर के आधार पर विकास दर ऋणात्मक रही है, वहां सामान्य विकास दरें मानी गई हैं। पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 6289.36 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 66.02%) तथा उच्च दाब श्रेणी में 3237.67 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 33.98%) प्राक्कलित किया गया है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.4 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि पिछले दो वर्षों के श्रेणीवार संयोजित वार्षिक विकास दर के विक्रयों पर विचार किया गया है तथा कुछ श्रेणियों में एक वर्ष की संयोजित वार्षिक विकास दर विक्रयों पर विचार किया गया है। अन्य कारकों, जैसे कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत घरेलू उपभोक्ताओं की संख्या में प्रक्षेपित अभिवृद्धि के कारण विक्रय में वृद्धि, अनाधिकृत संयोजनों आदि के नियमितीकरण के कारण भी घरेलू श्रेणी हेतु अतिरिक्त विक्रय पर विचार किया गया है। तथ्यात्मक रूझानों के आधार पर, विभिन्न श्रेणियों में विक्रयों का प्राक्कलन किया गया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के निम्न दाब श्रेणी के विक्रयों को 5677.06 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 70.20%,) तथा उच्च दाब श्रेणी में 2409.47 मिलियन यूनिट (अथवा कुल विक्रय का 29.80%) प्राक्कलित किया गया है।

तालिका 11 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों के प्रक्षेपित विद्युत विक्रय (मिलियन यूनिटों में)

क्रेता श्रेणियां	2010–11		
निम्न दाब	**पूर्व क्षेत्र विविकं.**	**पश्चिम क्षेत्र विविकं.**	**मध्य क्षेत्र विविकं.**
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	1803.22	2102.57	2276.72
एलवी–2 : गैर घरेलू उपभोक्ता	349.24	521.42	525.46
एलवी–3 : सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र तथा पथ–प्रकाश	198.07	174.79	207.02
एलवी–4 : औद्योगिक	217.71	379.3	173.48
एलवी–5.1 : कृषि हेतु सिंचाई पम्प	1647.83	3094.23	2482.83
एलवी–5 .2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग		17.05	11.55
निम्न दाब यूनिटों का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**4216.07**	**6289.36**	**5677.06**

उच्च दाब			
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	457.55	388.47	713.36
एचवी–2 : कोयला खदानें (कोल माईन्स)	522.63	0	34.14
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1160.28	2382.89	1178.88
एचवी 3.2 : गैर–औद्योगिक			248.48
एचवी–4 : मौसमी (सीजनल)	3.21	15.27	1.75
एचवी–5.1 : सिंचाई	54.3	192.77	78.7
एचवी–5.2 : सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्र	8.8	14.85	7.21
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	317.42	45.32	71.88
एचवी–7 छूट प्रदायकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	491.79	198.1	75.07
उच्च दाब यूनिटों का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**3015.98**	**3237.67**	**2409.47**
कुल निम्न दाब + उच्च दाब यूनिटों का विक्रय (मिलियन यूनिट में)	**7232.05**	**9527.03**	**8086.53**

विक्रयों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Sales)

3.5 आयोग द्वारा समस्त मीटरीकृत उपभोक्ताओं के विक्रयों के पूर्वानुमान की समीक्षा की गई। आयोग द्वारा विभिन्न श्रेणियों के विक्रयों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों के सहायक प्रस्तुतिकरणों को भी संज्ञान में लिया गया है तथा की गई अवधारणाओं को युक्तियुक्त मानता है। पिछले वर्ष, अर्थात् 2009–10 हेतु किये गये पूर्वानुमान से तुलना किये जाने पर वित्तीय वर्ष 2009–10 के पुनरीक्षित विक्रय पूर्वानुमान तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विक्रयों के प्रक्षेपण युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं। वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु कुल दाखिल किया गया तथा स्वीकार किया गया विक्रय, तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों हेतु कुल मिलाकर 24940 मिलियन यूनिट था जबकि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दाखिल किया गया विक्रय 24845 मिलियन यूनिट था। आयोग द्वारा तद्नुसार विक्रय आंकड़े को दाखिल किये गये अनुसार मान्य कर लिया गया है।

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तावित किये गये ऊर्जा संतुलन एवं विद्युत क्रय (Energy Balance & Power Purchase as proposed by the Licensees)

3.6 अनुज्ञप्तिधारियों ने जानकारी मप्र पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड (एमपी जनको), मप्र पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रांसको) तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड (एमपी ट्रेडको) के साथ किये गये परस्पर वार्तालाप के आधार पर प्रदान की है। इस संबंध में, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह दावा भी किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित मप्रविनिआ [विद्युत तथा

अध्याप्ति (प्रोक्यूरमेंट) प्रक्रिया)] विनियम, 2004, प्रथम पुनरीक्षण, 2006 (आरजी–19 (I), वर्ष 2006) की धारा 18 से मार्गदर्शन प्राप्त किया है जिसमें कहा गया है कि :

''वितरण अनुज्ञप्तिधारी दीर्घ–कालीन मांग तथा प्रदाय उपलब्धता संबंधी निर्धारण, किसी एक अथवा समस्त संबंधितों से, जिसमें राज्य सेक्टर उत्पादन कंपनियों, वितरण कंपनियों, निजी वितरण अनुप्तिधारियों, केन्द्रीय सेक्टर उत्पादन कंपनियों तथा पारेषण कंपनियों/क्षेत्रीय विद्युत मण्डल, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्रों, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण भी सम्मिलित हैं, से परामर्श द्वारा, करेगा।''

3.7 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा यह दावा किया गया है कि उनके द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2006 को अधिसूचित प्रमुख क्षेत्रीय प्रतिभागियों से उपलब्ध जानकारी का प्रयोग विद्युत क्रय की लागत की गणना हेतु, राजस्व आवश्यकता की प्राप्ति हेतु किया गया है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने आयोग को उन्हें की जाने वाली विद्युत क्रय लागत की गणना करते समय इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाये जाने का भी अनुरोध किया है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को अद्यतन जानकारी प्रस्तुत किये जाने हेतु अवसर प्रदान किये जाने का भी अनुरोध किया गया है यदि ऐसी जानकारी एमपी जनको, एमपी ट्रांसको तथा एमपी ट्रेडको द्वारा उन्हें उपलब्ध करा दी जाती है।

3.8 अनुज्ञप्तिधारियों ने क्षमता का प्रतिशत आवंटन (अर्थात् भारित औसत पूर्व क्षेत्र विवि कं हेतु 31.06%, पश्चिम क्षेत्र विविकं हेतु 35.08% तथा मध्य क्षेत्र विविकं हेतु 33.86% के आधार पर) शासन की अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2009 के अनुसार वर्ष 2010–11 के लिए क्षमता आवंटन हेतु माना है। पूर्व, पश्चिम एवं मध्य क्षेत्र वितरण कंपनियों ने उपरोक्त दर्शाये गये आवंटन के अनुसार निम्न मदों की गणना के विवरण प्रस्तुत किये हैं :

- समस्त स्त्रोतों से मासिक उपलब्ध विद्युत ऊर्जा
- विद्युत उत्पादकों को देय वार्षिक स्थाई प्रभार
- विद्युत उत्पादकों को प्रोत्साहनों, आयकर, शुल्कों आदि के कारण किये जाने वाले अनुमानित भुगतान; तथा
- भुगतान किये जाने वाले अनुमानित अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार।

3.9 विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा 24845 मिलियन यूनिट विद्युत विक्रय हेतु कुल 38738 मिलियन यूनिट विद्युत की आवश्यकता दाखिल की गई है। विद्युत वितरण कंपनीवार विभाजन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 12 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा प्रस्तावित ऊर्जा संतुलन

क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पूर्व	पश्चिम	मध्य	योग
	वर्ष11	वर्ष 11	वर्ष 11	वर्ष 11
निम्न दाब श्रेणी की विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	4,216	6,289	5,677	16,182
उच्च दाब श्रेणी की विक्रित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	3,016	3,238	2,409	8,663
विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा विक्रित यूनिटों की संख्या	**7,232**	**9,527**	**8,086**	**24,845**
वितरण हानि (प्रतिशत में)	32.50%	29.76%	33.00%	31.62%
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	3,475	4,036	3,978	11,489
वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	**10,707**	**13,564**	**12,064**	**36,335**
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	4.09%	4.09%	4.09%	4.09%
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	457	578	514	1,549
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण	**11,164**	**14,142**	**12,579**	**37,885**
बाह्य हानि (मिलियन यूनिट में)	260	411	182	853
कुल आदिष्ट (Required) यूनिट (मिलियन यूनिट में)	**11,424**	**14,553**	**12,761**	**38,738**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता का आकलन (Assessment of Energy Availability by Discoms)

3.10 अनुज्ञप्तिधारियों ने विभिन्न स्त्रोतों से विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता के आकलन का दावा ट्रेडको (मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी) के साथ उनके द्वारा की गई चर्चा के आधार पर किया है। मप्र जनको से उपलब्धता मप्र जनको के वित्तीय वर्ष 2010–11 के मासिक पूर्वानुमान पर आधारित है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान विद्युत उत्पादन का पूर्वानुमान वर्ष 2009–10 के पूर्वानुमानों पर आधारित है जिसे वित्तीय वर्ष 2009–10 में क्रियाशील होने वाले नवीन उत्पादन केन्द्रों से बढ़ी हुई उपलब्धता (पूर्ण वर्ष के प्रचालन पर) के समायोजन पर आधारित किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दावा किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों (एनटीपीसी, एनपीसी) से उपलब्धता संबंधी जानकारी याचिका तैयार करते समय उपलब्ध नहीं थी। उपलब्धता के आकलन हेतु, पूर्व के तीन वर्षों के ''वास्तविक विद्युत उत्पादन'' का प्रयोग किया गया है तथा सीपत–II तथा कहलगांव––II हेतु पिछले छः माह के वास्तविक आंकड़ों का उपयोग किया गया है।

3.11 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दावा किया गया है कि उनके द्वारा उपलब्धता हेतु वित्तीय 2010–11 में क्रियाशील होने वाले नवीन विद्युत उत्पादन स्टेशनों से होने वाली संभावित विद्युत की उपलब्धि पर भी विचार किया गया है।

3.12 भविष्य की क्षमताओं से उपलब्धता के संबंध में की गई अवधारणाओं की व्याख्या निम्नानुसार की गई है :

(ए) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 85% माना गया है।

(बी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु संयंत्र भार कारक (Plant Load Factor-PLF) 68% माना गया है (क्योंकि वर्तमान में गैस की उपलब्धता काफी असन्तोषजनक है)।

(सी) कोयला आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत 8.5% मानी गई है।

(डी) गैस आधारित स्टेशनों हेतु सहायक खपत 3% मानी गई है।

(ई) उपलब्धता के संबंध में पूर्वानमान किसी विशिष्ट वर्ष के दौरान प्रचालन के महीनों की संख्या के आधार पर किया गया है।

3.13 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कैप्टिव विद्युत संयंत्र तथा पवन विद्युत उत्पादन से उपलब्धता वित्तीय वर्ष 2008–09 मे किये गये वास्तविक विद्युत उत्पादन पर आधारित है।

3.14 निम्न तालिका प्रत्येक स्त्रोत से वार्षिक उपलब्धता को दर्शाती है जबकि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मासिक उपलब्धता याचिका के प्रपत्र एफ 1–ए में प्रस्तुत की गई है।

तालिका 13 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कंपनियों की विद्युत ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)

स्टेशन	मप्र राज्य	मप्र पूर्व क्षेविविकं.	मप्र पश्चिम क्षेविविकं.	मप्र मध्य क्षेविविकं.
एनटीपीसी				
एनटीपीसी–कोरबा	3278	479	1009	1790
एनटीपीसी–विंध्याचल I	2908	425	895	1588
एनटीपीसी–विंध्याचल II	2232	875	854	503
एनटीपीसी–विंध्याचल III	1223	724	380	119
एनटीपीसी–कवास	607	338	205	64
एनटीपीसी–गंधार	750	440	236	74
एनटीपीसी–सीपत	1191	431	526	234
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	382	226	119	37
टीएपीएस(तारापुर एटोमिक पावर स्टेशन)	668	255	347	66

फरक्का	0	0	0	0
तलचेर	0	0	0	0
क्हलगांव	0	0	0	0
कहलगांव 2	189	106	65	18
द्विपक्षीय विद्युत क्रय				
राजस्थान राज्य विद्युत मंडल (चंबल, सतपुड़ा)	254	80	89	86
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	0	0	0	0
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	570	269	246	55
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मंडल (पेंच)	0	0	0	0
ग्रिडको (हीराकुड)	2	1	1	1
अन्य स्त्रोत				
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	2271	1001	930	340
सरदार सरोवर	1852	384	734	734
ओंकारेश्वर – जल विद्युत स्टेशन	865	172	347	347
अन्य 1 (पवन एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	53	17	19	18
अन्य 2 (एमपी ट्रेडको)	2142	594	954	594
अन्य (लघु अवधि विद्युत क्रय)	407	20	387	
एमपी जनको ताप–विद्युत				
एटीपीएस–चचई पीएच 1				
एटीपीएस–चचई पीएच 2	1032	330	299	402
एटीपीएस–चचई पीएच 3	1406	450	408	548
एसटीपीएस सारनी पीएच 1	0			
एसटीपीएस सारनी पीएच 2	6208	1183	1928	3098
एसटीपीएस सारनी पीएच 3	0			
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर पीएच 1	0			
एसजीटीपीएस–बिरसिंहपुर पीएच 2	4747	1246	1419	2081
बिरसिंहपुर (500 मेगावाट विस्तार)	3500	910	1050	1540
एमपी जनको–जल–विद्युत				
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन–गांधी सागर	199	38	82	80

केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन–राणा प्रताप सागर	160	30	66	64
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन– जवाहर सागर				
पेंच टीएचपीएस	273	104	55	115
बाणसागर टोंस एचपीएस – टोंस (1 से 3)	1313	564	420	328
बाणसागर टोंस एचपीएस – सिलपारा	0	0	0	0
बाणसागर टोंस एचपीएस – देवलोन	0	0	0	0
बाणसागर टोंस जल–विद्युत स्टेशन –झिन्ना	59	20	20	20
बिरसिंहपुर एचपीएस	33	18	5	10
बरगी एचपीएस	444	100	141	202
राजघाट एचपीएस	65	25	13	27
माताटीला एचपीएस	22	9	7	7
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0	0	0	0
मिनी–माइक्रो एचपीएस	253	79	89	86
योग	**41560**	**11944**	**14342**	**15274**

विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत (स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत) का आकलन (Assessement of Power Purchase Cost (Fixed and Variable Cost) by the Discom)

3.15 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अपनी याचिकाओं में निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एमपी जनको स्टेशनों की लागतें उसी स्तर पर रखी गई हैं जैसी कि वे वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु हैं तथा जैसी कि वे आयोग द्वारा बहुवर्षीय टैरिफ आदेश दिनांक 7 मार्च, 2006 तथा आदेश दिनांक 18 मार्च, 2008 में अनुमोदित की गई हैं। वे केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों जिन हेतु प्रत्येक वैयक्तिक विद्युत वितरण कंपनी हेतु क्षमता आवंटन के प्रतिशत को मप्र शासन की अधिसूचना दिनांक 16 जून, 2009 में परिभाषित किया गया है, स्थाई लागतें जैसी कि वे केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग के आदेशों द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रत्येक वैयक्तिक स्टेशन हेतु अनुमोदित की गई हैं, वित्तीय वर्ष 2010 से 2013 वित्तीय वर्ष हेतु भी अपनाई गई हैं। वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु, एमपी जनको तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों की स्थाई लागतें अपनाए जाने का कारण यह है कि इस याचिका को दायर करते समय वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश उपलब्ध नहीं थे।

3.16 एमपी जनको तथा केन्द्रीय उत्पादक स्टेशनों हेतु परिवर्तनीय लागतें [ईधन मूल्य समायोजन (Fuel Price Adjustment-FPA) को सम्मिलित कर] माह सितम्बर, 2009 के बिल के अनुसार अपनाई गई हैं तथा इनमें वार्षिक वृद्धि केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2009 में विनिर्दिष्ट दर के अनुसार की गई है।

3.17 केन्द्रीय तथा राज्य क्षेत्र के नवीन स्टेशन जो चालू वर्ष के दौरान राज्य को उपलब्ध हो जाएंगे, हेतु निम्न विधि अपनाई गई है :

अ) कहलगांव चरण दो हेतु, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग (केविनिआ) द्वारा वित्तीय वर्ष 2009 तक उसके प्रावधिक टैरिफ आदेश दिनांक 18 दिसंबर, 2007 में अनुमोदित स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में केविनिआ की वृद्धि दरों (escalation rates) पर अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2009 के अनुसार 6.35% की दर से वृद्धि की गई है।

ब) सीपत I तथा सीपत II हेतु खुदरा विद्युत प्रदाय टैरिफ आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 में उल्लेखित किये गये अनुसार स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत को अपनाया गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में केविनिआ की वृद्धि दरों (escalation rates) पर अधिसूचना दिनांक 27 मार्च, 2009 के अनुसार 6.35% की दर से वृद्धि की गई है।

स) एनटीपीसी बढ़ चरण I हेतु, एकल भाग टैरिफ, जैसा कि इसे वित्तीय वर्ष 2010 से 2013 हेतु विद्युत क्रय अनुबंध में प्रावधानित किया गया है, अपनाया गया है।

द) दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी) मेजिया हेतु, एकल भाग प्रावधिक टैरिफ, जैसा कि इसे केविनिआ द्वारा उनके आदेश दिनांक 22 अगस्त, 2008 में अनुमोदित किया गया है, को अपनाया गया है। दामोदर वैली कार्पोरेशन, चन्द्रपुर हेतु डीवीसी मेजिया एकल भाग टैरिफ को अपनाया गया है।

ई) मप्र जनको अर्थात् बिरसिंहपुर विस्तार तथा अमरकंटक चरण 3 स्टेशनों हेतु, स्थाई एवं परिवर्तनीय लागत को खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश दिनांक 29 जुलाई, 2009 में उल्लेख किये गये अनुसार माना गया है। इसके अतिरिक्त, परिवर्तनीय लागत में केविनिआ की दिनांक 27 मार्च, 2009 की अधिसूचना के अनुसार 6.35% की दर से वृद्धि की गई है।

3.18 निम्न तालिका में प्रत्येक स्टेशन, जिस पर विद्युत क्रय लागत के अवधारण के संबंध में विचार किया गया है, स्थाई एवं परिवर्तनीय लागतों की संक्षेपिका, निम्नानुसार की गई अवधारणा के आधार पर दर्शाई गई है :

अ) संपूर्ण राजस्व आवश्यकता के प्रयोजन हेतु पूर्व, पश्चिम, मध्य वितरण कंपनियों की स्थाई लागत के अंशदान पर विचार किया गया है।

ब) ईंधन लागत समायोजन (Fuel price Adjustment) का प्राक्कलन उसी प्रकार किया गया है जैसा कि यह परिवर्तनीय लागत प्रति यूनिट हेतु है तथा इसे उत्पादन लागत के परिवर्तनीय घटक में सम्मिलित किया गया है।

स) नवीन स्टेशनों को स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों का समुच्चय (Pooled) एक साथ किया गया है जिससे औसत थोक विद्युत प्रदाय दर प्राप्त की जा सके जिसके अनुसार एमपीट्रेडको प्रत्येक वैयक्तिक वितरण कंपनी को विद्युत प्रदाय करेगी।

तालिका 14 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तीन विद्युत वितरण कंपनियों की स्थाई तथा परिवर्तनीय लागत

		पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	संपूर्ण राज्य
पावर स्टेशन	कुल परिवर्तनीय लागत (रू. प्रति किलोवाट आवर	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)	कुल स्थाई लागत (करोड़ रूपये में)
एनटीपीसी					
एनटीपीसी–बोरबा	0.90	12.06	26.70	47.36	86.11
एनटीपीसी–विंध्याचल I	1.64	13.80	30.56	54.21	98.57
एनटीपीसी–विंध्याचल II	1.42	44.96	46.15	27.22	118.33
एनटीपीसी–विंध्याचल III	1.43	78.85	43.50	13.59	135.95
एनटीपीसी–कवास	5.15	30.17	16.64	5.20	52.01
एनटीपीसी–गंधार	3.26	37.88	20.90	6.53	65.32
केएपीपी (काकरापार एटोमिक पावर स्टेशन)	2.04	0.00	0.00	0.00	0.00
टीएपीएस (तारापुर एटोमिक पावर प्रोजेक्ट)	2.65	0.00	0.00	0.00	0.00
एनटीपीसी – फरक्का	1.67	0.00	0.00	0.00	0.00
एनटीपीसी – तालचेर	0.99	0.00	0.00	0.00	0.00
एनटीपीसी – कहलगांव	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00
एनटीपीसी–सीपत चरण 2	1.52	48.29	62.09	27.59	137.97
एनटीपीसी – कहलगांव 2	1.22	6.74	4.49	1.25	12.48
एनटीपीसी योग	**2.05**	**272.75**	**251.03**	**182.96**	**706.73**
निजी परियोजनायें					
लैंकों – अमरकंटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
निजी योग					
द्विपक्षीय विद्युत क्रय					
राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल (चंबल, सतपुड़ा)	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00
यूपीपीसीएल (रिहंद, माताटीला, राजघाट)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
महाराष्ट्र राज्य विद्युत मण्डल (पेंच)	2.77	0.00	0.00	0.00	0.00

ग्रिडको (हीराकुड)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
डीवीसी (एमटीपीएस)	0.00	177.82	177.82	39.52	395.16
द्विपक्षीय योग	**0.50**	**177.82**	**177.82**	**39.52**	**395.16**
अन्य स्त्रोत					
एनएचडीसी–इन्दिरा सागर	0.00	210.25	195.91	71.68	477.84
सरदार सरोवर	0.00	31.38	62.76	62.76	156.91
टोंकारेश्वर–जल विद्युत स्टेशन	0.00	52.65	105.31	105.31	263.27
अन्य 1 (पवन ऊर्जा एवं कैप्टिव विद्युत संयंत्र)	2.27	0.00	0.00	0.00	0.00
अन्य 2 (बाजार से क्रय–लघु अवधि)					0.00
अन्य 3 (यू आई)					0.00
अन्य योग्य	**0.10**	**294.29**	**363.99**	**239.75**	**898.02**
महायोग (राज्य के अतिरिक्त)	1.46	744.86	792.83	462.22	1999.91
एमपी जनको–ताप विद्युत					
अमरकंटक टीपीएस–चचई–पीएच 1तथा 2	1.32	16.39	14.85	19.97	51.21
सतपुड़ा टीपीएस–सारनी–पीएच 1,2तथा 3	1.48	36.34	59.24	95.20	190.78
संजय गांधी टीपीएस–बिरसिंहपुर–पीएच 1 तथा 2	1.13	78.14	90.16	132.23	300.52
संजय गांधी टीपीएस–बिरसिंहपुर विस्तार (500 मेगावाट)	1.14	132.86	153.29	224.83	510.98
अमरकंटक एटीपीएस–चचई–पीएच 3	1.14	68.68	62.24	83.70	214.61
ताप–विद्युत–योग	**1.25**	**332.40**	**379.78**	**555.93**	**1268.11**
एमपी जनको – जल–विद्युत					
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन–गांधी सागर	0.00	0.00	2.00	2.00	4.00
केन्द्रीय जल–विद्युत पावर स्टेशन–राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0.00	3.05	1.61	3.37	8.03
पेंच टी.एच.पी.एस.	0.00	39.65	29.51	23.06	92.22
बाणसागर टोंस एचपीएस–टोंस (1 से 3)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर टोंस एचपीएस–सिलपारा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर टोंस एचपीएस–देवलोन	0.00	6.92	5.15	4.02	16.09
बाणसागर टोंस एचपीएस–बाणसागर 4	0.00	2.12	0.58	1.16	3.86
बिरसिंहपुर एचपीएस	0.00	2.25	3.16	4.52	9.93
बरगी एचपीएस	0.00	1.64	0.86	1.81	4.31
राजघाट एचपीएस	0.00	9.62	7.21	7.21	24.04
मढ़ीखेड़ा एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मिनी माइक्रो एचपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
जल विद्युत योग	0.00	65.26	50.08	47.15	162.49
एमपी जेनको उत्पादन योग	1.02	397.65	429.86	603.08	1430.60
एमपी ट्रेडको स्टेशन	3.12	0.00	0.00	0.00	0.00
	1.24	1142.51	1222.69	1065.31	3430.51

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा विद्युत क्रय लागत के अन्य घटकों का आकलन (Assessment of Other Elements Power Purchase Cost by the Discoms)

अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter-State Transmission Charges)

3.19 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रक्षेपित अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों को दो घटकों में विभाजित किया गया है :

(अ) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो कि विद्यमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – जैसा कि इसे प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी को आवंटित किया गया है तथा

(ब) अन्तर्राज्यीय पारेषण लागत जो नवीन तथा उदीयमान क्षमताओं से सम्बद्ध है – एमपी ट्रेडको को आवंटित

विद्यमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter State Transmission Charges associated with new and upcoming capacities) :

3.20 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पीजीसीआईएल (पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) प्रभार पूर्व वर्ष के अन्तर्गत प्रक्षेपण अवधि के अनुरूप ही माह अप्रैल 09 से माह अक्टूबर 09 तक की अवधि के देयकों के आधार पर माने गये हैं।

3.21 अनुज्ञप्तिधारियों ने कुल पावरग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) लागत का आवंटन प्रतिशत आधार पर भी किया है जिसे पूर्व क्षेत्र तथा पश्चिम क्षेत्र स्टेशनों तथा सरदार सरोवर परियोजना (जो कि पीजीसीआईएल नेटवर्क से संयोजित है), से प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी हेतु, भारित औसत क्षमता के आवंटन प्रतिशत से व्यूत्पादित (derived) किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु निम्नलिखित प्राक्कलित लागतों का दावा किया है :

तालिका 15 : दाखिल किये गये अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनी	वित्तीय वर्ष 2010–11
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	61.87
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	65.75
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड	53.01
योग	**180.63**

नवीन एवं उदीयमान क्षमताओं से संबद्ध अंतर्राज्यीय पारेषण प्रभार (Inter State Transmission Charges associated with new and upcoming capacities) :

3.22 नवीन एवं उदीयमान (upcoming) क्षमताओं हेतु पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण प्राक्कलन आधार पर किया गया है। केन्द्रीय क्षेत्र में प्रत्याशित क्षमता परिवर्धन (expected capacity additions) निम्नानुसार हैं:

तालिका 16 : नवीन क्षमताएं (मेगावाट में)

स्टेशन	वित्तीय वर्ष 2090–10	वित्तीय वर्ष 2010–11
एनटीपीसी सीपत–चरण I	0	94
एनटीपीसी बढ़–चरण I	0	150
पश्चिम क्षेत्र–प्रगति पावर (3x500)	0	50
दामोदर वैली कार्पोरेशन (चन्द्रपुर टीपीएस विस्तार)	100	200
कुल क्षमता (मेगावाट में)	**100**	**494**

3.23 केन्द्रीय क्षेत्र में क्षमता परिवर्धनों के आधार पर, मप्र ट्रेडको द्वारा देय पीजीसीआईएल प्रभार निम्नानुसार हैं जिन्हें कि थोक विद्युत प्रदाय दर, जिसके अनुसार मप्रट्रेडको विद्युत वितरण कंपनियों को उनकी आवश्यकतानुसार विद्युत का विक्रय करेगी, को भी सम्मिलित किया गया है :

तालिका 17 : मप्र ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

एमपी ट्रेडको द्वारा भुगतान योग्य पीजीसीआईएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2010–11
नवीन एवं उदीयमान केन्द्रीय क्षेत्र के स्टेशनों हेतु पीजीसीआईएल प्रभार	35.28

राज्यांतरिक पारेषण प्रभार (Intra-State Transmission Charges)

3.24 अनुज्ञप्तिधारियों ने निवेदन किया है कि राज्यान्तरिक पारेषण प्रभारों की गणना के प्रयोजन हेतु, प्रभारों की राशि मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कम्पनी द्वारा आयोग के समक्ष वित्तीय वर्ष 2010–12 हेतु प्रस्तुत की गई बहुवर्षीय याचिका से प्राप्त की गई है। दायर किये गये विवरण निम्नानुसार है :

तालिका 18 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु दाखिल किये गये राज्यान्तिरक पारेषण प्रभार (करोड़ रूपये में)

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भुगतान योग्यवार्षिक मप्र ट्रासमिशन कं लि प्रभार	वर्ष 2010–11
मप्र पूर्व क्षेविविक.लि	411.75
मप्र मध्य क्षेविविक.लि	464.96
मप्र पश्चिम क्षेविविक.लि	448.86
योग	**1325.57**

विद्युत औसत लागत, मप्रट्रांसको प्रभारों को छोड़कर (Average Cost of Power excluding MP Transco Charges)

3.25 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आगे यह भी निवेदन किया है गया है कि कुल ऊर्जा क्रय लागत (रूपये प्रति यूनिट) का प्राक्कलन वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उनके द्वारा दायर की गई याचिकाओं में उल्लेखित सिद्धान्तों के आधार पर निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 19 : अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर की गई विद्युत की औसत लागत (रूपये प्रति किलोवाट ऑवर में)

विद्युत वितरण कम्पनी का नाम	वर्ष 2010–11
मप्र पूर्व क्षेत्र विविक.लि	2.32
मप्र मध्य क्षेत्र विविक.लि	1.90
मप्र पश्चिम क्षेत्र विविक.लि	2.30

दाखिल की गई कुल विद्युत लागत (Total Power Purchase Cost as filed)

3.26 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई कुल विद्युत क्रय की लागत निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तालिका 20 : दाखिल की गई कुल विद्युत की लागत (राशि करोड़ रूपये में)

	पूर्व	पश्चिम	मध्य	राज्य
स्थाई लागत	1,144	1223	1066	3,433
परिवर्तनीय लागत	1,450	2057	1292	4,799
पारेषण प्रभार (अंतर्राज्यीय+राज्यांतरिक)	464	514	526	1,504
योग	**3058**	**3794**	**2884**	**9,736**

ऊर्जा संतुलन तथा विद्युत क्रय के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis of Energy Balance and Power Purchase)

वितरण हानियां (Distribution Losses)

3.27 आयोग द्वारा टैरिफ अवधि वित्तीय वर्ष 2010–11 से वित्तीय वर्ष 2012–13 हेतु विद्युत प्रदाय चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत संबंधी विनियम माह दिसम्बर 2009 में अधिसूचित किये गये हैं। इन विनियमों को अन्तिम रूप देते समय आयोग द्वारा म प्र शासन द्वारा दिये गये सुझावों के साथ–साथ भारत सरकार, विद्युत मन्त्रालय द्वारा ''एपीडीआरपी की पुनर्संरचना (Restructing of APDRP)'' पर गठित कार्य दल के प्रतिवेदन में हानियां कम किये जाने संबंधी अनुशंसाओं एवं आपत्तिकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत की गई आपत्तियों पर भी विचार किया गया। आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्राथमिक रूप से हानियों को निर्दिष्ट स्तरों पर नियंत्रित रखे जाने में असमर्थता के कारण उनके तेजी से गिर रहे वित्तीय स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखा गया। आयोग द्वारा आगामी बहुवर्षीय हेतु टैरिफ अवधि हेतु लक्ष्यों के स्तर निर्धारित किये जाने हेतु टैरिफ नीति के सुसंबद्ध प्रावधानों को (Trajectory) ध्यान में रखा गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया वितरण हानि स्तर प्रक्षेपण–पथ (Tranectory) निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 21 : विनियमों के अनुसार हानि के लक्ष्य (प्रतिशत में)

सरल क्रमांक	वितरण अनुज्ञप्तिधारी	वित्तीय वर्ष 2010–11	वित्तीय वर्ष 2011–12	वित्तीय वर्ष 2012–13
1.	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	30	27	24
2.	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	26	24	22
3.	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	33	29	26

3.28 तद्नुसार, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वितरण हानियों को उपरोक्त तालिका में दर्शायेनुसार ध्यान में रखा गया है। आयोग द्वारा तथापि यह संज्ञान में लिया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों के प्रस्तुतिकरण, केवल मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी को छोड़कर, विनियमों के उपबंधों के अनुरूप नहीं रहे हैं।

बाह्य (पीजीसीआईएल) हानियां [External (PGCIL) Losses]

3.29 पूर्वी क्षेत्र तथा पश्चिमी क्षेत्र स्टेशनों की अन्तर्राज्यीय पारेषण हानियों की गणना पृथक–पृथक की गई है। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग की बैवसाईट पर उपलब्ध अधिसूचना क्रमांक इको

1/2010–सीईआरसी दिनांक 31.03.2010, के अनुसार पश्चिमी क्षेत्र हेतु विद्युत हानियां 4.86% तथा पूर्वी क्षेत्र हेतु, 3.30% दर्शाई गई है जिन्हें कि हानियों की गणना के प्रयोजन से उपयोग किया गया है।

3.31 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु प्रावधिक राज्यान्तरिक पारेषण हानियां 4.09 प्रतिशत मानी गई हैं जिसकी प्राप्ति पारेषण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वर्ष 2009–10 में की गई है।

3.31 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तीनों विद्युत वितरण कंपनियों की ऊर्जा के संतुलन की स्थिति निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है:

तालिका 22 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ऊर्जा की सकल आवश्यकता

विवरण	पूर्व	पश्चिम	मध्य	राज्य का योग
	वित्तीय वर्ष 11	**वित्तीय वर्ष 11**	**वित्तीय वर्ष 11**	**वित्तीय वर्ष 11**
निम्न दाब श्रेणी को विक्रित किये गये कुल यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	4,216	6,289	5,677	16,182
उच्च दाब श्रेणी को विक्रित किये गये कुल यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	3,016	3,238	2,409	8,663
विद्युत वितरण कंपनी द्वारा विक्रित की गई कुल यूनिट संख्या (मिलियन यूनिट में)	**7,232**	**9,527**	**8,086**	**24,845**
वितरण हानि (प्रतिशत में)	*30.00%*	*26.00%*	*33.00%*	*29.57%*
वितरण हानि (मिलियन यूनिट में)	3,099	3,347	3,983	10,430
वितरण अन्तर्मुख पर आहरित यूनिटों की संख्या (मिलियन यूनिट में)	**10,331**	**12,874**	**12,069**	**35,275**
पारेषण हानि (प्रतिशत में)	*4.09%*	*4.09%*	*4.09%*	*4.09%*
पारेषण हानि (मिलियन यूनिट में)	441	549	515	1,504
उत्पादन–पारेषण अन्तर्मुख पर आहरण (मिलियन यूनिट में)	**10,772**	**13,423**	**12,584**	**36,779**
बाह्य हानियां (मिलियन यूनिट में)	234	207	237	678
ऊर्जा की कुल आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)	**11,006**	**13,630**	**12,821**	**37,457**

3.32 मध्यप्रदेश शासन ने अधिसूचना क्र 3826–एफ–3–24–2009–XIII दिनांक 11 मई, 2010 द्वारा तीनों विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की विद्यमान उत्पादन क्षमता आवंटन को पुनरीक्षित कर दिया है तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित उत्पादक

क्षमता को पुनरीक्षित कर दिया है। मध्यप्रदेश शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान संस्थापित की जाने वाली प्रत्याशित क्षमता के एमपी ट्रेडको को आवंटन संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।

3.33 निम्न तालिका मप्र शासन की अधिसूचना क्र 3823–एफ–3–24–2009–XIII दिनांक 11 मई, 2010 के अनुसार पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को उत्पादन क्षमताओं का आवंटन प्रस्तुत करती है :

तालिका 23 : विद्युत वितरण कम्पनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (प्रतिशत में)

उत्पाादक स्टेशन का नाम		क्षमता	राज्य को आवंटित	राज्य को आवंटित	विद्युत वितरण कम्पनीवार आवंटन (प्रतिशत में)		
केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन		(मेगावाट में)	(मेगावाट में)	प्रतिशत (में)	मध्य	पश्चिम	पूर्व
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100.00	437.76	20.85%	32.00%	19.00%	49.00%
2	पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	1260.00	413.27	32.80%	49.00%	18.00%	33.00%
3	पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– II	1000.00	295.82	29.58%	30.00%	40.00%	30.00%
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	656.20	140.00	21.33%	20.00%	50.00%	30.00%
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657.39	117.00	17.80%	20.00%	50.00%	30.00%
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	100.19	22.77%	30.00%	50.00%	20.00%
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1080.00	206.28	19.10%	30.00%	50.00%	20.00%
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000.00	224.33	22.43%	40.00%	40.00%	20.00%
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000.00	167.33	16.73%	45.00%	20.00%	35.00%
10	पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	1600.00	0.00	0.00%	20.00%	45.00%	35.00%
11	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	0.00	0.00%	20.0%	45.00%	35.00%
12	पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500.00	74.00	4.93%	10.00%	36.00%	54.00%
13	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	1000.00	0.00	0.00%	32.00%	30.00%	38.00%
14	दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	500.00	200.00	40.00%	15.00%	50.00%	35.00%
	उप–योग	**14633.59**	**2375.98**	**16.24%**	**32.71%**	**33.98%**	**33.31%**
राज्य विद्युत उत्पादन स्टेशन							
	ताप विद्युत						
1	अमरकंटक टीपीएस	240.00	240.00	100.00%	40.00%	30.00%	30.00%
2	अमरकंटक विस्तार	210.00	210.00	100.00%	40.00%	30.00%	30.00%
3	सतपुड़ा टीपीएस	1142.50	1017.51	89.06%	40.00%	20.00%	40.00%
4	संजय गांधी टीपीएस	840.00	840.00	100.00%	40.00%	30.00%	30.00%
5	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500.00	500.00	100.00%	40.00%	30.00%	30.00%
	उप–योग	**2932.50**	**2807.51**	**95.74%**	**40.00%**	**26.38%**	**33.62%**
	जल विद्युत						
	अन्तर्राज्यीय						

1	गांधी सागर	115.00	57.50	50.00%	55.00%	25.00%	20.00%
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	135.50	50.00%	30.00%	50.00%	20.00%
3	पेंच	160.00	106.67	66.67%	50.00%	30.00%	20.00%
4	राजघाट	45.00	22.50	50.00%	50.00%	30.00%	20.00%
	उप–योग	**591**	**322.17**	**54.51%**	**42.48%**	**37.52%**	**20.00%**
	संपूर्ण मप्र राज्य हेतु आवंटन						
1	बरगी	100.00	100.00	100.00%	45.50%	31.85%	22.65%
2	बाण सागर– I, II, III	405.00	405.00	100.00%	20.00%	60.00%	20.00%
3	बाण सागर– IV	20.00	20.00	100.00%	20.00%	60.00%	20.00%
4	बिरसिंहपुर	20.00	20.00	100.00%	30.00%	15.00%	55.00%
5	मढ़ीखेड़ा	40.00	40.00	100.00%	30.00%	30.00%	40.00%
6	मढ़ीखेड़ा यूनिट III	20.00	20.00	100.00%	30.00%	30.00%	40.00%
	उप–योग	**605**	**605**	**100.00%**	**25.20%**	**51.20%**	**23.59%**
द्विपक्षीय एवं अन्य							
1	इंदिरा सागर	1000	1000	100.00%	30.00%	50.00%	20.00%
2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा				32.63%	36.89%	30.48%
3	कैप्टिव				32.63%	36.89%	30.48%
4	सरदार सरोवर	1450	826.5	57.00%	20.00%	40.00%	40.00%
5	ओंकारेश्वर	520	520	100.00%	20.00%	60.00%	20.00%
	उप–योग	**2970**	**2346.5**	**79.01%**	**24.26%**	**48.69%**	**27.04%**
महायोग		**21732.09**	**8457.16**		**32.64%**	**36.88%**	**30.47%**

3.34 वित्तीय वर्ष 2010–11 में अपेक्षित नवीन विद्युत उत्पादन क्षमताओं में निम्न उत्पादन क्षमताएं सम्मिलित है :

विद्युत उत्पादक संयंत्र	म प्र राज्य को आवंटित क्षमता
पूर्वी क्षेत्र–बढ़ – (3x660)	149.34 मेगावाट
सीपत ताप विद्युत परियोजना चरण–प्रथम	94.33 मेगावाट
पश्चिमी क्षेत्र – प्रगति पावर (3x500)	50 मेगावाट
दामोदर वैली कार्पोरेशन परियोजना–चन्द्रपुर ताप विद्यत स्टेशन (सीटीपीएस)	200 मेगावाट

3.35 चूंकि दामोदर वैली कार्पोरेशन (सीटीपीएस), सीपत–प्रथम पूर्वी क्षेत्र बढ़–प्रथम तथा पश्चिमी क्षेत्र–प्रगति पावर प्रोजैक्ट्स परियोजनाएं द्वारा वाणिज्यिक प्रचालन तिथि (COD) प्राप्त नहीं की गई है, अतः इन परियोजनाओं पर इस आदेश के अंतर्गत स्थाई उपलब्धता के संबंध में विचार नहीं किया गया है तथा इन्हें एमपीट्रेडको के साथ ही रखा गया है। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु आवंटन का भारित औसत प्रत्येक स्टेशन से नवीन आवंटित अंशदान के अनुसार क्रमशः 30.47%, 36.88% तथा 32.64% है।

3.36 **द्विपक्षीय तथा अन्य स्टेशनः–** आयोग द्वारा समस्त द्विपक्षीय स्टेशनों (राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, गांधी सागर, पेंच तथा राजघाट) से उपलब्धता के संबंध में रूपांकन ऊर्जा के आधार पर मप्र राज्य के अंशदान पर ही विचार किया गया है। आयोग ने मप्र जनको संबंधी आदेश दिनांक 3 मार्च, 2010 में गाधी सागर, पेंच तथा राजघाट हेतु दरों का अवधारण किया है तथा केवल मप्र राज्य के अंशदान हेतु ही इन्हीं दरों पर विचार किया है। तथापि, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर हेतु किसी आंकड़े के अभाव में, आयोग ने जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर स्टेशन से विद्युत क्रय की लागत के अवधारण हेतु प्रावधिक तौर पर प्रति मेगावॉट आधार की उपलब्धता के साथ–साथ गांधी सागर को प्रयोज्य टैरिफ दर पर भी विचार किया है। इसी प्रकार, संयुक्त क्षेत्र के जल विद्युत स्टेशनों, जैसे कि इन्दिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा सरदार सरोवर हेतु, उपलब्धता की गणना रूपांकित ऊर्जा के आधार पर की गई है।

3.37 **केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनः–** वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्यमान केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशनों से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर वित्तीय वर्षों 2007–08, 2008–09, 2009–10 (माह दिसम्बर 2009 तक) के दौरान उपलब्धता के विश्लेषण उपरांत विचार किया गया है।

3.38 **एमपी जनको स्टेशन–** वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, विद्यमान मप्र विद्युत उत्पादक स्टेशनों (ताप विद्युत स्टेशनों) से वार्षिक ऊर्जा उपलब्धता पर वित्तीय वर्षों 2007–08, 2008–09, 2009–10 के दौरान उपलब्धता के विश्लेषण उपरांत विचार किया गया है। तथापि, जल विद्युत स्टेशनों से उपलब्धता पर रूपांकन ऊर्जा के आधार पर विचार किया गया है।

3.39 **अन्य** : अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोतों, अर्थात् पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों से विद्युत की उपलब्धता को इन्हें दाखिल किये गये अनुसार माना गया है।

3.40 राज्य की तीन विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार विद्युत आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 24 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मेगावाट में)

	उत्पादक स्टेशन का नाम	स्थापित क्षमता	राज्य को आवंटित	विद्युत वितरण मंपनी वार आवंटन (प्रतिशत में)		
	केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन			मध्य	पश्चिम	पूर्व
1	पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	2100.00	437.76	140.08	83.17	214.50
2	पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	1260.00	413.27	202.50	74.39	136.38
3	पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– II	1000.00	295.82	88.75	118.33	88.75
4	पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	656.20	140.00	28.00	70.00	42.00
5	पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	657.39	117.00	23.40	58.50	35.10
6	पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	440.00	100.19	30.06	50.10	20.04
7	पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	1080.00	206.28	61.88	103.14	41.26
8	पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	1000.00	224.33	89.73	89.73	44.87
9	पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1000.00	167.33	75.30	33.47	58.57
10	पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	1600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	1500.00	74.00	7.40	26.64	39.96
13	पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	1000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	छामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	500.00	200.00	30.00	100.00	70.00
	उप–योग	**14633.59**	**2375.98**	**777.10**	**807.46**	**791.41**
	राज्य विद्युत उत्पादक स्टेशन					
1	अमरकंटक टीपीएस	240.00	240.00	96.00	72.00	72.00
2	अमरकंटक विस्तार	210.00	210.00	84.00	63.00	63.00
3	सतपुड़ा टीपीएस	1142.50	1017.51	407.00	203.50	407.00
4	संजय गांधी टीपीएस	840.00	840.00	336.00	252.00	252.00
5	संजय गांधी टीपीएस विस्तार	500.00	500.00	200.00	150.00	150.00
	उप–योग	**2932.50**	**2807.51**	**1123.00**	**740.50**	**944.00**
	जल विद्युत					
	अन्तर्राज्यीय					
1	गांधी सागर	115.00	57.50	31.63	14.38	11.50
2	राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	271.00	135.50	40.65	67.75	27.10
3	पेंच	160.00	106.67	53.34	32.00	21.33
4	राजघाट	45.00	22.50	11.25	6.75	4.50
	उप–योग	**591**	**322.17**	**136.86**	**120.88**	**64.43**
	सम्पूर्ण मप्र राज्य हेतु आवंटन					

1	ब्रगी	100.00	100.00	45.50	31.86	22.66
2	बाण सागर– I, II, III	405.00	405.00	81.00	243.00	81.00
3	बाण सागर– IV	20.00	20.00	4.00	12.00	4.00
4	बिरसिंहपुर	20.00	20.00	6.00	3.00	11.00
5	मढ़ीखेड़ा	40.00	40.00	12.00	12.00	16.00
6	मढ़ीखेड़ा यूनिट III	20.00	20.00	6.00	6.00	8.00
	उप–योग	**605**	**605**	**154.50**	**307.85**	**142.66**
	द्विपक्षीय एवं अन्य					
1	इंदिरा सागर	1000	1000	300.00	500.00	200.00
2	अपारंपरिक –पवन ऊर्जा			0.00	0.00	0.00
3	कैप्टिव			0.00	0.00	0.00
4	सरदार सरोवर	1450	826.5	165.30	330.60	330.60
5	ओंकारेश्वर	520	520	104.00	312.00	104.00
	उप–योग	**2970**	**2346.5**	**569.30**	**1142.60**	**634.60**
महायोग		**21732.09**	**8457.16**	**2760.76**	**3119.29**	**2577.10**

3.41 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु स्टेशनवार एक्स बस उपलब्धता तथा राज्य सीमा पर विद्युत उपलब्धता पश्चिमी क्षेत्र एवं पूर्वी क्षेत्र हेतु पीजीसीआईएल प्रणाली हानियों पर विचारोपरांत, निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 25 : विद्युत वितरण कंपनियों को स्टेशनवार क्षमता आवंटन (मिलियन यूनिट में)

	उपलब्धता (एक्स बस)			उपलब्धता (राज्य सीमा पर)		
स्टेशन का नाम/प्रकार	**पूर्व क्षेविविकं.**	**पश्चिम क्षेविविकं.**	**मध्य क्षेविविकं.**	**पूर्व क्षेविविकं.**	**पश्चिम क्षेविविकं.**	**मध्य क्षेविविकं.**
केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन						
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	1,706.13	661.56	1114.21	1623.21	629.41	1060.05
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	1,015.79	554.07	1508.29	966.42	527.14	1434.99
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस– II	688.21	917.61	688.21	654.76	873.02	654.76
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	227.00	378.33	151.33	215.96	359.94	143.98
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	223.44	372.39	148.96	212.58	354.29	141.72
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एपीएस	57.92	144.79	86.87	55.10	137.75	82.65
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	150.32	375.79	225.48	143.01	357.53	214.52
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	347.19	694.38	694.38	330.32	660.63	660.63
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	428.18	244.68	550.52	407.37	232.78	523.77
पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वीक्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस–II	136.57	91.04	25.29	125.64	83.76	23.27
पूर्वी क्षेत्र–तालचेर एसटीपीएस	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	337.95	482.78	144.83	310.91	444.16	133.25
राज्य विद्युत स्टेशन एसजीएस	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ताप विद्युत	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अमरकंटक एटीपीएस	245.66	245.66	327.54	245.66	245.66	327.54
अमरकंटक विस्तार	427.86	427.86	570.48	427.86	427.86	570.48
सतपुड़ा एसटीपीएस	2,311.35	1155.67	2311.35	2311.35	1155.67	2311.35
लैंको अमरकंटक	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संजय गांधी टीपीएस	1,301.15	1301.15	1734.86	1301.15	1301.15	1734.86
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	960.15	960.15	1280.20	960.15	960.15	1280.20
उप–योग	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ताप विद्युत	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
गांधी सागर	79.37	99.21	218.26	79.37	99.21	218.26
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	32.05	80.12	48.07	32.05	80.12	48.07
पेंच	60.88	91.32	152.20	60.88	91.32	152.20
राजघाट	17.52	26.28	43.80	17.52	26.28	43.80
सम्पूर्ण म प्र राज्य को आवंटन	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बरगी	110.84	155.86	222.66	110.84	155.86	222.66
बाण सागर– I, II, III	234.79	704.37	234.79	234.79	704.37	234.79
बाण सागर– IV	16.00	48.00	16.00	16.00	48.00	16.00
बिरसिंहपुर	28.60	7.80	15.60	28.60	7.80	15.60
मढ़ीखेड़ा	29.60	22.20	22.20	29.60	22.20	22.20
मढ़ीखेड़ा यूनिट III	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
द्विपक्षीय एवं अन्य	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा सागर	396.00	990.00	594.00	396.00	990.00	594.00
अपारंपरिक –पवन ऊर्जा	5.70	6.90	6.10	5.70	6.90	6.10
कैप्टिव	10.55	12.76	11.29	10.55	12.76	11.29
सरदार सरोवर	877.20	877.20	438.60	877.20	877.20	438.60
ओंकारेश्वर	174.00	522.00	174.00	174.00	522.00	174.00
योग	**12,637.93**	**12,651.93**	**13,760.37**	**12364.54**	**12394.93**	**13495.58**

3.42 आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर की गई विद्युत वितरण कंपनीवार माहवार ऊर्जा आवश्यकता को समग्र आकलित ऊर्जा आवश्यकता के अनुसार यथानुपात किया गया है।

उपरोक्तानुसार गणना की गई ऊर्जा आवश्यकता की तुलना में उपलब्धता जैसा कि इसकी गणना आयोग द्वारा की गई है, निम्न तालिका में दर्शाई गई हैः

तालिका 26 : विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकता तथा उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

माह	राज्य सीमा पर विद्युत वितरण कंपनियों की आवश्यकता (मिलियन यूनिट में)				राज्य सीमा पर ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)			
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	राज्य	पूर्व	पश्चिम	मध्य	राज्य
अप्रैल–2010	843	1,046	978	2,867	1010	987	1119	3116
मई–2010	850	1,098	959	2,907	1015	984	1117	3115
जून–2010	820	1,079	945	2,844	958	939	1057	2954
जुलाई–2010	799	1,063	913	2,775	984	1027	1059	3070
अगस्त–2010	794	1,054	913	2,761	943	969	1006	2918
सितंबर–2010	820	1,048	941	2,809	1019	1049	1070	3137
अक्टूबर–2010	880	1,111	1,071	3,062	1087	1110	1195	3392
नवंबर–2010	1,046	1,263	1,246	3,555	1089	1105	1201	3395
दिसंबर–2010	1,047	1,322	1,271	3,641	1105	1109	1225	3440
जनवरी–2011	999	1,213	1,224	3,435	1139	1148	1237	3525
फरवरी–2011	924	1,105	1,095	3,124	971	960	1071	3001
मार्च–2011	950	1,021	1,028	2,999	1045	1009	1137	3191
योग	**10,772**	**13,423**	**12,584**	**36,780**	**12365**	**12395**	**13495**	**38255**

3.43 आयोग ने माहवार सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत को विद्युत उत्पादक स्टेशनों की परिवर्तनीय लागत के आधार पर प्रयुक्त किया है। निम्न तालिका स्टेशनों के मध्य सुयोग्यता क्रम तथा उनकी परिवर्तनीय ऊर्जा दरें प्रदर्शित करती हैः–

तालिका 27 : सुयोग्यता क्रम (Merit Order)

विद्युत उत्पादक स्टेशन	परिवर्तनीय दर (पैसे प्रति किलोवाट ऑवर)	सुयोग्यता क्रम
पश्चिमी क्षेत्र–काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस)	216.68	**1***
कैप्टिव	227.00	**2***
पश्चिमी क्षेत्र – तारापुर एपीएस	272.83	**3***
अपारंपरिक ऊर्जा –पवन ऊर्जा	336.00	**4***
सरदार सरोवर	0.00	**5**
गांधी सागर	0.00	**6**
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0.00	**7**
पेंच	0.00	**8**

राजघाट	0.00	**9**
बरगी	0.00	**10**
बाणसागर – I, II, III	0.00	**11**
बाणसागर – IV	0.00	**12**
बिरसिंहपुर	0.00	**13**
मढ़ीखेड़ा	0.00	**14**
मढ़ीखेड़ा–यूनिट–3	0.00	**15**
ओंकारेश्वर	0.00	**16**
लेन्को अमरकंटक	0.00	**17**
इंदिरा सागर	0.00	**18**
पूर्वी क्षेत्र –तालचेर एसटीपीएस	0.00	**19**
पूर्वी क्षेत्र–कहलगांव एसटीपीएस	0.00	**20**
पूर्वी क्षेत्र–फरक्का एसटीपीएस	0.00	**21**
अमरकंटक विस्तार	85.09	**22**
पश्चिमी क्षेत्र–केएसटीपीएस	89.11	**23**
पश्चिमी क्षेत्र–सीपत –II	99.79	**24**
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	100.30	**25**
संजय गांधी टीपीएस	112.34	**26**
एटीपीएस	113.08	**27**
एसटीपीएस	133.81	**28**
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस –II	159.50	**29**
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–III	161.19	**30**
पश्चिमी क्षेत्र–वीएसटीपीएस–I	161.62	**31**
पूर्वी क्षेत्र कहलगांव एसटीपीएस– II	204.66	**32**
डीवीसी	290.00	**33**
पश्चिमी क्षेत्र–गंधार जीपीपी	422.45	**34**
पश्चिमी क्षेत्र–कवास जीपीपी	436.72	**35**

* प्राथमिकता युक्त स्टेशन (′must run′ Stations)

3.44 मासिक उपलब्धता पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण सिद्धांत की प्रयोज्यता पर आधारित कुल स्टेशनवार उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

तालिका 28 : सुयोग्यता क्रम प्रेषण पर विचारोपरांत स्टेशनवार उपलब्धता (मिलियन यूनिट मे)

स्टेशन का नाम	राज्य सीमा पर सुयोग्यता क्रम प्रेषण अनुसार उपलब्धता			
	राज्य	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	3,313	1,623	629	1,060

पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– I	2,477	365	1,433	680
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस– II	2,183	566	937	679
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	200	-3	152	51
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	231	-4	182	52
पश्चिमी क्षेत्र –काकरापार एपीएस	276	55	138	83
पश्चिमी क्षेत्र –तारापुर एपीएस	715	143	358	215
पश्चिमी क्षेत्र –वीएसटीपीएस –III	1,652	223	766	662
पश्चिमी क्षेत्र –सीपत–II	1,164	407	233	524
पूर्वी क्षेत्र –फरक्का एसटीपीएस	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0	0	0	0
पूर्वी क्षेत्र –कहलगांव एसटीपीएस–II	159	23	126	9
पूर्वी क्षेत्र –तालचेर एसटीपीएस	0	0	0	0
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	452	53	338	60
अमरकंटक टीपीएस	819	246	246	328
अमरकंटक विस्तार	1,426	428	428	570
सतपुड़ा टीपीएस	5,778	2,311	1,156	2,311
लेंको अमरकंटक	0	0	0	0
संजय गांधी टीपीएस	4,337	1,301	1,301	1,735
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	3,201	960	960	1,280
गांधी सागर	397	79	99	218
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	160	32	80	48
पेंच	304	61	91	152
राजघाट	88	18	26	44
बरगी	489	111	156	223
बाणसागर–I, II, III	1,174	235	704	235
बाणसागर–IV	80	16	48	16
बिरसिंहपुर	52	29	8	16
म्ढ़ीखेढ़ा	74	30	22	22
म्ढ़ीखेढ़ा यूनिट–III	0	0	0	0
इंदिरा सागर	1,980	396	990	594
अपारम्परिक ऊर्जा–पवन ऊर्जा उत्पादन	19	6	7	6
कैप्टिव	35	11	13	11
सरदार सरोवर	2,193	877	877	439
ओंकारेश्वर	870	174	522	174
योग	**36,296**	**10,772**	**13,027**	**12,497**

3.45 राज्य सीमा पर सुयोग्यता क्रम प्रयोज्यता अनुसार माहवार विद्युत वितरण कंपनीवार उपलब्धता निम्न तालिका में दर्शाई गई है:–

तालिका 29 : सुयोग्यता क्रम पर विचारोपरांत माहवार वितरण कंपनीवार उपलब्धता

माह	राज्य सीमा पर सुयोग्यता क्रम अनुसार ऊर्जा की उपलब्धता (मिलियन यूनिट में)			
	पूर्व क्षेत्रविविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेविविकं	राज्य
अप्रैल–2010	843	1046	978	**2867**
मई–2010	850	1098	959	**2907**
जून–2010	820	1079	945	**2844**
जुलाई–2010	799	1063	913	**2775**
अगस्त–2010	794	1054	913	**2761**
सितंबर–2010	820	1048	941	**2809**
अक्टूबर–2010	880	1111	1071	**3062**
नवंबर–2010	1046	1138	1211	**3395**
दिसंबर–2010	1047	1156	1237	**3440**
जनवरी–2011	999	1213	1224	**3435**
फरवरी–2011	924	999	1078	**3001**
मार्च–2011	950	1021	1028	**2999**
योग	**10772**	**13027**	**12497**	**36296**

3.46 उपरोक्त उपलब्धता विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर विक्रय एवं क्रय के आधार पर है जैसा कि इसे निम्न तालिका में दर्शाया गया है:–

तालिका 30 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार (मिलियन यूनिट में)

माह	विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य परस्पर विद्युत क्रय (मिलियन यूनिट में)				विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत परस्पर विक्रय (मिलियन यूनिट में)			
क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लि	पूर्व	पश्चिम	मध्य	कुल	पूर्व	पश्चिम	मध्य	कुल
अप्रैल–2010	-	169.6	0.7	170.3	81.3	-	89.0	170.3
मई–2010	-	218.0	-	218,0	99.2	-	118.8	218.0
जून–2010	-	194.0	-	194.0	104.4	-	89.6	194.0
जुलाई–2010	-	117.0	5.0	122.0	73.9	-	48.1	122.0
अगस्त–2010	-	160.5	1.8	162.3	95.4	-	66.9	162.3
सितंबर–2010	-	71.8	12.1	83.9	75.4	-	8.5	83.9
अक्टूबर–2010	-	100.7	13.2	113.8	83.2	-	30.7	113.8
नवंबर–2010	-	32.8	9.6	42.5	42.5	-	-	42.5
दिसंबर–2010	-	47.1	11.1	58.2	58.2	-	-	58.2
जनवरी–2011	-	95.6	10.2	105.8	104.1	-	1.7-	105.8
फरवरी–2011	-	39.7	7.6	47.4	47.4	-	-	47.4
मार्च–2011	-	86.5	-	86.5	18.6	-	67.9	86.5
योग	-	**1,333.3**	**71.3**	**1,404.**	**883.4**	**-**	**512.2**	**1,404.6**

3.47 जैसा कि सुयोग्यता क्रम विनियोग (Merit order Application) के परिणामों से स्पष्ट है तथा जैसा कि उपरोक्त दर्शाई गई तालिकाओं से प्रकट होता है, विद्युत वितरण कंपनियों के पास ऊर्जा की उपलब्धता मानदण्डीय हानि स्तरों के आधार पर उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप रहेगी। विद्युत वितरण कंपनियों की माहवार आवश्यकताओं की आपूर्ति उन्हें उनके अंशदान के प्रत्यक्ष आवंटन के माध्यम से तथा विक्रेता वितरण कंपनी की विद्युत आपूर्ति के उपरांत ऊर्जा की शेष बचत से वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार द्वारा भी की जाएगी। अनुज्ञप्तिधारियों की माहवार आवश्यकता उपलब्धता से कम है, अतएव न केवल एमपी ट्रेडको से अथवा बाह्य स्त्रोंतो से किसी लघु–अवधि विद्युत क्रय की आवश्यकता न होगी, सिवाय माह नवम्बर, दिसम्बर 2010 तथा फरवरी 2011 में जहां लगभग 483.73 मिलियन यूनिट की अवशेष आवश्यकता की आपूर्ति किया जाना शेष रह जाएगी। आयोग अपेक्षा करता है कि तब तक ट्रेडको के साथ संलग्न स्टेशनो द्वारा भी विद्युत उत्पादन प्रारंभ कर दिया जाएगा जिनके द्वारा लगभग 402.31 मिलियन यूनिट विद्युत उपलब्ध कराई जा सकेगी। अवशेष 81.42 मिलियन यूनिट विद्युत अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा एसटीपीसी सारनी से परिवर्तनीय लागत पर क्रय की जा सकती है। इन क्रयों की लागतों को कुल विद्युत क्रय में सम्मिलित कर लिया गया है जैसा कि आयोग द्वारा इसे निम्न परिच्छेदों में अंतिम रूप दिया गया है।

3.48 सुयोग्यता–क्रम से यह भी प्रकट हुआ है कि कुछ महीनों में वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार को भी ध्यान में रखकर विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा उपलब्धता का उपयोग नहीं हो पाया है। आयोग का यह सुझाव है कि विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा की गई इस बचत ऊर्जा का उपयोग अन्य राज्यों से लेन–देन में किया जाए ताकि किसी कमी होने की दशा में, रबी मौसम में विद्युत आवश्यकता की आपूर्ति इस लेन–देन वाले खाते से ही पूर्ण की जा सके, अर्थात् बिना किसी अतिरिक्त लागत के अवशेष विद्युत क्रय आवश्यकता के संबंध में, जैसा कि इसका उल्लेख पूर्व पैरा में किया गया है, की आपूर्ति ऐसी व्यवस्था के माध्यम से की जा सकती है। आयोग अपेक्षा करता है कि विद्युत वितरण कंपनियां बचत की गई विद्युत के अंतर्राज्यीय व्यापार में इस अवसर का उपयोग उनके उपभोक्ताओं की मांग की पूर्ण आपूर्ति के पश्चात ही करेंगी।

3.49 मध्यप्रदेश शासन द्वारा पत्र क्रमांक 3691–13–10 दिनांक 5.5.10 द्वारा प्रकट किये गये आशय के अनुरूप आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान राज्य में एक समान विद्युत–दर का अनुसरण बाबत् निर्णय लिया है। किसी अनुज्ञप्तिधारी के पास माह के दौरान आधिक्य ऊर्जा प्रथमतः मध्यप्रदेश राज्य के उन अनुज्ञप्तिधारियों को प्रदान की जाएगी जिनके पास उक्त माह में विद्युत की कमी रहेगी। आयोग निर्देश देता है कि राज्य की अन्य वितरण कंपनियों को बचत ऊर्जा की विक्रय दर विद्युत की मासिक संकोषीय लागत के अनुसार निम्न तालिका में दर्शाये अनुसार रखी जाए::

तालिका 31 : विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य परस्पर व्यापार हेतु मासिक संकोषीय लागत (Monthly Pooled Cost) (मिलियन यूनिट में)

सरल क्र	माह	रूपये प्रति किलोवाट ऑवर
1	अप्रैल	1.72
2	मई	1.75
3	जून	1.78
4	जुलाई	1.49
5	अगस्त	1.46
6	सितंबर	1.53
7	अक्टूबर	1.51
8	नवंबर	1.73
9	दिसंबर	1.83
10	जनवरी	1.82
11	फरवरी	1.91
12	मार्च	1.68

विद्युत क्रय लागतें (Power Purchase Costs)

3.50 विद्युत क्रय लागत के दो घटक हैं, यथा स्थाई लागत तथा परिवर्तनीय लागत। इन लागतों की पृथक–पृथक गणना की चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई हैः–

केन्द्रीय विद्युत उत्पादक स्टेशन

3.51 पश्चिमी क्षेत्र में एनटीपीसी के स्टेशनों (अर्थात्, कोरबा, विंध्याचल सुपर थर्मल पावर स्टेशन–I (वीएसटीपीएस–I), वीएसटीपीएस–II, वीएसटीपीएस–III (यूनिट–I तथा यूनिट–II), कवास, गंधार तथा सीपत– II} के संबंध में आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु स्थाई तथा परिवर्तनीय लागतों पर ईंधन लागत समायोजन (FPA) को सम्मिलित करते हुए माह अप्रैल 2010 में प्रस्तुत किये गये देयकों को आधार मानकर विचार किया है।

3.52 काकरापार एटॉमिक पावर स्टेशन (केएपीएस) तथा तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन (टीएपीएस) हेतु एकल–भाग टैरिफ भुगतान योग्य है तथा इस टैरिफ पर माह दिसम्बर 2009 तक के वास्तविक देयकों के अनुसार विचार किया गया है।

3.53 अन्य प्रभारों को आयोग ने माह दिसम्बर, 2009 तक उपलब्ध नवीनतम वास्तविक देयकों के अनुसार ही माना है। इन्हीं को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु भी माना गया है।

3.54 नवीन स्टेशनों जैसे कि पूर्वी क्षेत्र–बढ़–I, सीपत ताप विद्युत परियोजना चरण–प्रथम, पश्चिमी क्षेत्र–प्रगति पावर तथा डीवीसी परियोजना सीटीपीएस हेतु एकल भाग विद्युत दर (टैरिफ) अपनाई गई है तथा सुयोग्यता क्रम प्रेषण (MOD) के अनुसार, केन्द्रीय विद्युत उत्पादन स्टेशन कोरबा ताप विद्युत स्टेशन के न्यूनतम परिवर्तनीय प्रभार अपनाए गये हैं।

इंदिरा सागर (एनएचडीसी) :

3.55 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, इंदिरा सागर जल–विद्युत संयंत्र हेतु प्रभार माह दिसम्बर 2009 के वास्तविक देयकों के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं। अतएव, वर्ष 2010–11 हेतु रू 495.48 करोड़ के स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये गये हैं।

मप्र जनको स्टेशन

3.56 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, मप्र जनको स्टेशनों हेतु प्रभार वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु नियंत्रण अवधि दिनांक 3 मार्च, 2010 को जारी विद्युत उत्पादन टैरिफ आदेश के अनुसार लिये गये हैं।

सरदार सरोवरः

3.57 वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, सरदार सरोवर हेतु प्रभार माह दिसम्बर 2009 के वास्तविक देयकों के अनुसार अनुज्ञेय किये गये हैं। अतएव, वर्ष 2010–11 हेतु रू 205.35 करोड़ के स्थाई प्रभार अनुज्ञेय किये गये हैं।

लैंको अमरकंटक तथा ओंकारेश्वरः

3.58 विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान लैंको अमरकंटक से कोई उपलब्धता नहीं दर्शाई है। अतएव, आयोग ने लैंको अमरकंटक हेतु भी किसी लागत पर विचार नहीं किया है। ओंकारेश्वर हेतु, आयोग ने एनएचडीसी द्वारा प्रस्तुत देयकों का विश्लेषण किया है तथा यह पाया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा मानी गई लागतें न्यायोचित हैं। अतएव, आयोग दाखिल किये गये अनुसार लागतों को अनुज्ञेय करता है।

ऊर्जा के अपारंपरिक स्त्रोतः

3.59 पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पवन ऊर्जा से 19 मिलियन यूनिट की उपलब्धता दाखिल की है। आयोग के संज्ञान में है कि चूंकि पवन ऊर्जा पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के क्षेत्रों में उपलब्ध नहीं है, अतएव आयोग द्वारा

इस उपलब्धता को न्यूनतम क्रय दायित्व की आपूर्ति के अन्तर्गत इन दो विद्युत वितरण कंपनियों को भी आवंटित किया गया है। इस प्रकार, आयोग पवन ऊर्जा की लागत को पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 7 मिलियन यूनिट, मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 6 मिलियन यूनिट तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी को 6 मिलियन यूनिट के अनुसार अनुज्ञेय करता है।

3.60 **न्यूनतम क्रय अर्हताएं :** आयोग द्वारा प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु उनकी वार्षिक खपत (तृतीय–पक्ष विक्रय तथा स्वंय द्वारा उपयोग को सम्मिलित करते हुए) के 10% की दर से अपारम्परिक ऊर्जा स्त्रोतों से उनके विद्युत प्रदाय क्षेत्र में, **विद्युत की उपलब्धता के अध्यधीन**, न्यूनतम क्रय आवश्यकता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अपारम्परिक स्त्रोतों के अन्तर्गत विभिन्न स्त्रोतों से न्यूनतम क्रय आवश्यकता निम्न तालिका में दर्शाई गई है:

तलिका 32 : न्यूनतम क्रय दायित्व

ऊर्जा के अपारम्परिक स्त्रोत	न्यूनतम क्रय अर्हताए
पवन विद्युत उत्पादन	6%
बायोमास	2%
अन्य	2%

कैप्टिव विद्युत उत्पादन एवं अन्य स्त्रोत : पूर्व क्षेत्र तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों ने वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान कैप्टिव विद्युत संयंत्रों से 35 मिलियन यूनिटों की उपलब्धता दाखिल की है। इस उपलब्धता को इन तीन वितरण कंपनियों के मध्य 32.64 : 36.88 : 30.47 के अनुपात में क्रमशः मध्य, पश्चिम तथा पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनियों के मध्य विभाजित किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये लागत की प्राप्ति हेतु, रू. 2.27/– प्रति किलोवाट ऑवर की दर से (जैसा कि इसे विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा अपनी याचिकाओं में दायर किया गया है), गणना की गई है।

अंतर्राज्यीय तथा अंतर्क्षेत्रीय पारेषण प्रभार (Inter State and Inter Regional Transmission charges)

3.61 मध्यप्रदेश राज्य द्वारा पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड (पीजीसीआईएल) को भुगतान किये जाने वाले प्रभार, पश्चिमी तथा पूर्वी क्षेत्र की पारेषण प्रणाली हेतु देय प्रभार है।

3.62 आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 की टैरिफ अवधि हेतु अन्तर्राज्यीय पारेषण प्रभारों का प्रक्षेपण किया है। तत्पश्चात्, इन प्रभारों को, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना के अनुसार इनकी स्थाई क्षमता (Firm Capacity) के आधार पर, तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किया गया है। आयोग ने डीवीसी चन्द्रपुर (200 मेगावाट) तथा सीपत–I (94 मेगावाट) की क्षमताओं

पर विचार किया है जिन्हें राज्य की विद्युत वितरण कम्पनियों को पीजीसीआईएल प्रभारों को आवंटन करते समय राज्य को आवंटित किया गया है। इसका कारण यह है कि विद्युत वितरण कम्पनियों को इन लागतों का भुगतान करना ही होगा, भले ही इन्हें विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित न भी किया गया हो। तथापि, आयोग द्वारा कुल उपलब्धता तथा परिवर्तनीय प्रभारों की गणना करते समय इन दोनों परियोजनाओं से उपलब्धता पर विचार नहीं किया गया है। निम्न तालिका पूर्व, पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों को आवंटित किये गये प्रभारों के विवरण प्रदर्शित करती हैः

तालिका 33 : विद्युत वितरण कम्पनियों को अनुज्ञेय किये गये पीजीसीआईएल प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

कम्पनी का नाम	पीजीसीआईएल प्रभार
पूर्व पश्चिम तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	180.63
ट्रेडको	35.28
योग	**215.91**

राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार (Intra-state Transmission Charges)

3.63 आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु उसके पारेषण टैरिफ आदेश द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा भुगतान योग्य वार्षिक पारेषण प्रभार निम्नानुसार अधिसूचित किये गये थे :

तालिका 34 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये राज्यान्तरिक पारेषण प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

वार्षिक एमपीपीसीएल प्रभार	वित्तीय वर्ष 2010–11
मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	362.12
मप्र मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	394.76
मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड	408.92
विशेष आर्थिक परिक्षेत्र	1.62
योग	**1167.42**

3.64 अतएव, आयोग ने तदनुसार वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु निम्न पारेषण प्रभारों को विद्युत वितरण कम्पनियों की विद्युत क्रय की लागत में शामिल कर लिया है। इसे निम्न तालिका मे निदर्शित किया गया है :

तालिका 35 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये एमपीपीटीसीएल प्रभार (करोड़ रूपये में)

	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	विशेष आर्थिक क्षेत्र	योग
क्षमता (मेगावाट में)	2927	3032	2685	12	**8656**
राशि (करोड़ में)	394.76	408.92	362.12	1.62	**1167.42**

3.65 म प्र जनको स्टेशनों हेतु स्थाई लागत वित्तीय वर्ष 2010–11 के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश से लिया गया है। इनका समायोजन इस आदेश के अंतर्गत आकलित की गई उपलब्धि के आधार पर किया गया है।

3.66 तीन विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य स्थाई लागत का आवंटन निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 36 : विद्युत वितरण कम्पनियों के बीच स्थाई लागत का आवंटन (करोड़ रूपये में)

स्टेशन का नाम	स्थाई लागत			
	योग	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	87.03	42.64	16.53	27.85
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	100.08	33.03	18.01	49.04
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–II	118.33	35.50	47.33	35.50
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	56.41	16.92	28.20	11.28
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	65.32	19.60	32.66	13.06
पश्चिमी क्षेत्र– काकरापार एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र– तारापुर एपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस –III	135.95	27.19	54.38	54.38
पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–II	114.65	40.13	22.93	51.59
पूर्वी क्षेत्र– फरक्का एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस–II	25.43	13.73	9.15	2.54
पूर्व क्षेत्र– तालचेर एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	0.00	0.00	0.00	0.00
अमरकंटक टीपीएस	35.10	10.53	10.53	14.04
अमरकंटक विस्तार	101.00	30.30	30.30	40.40
सतपुड़ा टीपीएस	253.22	101.29	50.64	101.29
लेंको अमरकंटक	0.00	0.00	0.00	0.00
संजय गांधी टीपीएस	279.16	83.75	83.75	111.66

संजय गांधी टीपीएस विस्तार	341.82	102.54	102.54	136.73
गांधी सागर	3.63	0.73	0.91	1.99
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	9.65	1.93	4.82	2.89
पेंच	10.23	2.05	3.07	5.12
राजघाट	4.00	0.80	1.20	2.00
बरगी	11.34	2.57	3.61	5.16
बाणसागर–I, II, III	134.32	26.86	80.59	26.86
बाणसागर–IV	7.05	1.41	4.23	1.41
बिरसिंहपुर	5.86	3.22	0.88	1.76
मढ़ीखेढ़ा	16.12	6.45	4.84	4.84
मढ़ीखेढ़ा यूनिट–III	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा सागर	495.48	99.10	247.74	148.64
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत–पवन ऊर्जा उत्पादन	0.00	0.00	0.00	0.00
कैप्टिव	0.00	0.00	0.00	0.00
सरदार सरोवर	205.35	82.14	82.14	41.07
ओंकारेश्वर	263.00	52.60	157.80	52.60
योग	**2879.50**	**836.99**	**1098.80**	**943.71**

3.67 उपरोक्त की गई चर्चा के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु एक्स बस पर सुयोग्यता क्रमानुसार प्रेषण सिद्धांत का प्रयोग करते हुए तत्संबंधी विद्युत वितरण कम्पनियों की आकलित उपलब्धता तथा मप्रविनिआ द्वारा अनुज्ञेय किये गये परिवर्तनीय ऊर्जा प्रभार निम्न तालिका में दर्शाए गये हैं :

तालिका 37 : स्टेशनवार स्वीकृत परिवर्तनीय लागत **(करोड़ रूपये में)**

स्टेशन का नाम	परिवर्तनीय लागत	परिवर्तनीय लागत (करोड़ रूपये में)			
	पैसे प्रति यूनिट	पूर्व	पश्चिम	मध्य	योग
पश्चिमी क्षेत्र – केएसटीपीएस	89.11	152.04	58.95	99.29	310.28
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–I	161.62	65.70	235.22	119.94	420.85
पश्चिमी क्षेत्र – वीएसटीपीएस–II	159.50	95.62	156.63	113.66	365.91
पश्चिमी क्षेत्र – कवास जीपीपी	436.72	0.00	68.55	23.12	91.66
पश्चिमी क्षेत्र –गंधार जीपीपी	422.45	0.00	79.56	23.16	102.73
पश्चिमी क्षेत्र– काकरापार एपीएस	216.68	12.55	31.37	18.82	62.75
पश्चिमी क्षेत्र– तारापुर एपीएस	272.83	41.01	102.53	61.52	205.05
पश्चिमी क्षेत्र– वीएसटीपीएस –III	161.19	38.71	128.90	112.20	279.81
पश्चिमी क्षेत्र– सीपत–II	99.79	42.73	24.42	54.93	122.08

पूर्वी क्षेत्र– फरक्का एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पूर्वी क्षेत्र– कहलगांव एसटीपीएस–II	204.66	6.36	26.89	2.12	35.38
पूर्वी क्षेत्र– तालचेर एसटीपीएस	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
दामोदर वैली कार्पोरेशन (डीवीसी)	290.00	19.51	103.88	19.20	142.59
अमरकंटक टीपीएस	113.08	27.78	27.78	37.04	92.60
अमरकंटक विस्तार	85.09	36.41	36.41	48.54	121.35
सतपुड़ा टीपीएस	133.81	309.28	154.64	309.28	773.20
लेंको अमरकंटक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
संजय गांधी टीपीएस	112.34	146.17	146.17	194.89	487.24
संजय गांधी टीपीएस विस्तार	100.30	96.30	96.30	128.40	321.01
गांधी सागर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राणा प्रताप सागर एवं जवाहर सागर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
पेंच	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
राजघाट	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बरगी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–I, II, III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बाणसागर–IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
बिरसिंहपुर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
मढ़ीखेढ़ा यूनिट–III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
इंदिरा सागर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
अपारंपरिक ऊर्जा स्त्रोत पवन ऊर्जा उत्पादन	336.00	1.91	2.32	2.05	6.28
कैप्टिव	227.00	2.39	2.90	2.56	7.85
सरदार सरोवर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ओंकारेश्वर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
योग		**1,094.47**	**1,483.42**	**1,370.74**	**3,948.62**

3.68 जैसा कि पूर्व में उल्लेख किया गया है, केवल माह नवम्बर, दिसम्बर 2010 तथा फरवरी 2011 को छोड़कर, सम्पूर्ण अवधि हेतु, ऊर्जा की आवश्यकता की आपूर्ति की जा सकेगी। 483.73 मिलियन यूनिट की अवशेष आवश्यकता में से कुछ भाग ट्रेडको से (402.31 मिलियन यूनिट की आपूर्ति 107.10 पैसे प्रति यूनिट की दर से परिवर्तनीय तथा पीजीसीआईएल प्रभारों को सम्मिलित कर) की जा सकेगी जो कि उक्त समय पर एमपीट्रेडको के पास उपलब्ध रहेगी। 81.42 मिलियन यूनिट की बाकी आवश्यकता अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सतपुड़ा टीपीएस सारनी से परिवर्तनीय ऊर्जा दर 133.81 पैसे प्रति यूनिट की दर से क्रय की जाएगी।

तालिका 38 : ट्रेडको से अनुज्ञेय की गई ऊर्जा की आवश्यकता, आवंटन

विवरण	आपूर्ति योग्य ऊर्जा जिसकी व्यवस्था की जाना है (मिलियन यूनिट में)				दर	प्रभार (करोड़ रूपये में)			
	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य	प्रति पैसे यूनिट	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	राज्य
आपूर्ति योग्य आवश्यकता	0.00	396.65	87.08	483.73					
ट्रेडको से प्राप्त	0.00	330.42	71.89	40.31	107.10	0.00	35.39	7.70	43.09
अवशेष आवश्यकता	0.00	66.23	15.19	81.42	133.81	0.00	8.86	2.03	10.89

3.69 कुल ऊर्जा क्रय लागत, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया है, की संक्षेपिका निम्न तालिका में दर्शाई गई है:–

तालिका 39 : स्वीकृत की गई कुल विद्युत क्रय लागत (करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी			योग
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
स्थाई प्रभार	836.99	1098.80	943.71	2879.50
परिवर्तनीय प्रभार	1094.47	1483.42	1370.74	3948.63
विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य परस्पर व्यापार	-157.72	242.00	-84.28	0.00
अनापूर्तित (un-met) ऊर्जा प्रभार				
ट्रेडको	0.00	35.39	7.70	43.09
शेष आवश्यकता	0.00	8.86	2.03	10.89
पीजीसीआईएल प्रभार	75.65	76.73	63.54	215.92
एमपीपीटीएल प्रभार	362.12	408.92	394.76	1165.80
महायोग	**2211.51**	**3354.12**	**2698.20**	**8263.83**

नेटवर्क की लागतें (Net Work Costs)

पूंजीगत व्यय योजनाएं/परिसम्पत्तियों का पूंजीकरण (Capital Expenditure Plans/Capitalization of Assets)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण (Licensees' Submissions)

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी (East Discom)

पूंजी निवेश (Investments)

3.70 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु आयोग को प्रस्तुत की गई पांच–वर्षीय पूंजी निवेश योजना पूर्व वित्तीय वर्ष की प्रगति तथा अनुवर्ती वर्षों के पुनरीक्षित पूंजीनिवेश पर आधारित कतिपय सुधारों के साथ अपनाई गई है। पुनरीक्षित अनुमानित निवेश योजना की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत है:

तालिका 40 : निवेश योजना (राशि करोड़ रुपये में)

योजना	वित्तीय वर्ष 2010–11
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)	300.00
सब ट्रांसमिशन (नार्मल)–एसटी (एन)	50.00
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (हडको)	–
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	310.00
टीएसपी	25.00
एससीएसपी	35.00
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	–
किसान महा पंचायत (नवीन कृषि पम्प सेट)	–
संभारक पृथक्करण (Feeder Segregation)	50.00
एपीडीआरपी–I	–
एपीडीआरपी– II	150.00
निक्षेप (Deposits)	43.00
योग	**963.00**

3.71 उपभोक्ता अंशदान के माध्यम से निधिबद्ध (Funded) किये गये नवीन संयोजनों हेतु पूंजीगत व्यय को नवीन संयोजन निक्षेप (Deposit) में सम्मिलित कर लिया गया है। कथित नवीन संयोजन निक्षेप में 80% अंशदान का योगदान पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा किया गया है तथा शेष 20% उपभोक्ताओं द्वारा किया गया है। एपीडीआरपी–II में सम्मिलित हैं आरएपीडीआरपी भाग (अ) हेतु निवेश

योजना जिसे पूर्व में ही स्वीकृती प्रदान की जा चुकी है तथा आरएपीडीआरपी भाग (ब) हेतु निवेश योजना जिसे अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

वित्त प्रबंध योजना (Financing Plan)

3.72 विस्तृत योजनावार वित्त प्रबंधन योजना, प्ररूप एफ 2 बी में प्रस्तुत की गई है। उपरोक्त प्रस्तावित निवेश योजना हेतु योजनावार वित्त प्रबंधन स्त्रोतों की संक्षेपिका निम्नानुसार है :

तालिका 41 : वित्त प्रबंध योजना

योजनाएं	पीएफसी	जेबीआईसी	आरईसी	एडीबी	भारतीय स्टेट बैंक सीपीएफ अंशदान	हडको	मप्र शासन /भारत सरकार	उपभोक्ता अंशदान	आर्थिक परिक्षेत्र अंशदान
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)				**68%**	**22%**				**10%**
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) –एसटी (एन)							**100%**		
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (हडको)						**90%**			**10%**
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना			**10%**				**90%**		
म प्र शासन (टीएसपी)							**100%**		
मप्र शासन (एससीएसपी)							**100%**		
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)		**87%**	**13%**						
केएमपी							**100%**		
संभारक पृथक्करण (Feeder segregation))							**100%**		
आर–एपीडीआरपी	**50%**								**50%**
नवीन संयोजन (निक्षेप) – न्यू कनेक्शन डिपाजिट								**20%**	**80%**

पूंजीकरण (Capitalization)

3.73 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके पास दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में रू 529 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर {Capital Works In Progress (CWIP)} हैं तथा यह राशि वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार है। प्रक्षेपण अवधि हेतु, पूंजीकरण निम्नानुसार माना गया है :

(अ) यह माना गया है कि वार्षिक आधार पर कुल पूंजी निवेश योजना की उपलब्धि वित्तीय वर्ष 10 हेतु 50% तथा वित्तीय वर्ष 11 हेतु 60% होगी। किसी वर्ष हेतु सम्पूर्ण

क्रियान्वित किये गये पूंजी निवेश को प्रारंभिक प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि में जोड़कर वर्ष हेतु अन्तिम प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि की प्राप्ति की जाएगी।

(ब) मानी गई पूंजीकरण दर पूंजी निवेश प्राप्ति के अनुपात में रखी गई है, अर्थात् वित्तीय वर्ष 2010 हेतु 50% तथा वित्तीय वर्ष 2011 हेतु 60%।

(स) व्ययों को पिछले रूझान पर आधारित भिन्न–भिन्न दरों पर पूंजीकृत किया गया है। मरम्मत तथा संधारण व्यय का पूंजीकरण 1% की दर से किया गया है जबकि कर्मचारी व्यय को 3% की दर से पूंजीकृत किया गया है।

तालिका 42 : पूंजीकरण योजना **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011
प्रारंभिक शेष	611.12
वर्ष के दौरान जोड़ी गई राशि	**967.9**
ब्याज प्रभार	50.38
लंबित राजस्व व्यय	13.88
सामग्री प्रदायकर्ताओं तथा पूंजी हेतु अग्रिम	17.87
घटायें : सामग्री प्रदायकर्ताओं तथा पूंजी हेतु दायित्व	4.26
घटायें : सकल स्थाई परिसम्पत्तियों (GFA) में परिवर्तन	802.46
अन्तिम प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि	854.83
औसत अन्तिम प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि	733.17

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

पूंजीगत व्यय योजना (Capital Expenditure Plan)

3.74 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उल्लेख किया गया है कि उनके द्वारा एक विस्तृत पूंजी निवेश योजना विकसित की गई है जिसके अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान तथा प्रथम नियंत्रण अवधि के दौरान कई योजनाएं क्रियान्वित की जाएंगी। ये योजनाएं निम्न लक्ष्यों पर विचार करते हुए विकसित की गई हैं :

(ए) क्षमता निर्माण (Capacity Building)

(बी) प्रणाली सुदृढ़ीकरण (System Strengthening)

(सी) वोल्टेज में सुधार (Voltage Improvement)

(डी) हानि में कमी की जाना (Loss Reduction)

(ई) उपभोक्ता सेवा (Consumer Service)

(एफ) सेवा की विश्वसनीयता (Reliability Service)

(जी) ग्रामीण विद्युतीकरण (Rural Electrification)

(एच) अमीटरीकृत संयोजन को मीटरीकृत करना (Meterisation of unmetered connection)

(आई) संभारक द्विभाजन (Feeder Bifurcation)

3.75 वित्तीय वर्ष 2011 हेतु अनुज्ञप्तिधारी की पूंजीगत व्यय योजना निम्नानुसार है :

तालिका 43 : पूंजी निवेश योजना **(करोड़ रूपये में)**

क्रमांक	योजना	वित्तीय वर्ष 2009–10
1	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) –टीआर–IV	188.34
2	एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) –टीआर–IV	26.49
3	पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	
4	राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	69.52
5	पुनरीक्षित –एपीडीआरपी	22.65
6	जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	26.66
7	नवीन कृषि पम्प	5.00
8	संभारक द्विभाजन	10.00
9	प्रणाली सुदृढ़ीकरण (एसटीएन/एनडी/टीएसपी/एससीएसपी)	85.00
10	संभारक द्विभाजन मय ग्रामीण स्तर तक उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS)	193.11
11	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC) (मीटरीकरण योजना)	28.00
	योग	**854.77**

प्रगति पर निर्माण कार्य का सकल स्थाई परिसम्पत्ति (परिसम्पत्ति वर्ग) में अंतरण {Transfer of CWIP to GFA (Asset Class)}

3.76 वित्तीय वर्ष 2008–09 की अवधि के लेखों के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी के पास प्रगति पर निर्माण कार्य की रू. 1,000.60 करोड़ की धारित राशि थी। प्रक्षेपण अवधि के दौरान, पूंजीकरण किये जाने हेतु निम्नानुसार अवधारणा की गई है :

1. वर्ष के दौरान कुल पूंजी निवेश योजना का 80% भाग निवेश के रूप में परिणत (Realize) कर लिया जाएगा। किसी वर्ष हेतु सम्पूर्ण क्रियान्वित किये गये पूंजी निवेश को प्रारंभिक प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि में जोड़कर वर्ष हेतु अन्तिम प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि की प्राप्ति की जाएगी।
2. प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के अवशेष से वित्तीय वर्ष 10, 11, 12, 13, हेतु पूंजीकरण दर क्रमशः 50%, 60%, 70% तथा 80% मानी गई है।

3. पिछले रूझान के अनुसार, व्ययों को भिन्न–भिन्न दरों पर पूंजीकृत किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान परिसम्पत्ति पूंजीकरण विवरण निम्नानुसार हैं :

तालिका 44 : पूंजीकरण योजना **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011
प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का प्रारंभिक शेष	582.21
वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की नवीन राशि	656.30
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया कुल पूंजी निवेश	743.11
प्रारंभिक प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) में से किया गया पूंजी निवेश	743.11
नवीन पूंजी निवेश में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	
प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का अन्तिम शेष	495.41

ऋणों की निबन्धन तथा शर्तें (Terms & Conditions of the Loans)

3.77 निम्न तालिका अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 तक आहरित किये जाने वाले प्रस्तावित ऋणों की निबन्धन तथा शर्तों संबंधी जानकारी प्रस्तुत करती है। ऐसे प्रकरणों में जहां प्रस्तावित पूंजीगत व्यय योजना हेतु कुछ अगठबन्धित वित्त प्रबन्ध अंश है, उनका वित्त प्रबंध ''अन्य बाजार ऋण प्राप्तियों (Other Market Borrowings)'' से किया जाना प्रस्तावित है।

तालिका 45 : वित्त प्रबंध योजना (Financing Plan)

वित्त प्रबंधन संस्था	ब्याज दर	ऋण स्थगन अवधि	वार्षिक किस्तों की संख्या
पावर फायनेंस कार्पोरेशन (पीएफसी)	10.50%	5	10
एशिया विकास बैंक (एडीबी)	10.50%	5	10
ग्रामीण विद्युतीकरण कार्पोरेशन (आरईसी)/जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)	10.50%	5	10
पुनरीक्षित एक्सेलेरेटेड पावर डेवलपमेंट एण्ड रिफार्म प्रोग्राम	10.50%	5	10
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) –एसटीएन	10.50%	5	10
सामान्य (बंध पत्र एवं ऋण पत्र सम्मिलित कर)	10.50%	5	10
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	10.50%	5	10
ग्रामीण स्तर तक संभारक द्विभाजन, एचवीडीएस को सम्मिलित कर	10.50%	5	10
ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (मीटरीकरण)	10.50%	5	10

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी (Central Discom)

पूंजी निवेश (Investments)

3.78 अनुज्ञप्तिधारी ने उल्लेख किया है कि उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता याचिका हेतु आयोग को प्रस्तुत की गई पंच वर्षीय पूंजी निवेश योजना, पूर्व वर्ष के दौरान उपलब्ध प्रगति तथा अनुवर्ती वर्षों हेतु पुनरीक्षित पूंजी निवेश प्रत्याशाओं सहित किये गये संशोधनों को सम्मिलित कर, के आधार पर अपना ली गई है। पुनरीक्षित प्राक्कलित पूंजी निवेश योजना की संक्षेपिका निम्न तालिका में प्रस्तुत की गई है :

तालिका 46 : पूंजी निवेश नियोजन **(करोड़ रूपये में)**

योजना	वित्तीय वर्ष 11
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी–II)	140.0
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आरजीजीवीवाई)	100.0
आर–एपीडीआरपी	110.0
जापान बैंक फार इन्टरनेशनल कोऑपरेशन(जेबीआईसी)	-
नवीन कृषि पम्प	5.0
संभारक पृथक्करण	100.0
टीएसपी/एससीएसपी (मप्र शासन की पूंजी)	74.6
हडको सहायता से नवीन योजना	68.5
पीएफसी (द्वितीय पक्ष वित्त प्रबंधन)	35.0
डीएफआईडी (अनुदान)	20.0
मप्र शासन पूंजी/एसएसटीडी/एमडी	85.0
उपभोक्ता अंशदान	10.1
बाजार से ऋण की प्राप्ति (हानि कम किये जाने संबंधी पहल)	219.28
योग	**967.48**

3.79 उपभोक्ता अंशदान से पोषित नवीन संयोजनों हेतु पूंजीगत व्यय को नवीन संयोजन निक्षेप में सम्मिलित किया गया है। कथित नवीन संयोजन निक्षेप में 80% अंश का योगदान विद्युत वितरण कम्पनी का है तथा शेष 20% उपभोक्ताओं का है।

3.80 एपीडीआरपी–II में सम्मिलित है आरएपीडीआरपी भाग (अ) हेतु निवेश योजना जिसे पूर्व में ही स्वीकृती प्रदान की जा चुकी है तथा आरएपीडीआरपी भाग (ब) हेतु निवेश योजना जिसे अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

वित्त प्रबन्ध योजना (Financing Plan)

3.81 उपरोक्त प्रस्तावित निवेश योजना हेतु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रस्तुत योजनावार वित्त प्रबंध स्त्रोतों की संक्षेपिका निम्नानुसार है :

तालिका 47 : वित्त प्रबंध योजना

योजनाएं	पीएफसी	जेबीआईसी	आरईसी	एडीबी	भारतीय स्टेट बैंक सीपीएफ	हडको	मप्र शासन /भारत सरकार	उपभोक्ता अंशदान	आर्थिक परिक्षेत्र अंशदान
एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी)				**68%**	**22%**				**10%**
सब ट्रांसमिशन (नार्मल) –एसटी (एन)							**100%**		
हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलेपमेंट कार्पोरेशन (हडको)						**90%**			**10%**
राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना			**10%**				**90%**		
म प्र शासन (टीएसपी)							**100%**		
मप्र शासन (एससीएसपी)							**100%**		
जापान बैंक फॉर इन्टरनेशनल कोऑपरेशन (जेबीआईसी)		**87%**	**13%**						
केएमपी							**100%**		
संभारक पृथक्करण							**100%**		
आर–एपीडीआरपी	**50%**								**50%**
नवीन संयोजन (निक्षेप) – न्यू कनेक्शन डिपाजिट								**20%**	**80%**

पूंजीकरण (Capitalization)

3.82 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि उसके पास दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में रू 529 करोड़ के निर्माण कार्य प्रगति पर {Capital Works In Progress (CWIP)} हैं तथा यह राशि वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंकेक्षित लेखे के अनुसार है। प्रक्षेपण अवधि हेतु, पूंजीकरण निम्नानुसार माना गया है :

(अ) यह माना गया है कि कुल पूंजी निवेश योजना के 80% से उपलब्धियां वर्ष हेतु वसूल की गई पूंजी निवेश राशियां होंगी। एक वर्ष हेतु सम्पूर्ण अपेक्षित पूंजी निवेश राशि प्रारंभिक प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) राशि में अन्तिम प्रगति पर निर्माण कार्य राशि की प्राप्ति हेतु जोड़ दी जाएगी।

(ब) वर्ष हेतु पूंजीकरण दर सम्पूर्ण निर्माण प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का 80% मानी गई है।

(स) पूर्व के रूझान पर आधारित, व्ययों को भिन्न–भिन्न दरों पर पूंजीकृत किया गया है। मरम्मत तथा संधारण व्यय का पूंजीकरण 1% की दर से किया गया है जबकि कर्मचारी व्यय का पूंजीकरण 3% की दर से किया गया है।

तालिका 48 : पूंजीकरण योजना (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010	वित्तीय वर्ष 2011
प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का प्रारंभिक शेष	381.78	286.92
वर्ष के दौरान पूंजी निवेश की गई नवीन राशि	432.19	943.23
वर्ष के दौरान पूंजीकृत किया गया कुल पूंजी निवेश	651.18	984.12
प्रारंभिक प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	305.4	229.5
नवीन पूंजी निवेश में से पूंजीकृत किया गया पूंजी निवेश	345.8	754.6
प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) का अन्तिम शेष	286.92	369.58

आयोग का विश्लेषण (Commission's Analysis)

3.83 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में अनुज्ञप्तिधारियों हेतु व्यवसाय योजना, पूंजी निवेश योजना, वित्त प्रबंध योजना तथा पूंजीकरण हेतु मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं।

3.84 विनियमों के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी प्रतिवर्ष माह जुलाई में एक व्यवसाय योजना प्रस्तुत करेगा जो आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप इस बावत् विस्तृत पूंजी निवेश योजना, वित्त प्रबंधन योजना तथा भौतिक लक्ष्यों तक ही सीमित न होते हुए विद्युत–दर (टैरिफ) अवधि हेतु भार में अभिवृद्धि, वितरण हानियों में कमी, विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता में सुधार, विश्वसनीयता, मीटरीकरण आदि की आपूर्ति हेतु भी होगा।

3.85 पूंजीगत योजना में पृथक से निर्माणाधीन परियोजनाएं, जिनका कार्य विचाराधीन आगामी वर्ष के दौरान भी जारी रहेगा तथा इसके साथ नवीन परियोजनाएं (औचित्य दर्शाते हुए) जो टैरिफ अवधि में प्रारंभ की जाएंगी तथा जो टैरिफ अवधि के अंतर्गत अथवा उसके उपरांत पूर्ण की जा सकेंगी, दर्शाई जाएंगी। आयोग अनुज्ञप्तिधारी की पूंजी निवेश योजना पर विचार करेगा तथा उसे अनुमोदन प्रदान करेगा जिस हेतु अनुज्ञप्तिधारी को सुसंगत तकनीकी एवं वाणिज्यिक विवरण प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे। विद्युत–दर (टैरिफ) आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को पूंजी निवेश योजना को नियमित रूप से आयोग से अनुमोदन कराना होगा।

3.86 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को माह जुलाई से पूर्व न तो व्यवसाय योजना तथा पूंजीगत निवेश योजना प्रस्तुत की गई है तथा न ही वित्तीय वर्ष 2010–11 की पश्चातवर्ती अवधि हेतु

इसे प्रस्तुत किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 तथा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु परिसम्पत्ति में वृद्धि के साथ–साथ पूंजी निवेश योजना की प्रगति यह दर्शाती है कि सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि लगभग रू. 650 करोड़ की हुई है जबकि रू. 2100 करोड़ राशि की पूंजी निवेश योजनाएं प्रस्तुत की गई थीं। यह संज्ञान में लिया जा सकता है कि पूंजीगत कार्यों के निष्पादन में तीनों वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की प्रगति किये गये प्रक्षेपणों के मुकाबले में काफी निराशाजनक रही है। अतएव, आयोग वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु किये गये प्रक्षेपणों को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं है। वित्तीय वर्ष 2009–10 की विद्युत–दर (टैरिफ) के अवधारण हेतु, वित्तीय वर्ष 2007–08 के अंतिम अंकेक्षित तुलन पत्र (बैलेंस शीट) में परिसम्पत्ति वृद्धि, वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु प्रावधिक आधार पर अनुज्ञेय की गई थी। आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत भी यही विधि जारी रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

प्रचालन एवं संधारण लागतें (Operation and maintenance Costs)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.87 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु संचालन एवं संधारण व्ययों का अवधारण वित्तीय वर्ष 2010–11 की प्रक्षेपित अन्तिम शेष राशियों के आधार पर किया गया है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि संचालन एवं संधारण व्ययों को विनियमों के अनुसार अनुज्ञेय किया जाना होगा। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रचालन एवं संधारण व्ययों का दावा प्रक्षेपित संचालन एवं संधारण व्ययों के आधार पर किया गया है। आधार संबंधी विवरण उनकी याचिकाओं में प्रस्तुत किये गये हैं। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल किये गये दावों को निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तालिका 49 : वित्तीय वर्ष 11 हेतु दावा किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.
मरम्मत तथा संधारण व्यय	43.35	54.95	58.03
कर्मचारी व्यय *	551.73	506.79	553.39
प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	96.52	78.16	67.29
योग	**691.6**	**639.9**	**678.71**

*कर्मचारी व्ययों में पेंशन तथा टर्मिनल प्रसुविधा प्रभार सम्मिलित हैं

प्रचालन एवं संधारण व्ययों के संबंध में आयोग का विश्लेषण (Commission Analysis on O&M Expenses)

3.88 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय के मानदण्ड परिभाषित किये गये हैं।

3.89 प्रचालन एवं संधारण व्ययों में कर्मचारी लागत, मरम्मत तथा संधारण (आर एण्ड एम) लागत तथा प्रशासनिक एवं सामान्य (ए एण्ड जी) लागत सम्मिलित होते हैं। विनियमों के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु कर्मचारी व्ययों, बकाया राशि के भुगतान तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय की राशि का प्रावधान किया गया है। विनियमों में मरम्मत एवं संधारण व्यय प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के प्रतिशत के रूप में 2% की दर से पूर्व एवं पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु तथा 2.3% की दर से मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु अनुज्ञेय किये गये हैं। इन मानदंडों में कर्मचारियों को भुगतान किये जाने वाली पेंशन, टर्मिनल प्रसुविधाएं, शासन को देय कर, मप्रराविमं व्यय तथा मप्रविनिआ को भुगतान योग्य शुल्क शामिल नहीं हैं। व्ययों की राशि की गणना के आधार संबंधी विवरण, बकाया राशि के भुगतान संबंधी व्ययों को सम्मिलित कर, विनियमों में प्रदान किये गये हैं

3.90 छठवें वेतन आयोग के कारण दिनांक 31.8.08 तक की अवधि हेतु बकाया राशि के भुगतान को सत्यापन के समय अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वास्तविक रूप से किये गये भुगतान से प्रचालन एवं संधारण व्ययों में इस हेतु सम्मिलित की गई राशि से तुलना की जाएगी तथा इनमें पाये गये किसी अन्तर को परिशुद्ध किया जाएगा।

3.91 विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु टर्मिनल प्रसुविधाओं के व्ययों संबंधी विषय के संबंध में यह विषय पृथक से आयोग के विचाराधीन है तथा वर्तमान में, टर्मिनल प्रसुविधा हेतु प्रावधान विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में अनुज्ञेय नहीं किया गया है।

3.92 विनियमों की कंडिका 31.11 के अन्तर्गत मीटरीकृत विक्रय में वृद्धि/कमी होने पर प्रोत्साहन/अप्रोत्साहन के संबंध में मानदण्ड विनिर्दिष्ट किये गये हैं। आयोग इनके संबंध में सत्यापन के समय समुचित रूप से प्रावधान करेगा।

3.93 आयोग शासन को देय करों तथा मप्रविनिआ को देय शुल्क के संबंध में वास्तविक राशि के आधार पर पृथक से अनुज्ञेय करेगा।

3.94 यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाएं विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुरूप नहीं हैं। अतएव, आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा की गई इस प्रस्तुति को स्वीकार नहीं किया गया है।

3.95 प्रचालन एवं संधारण व्ययों हेतु मानदण्ड/निम्नानुसार हैं :

अ. मरम्मत एवं संधारण व्यय वित्तीय वर्ष की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्तियों पर पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी हेतु 2% की दर से, पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2% की दर से तथा मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी हेतु 2.3% की दर से अनुज्ञेय किये जाएंगे।

ब. कर्मचारी व्यय तथा प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय विनियमों में किये गये प्रावधान के अनुसार माने गये हैं।

तालिका 50 : मरम्मत तथा संधारण व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कम्पनी.			सम्पूर्ण राज्य
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
दिनांक 1 अप्रैल 2009* की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति*	1942.01	1866.04	1988.26	5796.31
वित्तीय वर्ष 2010* के दौरान की गई वृद्धि	217.99	104.23	228.39	550.62
दिनांक 1 अप्रैल 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2160.00	1970.27	2216.65	6346.92
मरम्मत तथा संधारण व्यय हेतु अनुज्ञेय प्रतिशत	2.00%	2.00%	2.30%	
कुल मरम्मत तथा संधारण व्यय	43.20	39.41	50.98	133.59

** दिनांक 1 अप्रैल 2009 की स्थिति में अंकेक्षित तुलन पत्र (audited balance sheet) की प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति (GFA), अंतिम प्रारंभिक तुलन पत्र के प्रभाव को हटाये जाने के उपरांत है। इस प्रकार, दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के प्रभाव का इस आदेश के अन्तर्गत विचार नहीं किया गया है तथा इस पर विचार सत्यापन के समय किया जाएगा।*

*** वित्तीय वर्ष 10 के दौरान की गई वृद्धि, अंकेक्षित तुलन–पत्रों के अनुसार पूर्व के तीन वर्षों की सकल स्थाई परिसम्पत्ति वृद्धि का औसत है।*

तालिका 51 : विनियमों के अनुसार कर्मचारी व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी			सम्पूर्ण राज्य
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
कर्मचारी व्यय, बकाया राशि को छोड़कर	415.06	389.37	367.15	1171.58
बकाया राशि	33.37	31.31	29.52	94.2
योग	**448.43**	**420.68**	**396.67**	**1265.78**

तालिका 52 : विनियमों के अनुसार प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी			सम्पूर्ण राज्य
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय	73.37	64.39	69.57	207.33

3.96 आयोग द्वारा नियंत्रण अवधि के प्रथम वित्तीय वर्ष हेतु प्रचालन एवं संधारण व्यय निम्नानुसार है :

तालिका 53 : वित्तीय वर्ष 11 हेतु अनुज्ञेय किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय (राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	क्षेत्र विवि कंपनी			सम्पूर्ण राज्य
	पूर्व	पश्चिम	मध्य	
मरम्मत तथा संधारण व्यय	43.20	39.41	50.98	133.59
कर्मचारी व्यय (विनियमों के अनुसार)	448.43	420.68	396.67	1265.78
प्रशासनिक एवं सामान्य व्यय (विनियमों के अनुसार)	73.37	64.39	69.57	207.33
योग	565.00	524.48	517.22	1606.70
अन्य व्यय (शुल्क तथा कर)	1.61	1.29	1.07	3.97
अनुज्ञेय किये गये प्रचालन एवं संधारण व्यय	566.61	525.77	518.29	1610.67

अवमूल्यन (Depreciation)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.97 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 09 के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार उनकी प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 1944.26 करोड़ है। प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 401.55 करोड़, रू. 802.46 करोड़, रू. 1434.79 करोड़ तथा रू. 1388.47 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान संचित अवमूल्यन क्रमशः 106.43 करोड़, रू. 168.87 करोड़, रू. 228.14 करोड़ तथा रू. 271.28 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 10 हेतु अवमूल्यन के प्रक्षेपण हेतु अपनाई गई विशिष्ट अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

1. अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (वे परिसम्पत्तियां जो 90% तक अवमूल्यित नहीं की गई हैं) के प्रारंभिक शेष की अवधि प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऐसे प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 तक मप्र राज्य विद्युत मंडल के वर्षवार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़े के आधार पर प्राक्कलित की गई है। प्रक्षेपण अवधि हेतु, प्राक्कलित प्रतिशत अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :

2. अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, भारत शासन विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (केन्द्रीय सरकार द्वारा एसओ क्रमांक 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 द्वारा अधिसूचित) के अनुसार हैं जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी ने आयोग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रयोज्य अवमूल्यन दरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भी लागू किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 11 हेतु की गई अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 54 : अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2011
भूमि तथा भूमि अधिकार	0.02
भवन तथा सिविल कार्य	1.61
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	1.17
अन्य सिविल कार्य	0.24

संयंत्र तथा मशीनरी	38.15
लाईन, केबल नेटवर्क, आदि	126.43
वाहन	0.43
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.25
कार्यालय उपकरण	0.58
योग	**168.87**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

3.98 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 09 के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार उनकी प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 1,985.91 करोड़ है। प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 582.21 करोड़, रू. 743.11 करोड़, रू. 937.17 करोड़ तथा रू. 1.239.08 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान संचित अवमूल्यन क्रमशः 1,379.30 करोड़, रू. 1,505.36 करोड़, रू. 1,670.46 करोड़ तथा रू. 1901.89 करोड़ होगा। अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, भारत सरकार विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (केन्द्रीय सरकार द्वारा एसओ क्रमांक 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 द्वारा अधिसूचित) के अनुसार हैं जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी ने आयोग को विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) की दरों को अवमूल्यन दरों के रूप में विचार किये जाने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 11 हेतु की गई अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है :

तालिका 55 : अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	**वित्तीय वर्ष 2011**
भूमि	0.02
भवन	1.29
द्रव्य संबंधी कार्य (हायड्रॉलिक वर्क्स)	0.18
अन्य सिविल कार्य	0.10
संयंत्र तथा मशीनरी	44.84
लाईन तथा केबल नेटवर्क	77.91
वाहन	0.58
फर्नीचर तथा फिक्सचर्स	0.15
कार्यालय उपकरण	0.99
योग	**126.05**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

3.99 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि वित्तीय वर्ष 09 के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार उनकी प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की राशि रू. 2044.62 करोड़ है। प्रगति पर निर्माण कार्य (CWIP) के पूंजीकरण को वर्ष हेतु नवीन परिसम्पत्ति वृद्धि के रूप में अन्तरित कर दिया गया है। ऐसी अपेक्षा की जाती है कि वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वर्षवार वृद्धि क्रमशः रू. 651.18 करोड़, रू. 984.12 करोड़, रू. 1224.61 करोड़ तथा रू. 1424.05 करोड़ होगी। वित्तीय वर्ष 10 से वित्तीय वर्ष 13 के दौरान संचित अवमूल्यन क्रमशः 1239.98 करोड़, रू. 1392.27 करोड़, रू. 1573.26 करोड़ तथा रू. 1787.54 करोड़ होगा। वित्तीय वर्ष 10 हेतु अवमूल्यन के प्रक्षेपण हेतु अपनाई गई विशिष्ट अवधारणाएं निम्नानुसार हैं :

अ. अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (वे परिसम्पत्तियां, जो 90% तक अवमूल्यित नहीं की गई हैं) के प्रारंभिक शेष की अवधि प्रक्षेपण अवधि के प्रत्येक वर्ष हेतु ऐसे प्रत्येक लेखा शीर्ष के अन्तर्गत वर्ष 1985–86 से वर्ष 2004–05 तक मप्र राज्य विद्युत मंडल के वर्षवार परिसम्पत्ति वृद्धि आंकड़े के आधार पर प्राक्कलित की गई है। प्रक्षेपण अवधि हेतु, प्राक्कलित प्रतिशत अवमूल्यन योग्य परिसम्पत्तियों (प्रारंभिक शेष) की संक्षेपिका निम्नानुसार प्रस्तुत की गई है :

ब. अवमूल्यन की गणना हेतु अपनाई गई अवमूल्यन दरें, भारत शासन विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना (केन्द्रीय सरकार द्वारा एसओ क्रमांक 265 (ई) दिनांक 27 मार्च, 1994 द्वारा अधिसूचित) के अनुसार हैं जिसे अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वार्षिक लेखों को तैयार किये जाने में उपयोग किया जा रहा है। कम्पनी ने आयोग को पारेषण अनुज्ञप्तिधारी हेतु प्रयोज्य अवमूल्यन दरों को वितरण अनुज्ञप्तिधारी हेतु भी लागू किये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है। इस प्रकार, वित्तीय वर्ष 11 हेतु की गई अवमूल्यन की गणना निम्नानुसार दर्शाई गई है।

तालिका 56 : अवमूल्यन **(राशि करोड़ रूपये में)**

अवमूल्यन	वित्तीय वर्ष 2011
योग	164.79

अवमूल्यन के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.100 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 के अनुसार अवमूल्यन की गणना प्रतिवर्ष ''सरल रेखा विधि (Straight Line Method)'' के आधार पर तथा

वितरण प्रणाली की परिसम्पत्तियों हेतु जो दिनांक 31.03.2010 के उपरान्त वाणिज्यिक प्रचालन हेतु घोषित की जाती हैं **परिशिष्ट–3** (Appendix-III) में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार की जाएगी बशर्ते वर्ष की 31 मार्च की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन–योग्य मूल्य को वाणिज्यिक प्रचालन तिथि के 12 वर्षों की अवधि के उपरान्त परिसम्पत्तियों के अवशेष उपयोगी जीवन काल के अन्तर्गत विस्तारित कर दिया जाए।

3.101 विद्यमान परियोजनाओं के प्रकरणों में, दिनांक 1.4.2010 की स्थिति में अवशेष अवमूल्यन मूल्य की गणना आयोग द्वारा दिनांक 31.3.2010 तक स्वीकार की गई परिसम्पत्यिों के सकल अवमूल्यन योग्य मूल्य में अवमूल्यन के विरूद्ध अग्रिम राशि को सम्मिलित कर, में से संचयी अवमूल्यन को घटाकर की जाएगी। अवमूल्यन दर को परिशिष्ट–2 में विनिर्दिष्ट दर पर प्रभारित किया जाना जारी रखा जाएगा जब तक संचयी अवमूल्यन 70% तक पहुंच नहीं जाता। तत्पश्चात्, अवशेष अवमूल्यन योग्य मूल्य के परिसम्पत्ति के अवशेष जीवनकाल के अंतर्गत इस प्रकार विभाजित कर दिया जाएगा ताकि अधिकतम अवमूल्यन की बढ़ोत्तरी 90% से अधिक न हो।

3.102 यह पाया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिका विनियमों में प्रावधानित मानदण्डों के अनुरूप नहीं है। विनियमों में किये गये प्रावधानों के अनुरूप, वांछित विधि के अनुसार जानकारी प्रस्तुत न किये जाने के कारण, आयोग द्वारा अवमूल्यन की गणना निम्न विधि द्वारा की गई है :

3.103 परिसम्पत्ति आधार के मूल्य के संबंध में, आयोग ने विस्तृत रुप से वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा परिसम्पत्ति वृद्धि के संबंध में पूर्वानुमान पर विचार न जाने पर विस्तृत सोच–विचार किया है क्योंकि ये बढ़ा–चढ़ाकर तथा पूर्व की प्रवृत्ति के प्रतिकूल बनाये गये प्रतीत होते हैं। तदनुसार, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अवमूल्यन की, वित्तीय वर्ष 2009–10 की तुलना में उपलब्ध अवमूल्यन से विचलन अधिक न होने की संभावना काफी क्षीण है। अतः वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, आयोग ने दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में परिसम्पत्तियों के अन्तिम रोकड़ में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अंकेक्षित तुलन पत्र के अन्तिम तीन वर्षों की औसत अभिवृद्धि के अनुसार जोड़ कर अवमूल्यन की गणना की है तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु किसी भी प्रक्षेपित परिसम्पत्ति अभिवृद्धियों पर विचार नहीं किया है। आयोग अब स्वीकार किये गये अवमूल्यन दावों का सत्यापन करेगा जब वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अंकेक्षित तुलन पत्र के आधार पर सत्यापन बाबत दावे दाखिल किये जाएंगे।

3.104 दिनांक 31.03.2009 की स्थिति में, अन्तिम सकल स्थाई परिसम्पत्ति अर्थात् दिनांक 1 अप्रैल 2009 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति की गणना अंतिम प्रारंभिक तुलन पत्र तथा भूमि की लागत के प्रभाव को विलोपित कर की गई है। इस प्रकार दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के प्रभाव की गणना इस आदेश के अन्तर्गत नहीं की गई है तथा सत्यापन के समय इस पर विचार किया जाएगा।

3.105 वित्तीय वर्ष 10 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा उपभोक्ता अंशदान में पिछले तीन वर्षों में हुई अभिवृद्धि को सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा अंकेक्षित तुलन पत्रों में उपभोक्ता के अंशदान में हुई वृद्वि का औसत माना गया है। ये अभिवृद्धियां दिनांक 12 जून, 2008 को अधिसूचित अन्तिम प्रारंभिक तुलन पत्र के प्रभाव को विलोपित किये जाने के उपरान्त हैं। इस आदेश के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु स्वीकृत अवमूल्यन निम्न तालिका में दर्शाया गया हैं:

तालिका 57 : अवमूल्यन

विवरण	पूर्व क्षेत्र विवि कं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	सम्पूर्ण राज्य
दिनांक 1 अप्रैल, 2009 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	1940.40	1861.09	1988.26	5789.74
जोड़ें : वित्तीय वर्ष 2010 के दौरान की गई वृद्धि	217.99	104.23	228.39	550.62
घटायें : उपभोक्ता का अंशदान	6.79	8.65	5.49	20.93
दिनांक 1 अप्रैल, 2010 की स्थिति में प्रारंभिक सकल स्थाई परिसम्पत्ति	2151.60	1956.66	2211.16	6319.43
अवमूल्यन दर (%में)*	2.44%	2.81%	2.44%	
वित्तीय वर्ष 11 हेतु अनुज्ञेय किया गया अवमूल्यन	**52.50**	**54.98**	**53.95**	**161.43**

**अवमूल्यन दरों का प्रतिशत, वित्तीय वर्ष 10 के टैरिफ आदेश में प्रावधानित अनुसार है क्योंकि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा गणना विनियमों के अनुसार प्रस्तुत नहीं की गई है।*

ब्याज तथा वित्त प्रभार (Interest and Finance Charges)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.106 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि दाखिल की गई ब्याज लागतें, ब्याज तथा वित्त प्रभारों की गणना के अनुसार निम्न विधि पर आधारित हैं :

1. दिनांक 31.5.2005 की स्थिति में प्रावधिक तुलन–पत्र के माध्यम से अन्तरित किये गये मप्रराविमं सामान्य ऋणों का द्विभाजन (bifurcate) उनके तत्संबंधी शीर्षों के अन्तर्गत कर दिया गया है तथा इन्हें भिन्न–भिन्न लेखों के अन्तर्गत पुनः ढाल दिया गया है।
2. ब्याज तथा ऋणों की अदायगी तत्संबंधी ऋणों की तथा ब्याज अदायगी अनुसूची (Repayment Schedule) पर आधारित है।
3. परियोजनाओं के वित्त प्रबंधन में रोकड़ आहरण को प्रतिबिंबित किये जाने की दृष्टि से, नवीन ऋणों में वृद्धियों को पूंजी निवेश योजना के आगे–पीछे (in tandem) माना गया है।

3.107 दाखिल की गई याचिकाओं के विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 58 : ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 11
राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार	
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	10.62
बन्ध पत्रों पर ब्याज प्रभार	1.46
विदेशी मुद्रा ऋणों/क्रेडिट पर ब्याज प्रभार	
ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार	0.1
उपरोक्त का योग (1)	**12.18**
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/ राज्य शासन द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से दीर्घ अविध ऋण/क्रेडिट पर ब्याज	
संरक्षित (Secured)	
एडीबी	
बैंक कमीशन	
पीएफसी–आरटीएल	2.57
पीएफसी–एसटीएल	
हडको	10.69

एडीबी (2324 IND)	0.77
एडीबी (2347 IND)	0.08
भारतीय स्टेट बैंक से ऋण	0.93
आरईसी–आरजीजीवीवाई से ऋण	5.57
आरईसी–जेबीआईसी से ऋण	8.13
मप्रराविमं से सामान्य ऋण (वित्तीय वर्ष 09 में द्विभाजित किये गये)	
नवीन ऋण	
एडीबी	28.56
वैकल्पिक वित्त प्रबंधन (Counter part funding)	9.24
आरएपीडीआरपी–पीएफसी	4.81
आरएपीडीआरपी– II	5.48
अ–संरक्षित (unsecured)	
आरईसी	9.96
एपीडीआरपी ऋण	4.48
पीएमजीवाई ऋण	1.9
एमएनपी ऋण	0.95
नाबार्ड	1.22
बाजार ऋण (मार्केट लोन)	5.18
ईएपी (एडीबी)	2.45
उपरोक्त का योग (2)	97.41
(1) + (2) का योग (ए)	109.59
परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबंधन तथा बैंक प्रभारों की लागत (बी)	–
ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग : (ए) + (बी)=सी	**109.59**
घटायें : पूंजीगत लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार (डी)	50.38
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार का शुद्ध योग (सी) – (डी) = (ई)	**59.21**
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (एफ)	10.53
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (जी)	**45.45**
आधिक्य अतिरिक्त पूंजी पर ऋणों को भारित औसत दर पर ब्याज,यदि कोई हो (एच)	
राजस्व लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभारों का योग (ई+एफ+जी+एच)	**115.2**

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 59: ब्याज लागत **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 11
राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार	
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	20.50
उपरोक्त का योग (1)	**20.50**
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/ राज्य शासन द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से दीर्घ अविध ऋणों /क्रेडिट पर ब्याज	
आरईसी	9.11
पीएफसी	6.39
एडीबी	32.02
आरजीजीवीवाई	1.24
आर–एपीजीआरपी	
जेबीआईसी	4.67
वैकल्पिक वित्त प्रबंधन (counter part funding)	29.49
उपरोक्त का योग (2)	**82.93**
(1) + (2) का योग (ए)	**103.43**
परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबन्धन तथा बैंक प्रभारों की लागत (बी)	5.88
ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग : (ए) + (बी)=सी	**109.30**
घटायें : पूंजीगत लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभार (डी)	59.59
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार का शुद्ध योग (सी) – (डी) = (ई)	**49.71**
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (एफ)	12.69
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (जी)	22.02
राजस्व लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभारों का योग (ई+एफ+जी+एच)	**84.42**

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

तालिका 60 : ब्याज लागत (करोड़ रूपये में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 11
राज्य शासन ऋणों, बन्ध पत्रों तथा अग्रिमों पर ब्याज प्रभार	
राज्य शासन से ऋणों पर ब्याज प्रभार	59.30
बन्ध पत्रों पर ब्याज	17.91
विदेशी मुद्रा ऋणों/क्रेडिट पर ब्याज प्रभार	–

ऋण पत्रों पर ब्याज प्रभार	–
उपरोक्त का योग (1)	**77.21**
वित्तीय संस्थाओं/बैंकों/राज्य शासन द्वारा अनुमोदित संस्थाओं से दीर्घ अविध ऋणों/क्रेडिट पर ब्याज	
आरईसी	8.06
पीएफसी	1.88
एडीबी	7.30
एपीडीआरपी	17.10
नाबार्ड	0.43
पीएमजीवाई	0.29
एमएनपी	0.22
एडीबी II	21.53
आरजीजीवीवाई	1.84
आरएपीडीआरपी	11.58
हडको	15.89
जेबीआईसी	5.29
वैकल्पिक वित्त प्रबंधन (Counter Part funding)	6.54
उपरोक्त का योग (2)	**97.93**
(1) + (2) का योग = (ए)	**175.15**
परियोजना ऋणों पर वित्त प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार की लागत (बी)	
ब्याज तथा वित्त प्रभारों का महायोग : (ए) + (बी) = (सी)	**175.15**
परियोजना ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार का शुद्ध योग (डी)	
कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज तथा वित्त प्रभार (ई)	
उपभोक्ता प्रतिभूति विक्षेप पर ब्याज (एफ)	16.54
आधिक्य अतिरिक्त पूंजी पर ऋणों को भारित औसत दर पर ब्याज,यदि कोई हो	
राजस्व लेखा को प्रभारणीय ब्याज तथा वित्त प्रभारों का योग (सी+डी+ई+एफ)	**191.69**

ब्याज तथा वित्त प्रभारों पर आयोग का विश्लेषण

3.108 मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्ते तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम 2009 केवल उन्हीं ऋणों के ब्याज प्रभारों को अनुज्ञेय करते हैं जिन्हें कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के

माध्यम से लिया गया है तथा जिनसे संबंद्ध पूंजीगत कार्यों पूर्ण कर इनका उपयोग प्रारंभ किया जा चुका हैं।

3.109 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग को उपलब्ध कराये गये अन्तिम लेखे वित्तीय वर्ष 2008–09 से संबंधित हैं। समस्त निर्माणाधीन ऐसे कार्यों हेतु, ऋण के वित्त प्रबंधन से संबंधित ब्याज लागत को निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) माना जाता है जिसे कि पूंजीकृत किया जाएगा तथा परिसम्पत्ति पूंजीकरण के समय इसे परियोजना लागत में जोड़ा जाएगा। ऐसी ब्याज लागत के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के माध्यम से प्रेषण पास–थ्रू (Pass through) किये जाने पर विचार नहीं किया जाता है। इसके पीछे सिद्धांत यह है कि उपभोक्ता से केवल उन संपत्तियों की लागत से संबंधित ब्याज को वहन करने की अपेक्षा की जा सकती है जिनका कि उपभोक्ता उपयोग कर रहा है। उपभोक्ताओं द्वारा निर्माणाधीन परिसम्पत्तियों का उपयोग नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निर्माण के अन्तर्गत वहन की गई ब्याज लागत, प्रगति पर निर्माण कार्यों (CWIP) का एक भाग बन जाती है, अतएव इसे विद्युत दरों के माध्यम से वसूली हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाता है।

3.110 आयोग के संज्ञान में है कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा कुछ पूंजीगत कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 तथा वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान पूर्ण कर लिये जाएंगे जिन्हें कि पूंजीकृत कर परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। परन्तु, जैसा कि पूंजीकरण संबंधी भाग में स्पष्ट किया गया है, अनुज्ञप्तिधारियों का परिसम्पत्तियों के पूंजीकरण के संबंध में प्रदर्शन उसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के लिये किये गये परिसम्पत्ति अभिवृद्धि हेतु किये गये प्राक्कलनों से काफी कम है। अतः, आयोग वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु संभावित पूंजीकरण पर विचार किया जाना उचित नहीं मानता परंतु वह केवल उसी दशा में ऐसी परिसम्पत्तियों को आरोपणीय ब्याज व्ययों पर विचार करेगा जब ऐसी परिसम्पत्तियों को परिसम्पत्ति आधार में जोड़ दिया जाएगा। यह अनुज्ञप्तिधारियों को, इस प्रकार से, कार्यों को पूर्ण किये जाने में गति लाये जाने तथा परिसम्पत्तियों को प्रगति पर निर्माण कार्यों से सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के त्वरित तथा दक्ष अन्तरण को सुनिश्चित किये जाने बाबत उनकी लेखांकन प्रक्रियाओं में सुधार लाये जाने हेतु प्रोत्साहित करेगा।

3.111 अतः आयोग ने वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, उसी मार्ग के अनुसरण करने का निर्णय लिया है जो उसके द्वारा उसके पूर्व के टैरिफ आदेशों (वित्तीय वर्ष 2006–07, वित्तीय वर्ष 2007–08, वित्तीय वर्ष 2008–09 तथा वित्तीय वर्ष 2009–10) में अपनाया गया था जिससे कि राजस्व लेखे को प्रभारणीय ब्याज के लागत की गणना की जा सके। इसमें सकल स्थाई परिसम्पत्तियों तथा प्रगति पर निर्माण कार्यों के आवंटन, जैसा कि वे वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित तुलन–पत्र से उपलब्ध हैं, का ऋण तथा पूंजी (इक्विटी) में आवंटन किया जाना सन्निहित है। इसका निष्पादन निम्न विधि द्वारा किया गया है :

(अ) वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के सकल योग की गणना अंतिम प्रारंभिक तुलन–पत्र के प्रभाव को हटाकर कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के योग से तुलन–पत्र से उपलब्ध उपभोक्ता अंशदान राशि को घटा कर की गई है।

(ब) वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, सकल स्थाई परिसम्पत्ति के 30 प्रतिशत का पोषण वित्तीय व्यवस्था पूंजी के माध्यम से, सकल स्थाई परिसम्पत्ति हेतु शुद्ध वृद्धि के शेष को ऋण के माध्यम से पोषण किया गया माना गया है तथा वित्तीय वर्ष 2007–08 के अन्त में वित्तीय वर्ष 2007–08 के टैरिफ सत्यापन आदेश अनुसार इसे सकल स्थाई परिसम्पत्तियों को कुल ऋण में जोड़ कर विचार किया गया है।

(स) तत्पश्चात्, ऋणों की अदायगी को उपरोक्तानुसार की गई गणना के अनुसार पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित कुल ऋण में से घटाया गया है। वास्तविक भुगतान वित्तीय वर्ष 2008–09 के अंकेक्षित तुलन–पत्र में से माने गये हैं।

(द) वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान परिसम्पत्ति में वृद्धि तथा ऋण अदायगी की गणना अंकेक्षित तुलन पत्रों से पिछले तीन वर्षों में की गई वृद्धि तथा ऋण अदायगी के औसत से की गई है। ऐसा माना गया है कि की गई वृद्धियों का वित्तीय प्रबन्धन 70% ऋण तथा 30% पूंजी के माध्यम से किया गया है। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ऋण के भारित औसत (weighted-average) पर विचार किया गया है जैसा कि इसे अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा ऋणों पर ब्याज लागत पर विचार किये जाने हेतु दायर किया गया है।

3.112 वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु, वित्तीय प्रबंधन की लागत तथा बैंक प्रभार, जैसा कि इन्हें तीन विद्युत वितरण कंपनियों के तुलन–पत्रों में दर्शाया गया है, पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 1.93 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु रू. 4.86 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 3.39 करोड़ हैं। अतएव वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार निम्नानुसार हैं :

तालिका 61 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय किये गये ब्याज तथा वित्त प्रभार

(राशि करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेत्र विविकं.	पश्चिम क्षेत्र विविकं.	मध्य क्षेत्र विविकं.	संपूर्ण राज्य
वर्ष 2007–08 के सत्यापन आदेश के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित किये गये ऋण	164.82	200.95	256.14	621.91
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई	206.48	37.81	206.35	450.64

परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है				
ऋण की अदायगी	56.17	74.15	54.78	185.10
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से संबद्ध कुल ऋण	315.14	164.61	407.70	887.45
वित्तीय वर्ष 10 हेतु ब्याज लागत				
दिनांक 31 मार्च, 2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित ऋण	315.14	164.61	407.70	887.45
उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि का शुद्ध सकल स्थाई परिसम्पत्ति में वृद्धि का 70%, जिसे ऋण के माध्यम से निधिबद्ध (funded) किया गया माना गया है	147.84	66.90	156.04	370.78
ऋण की अदायगी	64.22	86.05	64.58	
दिनांक 31 मार्च, 2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से संबंधित कुल ऋण	398.76	145.46	499.16	1043.38
ब्याज की भारित औसत दर (%में) (परियोजनों ऋणों पर ब्याज के अनुसार)	9.78%	10.22%	10.12%	
परियोजना ऋणों पर ब्याज	39.00	14.87	50.51	104.38
अन्य प्रभार (वित्तीय वर्ष 09 के तुलन–पत्र के अनुसार)	1.93	4.86	3.39	10.18
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु ब्याज लागत	**40.93**	**19.72**	**53.90**	**114.56**

कार्यकारी पूंजी (वर्किंग कैपिटल) पर ब्याज

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.113 अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि उनके द्वारा कार्यकारी पूंजी का अनुमान विनियमों के अनुसार मानदण्डों के आधार पर किया गया है। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की गणना हेतु पूर्व तथा पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु ब्याज दर 13.75% तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु ब्याज दर 12.25% मानी गई है। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत किये गये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 62 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 10–11
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग(1/6)	17.87
बी)	प्रचालन एवं संधारण व्यय	
	मरम्मत तथा संधारण व्यय	43.35
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	92.00
	कर्मचारी व्यय	569.60
बी i)	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	704.95
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	58.75
सी	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों हेतु वार्षिक राजस्व	
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	76.62
	ए+बी (ii) + सी (ii)	
इ)	ब्याज दर	13.75%
एफ)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	10.53

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 63 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 10–11
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग (1/6)	38.95
बी)	प्रचालन एवं संधारण व्यय	
	मरम्मत तथा संधारण व्यय	54.95
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	78.16
	कर्मचारी व्यय	506.79
बी i)	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	639.90
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	53.33
सी	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों हेतु वार्षिक राजस्व	
सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	92.27
	ए+बी (ii) + सी (ii)	
इ)	ब्याज दर	13.75%
एफ)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	12.69

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 64 : कार्यकारी पूंजी पर ब्याज **(करोड़ रूपये में)**

सरल क्रमांक	विवरण	वित्तीय वर्ष 10–11
ए)	पूर्व वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां भाग (1/6)	24.56
बी)	प्रचालन एवं संधारण व्यय	
	मरम्मत तथा संधारण व्यय	58.03
	प्रशासनिक तथा सामान्य व्यय	0.95
	कर्मचारी व्यय	553.39
बी i)	प्रचालन एवं संधारण व्ययों का योग	612.36
बी ii)	योग का बारहवां (1/12) भाग	51.03
सी	प्राप्तियां	
सी i)	चक्रण प्रभारों हेतु वार्षिक राजस्व	

सी ii)	चक्रण प्रभारों के दो माह की औसत बिलिंग राशि के बराबर प्राप्तियां	
डी)	कुल कार्यकारी पूंजी	75.59
	ए+बी (ii) + सी (ii)	
इ)	ब्याज दर	12.75%
एफ)	कार्यकारी पूंजी पर ब्याज	9.64

कार्यकारी पूंजी के ब्याज पर आयोग का विश्लेषण

3.114 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है कि कार्यकारी पूंजी में वे ही व्यय सम्मिलित होंगे जिनकी विद्युत प्रदाय गतिविधि तथा चक्रण गतिविधि हेतु आवश्यकता होती है। इन दोनों गतिविधियों के लिये मानदण्ड पृथक–पृथक विनिर्दिष्ट किये गये हैं। कार्यकारी पूंजी पर ब्याज की दर सुसंबद्ध वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को लागू भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर के (Advance Rate) बराबर होगी।

3.115 अंकेक्षित तुलन–पत्र के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2008–09 के अन्त की स्थिति में सकल खण्ड (ग्रास ब्लाक) की राशि, अन्तिम तुलन पत्र के प्रभाव को हटा कर, रू. 1942.01 करोड़ (पूर्व क्षेविविकं हेतु) रू. 1866.04 करोड़ (पश्चिम क्षेविविकं हेतु), तथा रू. 1988.26 करोड़ (मध्य क्षेविविकं हेतु) थी। इस राशि के एक प्रतिशत की गणना, दो माह हेतु आनुपातिक किये गये अनुसार पूर्व क्षेविविकं हेतु रू. 3.24 करोड़, पश्चिम क्षेविविकं हेतु, रू. 3.11 करोड़ तथा मध्य क्षेविविकं हेतु रू. 3.31 करोड़ होगी। इसे चक्रण गतिविधि तथा विद्युत प्रदाय गतिविधि हेतु, सामग्री आवश्यकता (Inventory Requirement) माना गया है जिसे कि तत्पश्चात् चक्रण तथा प्रदाय सामग्री हेतु, क्रमशः 80 : 20 के अनुपात में विभाजित किया गया है जैसा कि इसे पूर्व विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश में अपनाया गया था। उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज को 'उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज' संबंधी भाग में की गई चर्चानुसार माना गया है। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई राशि हेतु, कार्यकारी पूंजी के अन्य घटकों के मूल्यों की पुनर्गणना इस आदेश के सुसंगत भाग में की गई है।

3.116 आयोग अपने पूर्व के टैरिफ आदेशों के अंतर्गत चक्रण तथा खुदरा गतिविधि हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज पृथक–पृथक अनुज्ञेय करता आ रहा है। तथापि, वर्ष 2006–07 तथा 2007–08 के सत्यापन अभ्यास के अन्तर्गत यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधि के विवरणों का पृथक्करण नहीं किया जा सका है। इसके अतिरिक्त, चूंकि

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दोनों गतिविधियां साथ–साथ निष्पादित की जाती हैं, अतएव उपलब्ध संसाधन दोनों हेतु सांझे होते हैं। अतएव, आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा गतिविधियों हेतु कार्यकारी पूंजी आवश्यकता संयोजित मानी गई है।

3.117 आयोग के विनियम अनुज्ञप्तिधारी को कार्यकारी पूंजी पर ब्याज को सुसंगत वर्ष की दिनांक 1 अप्रैल को भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर के बराबर दर को अनुज्ञेय करते हैं। भारतीय स्टेट बैंक की अग्रिम दर वर्तमान में 11.75% है। अतः, आयोग के मानदण्डों का अनुसरण करते हुए, अनुज्ञप्तिधारियों हेतु कार्यकारी पूंजी पर ब्याज दर 11.75% तक ही सीमित रखी जाएगी। आयोग द्वारा चक्रण तथा खुदरा विक्रय की संयोजित की गई गतिविधि हेतु अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज निम्न तालिका में दर्शाया गया है :

तालिका 65 : आयोग द्वारा अनुज्ञेय किया गया कार्यकारी पूंजी पर ब्याज (करोड़ रूपये में)

विवरण	माह संख्या	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.
चक्रण				
पिछले वर्ष हेतु, सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां (1/6) भाग	2	2.59	2.49	2.65
संचालन तथा संधारण व्ययों का बारहवां भाग (1/12)	1	47.22	43.81	43.19
कुल कार्यकारी पूंजी आवश्यकता–चक्रण गतिविधि हेतु		49.81	46.30	45.84
ब्याज दर (%में)		11.75%	11.75%	11.75%
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण गतिविधि हेतु		**5.85**	**5.44**	**5.39**
खुदरा				
पिछले वर्ष हेतु सामग्री (इन्वेंटरी) की वार्षिक आवश्यकता का छटवां (1/6) भाग	2	0.65	0.62	0.66
दो माह की औसत बिलिंग के बराबर प्राप्ति योग्य राशियां*	2	467.21	603.74	510.43
घटायें : विद्युत क्रय व्ययों का बारहवां (1/12) भाग	1	-184.29	-279.51	-224.85
घटायें : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप		-417.42	-575.79	-475.74
कुल कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता (करोड़ रूपये में)		-133.86	-250.94	-189.50
ब्याज दर		11.75%	11.75%	11.75%
कार्यकारी पूंजी आवश्यकता पर कुल ब्याज–चक्रण		5.85	5.44	5.39
कार्यकारी पूंजी आवश्यकता पर कुल ब्याज–खुदरा		-15.73	-29.49	-22.27
कार्यकारी पूंजी पर शुद्ध ब्याज		-9.88	-24.05	-16.88
कार्यकारी पूंजी पर अनुज्ञेय किया गया कुल ब्याज		**0.00**	**0.00**	**0.00**

उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज (Interest on Consumer Security Deposits)

अनुज्ञप्तिधारियों की प्रस्तुतिकरण तथा आयोग का विश्लेषण

3.118 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 10–11 हेतु उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर निम्न दावे प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग द्वारा अकेक्षित तुलन पत्रों के विवरणों के अवलोकन से यह पाया गया है कि उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर वार्षिक ब्याज का निर्गमन धारित की गई प्रतिभूति निक्षेप की मात्रा तथा पूर्व में अनुज्ञेय की गई ब्याज लागत के अनुरूप नहीं है। पूर्व के विद्युत–दर (टैरिफ) आदेशों के अन्तर्गत अपनाई गई कार्य पद्धति के अनुसार, चालू विद्युत दर के अनुसार प्रक्षेपित मासिक राजस्व पर प्रतिभूति निक्षेप की मानी गई मात्रा की गणना करना तथा तत्पश्चात इसके अनुरूप ब्याज राशि को अनुज्ञेय करना रहा है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अनुज्ञेय किये गये ब्याज से कम राशि का भुगतान किया जा रहा है तथा संभावित कारण यह भी हो सकता है कि धारित प्रतिभूति निक्षेप की राशि स्थाई रूप से संयोजनों के विच्छेद उपरान्त अथवा भुगतान मे चूक किये जाने के कारण न तो इसका समायोजन किया जाता हे तथा न ही ऐसे प्रकरणों में ब्याज का भुगतान किया जाता है। आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई याचिकाओं का सूक्ष्म परीक्षण किया गया है तथा इन्हें युक्तियुक्त पाया गया है। आयोग द्वारा तद्नुसार उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज, अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दायर किये गये अनुसार स्वीकार किया गया है, जिसे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किया गया है :

तलिका 66 : उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज **(राशि करोड़ रूपये में)**

कम्पनी का नाम	वित्तीय वर्ष –11
पूर्व क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	**45.45**
पश्चिम क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	**22.02**
मध्य क्षेत्र विद्युत विवरण कम्पनी	**16.54**
योग	**84.01**

पूंजी पर प्रतिलाभ (Return on Equity)

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.119 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा निवेदन किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना विनियमों के अनुसार की गई है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये दावे निम्नानुसार तालिकाबद्ध किये गये हैं :

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 67 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11
वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,175.86
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम निधिबद्ध (funded) किया गया है	652.76
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम निधिबद्ध (funded) किया गया है	1,523.10
पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि) (अ)	797.30
पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	327.64
परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग	474.59
मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (अ का 30%)	239.19
मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (अ का 70%)	558.11
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी	88.45
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी	(83.53)
प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (ब)	772.35
पूंजी पर प्रतिलाभ (ब का 16%)	123.58

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 68 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11
वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,568.12
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम निधिबद्ध (funded) किया गया है	770.44
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम निधिबद्ध (funded)	1,797.69

किया गया है	
पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि) (अ)	743.11
पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	25.50
परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग	717.61
मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (अ का 30%)	222.93
मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (अ का 70%)	520.18
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी	-197.43
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी	197.43
प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (ब)	783.19
पूंजी पर प्रतिलाभ (ब का 16%)	125.31

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी

तालिका 69 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(करोड़ रूपये में)**

विवरण	वित्तीय वर्ष 2010–11
वर्ष के प्रारंभ में कुल सकल स्थाई परिसम्पत्तियां, (उपभोक्ताओं के अंशदान की सकल राशि)	2,707.08
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें पूंजी के माध्यम निधिबद्ध (funded) किया गया है	812.12
चिन्हांकित सकल स्थाई परिसम्पत्तियां जिन्हें ऋण के माध्यम निधिबद्ध (funded) किया गया है	1,894.95
पूंजी निवेश योजना के अनुसार परिसम्पत्तियों का प्रस्तावित पूंजीकरण (उपभोक्ता अंशदान की शुद्ध राशि) (अ)	924.53
पूंजी (इक्विटी) व आन्तरिक संचिति में से पूंजीकृत की गई परिसम्पत्तियों का भाग	0.00
परियोजना ऋणों से निधिबद्ध की गई पूंजीगत परिसम्पत्तियों का अवशेष भाग	924.53
मानदण्डीय अतिरिक्त पूंजी (अ का 30%)	277.36
मानदण्डीय अतिरिक्त ऋण (अ का 70%)	647.17
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त पूंजी में आधिक्य/कमी	-277.36
मानदण्ड से अधिक अतिरिक्त ऋण में आधिक्य/कमी	277.36
प्रतिलाभ हेतु अर्हता रखने वाली पूंजी (ब)	2,707.08
पूंजी पर प्रतिलाभ (ब का 16%)	433.13

आयोग का पूंजी पर प्रतिलाभ पर विश्लेषण (ROE)

3.120 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में प्रावधान किया गया है कि पूंजी पर प्रतिलाभ की गणना पूर्व कर (Pre Tax) आधार पर 16% की दर से की जाएगी। इस आदेश का ब्याज तथा वित्त प्रभारों संबंधी भाग स्पष्ट रूप से ऋण तथा पूंजी को पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों से चिन्हित किये जाने की प्रक्रिया की व्याख्या करता है। यह प्रक्रिया वित्तीय वर्ष 2009–10 के अन्त की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों के साथ चिन्हित की गई कुल पूंजी में परिणत होती है। इसे निम्न तालिका में प्रदर्शित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता हेतु, अनुज्ञेय किये गये पूंजी पर प्रतिलाभ का अवधारण, तत्पश्चात्, आयोग द्वारा निर्दिष्ट की गई 16% दर के अनुसार चिन्हित की गई कुल पूंजी पर, जैसा कि इसे सकल स्थाई परिसम्पत्ति को आवंटित किया गया है, को प्रयोज्य कर किया जाता है। आयोग के संज्ञान में है कि वित्तीय वर्ष 2010–11 की अवधि के दौरान, परिसम्पत्तियों के सृजन के प्रयोजन हेतु, वितरण व्यापार में अतिरिक्त पूंजी का निवेश किया जाएगा, जिससे कि पूर्ण की गई परिसम्पत्तियों को आवंटित की गई पूंजी (इक्विटी) की राशि में अभिवृद्धि होगी। यदि इसे अंकेक्षित लेखे के समर्थन के साथ प्रस्तुत किया जाए तो भविष्य में इसे अनुज्ञप्तिधारियों की सत्यापन याचिकाओं में अनज्ञेय किया जा सकेगा।

तालिका 70 : पूंजी पर प्रतिलाभ **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेत्र	पश्चिम क्षेत्र	मध्य क्षेत्र	योग
दिनांक 31.3.2008 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित की गई पूंजी	428.35	530.20	433.14	1391.69
वित्तीय वर्ष 08–09 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में 30% की अभिवृद्धि, उपभोक्ता अंशदान की सकल राशि, जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है।	88.49	16.20	88.43	193.13
दिनांक 31.3.2009 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्ति से चिन्हांकित की गई कुल पूंजी	516.84	546.40	521.57	1584.82
वित्तीय वर्ष 09–10 के दौरान सकल स्थाई परिसम्पत्ति में 30% की अभिवृद्धि, उपभोक्ता अंशदान की सकल राशि, जिसे पूंजी के माध्यम से निधिबद्ध किया गया माना गया है।	63.36	28.67	66.87	158.91
दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में सकल स्थाई परिसम्पत्तियों से चिन्हांकित की गई कुल पूंजी	580.20	575.08	588.45	1743.73
दिनांक 31.3.2010 की स्थिति में पूंजी पर प्रतिलाभ, पूंजी पर 16 प्रतिशत की दर से	92.83	92.01	94.15	279.00

सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकताओं (एआरआर) की अन्य मदें

3.121 उपरोक्त चर्चित व्ययों के घटकों के अतिरिक्त, कुछ अन्य मदें भी हैं जो सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का भाग बनती हैं। इनमें शामिल हैं, डूबन्त ऋण, अन्य विविध व्यय, कोई पूर्व अवधि व्यय/आकलन (क्रेडिट्स) तथा अन्य (गैर–टैरिफ) आय। इनका विश्लेषण निम्न अनुच्छेदों में किया गया है:

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.122 विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा डूबन्त ऋणों के संबंध में दावा कुल विक्रय राजस्व के 1% की दर से निम्नानुसार किया गया है :

तालिका 71 : दावा/दायर किये गये डूबन्त ऋण **(राशि करोड़ रूपये में)**

कंपनी का नाम	वित्तीय वर्ष 11
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	27.80
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	148.06
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	185.67

डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में आयोग का विश्लेषण

3.123 मप्र विद्युत नियामक आयोग (विद्युत प्रदाय व चक्रण के टैरिफ अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत) विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है कि डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण उक्त सीमा तक अनुज्ञेय किये जा सकेंगे जिसके अंतर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वास्तविक रूप से इनका अपलेखन किया गया है जो कि वार्षिक राजस्व राशि की 1% उच्चतम सीमा के अध्यधीन होगा। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2007–08 का सत्यापन करते समय यह पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा **डूबन्त ऋणों का वास्तविक अपलेखन** मात्र रू. 1.26 करोड़ की राशि हेतु ही किया गया है। विनियमों में विनिर्दिष्ट किया गया है। कि वास्तविक रूप से अपलेखित डूबन्त ऋणों की राशि वार्षिक राजस्व के अधिकतम 1% के अध्यधीन होगी। अनुज्ञप्तिधारियों का डूबन्त तथा संदिग्ध ऋणों के संबंध में किया गया दावा काफी अधिक राशि का है यदि इस राशि की तुलना पूर्व में अपलेखित की गई अल्प राशि से की जाए। अतएव आयोग उचित समझता है कि इस संबंध में कोई भी प्रावधान न किया जाए तथा वास्तविक रूप से अपलेखित की गई किसी राशि पर विचार सत्यापन के समय ही किया जाएगा।

अन्य विविध व्यय

3.124 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु इस शीर्ष के अंतर्गत किसी अन्य व्यय का पूर्वानुमान नहीं किया गया है जिसे कि आयोग स्वीकार करता है।

अन्य आय

अनुज्ञप्तिधारियों का प्रस्तुतिकरण

3.125 मद अन्य आय के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने रू. 22.75 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने रू. 98.01 करोड़, तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ने रू. 21.13 करोड़, की राशि दाखिल की है। इन राशियों में अन्य राशियों के साथ–साथ उपभोक्ताओं से मीटर भाड़े की वसूली, विद्युत चोरी से वसूली तथा उपभोक्ताओं से प्राप्त विविध प्रभार भी सम्मिलित हैं।

3.126 विद्युत वितरण कम्पनियों की वित्तीय वर्ष 2008–09 के तुलन पत्र के सूक्ष्म परीक्षण से ज्ञात होता है कि अन्य आय की अनुसूची के अनुसार जो विविध प्राप्तियां, ब्याज तथा अन्य मदें आदि प्रदर्शित करती है तथा विद्युत के विक्रय से राजस्व की अनुसूची, जो मीटर के किराये तथा विविध प्रभारों तथा अन्य मदों, आदि से आय प्रदर्शित करती है, अन्य आय की कुल राशि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी से लगभग रू. 42 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से लगभग 84 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी से लगभग रू. 50 करोड़ है। आयोग द्वारा हाल ही में व्ययों तथा अन्य प्रभारों से वसूली के संबंध में विनियमों को अन्तिम रूप दिया है जिसमें विद्युत प्रदाय हेतु मीटर का किराया भी सम्मिलित है जिससे अन्य आय में और अधिक वृद्धि होने की भी संभावना है। अतएव, वित्तीय वर्ष 2007–08 के उपरांत वर्ष 2008–09 से वर्ष 2009–10 तक के वर्षों हेतु संभावित वृद्धि पर विचार करते हुए आयोग द्वारा अन्य प्रक्षेपित आय पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु रू. 80 करोड़, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी हेतु रू. 100 करोड़ तथा मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी हेतु रू. 80 करोड़ है। वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान अन्य वास्तविक आय का सत्यापन वित्तीय वर्ष 2010–11 के सत्यापन के समय किया जाएगा।

3.127 निम्न तालिका अन्य आय के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दाखिल की गई राशि तथा आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि प्रदर्शित करती है :

तालिका 72 : अन्य आय (राशि करोड़ रूपये में)

विधुत वितरण कंपनी का नाम	दाखिल की गई राशि	आयोग द्वारा स्वीकार की गई राशि
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	22.75	80.00
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	98.01	100.00
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	21.13	80.00
योग	**141.89**	**260.00**

अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (एआरआर) का चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि के मध्य पृथक्करण

3.128 विनियमों में प्रावधान किया गया है कि वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तीन भागों में दायर की जाएगी, यथा, विद्युत क्रय गतिविधि हेतु, चक्रण (वितरण) गतिविधि हेतु, तथा खुदरा विक्रय गतिविधि हेतु। विनियमों में स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) की मदें पृथक से सूचीबद्ध की गई हैं जिन्हें कि चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधि में सम्मिलित किया जाना चाहिए। कुल विद्युत वितरण व्ययों को चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के मध्य पृथक्करण का उद्देश्य चक्रण प्रभारों को संस्थापित करना है जिनकी वसूली खुली पहुंच उपभोक्ताओं से की जाएगी।

3.129 अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा आयोग के विनियमों का पालन उक्त सीमा तक किया गया है कि यह उनके द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के पृथक्कृत किये गये विद्युत क्रय, चक्रण गतिविधि तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों के व्ययों हेतु दायर किये गये अनुसार है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा केवल कार्यकारी पूंजी पर मानदण्डीय ब्याज, डूबन्त ऋणों हेतु प्रावधान तथा उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज को खुदरा विक्रय गतिविधि के अंतर्गत माना है। अन्य समस्त मदें पूर्णरूपेण चक्रण गतिविधि का भाग मानी गई हैं।

3.130 अतएव, इस टैरिफ आदेश के प्रयोजन हेतु, आयोग स्थाई लागतों (अर्थात्, विद्युत क्रय को छोड़कर) का आवंटन निम्न विधि अनुसार करता है :

चक्रण गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) संचालन तथा संधारण व्यय

(बी) अवमूल्यन

(सी) परियोजना ऋणों पर ब्याज

(डी) कार्यकारी पूंजीगत ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, चक्रण गतिविधि

के लिये

(ई) पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)

(एफ) अन्य विविध व्यय

(जी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

खुदरा विक्रय गतिविधि में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :

(ए) कार्यकारी पूंजी ऋणों पर ब्याज–मानदण्डीय कार्यकारी पूंजी हेतु, खुदरा विक्रय गतिविधि के लिये

(बी) उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेपों पर ब्याज

(सी) डूबन्त तथा संदिग्ध ऋण

(डी) घटायें : आय, जिसकी गणना पूर्व भाग में की गई है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

3.131 उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों की चक्रण तथा खुदरा विक्रय गतिविधियों हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता निम्नानुसार अनुमोदित की जाती है :

तालिका 73 : वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुज्ञेय की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता

(करोड़ रूपये में)

विवरण	पूर्व क्षेविविकं.	पश्चिम क्षेविविकं.	मध्य क्षेविविकं.	योग
(ए) विद्युत क्रय, पारेषण प्रभारों को सम्मिलित करते हुए	2211.51	3354.12	2698.2	8263.83
चक्रण गतिविधि :				
प्रचालन तथा संधारण व्यय	566.61	525.77	518.29	1610.67
अवमूल्यन	52.5	54.98	53.95	161.43
परियोजना ऋणों पर ब्याज	40.93	19.72	53.9	114.56
पूंजी पर प्रतिलाभ (रिटर्न ऑन इक्विटी)	92.83	92.01	94.15	279.00
कार्यकारी पूंजी पर ब्याज–चक्रण	0	0	0	0
म.प्र. विद्युत नियामक आयोग शुल्क	0.53	0.68	0.6	1.81
(बी) उप–योग–वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु, अनुमोदित की गई चक्रण सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	753.4	693.16	720.89	2167.47
खुदरा विक्रय गतिविधिः				

डूबन्त ऋण	0	0	0	0
उपभोक्ता प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज	45.45	22.02	16.54	84.01
अन्य आय – खुदरा	-80	-100	-80	-260
(सी) उप–योग–वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित की गई खुदरा वार्षिक राजस्व आवश्यकता	-34.55	-77.98	-63.46	-175.99
महायोग–वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता (ए+बी+सी)	2930.360	3969.300	3355.63	10255.3

पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व

3.132 वित्तीय वर्ष 2010–11 की अनुमोदित विद्युत–दरों (टैरिफ) के अनुसार उपभोक्ता श्रेणीवार राजस्व निम्न तालिका में प्रस्तुत किया गया है।

तालिका 74 : वित्तीय वर्ष 2010–11 में पुनरीक्षित विद्युत–दरों (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति

उपभोक्ता श्रेणी	वित्तीय वर्ष 2010–11							
	पूर्व क्षेविविकं		पश्चिम क्षेविविकं		मध्य क्षेविविकं		सम्पूर्ण राज्य	
	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये में)	विक्रय (मिलियन यूनिट में)	राजस्व राशि (करोड़ रूपये)
निम्न दाब								
एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता	1803	707	2103	843	2277	923	6183	2473
एलवी–2 : गैर–घरेलू	349	204	521	308	525	305	1396	817
एलवी–3 : सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	198	76	175	68	207	79	580	222
एलवी–4 : औद्योगिक	218	111	379	199	173	93	770	402
एलवी–5.1 : सिंचाई हेतु कृषि पम्प	1648	517	3094	958	2483	771	7225	2245
एलवी–5.2 : ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि संबंधी उपयोग		0	17	6	12	4	29	11
विक्रित निम्न दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**4216**	**1615**	**6289**	**2382**	**5677**	**2174**	**16182**	6171
उच्च दाब								0
एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	458	241	388	203	713	379	1559	824
एचवी–2: कोयला खदाने (कोल माईन्स)	523	283	0	0	34	21	557	304
एचवी–3.1 : औद्योगिक	1017	529	2066	1061	1179	589	4262	2179
एचवी–3.2 : गैर औद्योगिक	143	78	317	165	248	133	708	375
एचवी–4: मौसमी (सीजनल)	3	3	15	9	2	1	20	12
एचवी–5.1 : सिचाई	54	23	193	76	79	32	326	131
एचवी–5.2 : सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र	9	4	15	6	7	3	31	13

एचवी–6 : थोक आवासीय तथा गैर आवासीय प्रयोक्ता	317	134	45	19	72	31	435	184
एचवी–7: छूट प्राप्त प्रदायकर्ताओं को विद्युत प्रदाय	492	190	198	68	75	27	765	285
विक्रित उच्च दाब यूनिट (मिलियन यूनिट)	**3016**	**1484**	**3238**	**1606**	**2409**	**1217**	**8663**	**4307**
महायोग विक्रित यूनिट (निम्न दाब+ उच्च दाब) (मिलियन यूनिट में)	**7232**	**3099**	**9527**	**3987**	**8087**	**3391**	**24845**	**10478**

नवीन विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर/आधिक्य

3.133 वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वितरण तथा खुदरा विद्युत प्रदाय विद्युत दर के सत्यापन पर विचार करते हुए आयोग द्वारा अनुमानित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत दर राजस्व की प्राप्ति निम्न तालिका में प्रदर्शित की गई है :

तालिका 75 : अन्तिम सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा पुनरीक्षित विद्युत–दर (टैरिफ) से राजस्व की प्राप्ति **(राशि करोड़ रूपये में)**

विवरण	पूर्व क्षेविविकं	पश्चिम क्षेविविकं	मध्य क्षेविविकं	सम्पूर्ण राज्य
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु कुल सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**2930.36**	**3969.31**	**3355.64**	**10255.31**
वित्तीय वर्ष 08 हेतु सत्यापन (विद्युत वितरण कम्पनियों के)	**171.79**	**16.12**	**35.19**	**223.10**
वित्तीय वर्ष 2010–11 हेंतु अनुमोदित की गई सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता	**3102.152**	**3985.425**	**3390.828**	**104787.41**
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) पर राजस्व	**2798.299**	**3610.875**	**3059.926**	**9469.1**
चालू विद्युत–दरों (टैरिफ) पर अन्तर	**-303.853**	**-374.5503**	**-330.9021**	**-1009.31**
नवीन विद्युत–दरों पर राजस्व की प्राप्ति	**3099.4**	**3987.4**	**3391.0**	**10477.8**
अन्तिम अंतर/आधिक्य (करोड़ रूपयें में)	**-2.73**	**1.96**	**0.19**	**-0.57**

ए–4 : सार्वजनिक आपत्तियां तथा अनुज्ञप्तिधारियों की याचिकाओं पर टिप्पणियां

4.1 तीन विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विचारार्थ प्रस्तुत किये गये सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा विद्युत–दर प्रस्तावों को इन्हें स्वीकृति प्रदान किये जाने के उपरान्त, आयोग द्वारा याचिकाकर्ताओं को विभिन्न हितधारकों से उनकी टिप्पणियां/आपत्तियां/सुझावों को आमंत्रित किये बाबत उनके टैरिफ आवेदनों तथा प्रस्तावों की संक्षेपिका प्रकाशित किये जाने हेतु निर्देश दिये गये जिसके लिये अन्तिम तिथि दिनांक 23.3.2010 निर्धारित की गई। आयोग द्वारा टैरिफ रूपांकन तथा संबंधित विषयों पर एक अवधारणा पत्र (Approach Paper) भी जारी किया गया तथा समस्त हितधारकों से उनकी टिप्पणियां दिनांक 25.3.2010 तक आमंत्रित की गईं। आयोग द्वारा सार्वजनिक सुनवाईयों की तिथि से पूर्व प्राप्त की गई समस्त टिप्पणियों पर विचार किया गया है। उन व्यक्तियों तथा संस्थाओं की सूची जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों की सम्पूर्ण आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों तथा आयोग के अवधारणा पत्र पर टिप्पणियां/आपत्तियां दाखिल की गई थी, परिशिष्ट–1 पर संलग्न की गई हैं।

4.2 इन्दौर, जबलपुर तथा भोपाल में आयोजित की गई जन सुनवाईयों के दौरान समस्त प्रतिवादियों को उनके सुझावों/आपत्तियों को व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किये जाने का अवसर भी प्रदान किया गया। आयोग द्वारा हितधारकों से प्राप्त की गई टिप्पणियों पर विद्युत कम्पनियों की प्रतिक्रिया भी चाही गई थी। कुछ प्रतिवादियों द्वारा जन–सुनवाई के उपरांत उनके द्वारा पूर्व में की गई प्रस्तुतियों पर विद्युत वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया पर पुनः टिप्पणियां प्रस्तुत की गईं। ऐसी टिप्पणियों पर भी आयोग द्वारा पुनः विचार किया गया है। तथापि, विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्ततिकरण पर पुनः जन–सुनवाई आयोजित किये जाने को, जैसा कि इसके संबंध में कुछ प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया था, संभव नहीं पाया गया। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों तथा अवधारणा पत्र पर प्राप्त की गई टिप्पणियां निम्न तालिका में दर्शाई गई है :

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	प्राप्त की गई टिप्पणियों की संख्या		महायोग
		वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों पर	अवधारणा पत्र पर	
1	पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी	28	1	29
2	पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	468	16	484
3	मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी	35	12	47
योग		**531**	**29**	**560**

4.3 आयोग द्वारा प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी मुख्यालय पर निम्न कार्यक्रम के अनुसार जनसुनवाई आयोजित की गईं :

सरल क्रमांक	विद्युत वितरण कंपनी का नाम	जन–सुनवाई का निर्धारित स्थान	जन–सुनवाई की निर्धारित तिथि
1	म.प्र. पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड इन्दौर	सन्तोष सभागृह, फिल्म भवन, रानी सती गेट के पास, यशवन्त निवास, मार्ग, इंदौर	5 अप्रैल, 2010,
2	मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, लिमिटेड जबलपुर	''तरंग आडिटोरियम'', शक्ति भवन, रामपुर, जबलपुर	7 अप्रैल, 2010,
3	म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, भोपाल	आडिटोरियम, प्रशासनिक अकादमी, 1100 क्वार्टर, भोपाल	8 अप्रैल, 2010,

4.4 आयोग द्वारा गैर–शासकीय संस्थाओं (एन.जी.ओ.) हेतु भी सुनवाई आयोग के पांचवें तल, मेट्रो प्लाजा, बिट्टन मार्केट, भोपाल के 'सुनवाई कक्ष' में दिनांक 9 अप्रैल, 2010 को आयोजित की गई।

4.5 जन–सुनवाई के दौरान, अधिकांश प्रतिवादियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तुत विद्युत–दर (टैरिफ) में वृद्धि का विरोध किया गया है। कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों के निराशाजनक प्रदर्शन का मुख्य कारण उच्च वितरण हानियां हैं। उनके द्वारा यह भी निवेदन किया गया कि पूर्व क्षेविवि कम्पनी तथा पश्चिम क्षेविवि कंपनी द्वारा उनके प्रस्तावों में प्रक्षेपित की गई हानियां, आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु उसके बहुवर्षीय वितरण टैरिफ, विनियम, 2009 में विनिर्दिष्ट स्तर से काफी अधिक हैं। आपत्तिकर्ताओं का यह विचार था कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वितरण हानियों को कम किये जाने के संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाये गये हैं। इस संबंध में यह सुझाव भी दिया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई पंप सेटों तथा घरेलू विद्युत प्रदाय हेतु संभारकों का द्विभाजन (Bifurcation of Feeders), शहरी क्षेत्र में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) के माध्यम से उच्च दाब : निम्न दाब अनुपात का सुदृढ़ीकरण का कार्यान्वयन आक्रमक रूप से किये जाने की आवश्यकता है।

4.6 कुछ प्रतिवादियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 के सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता संबंधी दाखिल किये गये प्रस्तावों में वितरण टैरिफ विनियम 2009 के उपबन्धों का अनुसरण किये जाने पर अपना असन्तोष व्यक्त किया गया। आपत्तिकर्ताओं द्वारा विशेष रूप से उल्लेख किया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दायर की गई याचिका में सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से संबंधित मदें, जैसे कि मानदण्डीय संचालन तथा संधारण लागत, अवमूल्यन की अनुसूची तथा डूबन्त एवं संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान टैरिफ विनियमों के विनिर्दिष्ट मानदण्डों से भिन्न थे। कुछ प्रतिवादियों का यह भी विचार था कि आयोग द्वारा उसकी विद्युत–दर के अवधारण की निबन्धन तथा शर्तों में विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनके विद्युत–दर प्रस्तावों को तैयार करते समय इनमें परिवर्तन नहीं किये जा सकते हैं।

औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि का यह मत है कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उनकी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता में प्रस्तुत किये गये आंकड़े/जानकारी का सत्यापन स्वतंत्र विशेषज्ञों द्वारा कराया जाना चाहिए।

4.7 गैर–शासकीय संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अन्यों द्वारा यह सुझाव प्रस्तुत किया गया है कि स्वच्छ ऊर्जा (Green Power), जैसे कि सौर ऊर्जा के उन्नयन हेतु प्रोत्साहन प्रदान करने, मांग परक प्रबंधन (Demand Side Management), स्वच्छ विकास तंत्र (Clean Development Mechanism) हेतु जागरूकता का संचार किये जाने में प्रभावी उपाय करने तथा ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग को क्रियान्वित किये जाने की आवश्यकता है। यह भी सुझाव दिया गया है कि ऊर्जा दक्ष उपकरणों के उपयोग के संबंध में देय प्रोत्साहनों का मुद्रण विद्युत देयक के पृष्ठ भाग पर प्रभावी प्रचार–प्रसार हेतु किया जाना चाहिए।

4.8 सार्वजनिक सुनवाईयों के दौरान प्राप्त की गई प्रमुख प्रतिक्रियाएं उठाई गई आपत्तियों का वर्गीकरण टिप्पणियों/आपत्तियों की प्रकृति के अनुसार किया गया है तथा इन्हें इस अध्याय में निम्न परिछेदों के अंतर्गत संक्षेप में दिया जा रहा है।

रेलवे के संबंध में टैरिफ संबंधी मुद्दे

विषय क्रमांक 1 : रेलवे कर्षण (श्रेणी एचवी–1) हेतु एकल भाग टैरिफ के स्थान पर द्वि–भाग टैरिफ

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित द्वि–भाग टैरिफ संरचना के विरूद्ध अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है जिसके अन्तर्गत रेलवे ट्रेक्शन (एचवी–1) हेतु ऊर्जा प्रभारों को पुनरीक्षित किये जाने के साथ–साथ मांग प्रभार को लागू किया जाना प्रस्तावित किया गया है। रेलवे का तर्क है कि टैरिफ संरचना में बारंबार परिवर्तनों के कारण उन्हें दीर्घ–अवधि नियोजन को प्रभावी बनाए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है कि रेलवे कर्षण हेतु द्वि–भाग टैरिफ प्रस्तावित किया जाना राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 8.4.1 के उपबन्धों के अनुरूप है जिसमें कहा गया है कि ''उन वृहद् उपभोक्ताओं हेतु (जिनकी मांग एक मेगावाट से अधिक है), द्वि–भाग टैरिफ जिसकी विशिष्टता पृथक–पृथक स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के साथ–साथ समय–विभेदक (time-differential) टैरिफ एक मुख्य विशेषता है, को एक वर्ष के अन्दर

प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में भी शीर्ष अवधि को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।''

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण को युक्तिसंगत मानता है तथा इसे विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 45 (3) (ए) के उपबन्धों के अनुरूप पाता है। तदनुसार, रेलवे कर्षण के प्रकरण में स्थाई प्रभारों की बिलिंग के प्रावधान किये गये हैं।

विषय क्रमांक 2 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) (एचवी–1) हेतु ऊर्जा कारक अधिभार (Power Factor Surcharge)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेल के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रस्तावित विद्यमान 0.85 के ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) के स्थान पर 0.90 या वास्तविक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, पर आधारित न्यूनतम खपत के विरूद्ध अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। रेलवे द्वारा विशिष्ट रूप से यह उल्लेख किया गया है कि कर्षण उपकेन्द्रों में शंट कैपेसिटर स्थापित किये जाने के बावजूद भी ऊर्जा कारक में परिवर्तनीय प्रकार के उच्च भार के कारण 0.90/0.92 से अधिक सुधार नहीं हो पाता। अतएव, ऊर्जा कारक अधिभार 0.85 से अधिक पर अधिरोपित नहीं किये जाने चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा बताया गया कि यदि न्यूनतम खपत की गणना के प्रयोजन से, 0.90 का सामान्य ऊर्जा कारक का प्रयोग किया जाता है तो यह गलत गणना के कारण उपभोक्ता को न्यूनतम खपत को कम करने तथा इसके साथ–साथ उपभोक्ता हेतु ऊर्जा कारक प्रोत्साहन देने जैसे दुगुने लाभ में परिणत हो जाएगा जब वास्तविक ऊर्जा कारक 0.90 से अधिक हो। यह भी निवेदन किया गया कि रेलवे हेतु ऊर्जा कारक की न्यूनतम सीमा को 0.85 से कम करना विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (3) की भावना के विरूद्ध है।

जहां तक ऊर्जा कारक (Power Factor) के नियंत्रण का प्रश्न है तो इसका सर्वोत्तम प्रौद्योगिक हल स्त्रोत पर ही प्रतिक्रिय प्रवाहों (Reactive Flows) का नियंत्रण करना होगा, अर्थात् विद्युत लोकोमोटिव से – उदाहरण के तौर पर पटल पर स्थापित उचित प्रतिक्रिय क्षतिपूर्ति उपकरण (suitable on-board reactive compensation devices) अथवा सर्किट जो लोकोमोटिव के प्रतिक्रिय भार का अत्यंत निकटता से अनुसरण कर रहे हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि रेलवे के भार को विशेष प्रकार का मानते हुए, विद्यमान प्रावधान में परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत है।

विषय क्रमांक 3 : रेलवे कर्षण (एचवी–1) हेतु आधिक्य मांग प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

भारतीय रेल के प्रतिनिधियों ने विद्युत वितरण कम्पनियों के उस प्रस्ताव का विरोध किया है जिसके अन्तर्गत रेलवे को अनुबन्ध मांग से अधिक की आधिक्य मांग (excess demand) को स्थाई प्रभारों से दुगुनी दर पर तथा सामान्य टैरिफ ऊर्जा के तत्संबंधी आनुपातिक आधार पर भारित किया जाएगा।

उल्लेख किया गया कि कर्षण के भार की गतिमान प्रकृति के कारण, विशिष्ट ग्रिड उपकेन्द्र (जीएसएस) का अतिभारित होना काफी अल्प अवधि के लिये होता है जिससे राज्य विद्युत मण्डल की ग्रिड पर अत्यधिक कम प्रभाव पड़ता है। अतएव, रेलवे को यातायात विस्थापन (traffic dislocation) के दौरान अतिभारित हो जाने के कारण ग्रिड पर नगण्य प्रभाव को देखते हुए अतिरिक्त अधिकतम मांग (M.D.) प्रभारों के आरोपण के कारण अतिरिक्त रूप से भारित न किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रया

विद्युत क्षेत्र की वर्तमान प्रणाली के अनुसार, किसी प्रयोक्ता द्वारा ऊर्जा/विद्युत का आधिक्य आहरण किये जाने पर अतिरिक्त प्रभार को अधिरोपित किया जाना आवश्यक है। अतएव, आधिक्य मांग हेतु समस्त प्रभार पूर्णतया न्यायसंगत हैं। प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी तथा उपभोक्ता से इन अप्रत्याशित परिस्थितियों तथा प्रतिबन्धों के बावजूद इस अनुशासन का अनुसरण किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा उसका आगे भी यह मत है कि स्थाई प्रभारों की मांग के आधिक्य आहरण पर, अतिरिक्त प्रभारों को अधिरोपित किये जाने के विद्यमान प्रावधानों को केवल रेलवे हेतु जारी रखा जाए।

विषय क्रमांक 4 : रेलवे ट्रेक्शन (एचवी–1) हेतु ईंधन लागत समायोजन (Fuel cost Adjustment-FCA) परिवर्तनीय लागत समायोजन (Variable cost ajustment-VCA)

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

रेलवे का मत है कि ईंधन लागत समायोजन/परिवर्तनीय लागत समायोजन प्रभार (जैसे कि ये विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में प्रसारित किये गये हैं) रेलवे को अधिरोपित नहीं किये जाएं। टैरिफ प्रभार में एफसीए/वीसीए सम्मिलित नहीं किये जाएं।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रया</u>

ईंधन लागत समायोजन/परिवर्तनीय लागत समायोजन का आधार मूल तौर पर तत्संबंधी विद्युत उत्पादक को अनुज्ञेय किये गये एफसीए/वीसीए प्रभारों पर विचार कर आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई वास्तविक ऊर्जा लागत तथा विद्युत उत्पादक द्वारा अधिरोपित लागत को पाटने हेतु है। अतएव, इन प्रभारों की वसूली समस्त उपभोक्ता श्रेणियों से समान रूप से करनी होती है तथा किसी विशिष्ट श्रेणी के लिये इसका अपवर्जन (distinction) नहीं किया जा सकता है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग का मत है कि इस समय एफसीए/वीसीए प्रभारों को अधिरोपित किये जाने पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इसके कारण होने वाले वास्तविक प्रभाव पर विचार इस आदेश के सत्यापन के समय किया जाएगा।

विषय क्रमांक 5 : रेलवे कर्षण हेतु प्रोत्साहनों/छूटों का प्रावधान

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

रेलवे के प्रतिनिधियों द्वारा निम्न प्रोत्साहनों/छूटों के संबंध में अनुरोध किया गया है :

पावर फैक्टर (पीएफ) प्रोत्साहन :– कर्षण विद्युत प्रदाय पर 0.90 से अधिक पावर फैक्टर पर पूर्व प्रक्रिया के अनुरूप प्रोत्साहन दिये जाने पर विचार किया जाए।

वोल्टेज छूट :– 132/220 केवी हेतु प्रदाय की जा रही ऊर्जा लागत पर 3% की वोल्टेज छूट के अनुरूप उन्हें भी प्रदान किये जाने पर विचार किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड कोड में किये गये उपबन्ध के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत का आहरण 0.98 ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) पर करना होता है तथा इस प्रकार यदि कोई छूट प्रदान की जाना हो तो वह 0.98 ऊर्जा कारक पर ही प्रदान की जानी चाहिए। तथापि, कम्पनी ने विद्यमान संरचना में 0.95 ऊर्जा कारक से अधिक पर प्रोत्साहन दिये जाने पर कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया है।

टैरिफ संरचना का अध्ययन किये जाने पर यह देखा जा सकता है कि रेलवे हेतु प्रभावशील विद्युत–दर (टैरिफ) 33 केवी पर प्राप्त किये जा रहे विद्युत प्रदाय से कम है। तथापि, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा नवीन कर्षण बिन्दुओं हेतु 10 प्रतिशत छूट का प्रावधान किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि ऊर्जा कारक हेतु प्रदाय की गई छूट पर्याप्त है। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय वोल्टेज स्तर पर कोई पृथक छूट पर विचार नहीं किया गया है क्योंकि विद्युत प्रदाय की लागत की गणना समस्त वोल्टेज स्तरों पर विद्युत प्रदाय की औसत लागत पर की गई है।

विषय क्रमांक 6 : कोयला खदानों से संबंधित आपत्तियां

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा निम्न आपत्तियां प्रस्तुत की गईं हैं :

टैरिफ : साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड के प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तावित विद्युत–दर (टैरिफ) वृद्धि का विरोध किया गया है। निवेदन किया गया कि कोयला उद्योग एक बुनियादी उद्योग है तथा वर्तमान उच्चतर दरों में वृद्धि के कारण इस उद्योग पर आर्थिक बोझ बढ़ेगा।

संविदा मांग : निवेदन किया गया कि कोयला खदानों के औद्योगिक भार अस्थिर (fluctuating) प्रकार के होते हैं। अतएव, **(अ)** बिलिंग कोयला खदानों में संविदा मांग का 90% संधारित किया जाना संभव नहीं है। अतएव, संविदा मांग को विद्यमान 90% की न्यूनतम दर को घटा कर 75% किये जाने का अनुरोध है। **(ब)** अथवा वैकल्पिक तौर पर इसे माह नवम्बर से मई तक संविदा मांग के 75% की दर से तथा माह जून से अक्टूबर तक संविदा मांग के 90% की दर से रखा जाए।

ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) : प्रोत्साहन वर्तमान में 95% के प्रावधान के स्थान पर 90% की प्राप्ति उपरांत प्रदान किया जाए।

शीर्ष अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभार पर अधिभार : शीर्ष अवधि के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार को वापस लिये जाने का अनुरोध है।

भार–कारक (लोड फैक्टर) : कोयला खदानों के लिये श्रेणी एचवी–2 टैरिफ में 50% भार कारक तक तथा 50% भार कारक अधिक होने पर ऊर्जा लागत प्रभारों में रू. 1.10 पैसे प्रति यूनिट का अन्तर है। चूंकि कोयला खदानों का भार उतार–चढ़ाव प्रकृति (Fluctuating nature) का होता है जो कि निम्न कारणों से परिवर्तित होता रहता है :

(i) मौसमी परिवर्तन के कारण (मानसून/शीतकाल/ग्रीष्म काल में)

(ii) भू–खनि (Geo- mining) परिस्थितियों के कारण

(iii) भारी अर्थ मूविंग मशीनरी तथा मास–प्रोडक्शन मशीन की उपलब्धता के कारण।

उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए कोयला खदानों हेतु एक ही विद्युत दर (टैरिफ) होनी चाहिए जैसा कि सीएसडीसीएल (CSDCL) तथा अन्य विद्युत मंडलों द्वारा भारित किया जा रहा है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

(अ) विद्युत दर अवधारण की समस्त प्रक्रिया विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा निर्धारित किये गये सिद्धांतों, टैरिफ नीति तथा अन्य संवैधानिक प्रावधानों तथा विनियमों पर आधारित है। विद्युत दर का रूपांकन विद्युत प्रदाय की अनुमोदित औसत लागत के आधार पर किया गया है जिसे कि अनुज्ञप्तिधारी को वास्तविक लागत पर सेवाकृत किये जाने के बजाय उपभोक्ताओं को अन्तरित किया गया है।

(ब) मितव्ययिता के सिद्धांत के अनुसार, स्थाई व्ययों की वसूली विद्युत–दर के स्थाई लागत अन्तःस्थापित घटक के माध्यम से की जानी चाहिए। वर्तमान में अनुज्ञप्तिधारी की स्थाई लागत की वसूली पूर्णतया विद्युत–दर के स्थाई–प्रभार घटक के माध्यम से नहीं की जाती है। अतएव, अनुज्ञप्तिधारी की स्थाई लागत का शेष भाग टैरिफ न्यूनतम प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों में अन्तःस्थापित (embedded) रहता है। उपभोक्ता से अपेक्षा की जाती है कि वह संविदा मांग के पूर्ण स्तर पर अपनी परिसम्पत्तियो का उपयोग करे परन्तु इसमें भी परिसम्पत्तियो का उपयोग किये जाने में कुछ हद तक लचीलापन प्रदान किया गया है, जैसे कि स्थाई लागत की वसूली हेतु संविदा मांग का 90%, जबकि उपभोक्ता को संविदा मांग के 100% पर स्थाई लागत भुगतान किये जाने की बाध्यता है। उपभोक्ताओं के पास उनकी संविदा मांग कम किये जाने का विकल्प भी विद्यमान है।

(स) आयोग द्वारा अधिसूचित ग्रिड संहिता में किये गये उपबन्ध के अनुसार, वितरण अनुज्ञप्तिधारी से 0.98 ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) पर आहरित किये जाने की अपेक्षा की जाती है। अतएव, इस प्रकार यदि कोई भी प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की आवश्यकता हो तो इसे 0.98 तथा इससे अधिक ऊर्जा कारक पर दिया जाना अनिवार्य है। तथापि, कम्पनी द्वारा 0.95 ऊर्जा कारक से अधिक प्रोत्साहन प्रदान करने की विद्यमान संरचना में कोई परिवर्तन किया जाना प्रस्तावित नहीं किया गया है।

(द) सामान्यतः, सांय शीर्ष प्रणाली मांग (evening peak system demand) सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक होती है। अतएव अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रकार की मांग की आपूर्ति के प्रयोजन से मंहगी दर पर विद्युत की अधिप्राप्ति यथासंभव करनी होती है। अतएव, इस भाग के लिए चार घंटे की अवधि हेतु, दिवस के समय (TOD) के अतर्गत 15 प्रतिशत के अधिभार का अधिरोपण किया जाना युक्तिसंगत है। तथापि, रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस के प्रातः 6 बजे तक, अर्थात् 8 घंटे की अवधि हेतु भार वक्र (Load curve) को एक स्तर पर लाये जाने हेतु विद्युत खपत में छूट दिये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा दोनों उपभोक्ता तथा अनज्ञप्तिधारियो द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार कर लिया गया है तथा विद्युत–दर की निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार समुचित दृष्टिकोण अपनाया गया है। विद्युत प्रदाय की औसत लागत को दृष्टिगत रखते हुए, प्रभारों का उचित पुनरीक्षण किया गया है।

विषय क्रमांक 7 : वृहद स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले उद्योगों हेतु पृथक विद्युत–दर (टैरिफ)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक संघों के प्रतिनिधियों का मत है कि वर्तमान में व्यापक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले उद्योगों हेतु पृथक विद्युत–दर (टैरिफ) प्रदान किये जाने की आवश्यकता है इस प्रकार के उद्योग स्टील इंडक्शन फर्नेस तथा इलेक्ट्रो–केमिकल उद्योग, जैसे कि ''क्लोर अलकली'' तथा ''कास्टिक सोडा'' हैं जिनमें विद्युत की लागत 60 प्रतिशत अथवा इससे अधिक आती है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियो का कथन है कि व्यापक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाले उद्योगों हेतु टैरिफ की नवीन श्रेणी प्रारंभ किये जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उल्लेखनीय है कि टैरिफ प्रस्तावों की संरचना तथा इन पर निर्णय राष्ट्रीय विद्युत नीति के उपबन्धों के अनुसार लिया जाता है। इस नीति में प्रावधान किया गया है कि विद्युत–दर (टैरिफ) का अवधारण इस प्रकार किया जाए कि वित्तीय वर्ष 2011 के अन्त में प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी को औसत विद्युत प्रदाय की लागत का न्यूनतम 80% तथा अधिकतम 120% भुगतान करना पड़े। आयोग द्वारा इस संबंध में प्रति राज्यानुदान (क्रास सबसिडी) कम किये जाने संबंधी मार्गदर्शिका विनिर्दिष्ट कर दी गई है तथा विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा तद्नुसार टैरिफ प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं। आयोग द्वारा पूर्व में ही ऐसे उद्योगों को भार–कारक प्रोत्साहन के रूप में राहत प्रदान कर दी गई है जो व्यापक स्तर पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने वाली इकाईयां हैं तथा जिनके भार–कारक (लोड फैक्टर) अत्यधिक हैं। उल्लेखनीय है कि भार–कारक प्रोत्साहनों के माध्यम से ऐसी इकाईयां ऊर्जा कारक प्रोत्साहनों के अतिरिक्त ऊर्जा प्रभारों में 12% से अधिक की छूट प्राप्त करती हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि टैरिफ रूपांकन की वर्तमान संरचना में परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।

विषय क्रमांक 8 : भार कारक प्रोत्साहन (Load Fator Incentive)

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

उद्योगों तथा इण्डस्ट्रियल एसोसिएशन के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई कि भार कारक (Load Factor) की गणना के प्रयोजन से मानक ऊर्जा कारक (Power factor) निम्न दाब हेतु 0.8 तथा उच्च दाब हेतु 0.9 में परिवर्तन न किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

यदि भार कारक की गणना के प्रयोजन से ही उच्च दाब हेतु 0.9 का तथा निम्न दाब हेतु 0.8 सामान्य भार कारक का प्रयोग किया जाता है तो ये उपभोक्ताओं को दो प्रकार के लाभों में परिणत होंगे, जैसे कि उच्च परंतु गलत ढंग से गणना किये गये भार कारक के साथ–साथ उपभोक्ताओं को देय प्रोत्साहन में जब वास्तविक ऊर्जा सामान्य से अधिक हो। अतएव, अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सुझाया गया सूत्र न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा ऊर्जा कारक को स्थिर (Constant) मानकर भार कारक की गणनाओं का पुनः निरीक्षण किया गया है तथा यह पाया गया है कि ऐसे प्रकरण में प्रोत्साहन प्राप्ति के प्रयोजन से भार कारक के आकलन में विकृति (distorted) आ जाती है जो न्यायसंगत तथा युक्तियुक्त नहीं है। अतएव आयोग द्वारा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत सुझावों पर विचार किया गया है तथा यह व्यवस्था दी है कि निम्न दाब श्रेणी प्रकरण में 0.8 का ऊर्जा कारक अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक इनमें से जो भी अधिक हो तथा उच्च दाब श्रेणी के प्रकरण में 0.9 का ऊर्जा कारक अथवा वास्तविक ऊर्जा कारक इनमें जो भी अधिक हो, पर विचार किया जाएगा।

विषय क्रमांक 9 : न्यूनतम प्रत्याभूत खपत में वृद्धि

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

उद्योगों तथा इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत खपत में शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत, निम्न दाब उद्योगों के अन्तर्गत श्रेणी एलवी 4 के अन्तर्गत विद्यमान 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति को बढ़ाकर प्रस्तावित 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति किये जाने का विरोध किया गया है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में गैर घरेलू श्रेणी (एलवी 2) के अन्तर्गत न्यूनतम वार्षिक प्रत्याभूत खपत को विद्यमान 360 यूनिट प्रति किलोवाट से बढ़ाकर प्रस्तावित 480 यूनिट प्रति किलोवाट किये जाने का भी विरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कंपनी का मत है कि ऊर्जा की वास्तविक लागत के साथ–साथ मूल्य सूचकांक में वृद्धि के कारण, कम्पनी द्वारा प्रस्तावित वृद्धि न्यायसंगत है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि केवल उन उद्योगों को छोड़कर जिनका संयोजित भार 100 अश्वशक्ति से अधिक है ,निम्न दाब उद्योगों के विद्यमान प्रावधानों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है। 100 अश्वशक्ति से अधिक संयोजित उद्योगों के प्रकरण में वार्षिक प्रत्याभूत न्यूनतम खपत शहरी क्षेत्रों में 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 300 यूनिट प्रति अश्वशक्ति विनिर्दिष्ट की गई है।

विषय क्रमांक 10 : लम्बित भुगतान अधिभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इंडस्ट्रियल एसोयिेशन तथा उपभोक्ता सोसायटी के कुछ प्रतिवेदकों द्वारा मुद्दा उठाया गया कि विलंबित भुगतान अधिभार अर्जित किये गये राजस्व का एक भाग है तथा इसे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का एक भाग माना जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारियों का कथन है कि विलंबित भुगतान अधिभार से प्राप्तियां अनिश्चित प्रकार की होती हैं, अतएव ऐसी प्राप्तियों का कोई भी पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विलंबित भुगतान का यह अर्थ है कि अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा प्राप्त होने वाले स्वयं के राजस्व से वंचित रखा गया है जिसके फलस्वरूप उसे वित्तीय संस्थाओं से भारी ब्याज दर पर ऋण लेने हेतु मजबूर होना पड़ा है। विलंबित भार भुगतान, ऋण पर ब्याज के विरूद्ध क्षतिपूर्ति होने के कारण, इसे राजस्व का एक भाग नहीं माना जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग, विनियमों के अन्तर्गत दर्शाये गये कारणों से विलंबित भुगतान अधिभार के विरूद्ध प्राप्तियों को आय माने जाने के साथ–साथ अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा भुगतान में की गई चूक के कारण अतिदेय (Overdue) ब्याज अनुज्ञेय नहीं किये जाने के अपने आधार को यथावत रखता है। वर्तमान में इसमें और कोई परिवर्तन किया जाना तर्कसंगत न होगा।

विषय क्रमांक 11 : बिलिंग मांग में कमी की जाना

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

कुछ प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि न्यूनतम बिलिंग मांग को संविदा मांग के 90% के विद्यमान प्रावधान को बंद कर पुनः 75% कर दिया जाए जैसा कि यह कुछ वर्ष पूर्व प्रचलन में था।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उल्लेख किया गया है कि अनुज्ञप्तिधारियों की वर्तमान लागत टैरिफ के स्थाई प्रभार घटक के माध्यम से पूर्णतया वसूल नहीं हो पाती है। चूंकि अनुज्ञप्तिधारियों को दीर्घ अवधि विद्युत क्रय अनुबंध निष्पादित करने होते हैं तथा दिवस–पूर्व अनुसूची भी प्रस्तुत करनी होती है, अतएव, मांग (स्थाई) प्रभारों के वर्तमान स्तर को घटाया जाना संभव नहीं है। न्यूनतम बिलिंग मांग के संविदा मांग के प्रतिशत के रूप में संबंधित मुद्दे को पूर्व में भी उठाया जा चुका है तथा न्यूनतम बिलिंग मांग को संविदा मांग के प्रतिशत के रूप में 100% से घटाकर 90% कर दिया गया है। अतएव, आगे किसी प्रकार की कमी किया जाना न्यायसंगत न होगा।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग का मत है कि प्रकरण में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायसंगत नहीं है।

विषय क्रमांक 12 : ईंधन लागत समायोजन (FCA)/परिवर्तनीय लागत समायोजन (VCA) तथा मंहगे ऊर्जा प्रभार

हित<u>धारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

उपभोक्ता समिति के प्रतिवादियों द्वारा सुझाव दिया गया कि ईंधन अधिभार समायोजन हेतु एक सूत्र का अनुमोदन विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 (4) के अंतर्गत किया जा सकता है। निवेदन किया जाता है कि मंहगी विद्युत लागत अधिकांश उपभोक्ताओं के कारण नहीं हो सकती क्योकि मंहगी विद्युत का क्रय कृषि गतिविधियों तथा राज्य चुनाव अवधि के दौरान किया जाता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

ईंधन लागत समायोजन (अथवा परिवर्तनीय लागत समायोजन) का प्रयोजन चिन्हांकित स्त्रोतों से है जो कि सामान्यतः दीर्घ अवधि व्यवस्थाओं के अन्तर्गत आते हैं, हेतु अधिप्राप्ति की गई विद्युत की परिवर्तनीय लागत को सम्मिलित किये जाने हेतु किया जाता है। दूसरी ओर, मंहगे विद्युत प्रभार, लघु सूचना पर ऊर्जा बाजार से मंहगी विद्युत की अधिप्राप्ति पर अतिरिक्त व्ययों की प्रतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित किये गये है। मांगों की पूर्ति तथा संभागीय मुख्यालयों तथा जिला मुख्यालयों में उच्च दाब तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं की विद्युत कटौती को टालने की दृष्टि से, विद्युत की उपलब्धता में कमी होने पर मंहगी दर पर विद्युत क्रय की व्यवस्था की जा रही है। समग्र रूप से यह योजना विद्युत प्रदाय की प्रतिबद्धता उपलब्धता आधारित विद्युत दरों (ABT) के दर्शन के अनुरूप है तथा प्रदत्त परिस्थितियों के अन्तर्गत मितव्ययिता हेतु संरोधों की आपूर्ति भी करती है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि इस समय एफसीए/वीसीए प्रभारों के उद्ग्रहण पर विचार नहीं किया जाएगा तथा इससे संबंधित वास्तविक प्रभाव पर इस आदेश के सत्यापन के समय ही विचार किया जाएगा।

विषय क्रमांक 13 : दिवस के समय (टाईम आफ डे) टैरिफ में बाह्य शीर्ष छूट (ऑफ पीक रिबेट)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ता समिति तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा दिवस के समय बाह्य शीर्ष छूट को 7.5% से बढ़ा कर 15% तक किये जाने का अनुरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

म.प्र. राज्य स्थित विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा दिवस के समय तीन शीर्ष अवधियों यथा, *प्रातः 6 से 9 बजे तक, सांय 6 बजे से 10 बजे तक* तथा रात्रि में पुनः *1 बजे से 4 बजे तक* का पालन किया जाता है। विद्युत वितरण कम्पनियों के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती सांयकालीन तथा देर रात्रि शीर्ष भारों को सन्तुलित (flatten) करने की है। अतएव, पिछले टैरिफ आदेश में सांय शीर्ष उपयोग हेतु 15% अधिभार का प्रावधान किया गया था। तथापि, शीर्ष बाह्य अवधि, अर्थात् *रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक*, अनुपूरक कार्यवाही के रूप में, 7.5% की छूट का प्रावधान किया गया था। इसके अतिरिक्त, शीर्ष रात्रिकालीन मांग *रात्रि 1 बजे से 4 बजे तक* रहती है, विशेष तौर पर रबी मौसम के दौरान। अतएव, यह स्वाभाविक है कि प्रमुख भार को

रात्रि–कालीन अवधि के अन्तर्गत अन्तरित नहीं किया जा सकता। वितरण कम्पनियों को रात्रिकालीन अवधि में भार–वक्र (लोडकर्व) को बनाये रखने में बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। अतएव विद्यमान में संरचना में किसी प्रस्तावित परिवर्तन पर विचार न किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार को केवल 4 घंटों *(सांय 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)* के लिये तथा छूट को 8 घंटों *(रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)* हेतु ही निर्धारित किया गया है। आयोग को इस छूट की दर में और अधिक वृद्धि करने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता।

विषय क्रमांक 14 : डेयरी इकाईयों हेतु, टैरिफ श्रेणी में परिवर्तन :

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

राज्य के सहकारी दुग्ध महासंघ के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि डेरी की टैरिफ श्रेणी को वर्तमान में एचवी 3.1 (औद्योगिक) से बदलकर एचवी 5.2 (कृषि संबंधी अन्य उपयोग) में परिवर्तित कर दिया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग इस समय टैरिफ की प्रयोज्ता में परिवर्तन हेतु न्यायसंगत नहीं समझता है। आयोग महसूस करता है कि वे डेरी संयोजन जो दूध के शीतलीकरण (chilling) तथा पाश्चुरीकरण में संलग्न है, आमजन को प्रभावित करते हैं क्योंकि दुग्ध एक अत्यावश्यक अर्हता है। तथापि, दुग्ध के अन्य अन्तिम उत्पाद जैसे कि श्रीखण्ड, मक्खन, घी, आदि वाणिज्यिक उत्पाद है। अतएव वे डेरियां जो ऐसी वस्तुओं का उत्पादन करती हैं, को औद्योगिक श्रेणी में रखा जाना युक्तिसंगत है।

विषय क्रमांक 15 : नगर पालिक निगमों/नगर पालिकाओं द्वारा संचालित सुलभ शौचालयों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) में छूट

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

नगर निगम इन्दौर द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया है कि समस्त सुलभ शौचालय इकाईयां, जिन्हें गैर–घरेलू टैरिफ श्रेणी में बिल किया जा रहा है, को घरेलू टैरिफ श्रेणी में अंतरित किये

जाने की आवश्यकता है। ये सुलभ इकाईयां ठेकेदार द्वारा लाभ रहित (no profit-no loss) आधार पर सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं हेतु संचालित की जा रही हैं तथा इनके देयकों का भुगतान भी नगर निगम द्वारा किया जाता है। उल्लेखनीय है कि नगर निगम की समस्त गतिविधियां गैर–वाणिज्यिक होती हैं। अतएव निवेदन है कि नगर निगम के अन्तर्गत किसी भी संयोजन को गैर–घरेलू श्रेणी में न माना जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया कि घरेलू टैरिफ श्रेणी के प्रावधान को सुलभ इकाईयों पर लागू नहीं किया जा सकता है। केवल नगरपालिक निगम/नगर पालिका द्वारा ही इनका भुगतान किये जाने के कारण ही किसी संयोजन को घरेलू श्रेणी में अन्तरित किये जाने पर विचार नहीं किया जा सकता।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का दृष्टिकोण है कि चूंकि सुलभ शौचालय इकाईयों का उपयोग आम जनता के लिए है अतः इस उपश्रेणी को वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में इसे टैरिफ श्रेणी एलवी 2 से टैरिफ अनुसूची एलवी–3 के अन्तर्गत सार्वजनिक जल प्रदाय संयंत्रों तथा पथ–प्रकाश के अन्तर्गत परिवर्तित कर दिया गया है। अतएव आयोग दरों की प्रयोज्यता को पुनः परिवर्तित किये जाने को तर्क संगत नहीं मानता।

विषय क्रमांक 16 : कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत प्रदाय लागत का अवधारण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक उपभोक्ता संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि कृषि के संबंध में विद्युत प्रदाय की लागत की गणना हेतु पृथक से प्रयास किये जाने चाहिए। विद्युत प्रदाय की दरें विद्युत प्रदाय की लागत पर आधारित होनी चाहिए। कुछ प्रतिवेदकों द्वारा यह भी सुझाव दिया गया कि विद्युत तथा भूमिगत जल की क्षति के नियंत्रण के लिये यह आवश्यक है कि ऐसे उपभोक्ताओं पर प्रयोक्ता–प्रभार संबंधी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित की जाए तथा इसके लिये मापयंत्रों (मीटरों) का प्रावधान किया जाना चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस विषय पर निर्णय राज्य शासन से परामर्श द्वारा लिया जाना है।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत प्रदाय की लागत पर केवल एकांकी में ही (Isolation) गणना किया जाना न्यायोचित नहीं होगा क्योंकि वहां पर संभारक (फीडर) नहीं होते तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं की समस्त श्रेणियों, यथा घरेलू, गैर–घरेलू तथा उद्योगों को सम्मिलित कर का पोषण एक ही संभारक से किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी, विद्युत वितरण कम्पनियां विद्युत प्रदाय की लागत की श्रेणीवार गणना हेतु किसी ऐसी विधि द्वारा अभी तक सुसज्जित नहीं हैं। अतएव आयोग प्रस्तुत सुझावों को स्वीकार योग्य नहीं पाता।

विषय क्रमांक 17 : उद्वहन सिंचाई हेतु विद्युत–दर श्रेणी में परिवर्तन किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

राज्य सरकार के सहभागिता सिंचाई प्रबंधन (Participating Irrigation Management) (जल संसाधन विभाग) तथा जल उपभोक्ता संस्था के प्रतिनिधियों द्वारा शासन द्वारा चलाई जा रही उद्वहन सिंचाई/नलकूप योजनाओं को विद्यमान एचवी 5.1 से एलवी 5.1 में परिवर्तित किये जाने का अनुरोध किया गया है क्योंकि इनका प्रयोजन सीमान्त किसानों को लाभ पहुंचाने का है। विभाग द्वारा उद्वहन सिंचाई/नलकूप योजनाएं, जो कृषकों के हितार्थ हैं, हेतु सहायतानुदान (subsidy) का प्रावधान किये जाने हेतु भी अनुरोध किया गया है। मांग प्रभारों को समाप्त किये जाने तथा निम्न ऊर्जा कारक अधिभारों की समाप्ति हेतु भी अनुरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेख किया जाता है कि आयोग द्वारा राज्य शासन के जलसंसाधन के सहभागिता सिंचाई प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत की याचिका पर निर्णय पूर्व में ही दिनांक 26 फरवरी, 2010 को पारित किया जा चुका है तथा समस्त तथ्यों पर विचार करते हुए उपरोक्त विषयों का निराकरण कर दिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का विचार है कि उच्च दाब संयोजन हेतु निम्न दाब विद्युत दर की मांग नहीं मानी जा सकती है। अतएवं ऐसे उच्च दाब संयोजन हेतु उचित विद्युत दर का प्रावधान किया गया है।

विषय क्रमांक 18 : विनियामक परिसम्पतियां

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक याचिकाकर्ता द्वारा अपनी चिन्ता जतलाई है कि विनियामक परिसम्पत्तियों की संरचना वित्तीय कुप्रबंधन का द्योतक है। यह एक अस्वस्थकार प्रवृत्ति भी है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विनियामक परिसम्पत्तियों का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं को आघात से बचाना है। यह एक अस्वस्थकर प्रवृत्ति नहीं है। इससे उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला बोझ तो टल ही जाता है तथा इससे अनुज्ञप्तिधारी को अपने प्रदर्शन में सुधार लाये जाने का समय तथा अवसर भी मिल जाता है एवं उपभोक्ता पर वर्तमान में पड़ने वाले प्रत्याशित बोझ का भी निराकरण हो जाता है।

याचिकाकार्ता का यह भी मत है कि आयोग द्वारा विनियामक परिसम्पत्तियों को अनुज्ञेय किये जाने बाबत टैरिफ नीति के दिशा–निर्देशों के अनुसार विनियम तैयार किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा लागतों के केवल युक्तियुक्त स्तर ही अनुज्ञेय किये गये हैं। आयोग द्वारा केवल उक्त राजस्व को ही अनुज्ञेय किया गया है जो अनुज्ञेय–योग्य लागतों की आपूर्ति करता है। आयोग द्वारा प्राक्कलित राजस्व का भी प्रावधान कर दिया गया है जो अनुज्ञेय योग्य लागतों की आपूर्ति भी करता है। अतएव, विनियामक परिसम्पत्तियों को प्रावधानित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 19 : उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) में शैक्षणिक संस्थाओं हेतु पृथक श्रेणी

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

अनुरोध किया जाता है कि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत शैक्षणिक संस्थाओं के लिये पृथक श्रेणी निर्धारित की जाए तथा इस श्रेणी में न्यूनतम प्रभार 360 यूनिट प्रति केवीए प्रति वर्ष रखे जाएं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

इस संबंध में आयोग द्वारा उचित निर्णय लिया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस तथ्य पर विचार किया गया है कि कार्य के प्रकार के कारण शैक्षणिक संस्थाओं का भार–कारक (लोड फैक्टर) विशेष रूप से उन संस्थाओं हेतु, जिनमें प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं काफी न्यून होता है। अतएव, आयोग द्वारा ऐसी श्रेणी की न्यूनतम प्रत्याभूत खपत हेतु, वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में निम्नतर दर का प्रावधान किया गया है तथा इसमें आगे कोई परिवर्तन किया जाना उपयुक्त नहीं है।

विषय क्रमांक 20 : मत्स्योद्योग संबंधित गतिविधियों हेतु विद्युत–दर में परिवर्तन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

सचिव मछली पालन विभाग मप्र शासन द्वारा अनुरोध किया गया है कि मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियो को कृषि उपयोग के समकक्ष माना जाए। अतएव इनके लिये मत्स्य उत्पादन से संबंधित गतिविधियों की लागत कम किये जाने की दृष्टि से हितधारकों/कृषकों के लाभ हेतु, जो राज्य में अपनी आजीविका मछली पालन गतिविधियों से चलाते हैं, कृषि विद्युत–दर (टैरिफ) लागू की जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विद्युत वितरण कम्पनी का मत है कि अन्तिम उत्पाद के मूल्यों में असमानता के कारण कृषि गतिविधियों तथा मत्स्य पालन से संबंधित गतिविधियों के मध्य अनुरूपता स्थापित नहीं की जा सकती।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि विद्यमान प्रावधानों में कोई परिर्वतन किया जाना उचित नहीं है क्योंकि कृषि श्रेणी के अन्तर्गत पृथक विद्युत का प्रावधान किया गया है जिसके अन्तर्गत अन्य कृषि संबंधी उपयोग हेतु दरें निर्धारित की गई हैं।

विषय क्रमांक 21 : उच्च दाब श्रेणी में अतिरिक्त मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त मांग हेतु ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों में चालू '1.5 गुना' दर को प्रस्तावित 'दो गुना' किये जाने का विरोध किया गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

निवेदन है कि अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रणाली को उपलब्धता आधारित टैरिफ तथा असूचीबद्ध विनिमय (unscheduled Interchages -UI) प्रभारों की कठोर व्यवस्था के अन्तर्गत संचालित किया जा रहा है। अतएव यह अपेक्षा की जाती है कि तत्संबंधी उपभोक्ताओं द्वारा भी अपने छोर/स्तरों पर इसी प्रकार के अनुशासन का प्रतिपालन किया जाना चाहिए। इस अनुशासन का परिपालन स्वयं उपभोक्ताओं तथा अनुज्ञप्तिधारी हेतु एक समान रूप से प्रभावी विद्युत दरों तथा समग्र लागतों में कमी किये जाने की ओर अग्रसर होता है। सख्ती से अनुपालन द्वारा दाण्डिक प्रभारों में प्रस्तावित वृद्धि द्वारा प्रणाली के अनुशासन में वृद्धि सुनिश्चित की जा सकेगी।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा संविदा मांग से आधिक्य को अभिलिखित करते समय मांग पर अतिरिक्त प्रभारों के संबंध में निर्णय लेते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा आयोग यह मानता है कि वर्तमान प्रावधानों में परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

विषय क्रमांक 22: विद्युत क्रय पर किये गये व्यय

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ता सोसायटी तथा उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया है कि वार्षिक राजस्व आवश्यकता में मुख्य व्ययों में से एक विद्युत क्रय की लागत है। अतः, विद्युत क्रय व्ययों पर कड़ा नियंत्रण किया जाना अत्यावश्यक है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

याचिकाकर्ता का विचार है कि आयोग द्वारा केवल विद्युत प्रदाय के दायित्व से उद्भूत ऊर्जा की आवश्यकता की वास्तविक मात्रा को ही अनुज्ञेय किया जाए। जहां तक विद्युत प्रदाय की लागत का प्रश्न है, याचिकाकर्ता द्वारा इसका प्राक्कलन केविनआ/म.प्र.विनिआ द्वारा जारी किये गये विभिन्न टैरिफ आदेशों के आधार पर किया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा दोनों आपत्तिकर्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के दृष्टिकोण पर विचार कर लिया गया है तथा युक्तियुक्त विद्युत क्रय लागतों को अनुज्ञेय किया गया है।

विषय क्रमांक 23: अवमूल्यन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ता सोसायटी के प्रतिनिधियों तथा अन्य व्यक्तियों द्वारा टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2007 में आयोग द्वारा अभिव्यक्त किये गये विचारों का उल्लेख किया गया है। आयोग द्वारा अवमूल्यन को केविनिआ के मानदण्डों के आधार पर अनुज्ञेय किया गया था जो कि स्थाई परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु विचारित मूलधन की अदायगी की आवश्यकता की आपूर्ति हेतु ही पर्याप्त था। यह भी निवेदन किया जाता है कि इसके अतिरिक्त, प्रावधान में वृद्धि का कोई औचित्य नहीं है, न केवल वार्षिक राजस्व आवश्यकता में भविष्य की आवश्यकता के रूप में वरन् सत्यापन लागतों के प्रावधान के रूप में भी।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अवमूल्यन का दावा अनुज्ञप्तिधारी की लेखांकन नीति के अनुसार, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार की दर के आधार पर किया गया है। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा निवेदन किया गया है कि अवमूल्यन को अद्यतन तिथि तक पूर्ण किये कार्यों पर प्रभारित किया जाता है न कि किसी पूर्व तिथि पर पूर्ण किये गये कार्यों के आधार पर। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पूर्ण किये गये कार्य के विवरण वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरान्त संकलित किये जाने के उपरान्त ही उपलब्ध होंगे। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा अनुरोध किया गया हे कि जब तक आयोग भविष्य में जोड़ी गई परिसम्पत्तियों जिनका सृजन ऋणों की प्राप्ति द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है, को पूर्ण अवमूल्यन प्रदान नहीं कर देता है, अनुज्ञप्तिधारी अपने ऋणों की किस्तों की अदायगी नहीं कर सकेगा।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा अपने विनियमों में अवमूल्यन हेतु केविनिआ के मानदण्डों की प्रयोज्यता का प्रावधान किया गया है, अतएव, अवमूल्यन इन्हीं मानदण्डों के अनुसार ही अनुज्ञेय किया गया है।

विषय क्रमांक 24 : घरेलू श्रेणी हेतु खण्डों (स्लैबों) की संख्या में कमी किया जाना

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ता सोसायटी के प्रतिवेदकों ने अपने अभ्यावेदन में निवेदन किया है कि घरेलू श्रेणी में खण्डों (स्लेबों) की संख्या को घटा कर, एक समान प्रभारों की प्रयोत्यजा के अनुसार, केवल दो ही कर दी जाए, अर्थात् प्रथम 0–30 यूनिट हेतु तथा द्वितीय 30 यूनिट से अधिक हेतु।

इसके द्वारा बिलिंग की लागत मीटर वाचन की धोखाधड़ी (manipulation) तथा संबंधित कदाचारों से बचा जा सकेगा।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अनुज्ञप्तिधारी खण्डों (स्लैब) की संख्या में बारंबार परिवर्तन किये जाने के पक्ष में नहीं हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारो से सहमत है।

विषय क्रमांक 25 : एलवी– 4 श्रेणी हेतु सुझाव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि संयोजित भार की अधिकतम सीमा को हटा दिया जाना चाहिए तथा संयोजित भार के स्थान पर संविदा मांग पर विचार किया जा सकता है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अपेक्षाकृत बड़े निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु मांग आधारित विद्युत–दर को विकल्प के रूप में लागू किया जा चुका है। तथापि, शब्द ''संयोजित भार'' को निम्न दाब विद्युत दर हेतु समग्र रूप से हटाया नहीं जा सकता जब तक कि समस्त उपभोक्ताओं को उनकी संस्थापनाओं की अधिकतम मांग को अभिलिखित किये जाने हेतु मीटरों का प्रावधान नहीं कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता को शब्दावली में सुधार किया जाना स्वीकार है जब तक यह राजस्व –तटस्थ (revenue neutral) है।

आयोग का दृष्टिकोण

इस विषय पर आगे के परिच्छेदों में ''अवधारणा पत्र (Approach paper)'' में दृष्टिकोण प्रदान किया गया है।

विषय क्रमांक 26 : श्रेणी एचवी 3.1 (औद्योगिक) हेतु सुझाव

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि 11 केवी तथा 33 केवी विद्युत प्रदाय हेतु न्यूनतम संविदा मांग (केवीए में) को वर्तमान में क्रमशः 60 केवीए तथा 100 केवीए से संशोधित कर एक सामन 50 केवीए कर दिया जाए। इसके अतिरिक्त तत्संबंधी वोल्टेज स्तर के विद्युत प्रदाय हेतु वार्षिक न्यूनतम खपत को वर्तमान वार्षिक 1200 यूनिट प्रति केवीए को संशोधित कर 360 यूनिट प्रति केवीए कर दिया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विभिन्न प्रदाय वोल्टेज हेतु न्यूनतम केवीए की सीमाऐं मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की समिति की अनुशंसाओं के आधार पर, जिनके द्वारा इस विषय से संबंधित विभिन्न पहलुओं के अध्ययन पश्चात् सुझाव दिये गये, निर्धारित की गई है। विद्युत वितरण कम्पनी के मतानुसार विद्यमान सीमाएं उपयुक्त हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा समस्त पहलुओं तथा वे औद्योगिक उपभोक्ता जिनके संयोजित भार निम्न दाब संयोजनों हेतु विनिर्दिष्ट उच्चतम सीमा से अधिक है परन्तु वास्तविक संविदा मांग 11 केवी पर 60 केवीए के न्यूनतम स्तर से कम है, की कठिनाईयों पर विचार करते हुए 11 केवी पर उच्च दाब संयोजन 50 केवीए न्यूनतम संविदा मांग के साथ अनुज्ञेय किये गये हैं। आयोग का मत है कि ऐसे उपभोक्ताओं का निम्न दाब से उच्च दाब श्रेणी में अन्तरण राजस्व के प्रभावी ढंग से वसूली किये जाने हेतु तथा अनुवीक्षण के प्रयोजन से उनके ही हित में होगा।

विषय क्रमांक 27 : विद्युत प्रदाय घंटों का निर्धारण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कुछ प्रतिवेदकों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि न्यूनतम प्रभारों के अवधारण हेतु, विद्युत प्रदाय के घंटों की संख्या निर्धारित की जाए ताकि उपभोक्ता विद्युत कटौती के संबंध में यथायोग्य क्षतिपूर्ति प्राप्त कर सके।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

न्यूनतम प्रभारों के अधिरोपण के संबंध में, विद्युत प्रदाय अवधि न्यूनतम 1 घंटा प्रति दिवस होनी चाहिए जबकि वास्तविक प्रदाय अवधि उक्त अवधि से कहीं अधिक है। अतः विद्युत कटौती के प्रकरण में क्षतिपूर्ति भुगतान का प्रश्न ही नहीं उठता। विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा आगे प्रत्युत्तर में कहा गया है कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता प्रस्ताव संयोजित वार्षिक

विकास दर (Compounded Annual Growth Rate - CAGR) पर आधारित है न कि नियत की गई विद्युत प्रदाय अवधि के अनुसार।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि विद्युत प्रदाय के विद्यमान स्तर के अनुसार, न्यूनतम निर्धारित खपत युक्तिसंगत है।

विषय क्रमांक 28 : शीत गृह (Cold Storage) विद्युत–दर में छूट

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

शीत–गृह संघों के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि शीत–गृह को कृषि श्रेणी के अन्तर्गत माना जाए तथा कृषि हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर को इस श्रेणी पर भी लागू किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

उल्लेखनीय है कि शीत–गृहों का संचालन वाणिज्यिक आधार पर किया जाता है क्योंकि ये अपने उपभोक्ताओं को प्रदाय की जा रही सेवा हेतु उन्हें प्रभारित करते हैं। अतएव, श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियों के विचारों से सहमत है।

विषय क्रमांक 29 : कृषि श्रेणी में विद्युत–दर वृद्धि का विरोध

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

कृषि उपभोक्ताओं द्वारा कृषि संयोजनों के संबंध में अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा विद्युत–दर में प्रस्तावित वृद्धि के विरूद्ध आपत्तियां दर्ज की गई हैं। यह उल्लेख किया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि उपभोक्ताओं को मात्र 4–6 घंटे का तीन फेज विद्युत प्रदाय तथा मात्र 3–4 घंटे का एकल फेज विद्युत प्रदाय किया जाता है।

कृषकों द्वारा कृषि संभारकों (फीडरों) पर अत्यधिक कम वोल्टेज के कारण कठिनाईयां जिनका उनके द्वारा एक साथ सामना किया जा रहा है का उल्लेख किया गया जिसकी वजह से न केवल उनकी कृषि पंप मोटरें जल जाती हैं वरन् भार के प्रेरणिक प्रकार के होने के कारण

(due to inductive nature of load) तथा स्थल पर उचित क्षतिपूर्ति के अभाव में तन्तु पथ हानियों (line losses) में भी सार्थक रूप से वृद्धि होती है।

कृषि संघ तथा उपभोक्ता समिति के प्रतिनिधियों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय हानियों में कमी लाये के संबंध में विभिन्न उपायों का सुझाव दिया गया है जैसे कि कृषि पंपों को विद्युत प्रदाय करने वाले तथा प्रकाश व्यवस्था संबंधी भार (lighting load) के संभारकों का पृथक्करण, वोल्टेज के विनियमन हेतु ट्रांसफार्मर टैप चेन्जर्स का प्रावधान, अमीटरीकृत कृषि संयोजनों का मीटरीकरण करना तथा ऊर्जा दक्ष पम्पों का उपयोग किया जाना।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

लेख किया जाता है कि टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुसार, प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी हेतु विद्युत–दर उक्त विशिष्ट श्रेणी की विद्युत की लागत के अनुरूप होनी चाहिए तथा यह भी कि प्रत्येक उपभोक्ता श्रेणी द्वारा उक्त विशिष्ट श्रेणी हेतु औसत विद्युत लागत की कीमत का न्यूनतम 80% वित्तीय भार वहन करना होगा। प्रभावशाली मीटरिंग की व्यावहार्यता (feasibility) कृषि क्षेत्र में एक गंभीर बाधा है जिसे व्यवहार में लाना काफी कठिन कार्य है। अधिकांश कृषि उपभोक्ताओं के पास मीटरों की सुरक्षा हेतु संस्थापन्न तथा स्थाई व्यवस्थाएं नहीं हैं। बड़ी संख्या में उपभोक्ता मौसम के उपरांत अपने पंप अन्य समस्त उपकरणों सहित स्थल से हटा लेते हैं। अतएव ऐसे मीटरों द्वारा अभिलिखित की गई विद्युत खपत को कदापि विश्वसनीय तथा सुस्पष्ट वास्तविक खपत का मार्गदर्शक नहीं माना जा सकता। ऐसे मीटरों के वाचन में, ग्रामीण क्षेत्र में कर्मचारियों के अभाव में भी अत्यधिक कठिनाईयों भी आती हैं। इसके अतिरिक्त भी, कम्पनियां ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) मीटरों सहित, लघु क्षमता वितरण ट्रांसफार्मरों पर बड़े स्तर पर, अधिकतम संख्या में कृषि उपभोक्ताओं हेतु स्थापित कर रही है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा कृषि विद्युत दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों की प्रतिक्रिया के साथ–साथ टैरिफ नीति के प्रावधानों को विचार में रखा गया है।

विषय क्रमांक 30 : एक समान विद्युत–दर के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों में प्रतिस्पर्धा का अभाव है

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उपभोक्ता संघ के प्रतिनिधियों द्वारा यह मुद्दा उठाया गया कि राज्य में एक समान विद्युत–दर के कारण विद्युत वितरण कम्पनियों में परस्पर प्रतिस्पर्धा का अभाव है। ऐसी पद्धति वितरण कम्पनियों की असफलता को उजागर नहीं कर पा रही है जिनका प्रबंधन दक्ष नहीं है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग द्वारा इस संबंध में उचित दृष्टिकोण अपनाया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

म.प्र. शासन ने नीति–निर्देश दिये हैं कि राज्य भर में उपभोक्ताओं की एक जैसी श्रेणियों हेतु विद्युत–दर एक–समान रखी जाए। आयोग द्वारा टैरिफ आदेश का प्रसारण तदनुसार किया गया है। तथापि, दक्षता मानदण्ड, जैसे कि हानि स्तर कड़ाई से निर्धारित मानदण्डों के अनुसार रखे गये हैं जो कि प्रत्येक विद्युत वितरण कम्पनी के लिये पृथक–पृथक हैं।

विषय क्रमांक 31 : दूर संचार सेवा प्रदायकर्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

दूर संचार सेवा प्रदायकर्ताओं द्वारा दूर संचार उद्योग की सहायतार्थ उनका संयोजन वाणिज्यिक खण्ड (Slab) से औद्योगिक खण्ड में परिवर्तित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी का कथन है कि निम्न दाब औद्योगिक श्रेणी (एलवी–4) की प्रयोज्यता का अवलोकन किया जाए जिसके अनुसार यह श्रेणी ऐसी औद्योगिक स्थापनाओं हेतु संरचित की गई है जहां सामान/सामग्री (Goods/materials) का विनिर्माण (manufacturing) तथा खाद्य सामग्री/कृषि सामग्री का प्रसंस्करण किया जाता है।

दूर संचार सेवाओं के अन्तर्गत, किसी प्रकार का विनिर्माण/प्रसंस्करण प्रक्रिया सन्निहित नहीं होती, अतएव दूर संचार सेवाओं की टैरिफ श्रेणी एलवी–2 को एलवी–4 में परिवर्तन किये जाने को स्वीकार नहीं किया जा सकता। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि आयोग उचित समझे तो दूर संचार सेवाओं के लिये अनुसूची एलवी–2 के अंतर्गत पृथक उपश्रेणी पर विचार कर सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि इस विषय पर फिलहाल किसी परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि आयोग समस्त हितधारकों के दृष्टिकोण प्राप्त किय जाने के उपरांत, सूचना प्रौद्योगिकी (IT), सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाएं (Information Technology Enabled Service -ITES), दूर संचार सेवाओं तथा संबद्ध सेवाओं हेतु एक पृथक उपश्रेणी लागू करने का इच्छुक है।

विषय क्रमांक 32 : निजी छात्रावासों का वर्गीकरण

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

छात्रावास स्वामियों के संघ के प्रतिनिधियों द्वारा अनुरोध किया गया कि निजी छात्रावासों को श्रेणी एलवी 1 के अन्तर्गत रखा जाए।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

टैरिफ श्रेणी तथा तत्संबंधी निबन्धन तथा शर्ते आयोग के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आती हैं।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अंतर्गत निजी छात्रावासों, शासकीय छात्रावासों को एलवी–2 के अंतर्गत एक पृथक श्रेणी में रखा गया था तथा इसमें आगे किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाना संभव नहीं है।

विषय क्रमांक 33 : स्थाई प्रभारों में कमी लाना

<u>हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा</u>

कुछ प्रतिवादियों द्वारा अनुरोध किया गया है कि विद्युत वितरण कम्पनी का स्थाई प्रभारों में 25% से 40% तक की वृद्धि के प्रस्ताव को स्वीकार न किया जाए तथा इसे विद्यमान स्तर पर ही जारी रखा जाए।

<u>वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया</u>

टैरिफ संरचना में स्थाई प्रभारों का प्रावधान, उपभोक्ताओं से स्थाई प्रकृति के प्रभारों, जो कि उनके द्वारा वहन किये जाते हैं भले ही उपभोक्ता विद्युत की खपत न भी कर रहा हो, की वसूली हेतु किया जाता है।

<u>आयोग का दृष्टिकोण</u>

आयोग द्वारा स्थाई प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त कारकों पर विचार कर लिया गया है तथा तद्नुसार इसका प्रावधान विद्युत–दर में किया गया है।

विषय क्रमांक 34 : न्यूनतम खपत/न्यूनतम प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

विभिन्न उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों द्वारा मांग की गई है कि निम्न दाब/उच्च दाब औद्योगिक श्रेणियों हेतु न्यूनतम खपत/प्रभारों को समाप्त कर दिया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

औद्योगिक श्रेणियों हेतु विद्युत वितरण कम्पनियों का विचार है कि सामान्यतः न्यूनतम विद्युत–दर (टैरिफ) उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए यदि स्थाई लागत की वसूली पूर्णतया स्थाई प्रभारों के माध्यम से की जाती है। तथापि, यदि स्थाई प्रभारों का स्तर काफी न्यून स्तर पर रखा जाता हैं तो इसके सिवाय कोई अन्य विकल्प विद्यमान नहीं रह जाता कि उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभार अधिरोपित किये जाएं ताकि राजस्व सन्तुलन को बनाये रखा जा सके।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा इस विषय पर प्रकट किया गया मत (टैरिफ आदेश 2007–08 अनुसार) आज भी लागू होता है। आयोग का मत है कि यदि स्थाई प्रभारों की वसूली पूर्णतया स्थाई लागत के माध्यम से की जाती है तो सामान्यतः इन्हें उपभोक्ताओं से वसूल नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु, यदि स्थाई प्रभार काफी न्यून स्तर के हों तो कुछ उपभोक्ता श्रेणियों हेतु न्यूनतम प्रभारों को अधिरोपित करने के सिवाय और कोई विकल्प नहीं रह जाता ताकि राजस्व का सन्तुलन बना रहे। यहां यह भी उल्लेख किया जाता है कि यदि खपत का स्तर न्यूनतम प्रभारों की मानदण्डीय सीमा से अधिक हो तो ऐसी दशा में केवल वास्तविक खपत प्रभारों की ही वसूली हो पाती है।

विषय क्रमांक 35 : भार–कारक रियायत (लोड फैक्टर कन्सेशन)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों के कुछ प्रतिवादियों द्वारा यह परामर्श दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भार–कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन बढ़ाने के बजाय भार–कारक प्रोत्साहन को विद्युत–दर में सम्मिलित कर दिया जाए जिसके कारण समग्र विद्युत–दर में कमी होगी।

भार–कारक प्रोत्साहन समस्त यूनिटों पर प्रदान किया जाए तथा न केवल न्यूनतम विनिर्दिष्ट स्तर से अधिक खपत पर, जो भार–कारक प्रोत्साहन की पात्रता रखती है।
विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत 50% भार कारकों तक ऊर्जा लागत प्रभार में 25–40% तक की वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है। इसे विद्यमान स्तर पर ही बनाए रखा जाए। इसी प्रकार 50% भार कारक से अधिक के ऊर्जा लागत प्रभारों में 15–30% वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है। इसे वर्तमान स्तर पर ही बनाए रखा जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

भार–कारक प्रोत्साहन प्रदान किये जाने का मुख्य उद्देश्य उपभोक्ताओं को भारों के अनुकूलतम उपयोग को प्रोत्साहित किया जाना है। अनुज्ञप्तिधारियों की औसत विद्युत क्रय लागत तथा उपभोक्ताओं की औसत विद्युत–दर स्वतः कम हो जाएगी यदि उपभोक्ता उसी संविदा मांग में अधिकतम विद्युत का आहरण करता है तथा इस प्रकार औसत विद्युत क्रय लागत में कमी भार कारक प्रोत्साहन के माध्यम से उपभोक्ता को अंतरित हो जाएगी। इस प्रकार, औसत विद्युत दर में कमी तथा द्वितीय भार कारक प्रोत्साहन के रूप में उपभोक्ता दुगुना लाभ प्राप्त करता है।
उपरोक्त के अतिरिक्त, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग के अनुसार सामान्य रूप से प्रोत्साहन उपभोक्ताओं के मध्य एक विभेदक कारक (Distinguishing Factor) है, यदि इसे समग्र रूप से देखा जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा अपने अवधारणा पत्र (Approach Paper) में सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान ऊर्जा दर रखे जाने पर तथा भार कारक प्रोत्साहन को उचित रूप से संशोधित किये जाने का उल्लेख किया गया था। तथापि, तत्संबंधी विद्युत दर की सम्पूर्ण संरचना तथा इसके उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभार के संबंध में पुनर्विचार किये जाने पर आयोग द्वारा यह पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में सम्पूर्ण खपत पर एक समान ऊर्जा प्रभार रखा जाना प्रभावित उपभोक्ता के हित में उचित नहीं होगा। अतएव, आयोग द्वारा इसी संरचना को बनाये रखे जाने का, तथापि भार–कारक प्रोत्साहन की गणना हेतु सूत्र में कुछ संशोधन द्वारा, निर्णय लिया गया है। भार–कारक हेतु खण्डों (Slabs) को प्रोत्साहन प्रतिशत दरों समेत कम कर दिया गया है।

विषय क्रमांक 36 : मौसमी उद्योगों हेतु ऊर्जा प्रभार

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी क्षेत्र के कपास की फसल लेने वाले कृषकों द्वारा मांग की गई कि उपभोक्ता द्वारा किये गये अनुरोध के अनुसार मौसमी उपभोक्ता हेतु मौसम–बाह्य अवधि 4 से 6 माह होनी चाहिए। इस अवधि को कपास की ओटाई हेतु कृषकों द्वारा चाहा गया है।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दर का निर्धारण, मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा विभिन्न घटकों पर विचार कर राष्ट्रीय टैरिफ नीति के उपबन्धों के अनुरूप किया गया है। मौसमी उपभोक्ताओं हेतु, टैरिफ संरचना का निर्धारण मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा आमजन के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए तथा ऐसे उद्योगों की खपत के प्रकार के आधार पर किया गया था।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर को अन्तिम करते समय आपत्तिकर्ताओं के सुझावों तथा अनुज्ञप्तिधारियों के दृष्टिकोण पर विचार किया गया है तथा आयोग मानता है कि वर्ष के दौरान 180 दिवस की मौसम की अवधि युक्तियुक्त है। अतएव, विद्यमान प्रावधानों में किसी भी परिवर्तन पर विचार नहीं किया गया है।

विषय क्रमांक 37 : उच्च दाब उद्योगों हेतु ऊर्जा कारक प्रोत्साहन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया कि वर्तमान में ऊर्जा कारक 95% के स्थान पर 90% से अधिक हो जाने पर, 1% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। यह भी सुझाव दिया गया कि 98% से 100% ऊर्जा कारक पर अतिरिक्त 1% के विशेष प्रोत्साहन पर भी विचार किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

आयोग का मत जैसा कि इसका उल्लेख टैरिफ आदेश दिनांक 29–03–08 में किया गया है निम्नानुसार उद्धरित किया जाता है :

''प्रथमतः, ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अथवा प्रोत्साहन की अवधारणा को समझने की आवश्यकता है। विद्युत प्रवाह (करंट) का आहरण इकाई (यूनिटी) ऊर्जा कारक पर अनुकूलतम होता है। अतएव आदर्श रूप से, ऊर्जा–कारक का मान इकाई होना चाहिए जो कि उपभोक्ता हेतु भी सहायक है तथा इसके साथ–साथ यह केवीए संविदा मांग को कम करता है तथा तदनुसार मांग प्रभारों को भी। उदाहरणतया, ऊर्जा–कारक को उच्चतर स्तर पर रखा जाना आदेशात्मक (Mandatory) होना चाहिए। तथापि, वर्तमान परिदृश्य में, ऊर्जा–कारक में सुधार हेतु प्रोत्साहन प्रदान किया जाना वांछित होगा।

उच्च दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में, 95% से अधिक के मान पर, प्रोत्साहन प्रदान किया जाना काफी अच्छा है। ऐसे उपभोक्ता ऊर्जा प्रभारों में अधिकतम 5% की छूट प्राप्त कर सकते हैं। उच्च दाब प्रकरणों में, प्रोत्साहन की सीमा 95% से घटाकर 90% किये जाने में कोई औचित्य नहीं है। इस संबंध में, पिछले टैरिफ आदेश में किये गये प्रावधान में कोई परिवर्तन किया जाना आवश्यक नहीं है।''

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग का मत है कि 95% भार कारक पर प्रोत्साहन प्रदान किये जाने संबंधी प्रावधान युक्तिसंगत है। तथापि, आयोग द्वारा 98% से अधिक भार कारक पर बढ़ी हुई दर पर प्रोत्साहन अनुज्ञेय किया गया है।

विषय क्रमांक 38 : टर्मिनल प्रसुविधा न्यास को परिचालन योग्य बनाये जाने में हो रहा विलम्ब

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

मध्य प्रदेश विद्युत मण्डल, अभियन्ता संघ, जबलपुर द्वारा अनुरोध किया गया है कि टर्मिनल प्रसुविधा न्यास (Terminal Benefit Trust) हेतु अंशदान प्रावधान जैसे कि इसके संबंध में तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु प्रावधानित किया गया है, को अनुज्ञेय किया जाए ताकि टर्मिनल प्रसुविधा न्यास में निधि का गठन किया जा सके।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

अन्तरण हेतु कार्यवाही मप्रविनिआ द्वारा अन्तिम तथा अनुमोदित किये जाने वाले दिशा–निर्देशों के अनुरूप की जाए। अतएव विद्युत–दर (टैरिफ) में किये गये प्रावधान को अनुमति प्रदान की जाए।

आयोग का दृष्टिकोण

विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु टर्मिनल प्रसुविधा न्यास की व्यवस्था किये जाने संबंधी विषय पर वर्तमान में विचार नहीं किया जा रहा है तथा इस पर कार्यवाही पृथक से की जाएगी।

विषय क्रमांक 39 : अति उच्च दाब/उच्च दाब श्रेणी का युक्तियुक्तकरण

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा अति उच्च दाब/उच्च दाब श्रेणियों के समस्त वर्गों के संबंध में स्थाई प्रभारी के युक्तियुक्तकरण किये जाने तथा उच्च दाब श्रेणी के उपभोक्ताओं हेतु इन्हें कम किये जाने का अनुरोध किया गया है। अति उच्च दाब विद्युत–दर में 10% की कमी लाये जाने का अनुरोध किया गया। इसे वोल्टेजवार विद्युत प्रदाय की लागत से संबद्ध कर दिया जाए। उनके द्वारा कैप्टिव पावर संयंत्र से युक्तिसंगत दर पर विद्युत क्रय दर निर्धारित किये जाने का भी अनुरोध किया गया।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा विद्युत–दर हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों का अवधारण करते समय समस्त घटकों के साथ–साथ प्रति अनुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Roadmap) के प्रावधानों पर भी विचार कर लिया गया है। टैरिफ आदेश में कैप्टिव विद्युत संयंत्रों द्वारा विद्युत के क्रय हेतु दरों का प्रावधान किया गया है।

विषय क्रमांक 40 : अस्थाई विद्युत प्रदाय

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

लघु उद्योगों के प्रतिनिधियों द्वारा सुझाव दिया गया कि अस्थाई विद्युत स्थाई निम्न दाब संयोजनों हेतु अनुज्ञेय की जाए तथा अस्थाई संयोजन प्रभार सामान्य प्रभारों के 1.1 गुना से अधिक नहीं होने चाहिए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

इस प्रकार की सुविधा को निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु विस्तार किया जाना संभव नहीं है क्योंकि अधिकांश निम्न दाब उपभोक्ताओं को अधिकतम मांग अभिलिखित किये जाने हेतु मीटर प्रदान नहीं किये जाते। अस्थाई उपभोक्ता अनुज्ञप्तिधारी को स्थाई राजस्व प्रवाह प्रदान नहीं करते हैं। अतएव सामान्य दर की 1.5 गुना दर पर्याप्त रूप से युक्तिसंगत है। अस्थाई विद्युत प्रदाय सुविधा प्रदान किये जाने हेतु 1.1 गुना की दर एक अत्यधिक अल्प क्षतिपूर्ति है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग द्वारा स्थाई संयोजनों की दर का 1.3 गुना अस्थाई संयोजन की बिलिंग हेतु प्रावधान किया गया है। इसके उपरान्त कोई अन्य परिवर्तन किया जाना उचित नहीं होगा। आयोग स्थाई संयोजन के माध्यम से निम्न दाब अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने को व्यावहारिक नहीं मानता है।

विषय क्रमांक 41 : स्वतंत्र विशेषज्ञों के माध्यम से आंकड़ों का सत्यापन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इण्डस्ट्रियल एसोसियेशन के प्रतिनिधियों द्वारा यह सुझाव दिया गया कि विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा टैरिफ प्रस्तावों में प्रस्तुत किये गये आंकड़ों का सत्यापन स्वतंत्र विशेषज्ञों के एक दल के माध्यम से किये जाने की आवश्यकता है। आंकड़ों का सत्यापन निम्न मुद्दों पर किया जा सकता है :

(i) क्या खुदरा वितरण विद्युत दरों के अवधारण बाबत समस्त आंकड़े मप्रविनिआ द्वारा संरचित विनियमों के अनुरूप हैं ?
(ii) खुदरा वितरण विद्युत दरों के अवधारण के संबंध में मांग का पूर्वानुमान, वसूली दरें तथा राजस्व का पूर्वानुमान।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

माननीय आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया था तथा उनके द्वारा तृतीय पक्ष द्वारा सत्यापन किये जाने का समर्थन नहीं किया गया। इस संदर्भ में, आपत्तिकर्ता द्वारा म प्र इलेक्ट्रिसिटी कन्ज्यूमर सोसायटी, इन्दौर द्वारा याचिका क्रमांक 80/07 में आयोग द्वारा पारित आदेश का अवलोकन किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार का सत्यापन किया जाना एक समय नष्ट करने वाली प्रक्रिया मात्र होगी तथा अन्तिम रूप से निरर्थक सिद्ध होगी क्योंकि वर्तमान में अनुसरण की जा रही प्रक्रिया में सत्यापन, आपत्तियां के अभिलेखन/सुझावों तथा वांछित पारदर्शिता हेतु पर्याप्त अवसर विद्यमान हैं।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग इस विषय पर विद्युत वितरण कम्पनी के दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 42 : इस्पात उद्योगों हेतु विशेष विद्युत–दर (टैरिफ)

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

इस्पात उद्योग के प्रतिवेदकों द्वारा इस्पात उद्योग हेतु भार विशिष्टता (लोड कैरेक्टरस्टिक) को दृष्टिगत रखते हुए विशेष विद्युत–दर प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

इस्पात उद्योग की प्रमुख विशेषताएं तथा इसकी भार विशिष्टताएं निम्नानुसार हैं :

सम्पूर्ण वर्ष के दौरान उच्च दाब घटक के साथ–साथ भार एक–समान रहता है। इससे ताप विद्युत स्टेशन को सहायता प्राप्त होती है तथा .उत्पादन में कमी किये जाने (backing down) को भी परिवर्जित करता है।

विद्युत की प्राप्ति निकटम 220/132 केवी उपकेन्द्र से भारी संवाहक (heavy conductor) पर प्रत्यक्ष लघु संभारक (Direct short feeder) के माध्यम से प्राप्त की जाती है। इस प्रकार पारेषण तथा वितरण हानियां 5–6% तक कम होती हैं।

अन्य मदों से संबद्ध उपरोक्त घटक, विद्युत प्रदाय की लागत को कम कर देते हैं। इसके अतिरिक्त, विद्युत प्रदाय दरों की तुलना, यदि छत्तीसगढ़, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश से की जाए तो यह काफी अधिक हैं।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

टैरिफ में प्रस्तावित परिवर्तन हेतु सुझावों का कोई आधार नहीं है, अतः इन पर सहमति व्यक्त नहीं की जा सकती।

आयोग का दृष्टिकोण

जैसे–जैसे भार–कारक में वृद्धि होती है प्रोत्साहन की राशि में भी उत्तरोत्तर वृद्धि हो जाती है जिससे प्रति यूनिट ऊर्जा दर में प्रभावी ढंग से कमी आती है। इससे सामान्यतः विद्युत, इस्पात उद्योगों के हितों के संवर्द्धन में सहायता मिलती है। आयोग द्वारा विद्यमान टैरिफ आदेश में 75% से अधिक भार कारक हेतु प्रोत्साहन की अधिक दर का प्रावधान किया गया है। अतएव, इसके लिये एक पृथक श्रेणी की आवश्यकता न्यायसंगत नहीं है।

विषय क्रमांक 43 : एल.वी. 1.1 श्रेणी हेतु टैरिफ अनुसूची

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

गैर शासकीय संगठन के एक प्रतिनिधि द्वारा सुझाव दिया गया कि समग्र घरेलू श्रेणी को सम्मिलित किये बिना श्रेणी एल.वी.1.1 हेतु कुल विद्युत खपत तथा राजस्व का प्रक्षेपण पृथक रूप से दर्शाया जाए। यह सुझाव भी दिया गया कि ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने हेतु प्रोत्साहनों को प्रभावी ढंग से आमजन तक सन्देश पहुंचाने की दृष्टि से इन्हें बिलों के पीछे की ओर मुद्रित किया जाए।

वितरण कम्पनियों की प्रतिक्रिया

श्रेणी एल.वी. 1.1 हेतु उपभोक्ताओं की विद्युत खपत तथा राजस्व के प्रक्षेपण का प्रस्ताव तथा पृथक से ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव अच्छा है तथा विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा इसे संज्ञान में ले लिया गया है।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा व्यक्त किये गये दृष्टिकोण से सहमत है।

विषय क्रमांक 44 : सामाजिक/वैवाहिक के प्रयोजन हेतु अस्थाई संयोजन

हितधारकों द्वारा उठाया गया मुद्दा

एक प्रतिवादी द्वारा जनसुनवाई के दौरान सुझाव दिया गया कि श्रेणी एल.वी. 1 के अन्तर्गत सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोह हेतु अस्थाई संयोजन हेतु विद्यमान स्थाई प्रभार वित्तीय वर्ष 2010–11 में भी जारी रखे जाएं। यह भी बतलाया गया कि विवाह के एक दिवसीय स्वागत समारोह हेतु दो दिनों के प्रभारों की वसूली की जाती है क्योंकि संयोजन के विच्छेद तथा मीटर हटाये जाने पर तिथि में परिवर्तन हो जाता है। अतएव ये प्रभार वास्तविक उपयोग के घंटों पर आधारित होने चाहिए।

आयोग का दृष्टिकोण

आयोग प्रतिवादी द्वारा व्यक्त किये गये विचारों से सहमत है तथा टैरिफ आदेश में इस संबंध में उचित प्रावधान कर दिया गया है।

अवधारणा पत्र (Approach Paper) पर टिप्पणियां

आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु वितरण विद्युत दर रूपांकन संबंधी विषयों पर समस्त हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किये गये थे। इसके प्रत्युत्तर में कई सुझाव भी प्राप्त किये गये हैं तथा इनकी चर्चा निम्न परिच्छेदों में की गई है :

1. पंजीकृत समूह सहकारी गृह निर्माण समितियों के अतिरिक्त आवासीय कालोनियों की समितियों हेतु भी एकल बिन्दु संयोजन प्रदान करना (Providing Single point connection to the Societies of Residential Colonies in addition to Registered Group Co-operative Housing Societies)

प्रस्ताव : आयोग का यह दृष्टिकोण है कि पंजीकृत समूह सहकारी निर्माण समितियों के अतिरिक्त पंजीकृत आवासीय समितियों को भी उच्च दाब एकल बिन्दु संयोजन की सुविधा का विस्तार किया जाए क्योंकि दोनों प्रकार के प्रकरणों में अन्तिम उपयोग एक समान होता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : विद्युत वितरण कमपनियों का यह दृष्टिकोण है कि आयोग द्वारा कतिपय कानूनी विषयों का निराकरण किया जाना आवश्यक है, जैसे कि इस प्रकार की समितियां हेतु उच्च दाब अनुबन्ध के निष्पादन हेतु किसे अधिकृत किया जाएगा तथा भुगतान में चूक किये जाने की दशा में देय राशि वसूली अधिनियम (Dues Recovery Act) के अंतर्गत किस प्रकार कार्यवाही की पहल की जाएगी तथा यह कार्यवाही किस व्यक्ति के विरूद्ध की जाएगी। तथापि, यदि अन्य आवसीय समितियां भी आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत करती हैं तथा प्रतिभूति निक्षेप (जैसी कि यह उच्च दाब उपभोक्ताओं द्वारा जमा किया जाता है) देने हेतु सहमत हों ताकि कोई चूक होने पर वसूली संबंधी कार्यवाही प्रारंभ की जा सके तो ही एकल–बिन्दु संयोजन प्रदान किये जायें।

उपभोक्ताओं के सुझाव : उपभोक्ताओं ने इस प्रस्ताव का वृहद स्वागत किया है। यह भी सुझाव दिया गया कि ऐसे उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु भी आवासीय प्रयोजन हेतु एकल बिन्दु संयोजन का प्रावधान किये जाने पर भी विचार किया जाए जिनके औद्योगिक परिसर में उनके कर्मचारियों हेतु आवासीय खण्ड विद्यमान हैं।

आयोग का दृष्टिकोण : उपभोक्ताओं द्वारा की गई मांग तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के मत को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग ने आवासीय उपयोग हेतु एकल बिन्दु उच्च दाब संयोजन प्रदान किये जाने हेतु पंजीकृत सहकारी गृह निर्माण समितियों को सम्मिलित किये जाने का वृहद दृष्टिकोण अपनाया है। इन संयोजनों को समस्त प्रयोजनों हेतु अन्य उच्च दाब संयोजनों

की ही भांति माना जाएगा, तथापि विद्युत प्रदाय संहिता, 2004, जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए, के सुसंबद्ध प्रावधान भी इन पर लागू होंगे।

2. निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में विद्यमान 100 अश्वशक्ति की सीमा को बढ़ाकर अधिकतम 150 अश्वशक्ति तक बढ़ाया जाना (Increase in Ceiling of maximum connected load from existing limit of 100 HP to 150 HP in case of LT consumers)

प्रस्ताव : आयोग ऐसे प्रकरणों में जहां उपभोक्ताओं द्वारा द्वि–भाग मांग आधारित विद्युत दर का लाभ लिया जा रहा है, हेतु अधिकतम अनुज्ञेय संयोजित भार की 100 अश्वशक्ति की उच्चतम सीमा को बढ़ाकर 150 अश्वशक्ति की अपेक्षा रखता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : विद्युत वितरण कम्पनियां निम्न दाब पर अधिकतम संयोजित भार की उच्चतम सीमा 100 अश्वशक्ति से बढ़ाकर 150 अश्वशक्ति किये जाने के पक्ष में निम्न कारणों से नहीं हैं :–

(अ) उच्च दाब की अपेक्षा निम्न दाब में विद्युत चोरी की संभावनाएं अधिक होती है।

(ब) इस प्रस्ताव से निम्न दाब हानियों में बढ़ोतरी होगी।

(स) विद्युत वितरण कम्पनियां निम्नदाब–रहित प्रणाली की ओर अग्रसर हो रही हैं। आर–एपीडीआरपी योजना के अंतर्गत उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) निम्न दाब तन्तुपथों (लाईनों) तथा इनकी हानियों को घटाने में काफी वृहद्ध राशि का निवेश किया जाना प्रस्तावित है।

(द) पूर्व क्षेत्र विवि कंपनी का मत है कि वोल्टेज स्तरों से संबद्ध न्यूनतम तथा उच्चतम भार की विनिर्दिष्ट सीमा विद्युत प्रदाय संहिता से संबद्ध विषय है तथा इस पहलू पर संशोधन आदि कार्यवाही विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का संशोधन, नियमित प्रक्रिया जैसे कि जन सुनवाई, आदि के माध्यम से करना होगा।

उपभोक्ताओं के सुझाव : अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा विशेषकर औद्योगिक उपभोक्ताओं द्वारा प्रस्ताव का स्वागत किया गया है। उनके द्वारा इसे लागू किये जाने के संबंध में कई कारण भी गिनाए गये हैं। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि चूंकि मांग मीटरों की स्थापना की जा चुकी है, अतएव संयोजित भार पर कोई उच्चतम सीमा रखे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस्पात उद्योग ने इस प्रस्ताव का यह कहते हुए विरोध किया है कि यह वितरण कम्पनियों के हितों के विपरीत है तथा इससे निम्न दाब हानियों में वृद्धि होगी।

आयोग का दृष्टिकोण : आयोग द्वारा इस आदेश के अंतर्गत इस संबंध में अपना दृष्टिकोण संबंधित भाग में अध्याय ''विद्युत–दर रूपांकन (Tariff Design)'' में दिया गया है।

3. **उच्च दाब श्रेणियों के अंतर्गत 50 प्रतिशत से अधिक भार कारक पर विद्युत खपत में ऊर्जा प्रभारों के द्वितीय खण्ड (स्लेब) को हटाया जाना तथा भार कारक प्रोत्साहनों में संशोधन करना (Removal of second slab of energy charges for consumption in excess of 50% load factor and modification in Load Factor incentives under HV categories.)**

प्रस्ताव : आयोग ऊर्जा प्रभारों की प्रभेदक दर को हटाने तथा सम्पूर्ण खपत पर एक समान ऊर्जा प्रभारों के पूर्व प्रतिमान (pattern) को पुनर्स्थापित करने की अपेक्षा रखता है जिसके अन्तर्गत भार कारक प्रोत्साहनों में संशोधन इस प्रकार किये जाएंगे ताकि प्रोत्साहनों को अनुज्ञेय किये जाने के उपरांत विद्युत प्रदाय की शुद्ध दर, विद्युत प्रदाय की औसत लागत से कम न हो।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि भार कारक आधारित ऊर्जा प्रभारों को लागू किये जाने बाबत उनके द्वारा टैरिफ प्रस्तावो में कदापि प्रस्तावित नहीं किया गया था। पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी अवधारणा पत्र में दर्शायेनुसार भार कारक प्रोत्साहन की गणना को युक्तियुक्त बनाए जाने के पक्ष में है।

उपभोक्ताओं के सुझाव : उपभोक्ताओं का यह दृष्टिकोण है कि वित्तीय वर्ष 2009–10 में श्रेणी एच.वी.–3 में किया गया प्रोत्साहन का प्रावधान युक्तियुक्त नहीं है क्योंकि संरचना को भार कारक के आधार पर परिवर्तित कर दिया गया है जिसकी वजह से 24 घंटे की अवधि से कम अवधि हेतु संचालित किये जाने वाले उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त नहीं हो रहा है। अतएव पूर्व के टैरिफ आदेश में किये गये प्रावधान पर पुर्नविचार किया जाए जिसके अन्तर्गत 30% से अधिक भार कारक पर प्रोत्साहन अनुज्ञेय किये जाने संबंधी संशोधन किया जाए।

आयोग का दृष्टिकोण : आयोग द्वारा अपने अवधारणा पत्र (Approach Paper) में सम्पूर्ण खपत हेतु एक समान ऊर्जा दर रखे जाने पर तथा भार कारक प्रोत्साहन को उचित रूप से संशोधित किये जाने का उल्लेख किया गया था। तथापि, तत्संबंधी विद्युत दर की सम्पूर्ण संरचना तथा इसके उपभोक्ता पर पड़ने वाले प्रभार के संबंध में पुनर्विचार किये जाने पर आयोग द्वारा यह पाया गया कि वर्तमान परिस्थिति में सम्पूर्ण खपत पर एक समान ऊर्जा प्रभार रखा जाना प्रभावित उपभोक्ता के हित में उचित नहीं होगा। अतएव, आयोग द्वारा इसी संरचना को बनाये रखे जाने का, तथापि कारक प्रोत्साहन की गणना हेतु सूत्र में कुछ संशोधन द्वारा, निर्णय लिया गया है। भार–कारक हेतु खण्डों (Slabs) को प्रोत्साहन प्रतिशत दरों समेत कम कर दिया गया है।

4. श्रेणी एचवी–1 रेलवे ट्रैक्शन हेतु द्वि–भाग टैरिफ लागू करना (Introduction of two part tariff for HV-1 Railway Traction)

प्रस्ताव : विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45 (3) (ए) में उपभोक्ताओं पर स्थाई प्रभारों के अधिरोपण का प्रावधान किया गया है। उपभोक्ताओं की समस्त उच्च दाब श्रेणियों में स्थाई प्रभारों के अधिरोपण, केवल एचवी–1 श्रेणी के अन्तर्गत केवल रेलवे ट्रेक्शन को छोड़कर, का प्रावधान किया गया है। अनुज्ञप्तिधारियों की स्थाई लागतें कुल व्ययों का 70% से भी अधिक भाग हैं। अतएव, आयोग इस श्रेणी के अन्तर्गत अन्य उच्च दाब श्रेणियों के अनुरूप संरेखित किये जाने हेतु स्थाई प्रभार लागू किये जाने की अपेक्षा रखता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा पूर्व में ही आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये गये टैरिफ प्रस्ताव में रेलवे कर्षण हेतु द्विभाग विद्युत–दर प्रस्तावित की गई है। टैरिफ नीति में भी द्विभाग विद्युत–दर (टैरिफ) का सुझाव दिया गया है। सुसंबद्ध कण्डिका यहां उद्धरित की जाती है :

''उन वृहद् उपभोक्ताओं हेतु (जिनकी मांग एक मेगावाट से अधिक है), द्वि–भाग टैरिफ जिसकी विशिष्टता पृथक–पृथक स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के साथ–साथ समय–विभेदक (time-differential) टैरिफ एक मुख्य विशेषता है, को एक वर्ष के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में भी शीर्ष अवधि को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।''

उपभोक्ताओं के सुझाव : रेलवे द्वारा द्विभाग विद्युत–दर अधिरोपित किये जाने के प्रस्ताव का विरोध यह उल्लेख करते हुए किया गया है कि विद्युत–दर को युक्तियुक्त बनाये जाने के स्थान पर इसमें द्विभाग विद्युत–दर को पुनर्स्थापित करने तथा ऊर्जा प्रभारों में असामान्य वृद्धि किया जाना सन्निहित है। टैरिफ संरचना में बारंबार परिवर्तनों के कारण उन्हें दीर्घ–अवधि नियोजन को प्रभावी बनाए जाने में कठिनाई उत्पन्न हो गई है।

आयोग का दृष्टिकोण : आयोग ने सुसंबद्ध कारकों, विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्धों तथा टैरिफ नीति पर विचार करते हुए रेलवे कर्षण विद्युत–दर में स्थाई प्रभारों को अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया है।

5. औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत दर को अधिरोपित किया जाना (Urban Tariff for consumers under Industrial Growth Centers)

प्रस्ताव : राज्य में अधिसूचित किये गये कुछ ग्रामीण क्षेत्रों को औद्योगिक विकास केन्द्रों के रूप में विकसित किया गया है तथा ये क्षेत्र अनुज्ञप्तिधारी से शहरी क्षेत्रों के सदृश विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं। चूंकि ये केन्द्र विशेष औद्योगिक अथवा शहरी संभारकों से विद्युत की प्राप्ति कर रहे हैं, आयोग ऐसे केन्द्रों के उपभोक्ताओं को शहरी विद्युत–दर (Urban Tariff) के अन्तर्गत रखे जाने की अपेक्षा रखता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : विद्युत वितरण कम्पनियां इस प्रस्ताव पर आयोग की अवधारणा का समर्थन करती हैं। चूंकि इन शहरी क्षेत्रों के अन्तर्गत उपभोक्ता निरन्तर विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं; अतएव इन्हें भी शहरी विद्युत–दर लागू की जानी चाहिए।

उपभोक्ताओं के सुझाव : औद्योगिक विकास केन्द्रों में प्रदाय वोल्टेज तथा उपभोक्ताओं की श्रेणी से असम्बद्ध एक समान विद्युत प्रदाय कायम रखा जाना चाहिए। शहरी क्षेत्रों का निर्णय राज्य शासन की अधिसूचना के अनुसार लिया गया है जिसे कि आयोग द्वारा अपना लिया गया है। इस प्रकार, यदि शहरी क्षेत्रों में कोई परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो यह इसे राज्य शासन की अधिसूचना द्वारा ही किया जाना उचित होगा। औद्योगिक विकास केन्द्रों के संबंध में निर्णय भी राज्य शासन द्वारा लिया गया है। अतएव, आयोग का औद्योगिक विकास केन्द्र के अन्तर्गत विद्युत–दर के संबंध में दृष्टिकोण के बारे में स्पष्टीकरण की आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत किसी भी औद्योगिक लघु–क्षेत्र (Pocket) को औद्योगिक विकास केन्द्र के रूप में परिभाषित नहीं किया जा सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण : आयोग इसे उचित मानता है कि वे उपभोक्ता जो शहरी उपभोक्ताओं के सदृश विद्युत प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शहरी उपभोक्ताओं के समकक्ष ही प्रभार अधिरोपित किये जाने चाहिए तथा तद्नुसार अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्रों के उन उपभोक्ताओं हेतु जो शहरी क्षेत्र के अंतर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त कर रहे हैं उन्हें शहरी विद्युत–दर अधिरोपित किये जाने का प्रावधान किया गया है।

6. विद्युत उत्पादक संयंत्रों (कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) [Tariff for Generators (including Captive Generators)]

प्रस्ताव : विद्युत उत्पादक संयंत्रों (कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए) हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का प्रावधान करना जो वितरण अनुज्ञप्तिधारियों से ऊर्जा विद्युत उत्पादन

प्रणाली को प्रारंभ करने (Start-up) अथवा ऐसी इकाईयों से ग्रिड संयोजन के प्रयोजन हेतु ऊर्जा प्राप्त करती हैं।

विद्युत वितरण कम्पनियों का दृष्टिकोण : विद्युत वितरण कम्पनियों का मत है कि उपरोक्त कथित इकाईयों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) का प्रावधान मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में किया जा चुका है जिसे शासकीय राजपत्र में दिनांक 20.2.2009 को प्रकाशित किया गया था।

विद्युत प्रणाली प्रारंभ करने अथवा वैकल्पिक समर्थन एक अस्थाई प्रकार की गतिविधि है परन्तु इस प्रकार की गतिविधि हेतु पारेषण/वितरण प्रणाली में तथा ट्रांसफार्मरों में चौबीसों घंटे सम्पूर्ण क्षमता को निरन्तर बनाये रखने की आवश्यकता होती है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा पूर्व में भी कुछ उच्च दाब उपभोक्ताओं द्वारा आयोग के समक्ष दाखिल की गई याचिकाओं में सुनवाई के दौरान की जा चुकी है। मप्रविनिआ द्वारा पूर्व में भी अधिनियम तथा नीतियों के विद्यमान उपबन्धों के आधार पर सुसंबद्ध विनियम में एक संशोधन प्रस्तावित किया गया था जिसका विद्युत वितरण कम्पनियों ने अधिनियम तथा नीतियों में प्रचलित प्रावधानों के आधार पर विरोध किया था। विद्युत वितरण कम्पनियों का मत है कि विद्युत उत्पादन संयंत्रों तथा कैप्टिव विद्युत संयंत्रों (CPP) हेतु प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु ऊर्जा अथवा ग्रिड संयोजन हेतु पृथक विद्युत–दर श्रेणी लागू किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

उपभोक्ताओं के सुझाव : यहां यह उल्लेख किया जाना प्रासंगिक है कि विद्युत उत्पादकों को नियतकालिक संधारण जांच/सुधार (overhaul) करने होते हैं जिस हेतु संयंत्र को एक वर्ष में 25–30 दिवस की अवधि हेतु बन्द करना होता है परन्तु संयंत्र बन्द किये जाने की अवधि के दौरान भी कुछ विद्युत भार अत्यावश्यक होते हैं। ऐसे अवसर भी आते हैं जब ग्रिड में दोष आ जाने के कारण अथवा विद्युत संयंत्र में स्वयं विद्युत व्यवस्था लड़खड़ा जाती है अथवा समकालन प्रणाली (synchronization) से विलग हो जाती (pull out) है। इन्हें स्वयं को समकालन प्रणाली से जुड़ा रखने हेतु, विद्युत उत्पादकों को समकालन प्रक्रिया के दौरान ग्रिड से विद्युत का आहरण करना होता है जिसकी वजह से कुछ खपत अभिलिखित होती है।

मप्रविनिआ के कथित विनियम में वैकल्पिक समर्थन (Stand by Support) का प्रावधान किया गया है परन्तु ये विद्यमान कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के धारकों (Holders) हेतु आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं है। अतएव कैप्टिव विद्युत संयंत्रों के लिये एक पृथक तथा समुचित विद्युत–दर (टैरिफ) पर विचार किया जाना आवश्यक है अथवा उद्योग हेतु विद्यमान उच्च दाब विद्युत दर से इसे विभेदित किये जाने हेतु एक उपबन्ध सम्मिलित किया जा सकता है।

आयोग का दृष्टिकोण : आयोग के संज्ञान में है कि कई राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों में इस प्रकार की संभावना हेतु प्रावधान किया गया है। फोरम ऑफ रेगुलेटर्स ने भी विद्युत उत्पादकों हेतु, कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को सम्मिलित करते हुए, समुचित प्रावधान किये जाने का निर्णय लिया है। अतएव, आयोग द्वारा भी सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए, संलग्न शर्तों सहित, विद्युत प्रणाली में प्रारंभिक अथवा ग्रिड संयोजन हेतु विद्युत उपलब्धता सुलभ किये जाने हेतु समुचित प्रावधान किये गये हैं।

ए–5 : खुदरा विद्युत–दर रूपांकन (Retail Tariff Design)

कानूनी स्थिति (Legal Position)

5.1 आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 181(2)(जेडडी) सहपठित धारा 45 तथा धारा 61 के अंतर्गत दिनांक 9 दिसम्बर, 2009 को अधिसूचित विनियमों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु तीन वितरण कंपनियों हेतु वार्षिक राजस्व आवश्यकता अवधारित की है। विद्युत उत्पादक कंपनी, पारेषण कंपनी तथा वितरण कंपनियों हेतु आयोग द्वारा अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता, खुदरा टैरिफ के माध्यम से प्रभारों की वसूली का प्राथमिक आधार निर्मित करती है।

5.2 इसके अतिरिक्त, उपभोक्ता श्रेणीवार विद्युत–दरों के अवधारण में, आयोग ने भारत सरकार द्वारा 6 जनवरी, 2006 को अधिसूचित टैरिफ नीति से भी मार्गदर्शन प्राप्त किया है ।

विद्युत–दर अवधारण हेतु आयोग की कार्यपद्धति

एक–समान बनाम विभेदित खुदरा टैरिफ दरें (Uniform vs Differential Retail Tariffs)

5.3 आयोग ने राज्य शासन से परामर्श कर यह दृष्टिकोण अपनाया है कि एक–समान खुदरा प्रदाय टैरिफ पद्धति वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु भी जारी रखी जाये।

5.4 मध्यप्रदेश शासन द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 11 मई, 2010, जो विद्यमान विद्युत उत्पादक क्षमता के तीन वितरण कंपनियों के मध्य पुनरीक्षित आवंटन से संबंधित है, द्वारा वितरण कंपनियों की वार्षिक राजस्व आवश्यकता के संबंध में एक–समान टैरिफ दर, को न्यूनाधिक एक संतुलित राजस्व आय बनाम अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता द्वारा संभव बनाया गया है। वित्तीय वर्ष 2010–11 की अनुमोदित टैरिफ दरों का प्रयोग करते हुए गणना की गई राजस्व राशि को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता से तुलना किये जाने पर तीन कम्पनियों के मध्य असमान राजस्व अन्तरों/आधिक्यों की ओर उद्भूत होते हैं। म.प्र. शासन द्वारा उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार वितरण कम्पनियों के मध्य उत्पादन क्षमताओं को पुनः आवंटित कर दिया गया है जिससे कि विद्युत वितरण कम्पनियों के मध्य विद्युत क्रय लागतों का पुनर्संतुलन किया जा सके। इसके द्वारा तीनों वितरण कम्पनियों हेतु वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अनुमोदित सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता बनाम वित्तीय वर्ष 2010–11 की अनुमोदित टैरिफ दरों पर न्यूनाधिक संतुलित राजस्व आय को संभव बनाती है, जिससे कि राज्य भर में एक समान विद्युत दरें सुनिश्चित की गई हैं।

5.5 सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का अवधारण मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय तथा चक्रण हेतु टैरिफ के अवधारण संबंधी निबन्धन तथा शर्तें तथा प्रभारों के निर्धारण के संबंध में विधियां तथा सिद्धांत), विनियम, 2009 के अन्तर्गत वितरण हानि स्तर के प्रक्षेप वक्र (loss level trajectory) पर आधारित है।

विद्युत प्रदाय की औसत लागत से संबद्धता

5.6 टैरिफ दरों के अवधारण में, आयोग द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 की इस अर्हता पर यथोचित विचार किया गया है कि उपभोक्ता विद्युत–दरों (टैरिफ) में विद्युत प्रदाय की लागत प्रतिबिंबित होनी चाहिये। राष्ट्रीय टैरिफ नीति में यह प्रावधान किया गया है कि वर्ष 2010–2011 तक टैरिफ दरें औसत विद्युत प्रदाय की लागत के +/– 20% के अंतर्गत होनी चाहिये। वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु विद्युत प्रदाय की औसत लागत की गणना रू. 4.22 पैसे प्रति यूनिट आती है। निम्न तालिका आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार (Cost coverage) के मुकाबले में वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु टैरिफ आदेश में अवधारित लागत संव्यवहार प्रदर्शित करती है।

तालिका : विद्युत–दर (टैरिफ) बनाम विद्युत प्रदाय की औसत लागत का तुलनात्मक अध्ययन

श्रेणी/उपश्रेणी	औसत वसूली, विद्युत प्रदाय की औसत लागत के प्रतिशत के रूप में		
	वित्तीय वर्ष 2009–10 (टैरिफ आदेश 29.07.09 के अनुसार)	वित्तीय वर्ष 2010–11 (दिनांक 6 अक्टूबर, 2007 को अधिसूचित प्रति–सहायतानुदान में कमी लाये जाने संबंधी मार्गदर्शिका के अनुसार लक्ष्य)	वित्तीय वर्ष 2010–11 (इस टैरिफ आदेश के अनुसार निष्पादित)
	वित्तीय वर्ष 09–10	वित्तीय वर्ष 10–11	वित्तीय वर्ष 10–11
घरेलू	93%	95%	94.85%
गैर–घरेलू	144%	120%	138.78%
सार्वजनिक जल–प्रदाय संयंत्र	92%	95%	90.13%
पथ–प्रकाश	101%	100%	92.01%
औद्योगिक	127%	120%	123.94%
कृषि	67 %	80%	74.62 %
रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	128%	120%	125.27%
कोयला खदानें (कोलमाईन्स)	143%	120%	129.28%
औद्योगिक	127%	120%	121.23%

गैर–औद्योगिक	**136%**	**120%**	**125.62%**
सिंचाई, जल–प्रदाय संयंत्र, तथा अन्य कृषि उपयोग	**95%**	**95%**	**95.60%**
थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसिडेंशियल यूजर्स)	**103%**	**97%**	**100.16%**
छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	**93%**	**95%**	**88.42%**

5.7 जैसा कि इस आदेश के पूर्व के भागों में व्याख्या की गई है, वर्ष के दौरान लागत संरचना में परिवर्तन हो चुका है। लागतों में वृद्धि के कारण, विद्युत प्रदाय की औसत लागत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के अन्तर को पाटने की दृष्टि से आयोग द्वारा यथासंभव सुविचारित ढंग से विद्युत–दर (टैरिफ) को प्रति अनुदान मार्गदर्शिका (Cross Subsidy Road Map) से संयोजित किया गया है। कई कारकों द्वारा विद्युत–दर के निर्धारण कों प्रभावित किया गया है जिसमें शामिल है विभिन्न श्रेणियों पर विद्यमान दरों में पड़ने वाली वृद्धि का प्रभाव। तथापि, टैरिफ नीति के उद्देश्यों की आपूर्ति हेतु अग्रसर होने के लिये उत्तरोत्तर प्रयास किया गया है, जो कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है।

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु खुदरा विद्युत–दर (टैरिफ) रूपांकन के मुख्य बिन्दु

5.8 आयोग द्वारा पूर्व में वर्ष 2010–11 हेतु खुदरा टैरिफ संरचना के रूपांकन के संबंध में एक अवधारणा पत्र (Approach Paper) जारी किया था तथा समस्त हितधारकों से इस संबंध में उनकी टिप्पणियां आमंत्रित की गई थीं। इस अवधारणा पत्र में उल्लेखित विभिन्न मुद्दे पूर्व में हितधारकों से प्राप्त विभिन्न सुझावों पर आधारित थे। सार्वजनिक सुनवाई के दौरान इन मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। निम्न भाग में ऐसे समस्त विषय सम्मिलित किये गये हैं जिनके अन्तर्गत आयोग द्वारा खुदरा टैरिफ रूपांकन में अपनाए गये सिद्धान्तों का उल्लेख किया गया है।

निम्न दाब उपभोक्ता (LT Consumers)

एलवी–1 : घरेलू उपभोक्ता

5.9 **100 वॉट तक के संयोजित भार पर आधारित श्रेणी–1** : 30 यूनिट प्रति माह खपत हेतु ये न्यून दरें लघु घरेलू उपभोक्ताओं के प्रयोजन हेतु अवधारित की गई हैं। तद्नुसार, गरीबी रेखा से नीचे के घरेलू उपभोक्ताओं के अभिप्रेत वर्ग को लाभ पहुंचाने तक ही सीमित किये जाने की दृष्टि से केवल 100 वॉट तक के स्वीकृत भार तक के उपभोक्ताओं को इस श्रेणी के अन्तर्गत पात्रता निर्धारित की गई है।

5.10 **घरेंलू श्रेणी के अंतर्गत अस्थाई संयोजन – उपयोग के घंटों पर आधारित प्रभारों की बिलिंग की जाना** : आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 की विद्युत दर के अन्तर्गत घरेलू श्रेणी के अन्तर्गत वैवाहिक/धार्मिक/सामाजिक प्रयोजनों हेतु अस्थाई संयोजन के अंतर्गत स्थाई प्रभारों की बिलिंग हेतु उपयोग की अवधि पर विचार करते हुए प्रति दिवस आधार पर निम्नतर दरें निर्धारित की गई थीं। तथापि, यह जानकारी में लाया गया था कि चूंकि यह उपयोग एक दिवस के दौरान केवल कुछ घंटों की अवधि हेतु ही सीमित होता है परन्तु चूंकि विद्युत प्रदाय का विच्छेद आगामी दिवस को ही किया जाता है अतएव प्रति दिवस पर आधार प्रभारों की बिलिंग की जाती है जो ऐसे उपभोक्ताओं के लिये कदापि न्यायोचित नहीं है। ये प्रभार अब 24 घंटे के निरन्तर उपयोग अथवा उसके किसी अंश पर निर्धारित किये गये हैं।

एलवी–2 गैर–घरेलू उपभोक्ता

5.11 **अस्थाई संयोजन – उपयोग के घंटों पर आधारित प्रभारों की बिलिंग की जाना** : अस्थाई घरेलू संयोजनों हेतु किये गये प्रावधानों के अनुरूप, गैर–घरेलू संयोजनों हेतु, वैवाहिक एवं सामाजिक तथा धार्मिक समारोहों हेतु भी स्थाई प्रभारों तथा न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग 24 घंटे के निरन्तर उपयोग अथवा उसके अंश के आधार पर निर्धारित की गई है।

एलवी–4 औद्योगिक श्रेणी

5.12 **निम्न दाब द्विभाग टैरिफ संयोजनों के प्रकरण में अधिकतम संयोजित भार में अधिकतम सीमा में वृद्धि की जाना** : विद्यमान टैरिफ आदेश में प्रावधान किया गया है कि निम्न दाब पर संयोजन 100 अश्वशक्ति (हार्स पावर) के अधिकतम संयोजित भार पर दिये जा सकते हैं, इस तथ्य पर ध्यान दिये बिना कि अनुबंध/विद्युत दर मांग पर आधारित हैं। द्विभाग टैरिफ प्राप्त करने वाले संयोजनों के प्रकरण में जहां मांग आधारित मीटर स्थापित किये गये हैं, उपभोक्ताओं द्वारा संयोजित भार की अधिकतम सीमा को समाप्त किये जाने की मांग की गई है। निवेदन किया गया है कि जब मीटर में मांग अभिलिखित की जाती है तथा बिलिंग अभिलिखित मांग अथवा संविदा मांग पर आधारित होती है तो ऐसी दशा में परिसर में संयोजित भार पर अधिकतम सीमा निर्धारित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। समस्त

यथोचित कारकों तथा उपभोक्ताओं तथा विद्युत वितरण कम्पनियों के प्रस्तुतिकरण पर विचार करते हुए आयोग का यह मत है कि संयोजित भार पर एक उच्चतम सीमा होनी चाहिए जैसा कि इसे अन्य राज्यों में निर्दिष्ट किया गया है तथा निम्न दाब उपभोक्ताओं के परिसर में संयोजित भार के उपयोग हेतु अनुशासन कायम किये जाने हेतु भी किया जाना चाहिए। तथापि, उपभोक्ताओं द्वारा व्यक्त की गई कठिनाईयों पर विचार करते हुए, आयोग द्वारा द्विभाग मांग आधारित विद्युत दर का लाभ उठाने वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं हेतु संयोजित भार को बढ़ाकर 150 अश्वशक्ति निर्धारित कर दिया गया है।

एलवी–5 कृषि तथा अन्य कृषि उपयोग हेतु

5.13 **अमीटरीकृत खपत का आकलन** : यह मुद्दा उठाया गया था कि सम्पूर्ण वर्ष के दौरान, अमीटरीकृत संयोजनों के प्रकरण में प्रत्येक माह के दौरान एक समान आधार पर आकलन किया जाता है। माह अक्टूबर से मार्च के मध्य रबी मौसम में कृषि कार्यों में विद्युत का उपयोग अधिक मात्रा में तथा माह अप्रैल से सितम्बर तक कम मात्रा में होता है। अतएव, अमीटरीकृत कृषि संयोजनों के प्रकरण में, मासिक खपत की मात्रा की समीक्षा किया जाना उचित समझा गया। तदनुसार, स्थाई संयोजनों के प्रकरण में, मौसम के दौरान खपत में वृद्धि करने तथा विद्यमान समग्र वार्षिक खपत के अन्तर्गत मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के दौरान इसे कम करने का निर्णय लिया गया है। मौसम (सीजन) की अवधि माह अक्टूबर से मार्च मानी गई है जबकि मौसम बाह्य अवधि माह अप्रैल से सितम्बर मानी गई है। आयोग द्वारा वर्ष 2009–10 हेतु पूर्व टैरिफ आदेश में अपनाई गई अवधारणा को इस वर्ष में भी अपनाया गया है। वर्ष 2010–11 के लगभग दो माह व्यतीत हो चुके हैं तथा अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इन महीनों की बिलिंग की जा चुकी होगी। इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 937 दिनांक 13.4.10 द्वारा जारी किये गये स्पष्टीकरण के अनुसार अवशेष अवधि हेतु बिलिंग को आधार को पूर्व क्रय टैरिफ आदेश में प्रदाय किये गयें स्तर पर समस्त वार्षिक खपत के बराबर किये जाने हेतु आनुपातिक कर दिया गया है।

5.14 **अमीटरीकृत खपत के आकलन हेतु मानदण्ड में वृद्धि संबंधी प्रस्ताव** : यह जबकि पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अमीटरीकृत खपत के आकलन हेतु मानदण्ड में काफी अधिक वृद्धि किया जाना प्रस्तावित किया गया है, अन्य दो विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा भी न्यून वृद्धि दर प्रस्तावित की गई है। प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के अनुसार, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी में लगभग 57500 कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मर हैं जिनमें से केवल 5923 वितरण ट्रांसफार्मरों पर ही मीटर स्थापित किये गये हैं। 4373 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों के वाचन आंकड़े प्रस्तुत किये थे। प्रस्तुत किये गये आंकड़ों में यह विसंगति पाई गई कि इनमें न तो निरन्तर मीटर वाचन प्रस्तुत किया था तथा न ही यह स्पष्ट किया गया था कि इन्हीं वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों का वाचन किया गया था। स्पष्टीकरण चाहे जाने पर, पश्चिम क्षेत्र

विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा सूचित किया गया कि कुल 1690 वितरण ट्रांसफार्मरों का वाचन नियमित मासिक आधार पर किया गया है। इस प्रकार यह आंकड़ा कुल वितरण ट्रांसफार्मरों का मात्र 2.9% आता है जिन पर निरन्तर मीटरों का वाचन किया गया। आयोग ने अपने पिछले टैरिफ आदेश में निर्देश दिये थे कि कम से कम ऐसे कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरो के कम से कम 25% ट्रांसफार्मरों पर मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए तथा कम से कम 10% वितरण ट्रांससफार्मरों के आंकड़े आयोग को एक उपयोगी निष्कर्ष पर पहुंचने हेतु प्रस्तुत किये जाएं। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा अत्यधिक कम उपभोक्ताओं के संबंध में आंकड़े प्रस्तुत किये हैं तथा पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी ने कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये हैं। अब तक प्रस्तुत किये गये आंकड़ों के नमूनों की अति अल्प संख्या को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग के पास विद्यमान मानदण्डों को जारी रखे जाने के सिवाय अन्य कोई विकल्प नहीं है।

5.15 **अस्थाई संयोजन–तीन माह के अग्रिम प्रभारों की वसूली की जाना** : वर्ष 2009–10 के दौरान, आयोग द्वारा अस्थाई संयोजनों के विरूद्ध अग्रिम अवधि के संबंध में आकलन किये जाने हेतु इस विषय की समीक्षा की गई है। तद्नुसार, आयोग द्वारा याचिका क्रमांक 52/2009 में जन सुनवाई के उपरांत आदेश दिनांक 30 अक्टूबर, 2009 द्वारा विद्युत वितरण कम्पनियों को तीन माह के अग्रिम की वसूली बावत निर्देश दिये गये थे। यह प्रावधान भी किया गया था कि उपभोक्ता एक माह की अवधि हेतु संयोजन प्राप्त कर सकते हैं, परन्तु तीन माह की अग्रिम राशि वसूल की जाएगी। ऐसे प्रकरणों में, जहां संयोजन की अवधि तीन माह से कम है, वहां प्रत्यर्पण की प्रक्रिया भी निर्दिष्ट की गई है जिसके अन्तर्गत दिशा–निर्देश दिये गये हैं कि देय होने की दशा में प्रत्यर्पण तीस दिवस के अन्दर किया जाए। तीन माह के अग्रिम की वसूली बाबत प्रावधान इस टैरिफ आदेश के अंतर्गत भी जारी रखा गया है।

5.16 **मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु न्यूनतम प्रभार** : विद्युत वितरण कम्पनियों के आर–15 विवरण पत्रों में मीटरीकृत संयोजनों में दर्शाई गई खपत के अध्ययन से प्रकट होता है कि वर्ष 2009–10 के दौरान राज्य में औसत खपत 79 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अभिलिखित की गई है। इस तर्क के आधार पर कि मौसम के दौरान कृषि उपभोक्ताओं द्वारा अधिक मात्रा में विद्युत का उपयोग किया जाता है, न्यूनतम खपत को मौसम–बाह्य (off season) के दौरान माह अप्रैल से सितम्बर तक 25 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह पुनरीक्षित कर दिया गया है तथा माह अक्टूबर से माह मार्च तक की अवधि हेतु मौसम के दौरान 75 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह पुनरीक्षित कर दिया गया है। मौसम बाह्य अवधि के दौरान न्यूनतम 25 यूनिट की खपत तथा मौसम के दौरान 75 यूनिट की खपत से वार्षिक औसत 50 यूनिट प्रति माह बनती है जो वास्तविक खपत स्तर से तुलना किये जाने पर युक्तियुक्त है।

उच्च दाब उपभोक्ता (HT Consumers)

5.17 **एचवी–1 : रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) स्थाई प्रभारों की बिलिंग** : इस श्रेणी हेतु विद्युत दर में स्थाई प्रभारों की बिलिंग का प्रावधान नहीं किया गया था। आयोग द्वारा अपने अवधारणा पत्र (Approach paper) में इस श्रेणी हेतु स्थाई प्रभारों की बिलिंग किये जाने बाबत प्रस्तावित किया गया था। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 45(3)(ए) के अंतर्गत उपभोक्ताओं पर स्थाई प्रभारों की बिलिंग किये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है। राष्ट्रीय टैरिफ नीति की कंडिका 8.4.1 के उपबन्धों के अनुसार *''उन वृहद् उपभोक्ताओं हेतु (जिनकी मांग एक मेगावाट से अधिक है), द्वि–भाग टैरिफ जिसकी विशिष्टता पृथक–पृथक स्थाई तथा परिवर्तनीय प्रभारों के साथ–साथ समय–विभेदक (time-differential) टैरिफ एक मुख्य विशेषता है, को एक वर्ष के अन्दर प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाएगा। इससे विभिन्न ऊर्जा संरक्षण उपायों के कार्यान्वयन में भी शीर्ष अवधि को संतुलित करने में भी सहायता मिलेगी।''* उपभोक्ताओं की समस्त उच्च दाब श्रेणियों के, केवल एचवी1–रेलवे ट्रेक्शन श्रेणी को छोड़कर, स्थाई प्रभारों का अधिरोपण किया जा रहा है। अनुज्ञप्तिधारियों की स्थाई लागतें, कुल व्ययों का 70% से अधिक है। अतएव, आयोग का मत है कि इस श्रेणी को ऊर्जा प्रभारों के अतिरिक्त स्थाई प्रभारों को लागू किया जाना आवश्यक है ताकि इसे अन्य उच्च दाब श्रेणियों के साथ संरेखित (align) किया जा सके। तद्नुसार, स्थाई प्रभारों की बिलिंग हेतु प्रावधान किया गया है।

एचवी–3 : औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग माल (Indusrial, Non-Industrial & Shopping Malls)

5.18 **लद्यु उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु संविदा मांग की न्यूनतम सीमा को कम किये जाने के साथ पृथक श्रेणी का प्रावधान किया जाना** : यह पाया गया था कि निम्न दाब औद्योगिक संयोजनों तथा उच्च दाब औद्योगिक संयोजनों हेतु न्यूनतम खपत के स्तरों में उल्लेखनीय अन्तर है, वह भी उस समय जब ऐसे उच्च दाब संयोजनों की संविदा मांग निम्न दाब संयोजनों के समतुल्य हो। यह जबकि शहरी क्षेत्र में निम्न दाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति वर्ष की न्यूनतम खपत अधिरोपित की जाती है, उच्च दाब उपभोक्ताओं हेतु यह मांग 1200 यूनिट प्रति केवीए प्रति वर्ष है। निम्न दाब पर 150 अश्वशक्ति तक संयोजित भार तथा 100 अश्वशक्ति तक संविदा मांग अनुज्ञेय की गई है। इस तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग द्वारा 33 केवी तथा 11 केवी पर 100 केवीए तक की संविदा मांग तक एक पृथक श्रेणी, प्रत्याभूत 900 यूनिट प्रति केवीए की न्यूनतम वार्षिक खपत हेतु निर्धारित की गई है। इण्डस्ट्रीयल ऐसोसियेशन द्वारा मांग की गई है कि 11 केवी पर संविदा मांग 60 केवीए से घटा कर 50 केवीए कर दी जाए ताकि वे उपभोक्ता जिनकी मांग इस मांग की सीमा के अन्तर्गत आती है, उच्च दाब संयोजन प्राप्त कर सकें, जो कि अनुज्ञप्तिधारियों के भी हित में होगा। आयोग द्वारा इस विषय पर विचार किया गया है तथा 11 केवी पर संविदा मांग की

न्यूनतम सीमा 60 केवीए से घटा कर 50 केवीए कर दी गई है ताकि उपभोक्ता उच्च दाब संयोजनों के लिये अपना विकल्प प्रस्तुत कर सकें।

5.19 **ग्रामीण संभारकों के माध्यम से विद्युत प्रदाय हेतु न्यूनतम प्रभारों की बिलिंग में छूट में वृद्धि** : आयोग द्वारा पूर्व टैरिफ आदेश में ग्रामीण संभारकों के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं हेतु स्थाई प्रभारों तथा न्यूनतम खपत में 10% छूट का प्रावधान किया गया था। जन–सुनवाई के दौरान, उपभोक्ताओं द्वारा यह विरोध प्रकट किया गया था कि अनेकों कारणों से, कम विद्युत प्रदाय घंटों को सम्मिलित करते हुए, वे न्यूनतम विद्युत खपत को, भी कायम रखे जाने में कठिनाई का अनुभव कर रहे हैं। आयोग द्वारा इस विषय पर पुनर्विचार किया गया। यह जबकि स्थाई प्रभारों पर छूट को इसी स्तर पर रखा गया है, शहरी क्षेत्रों में न्यूनतम प्रभारों में 20% तक की कमी की गई है।

एचवी–6 : थोक आवासीय प्रयोक्ता (Bulk Residential Users)

5.20 **पंजीकृत समूह गृह निर्माण समितियों हेतु एकल बिन्दु संयोजन** : वर्तमान में, एचवी 6.2, टैरिफ श्रेणी पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों हेतु लागू की गई है। आयोग द्वारा हाल ही में पिछले दिनों पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों के अतिरिक्त यह सुविधा पंजीकृत समूह गृह निर्माण समितियों को भी एकल बिन्दु पर विस्तारित किये जाने बाबत कई अभ्यावेदन प्राप्त किये गये थे। दोनों प्रकरणों में, उपयोग का प्रयोजन एक समान है। इसके अतिरिक्त, जहां तक अनुज्ञप्तिधारियों का संबंध है उनकी हानियां कम हो जाएंगी तथा उनके राजस्व आदि का बेहतर रूप से अनुवीक्षण किया जा सकेगा। आयोग द्वारा अन्य राज्यों में भी किये गये प्रावधानों की समीक्षा की गई। आयोग द्वारा समस्त सुसंगत कारकों पर विचार करते हुए हितधारकों के दृष्टिकोण पर विचार करते हुए, विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक वृहद दृष्टिकोण अपनाया गया है तथा पंजीकृत सहकारी समूह गृह निर्माण समितियों को छोड़कर, पंजीकृत समूह गृह निर्माण समितियों हेतु एकल बिन्दु उच्च दाब संयोजन अनुज्ञेय किये हैं। समुचित शर्तों का प्रावधान सुसंबद्ध अनुसूची में किया गया है।

उच्च दाब तथा निम्न दाब श्रेणियों हेतु अन्य विशिष्ट प्रावधान (Other highlights for HT and LT categories)

5.21 **भार कारक पर आधारित प्रोत्साहन योजना में संशोधन किया जाना** : आयोग द्वारा विषय की समीक्षा की गई थी तथा यह प्रावधान किया गया था कि न्यूनतम सीमा (threshold) से अधिक खपत में वृद्धि तर वृद्धि (Incremental Increase) को ही प्रोत्साहन की पात्रता होनी चाहिए तथा तद्नुसार वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में प्रोत्साहन का प्रावधान किया गया था। 50% से 70% तक, 70% से अधिक व 80% तक तथा 80% से अधिक की सीमा के अन्तर्गत प्रोत्साहन हेतु उचित खण्डों का प्रावधान किया गया था। इस प्रकार, बिलिंग खण्डों को कम किये जाने हेतु प्रतिशत भार कारक पर आधारित प्रदान किये गये प्रोत्साहन को

उचित रूप से संशोधित किया गया है ताकि इसमें एकरूपता लाई जा सके। अब भारकारक प्रोत्साहन हेतु खण्ड 50% से अधिक 75% तक तथा 75% से अधिक निर्धारित किये गये हैं। इसके अतिरिक्त, भार कारक की गणना हेतु सूत्र की भी समीक्षा की गई है। इस सूत्र के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु टैरिफ आदेश में हर (denominator) निम्न दाब हेतु 0.8 तथा उच्च हेतु 0.9 स्थिर संख्या (constant) के रूप में प्रावधान किया गया था। यह पाया गया है कि इस सूत्र के प्रयोग से प्रोत्साहन की बिलिंग में विकृति आ रही थी क्योंकि ऐसे प्रकरणों में जहां ऊर्जा कारक वास्तविक से पूर्व में दर्शाए गये मूल्यों से अधिक है वहां परिणामी भार कारक वास्तविक से अधिक आता है, जिससे अनावश्यक प्रोत्साहन प्रदान करना पड़ता है। इसमें अब सुधार कर लिया गया है तथा निम्न दाब हेतु भार कारक के हर में ऊर्जा कारक गणना सूत्र में 0.8 अथवा वास्तविक इनमें से जो भी अधिक हो प्रदान किया गया है तथा उच्च दाब हेतु 0.9 अथवा वास्तविक इनमें जो भी अधिक हो प्रदान किया गया है। कुछ उपभोक्ताओं द्वारा यह मांग की गई थी कि भार कारक की गणना हेतु वह अवधि, जिसके अन्तर्गत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा विद्युत प्रदाय नहीं किया जाता, उसे शामिल न किया जाए। आयोग इस मांग को उक्त सीमा तक मान्य करता है कि अनुसूचित अवरोधों (Scheduled Outages) को उक्त गणना के प्रयोजन हेतु सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

5.22 **ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों हेतु विद्युत दर (टैरिफ) जो कि अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है** : ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों हेतु विद्युत दर (टैरिफ) जो कि अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है तथा ग्रिड से समकालन (Synchronization) हेतु तथा विद्युत प्रणाली के प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा प्राप्ति के इच्छुक हों, का प्रावधान ऐसे विद्युत उत्पादकों को ग्रिड से समकालन तथा विद्युत प्रणाली के प्रारंभ करने (Start up) हेतु सुविधा प्रदान किये जाने हेतु किया गया है। स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारो हेतु विद्युत–दर सुसंबद्ध टैरिफ अनुसूची के अन्तर्गत उच्च दाब/अति उच्च दाब उद्योग हेतु प्रयोज्य विद्युत–दर से तत्संबंधी अस्थाई दर प्रयोज्य होगी। ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु (start up power) विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा। न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी। कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा। ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी, जिस हेतु जो

भी कारण निहित हों, उपलब्ध कराया जाएगा। ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा एक वर्ष में अधिकतम 42 दिवस हेतु प्रदान की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर, दिवस के एक अंश को एक पूर्ण दिवस माना जाएगा। विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

————

ए 6 : आयोग के दिशा–निर्देश (Commission's Directives)

6.1 विद्युत क्षेत्र में सुधार लाये जाने का उद्देश्य वहनीय कीमत पर विश्वसनीय गुणवत्तायुक्त विद्युत प्रदाय करने का है। वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु त्वरित कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी अपने प्रचालन में प्रभावी दक्ष सुधार उपायों को तेजी से अपना कर इन उच्च स्तरीय हानियों तथा अदक्ष सेवाओं के परिदृश्य से उभर कर सामने आना होगा ताकि वे वाणिज्यिक रूप से विकास सक्षम इकाईयां बना सकें। आयोग इस तथ्य पर चिन्तित है कि सुधारों की प्रक्रिया प्रारंभ किये जाने के उपरान्त काफी समय व्यतीत हो चुका है तथापि प्रचालन के वांछनीय स्तर प्राप्त नहीं किये जा सके हैं। आयोग अपने पूर्व में जारी किये टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत भी विद्युत वितरण कम्पनियों को विद्युत अधिनियम, 2003 में की गई अभिकल्पनाओं के अनुरूप निरन्तर नवीन पहल तथा सुधारों के उद्देश्यों को परिपूर्ण करने में तत्पश्चात लाई गई नीतियों से संरेखित किये जाने के संबंध में परामर्श देता आ रहा है।

6.2 वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा पूर्व में जारी किये गये दिशा–निर्देशों के संबंध में परिपालन की अद्यतन स्थिति प्रतिवेदित की गई है। वितरण अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा इस संबंध में प्रेषित की गई प्रस्तुतियों की समीक्षा से प्रकट होता है कि उपलब्धियां बिल्कुल सन्तोषजनक नहीं हैं तथा अनुज्ञप्तिधारियों को वांछित परिणामों की प्राप्ति हेतु तेजी से कदम उठाये जाने चाहिए। आयोग ऐसे विषयों पर ध्यान केन्द्रित करने का इच्छुक है जो वितरण प्रबंधन के अनुपालन में समग्र सुधार हेतु उच्च प्राथमिकता रखते हैं। आयोग द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के खुदरा टैरिफ आदेश के अन्तर्गत कई दिशा–निर्देश जारी किये गये थे। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये परिपालन की अद्यतन स्थिति इन दिशा–निर्देशों के विरूद्ध आयोग की अभ्युक्तियां तथा जारी किये गये नवीन दिशा–निर्देश नीचे दर्शाये गये परिच्छेदों में दिये गये हैं :

6.3 **वितरण हानिया** : (टैरिफ आदेश 2009–10 का पैरा क्रमांक 6.2)

आयोग के दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों को हानियों में कमी किये जाने हेतु निश्चित सुधार प्रदर्शित किये जाने के संबंध में सभी संभव प्रयास किये जाने के निर्देश दिये गये थे।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्न दाब क्षेत्र में प्रभावी हानि में कमी लाये जाने के संबंध में कम्पनी द्वारा उच्च हानि वाले क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) के क्रियान्वयन हेतु एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार

की गई थी जिसे वर्तमान में क्रियान्वित किया जा रहा है। एचवीडीएस प्रणाली का कार्य पूर्ण गति से जारी है तथा इसके माह मार्च 2012 तक पूर्ण होने की आशा है। ऐसी संभावना है कि एचवीडीसी परियोजना के क्रियान्वयन के पश्चात निम्न दाब हानि स्तर को नियंत्रित कर लिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि उच्च दाब : निम्न दाब अनुपात जो माह मार्च, 2004 में 1.53 था माह अक्टूबर, 09 में सुधर कर 1 : 1.36 हो गया है तथा एचवीडीएस परियोजना के कार्यान्वयन पश्चात यह और आगे सुधर कर 1:1 हो जाएगा, जिसके कारण हानि में उल्लेखनीय रूप से कमी लाई जा सकेगी।

इसके अतिरिक्त, 11 केवी तथा 33 केवी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण हेतु, कम्पनी द्वारा बड़ी संख्या में 33/11 केवी उपकेन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं, ट्रांसफार्मरों की एमवीए तथा केवीए क्षमता में वृद्धि की गई है तथा काफी बड़ी संख्या में कैपेसिटर बैंक भी स्थापित किये गये हैं। विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा आने वाले वर्षों में नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्रों में वृद्धि किये जाने की भी योजना है ताकि 11 केवी स्तर पर हानि में नियंत्रण रखा जा सके। जहां तक 33 केवी प्रणाली का संबंध है, स्वीकार किया जाता है कि प्रणाली के सुदृढ़ीकरण में उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी है परन्तु अब योजना तैयार कर ली गई है। वित्तीय–प्रबंधन संस्था अर्थात ''इण्डो–जर्मन'' को प्रस्तुत की गई है। इस योजना के अंतर्गत समस्त 33 केवी प्रणाली को सम्मिलित किया गया है तथा परियोजना के क्रियान्वयन पश्चात प्रणाली को अतिभारित (overload) होने से रोका जा सकेगा। योजना को राज्य शासन के अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से वित्तीय प्रबंधन संस्था अर्थात ''इण्डो–जर्मन'' से निधि प्राप्त किया जाना अपेक्षित है। इस योजना के अंतर्गत लगभग 1300 किलोमीटर की 33 केवी के नवीन तन्तुपथ (लाइने) जिनकी अनुमानित लागत रू. 179 करोड़ है, को इस योजना के अन्तर्गत स्थापित किया जाएगा तथा प्रारंभ होने के पश्चात् लगभग 3 वर्षों में पूर्ण किया जा सकेगा।

गैर–तकनीकी (वाणिज्यिक) हानियों में कमी लाये जाने हेतु निम्न कार्यवाही की जा रही है :

- चोरी प्रभावित शहरी तथा अर्द्ध–शहरी क्षेत्रों में विद्युत उपभोक्ता सामूहिक (Aerial Bunched)/ कवच युक्त (armoured) केबलों को स्थापित करना तथा पारंपरिक निम्न दाब प्रणाली (एलवीडीएस) को एचवीडीएस प्रणाली में परिवर्तित करना ;
- चिन्हांकित किये गये उच्च मूल्य वाले उच्च दाब/निम्न दाब उपभोक्ताओं, जैसे कि औद्योगिक/वाणिज्यिक संस्थापनाओं हेतु दूरस्थ स्थलों से मोबाईल/पीएसटीएन नेटवर्क के उपयोग द्वारा ऑन–लाईन पारस्परिक दूर–मापयंत्र प्रणाली (on-line interactive telemetring) स्थापित करना ;

- राजस्व संग्रहण एवं विद्युत की चोरी की रोकथाम हेतु उचित ऊर्जा अंकेक्षण/ लेखांकन प्रणालियों/प्रक्रियाओं तथा सूचना प्रबंधन प्रणाली (MIS) को लागू करना तथा स्थिरीकरण करना ;
- उच्च परिशुद्धता वाले अति आधुनिक तथा समुन्नत मापयंत्रों की संस्थापना द्वारा प्रभावशील तथा और अधिक छेड़–छाड़ अवरोधी (Temper Proof) उपभोक्ता मीटरीकरण करना ;
- वितरण क्षेत्र में फ्रेन्चाईजी की स्थापना तथा उन्हें सूचीबद्ध करना ;
- मीटरों को सुस्पष्ट तथा पहुंच वाले स्थलों पर स्थानान्तरित करना;
- विविध अधोसंरचना संसाधनों का सुदृढ़ीकरण, उदाहरण के तौर पर वाहन;
- चोरी की संभावनाओं वाले क्षेत्रों में विशेष छापे डालकर सतर्कता गतिविधियों का संचालन करना।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : निम्न दाब श्रेणी में हानियां कम किये जाने के प्रयोजन से वर्ष 2009–10 के दौरान विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा नवीन घरेलू, प्रकाश एवं पंखा संयोजनो को सेवाकृत किये जाने हेतु एक गहन अभियान चालू किया गया है। इसके फलस्वरूप वर्ष के दौरान ढाई लाख से भी अधिक घरेलू, प्रकाश तथा पंखों से युक्त (डीएलएफ) संयोजनों को सेवाकृत किया गया है।

- रबी मौसम के दौरान, वाहनों, जनशक्ति तथा नगर–सैनिकों से लैस 50 से भी अधिक सतर्कता दलों को अनाधिकृत पंप संयोजनों तथा विद्युत चोरी के प्रकरणों की खोज–बीन हेतु तैनात किया गया है। इसके परिणामस्वरूप, सतर्कता दल द्वारा सिंचाई श्रेणी के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2009 तक 28,246 अनाधिकृत संयोजनों की खोज की गई। वर्ष के दौरान, अस्थाई पम्प संयोजनों की अधिकतम संख्या को सेवाकृत किये जाने बाबत गहन प्रयास भी किये गये हैं।
- विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा कृषि पम्पों के संयोजित भार की जांच हेतु भी एक विशेष कार्यक्रम लागू किया गया है क्योंकि उपभोक्ता उच्चतर क्षमता वाले पम्पों का उपयोग कर रहे हैं जबकि उनके द्वारा संयोजित भार की कमतर क्षमता के स्थाई संयोजन प्राप्त किये गये हैं।
- निवेदन है कि पावर फायनेंस कार्पोरेशन की योजना के अन्तर्गत 11 केवी संभारकों पर समस्त 33/11 केवी उपकेन्द्रों हेतु 11 केवी कैपेसिटरों की स्थापना हेतु, 496 एमवीएआर क्षमता के कैपेसिटर बैंकों की स्थापना की जाना है। वर्ष 2009–10 में, इसमें से 80% कैपेसिटर बैंकों की स्थापना की जा चुकी है। परिणामस्वरूप, ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) तथा वोल्टेज स्तर में सुधार पाया गया है जबकि ट्रांसफार्मरों पर भारण, पावर ट्रांसफार्मरों

को अति भारित करने (overloading) तथा 33 केवी संभारकों में हानियों के प्रकरण कम हो गये हैं जिसमें हानियों में कमी परिलक्षित हुई है।

- शहरी क्षेत्र में उच्च खपत वाले निम्न दाब उपभोक्ताओं के प्रकरण में स्वचालित मीटर वाचन प्रक्रिया का क्रियान्वयन भी किया गया है। बुरहानपुर के केला उत्पादन क्षेत्र में तथा नर्मदा संकुल के कुछ क्षेत्रों में हानियों में कमी किये जाने बाबत एडीबी परियोजना के अंतर्गत उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) प्रारंभ की गई है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी के अंतर्गत एक योजना प्रकोष्ठ (Planning Cell) की संस्थापना की जा चुकी है जो प्रभावशाली ढंग से कार्यरत है। कम्पनी द्वारा लक्ष्यबद्ध हानि स्तरों की उपलब्धि में निम्न कठिनाईयों का अनुभव किया जा रहा है :

- निम्न दाब विक्रय का लगभग 49.8% भाग कृषि उपभोक्ताओं से प्राप्त होता है जिनके विक्रित यूनिटों की संख्या मानदण्डीय खपत पर निर्भर करती है। कृषि वितरण ट्रांसफार्मरों के वाचन के न्यूनतम 25% के आधार पर विश्लेषण केवल वर्ष 2011–12 के उपरान्त ही किया जाना संभव हो पायेगा। अतः, तब तक आयोग को नमूना मीटर वाचन के आधार पर कृषि खपत अनुज्ञेय किये जाने का अनुरोध किया जाता है।
- पूर्व वर्षों के दौरान दोनों शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में काफी बड़ी संख्या में घरेलू, प्रकाश एवं पंखा के अनाधिकृत संयोजनों को अमीटरीकृत विद्युत प्रदाय के माध्यम से नियमित किया गया है। इस श्रेणी हेतु उनके 30 यूनिट तथा 77 यूनिट प्रति माह अनुज्ञेय किये जाने संबंधी मानदण्ड निम्न पक्षीय (lower side) हैं। अनुरोध है कि नमूना मीटर वाचन के आधार पर खपत को अनुज्ञेय किया जाए ताकि आर–15 विवरण–पत्र मानदण्डीय विक्रित यूनिटों के स्थान पर वास्तविक विक्रित यूनिट दर्शाए।
- वर्ष 2012–13 तक वितरण हानियों के वक्र प्रक्षेपण (trajectory) नियोजित किये गये हैं तथा वर्ष 2010–11, 2011–12 तथा 2012–13 के दौरान क्रमशः 33%, 29% तथा 26% वितरण हानियां प्राप्त की जाने की अपेक्षा की गई है। उपरोक्त वितरण हानियों की प्राप्ति हेतु पूंजीगत व्यय (capex) का भी नियोजन किया गया है।
- पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, कम्पनी द्वारा माह अप्रैल, 2012 तक नगरीय क्षेत्रों में हानि स्तर 15% तक घटाने हेतु विभिन्न उपाय किये जा रहे हैं। पूंजीगत व्यय के अतिरिक्त, कम्पनी नगरीय क्षेत्रों में हानि कम किये जाने संबंधी निम्न गतिविधियों हेतु रू. 219.28 करोड़ की अतिरिक्त सहायता प्राप्त करने के प्रयास कर रही है :

(i) नगरीय क्षेत्रों में हानि कम किये जाने संबंधी गतिविधियों हेतु –रू. 114.72 करोड़
(ii) प्रणाली सुदृढ़ीकरण कार्य का क्रियान्वयन –रू. 20.00 करोड़
(iii) छेड़–छाड़ अवरोधी बाक्स प्रदान करना तथा स्थापित करना –रू. 12.00 करोड़
(iv) समग्र मीटरीकरण कार्यक्रम –रू. 72.56 करोड़

आयोग की अभ्युक्तियां तथा दिशा–निर्देश :

हानियों में कमी किये जाने के संबंध में परिणाम समुचित तथा सन्तोषजनक नहीं पाये गये हैं। काफी मात्रा में कार्य हाथ में लिया जाना/किया जा रहा प्रतिवेदित किया गया है। इसके बावजूद भी ठोस परिणाम सामने नहीं आ पाए हैं। आयोग पूर्व में भी सुसंगत तौर पर हानियां कम किये जाने संबंधी मुद्दा उठाता रहा है तथा ऐसे समस्त कदम जो उठाये जाने योग्य है, उनका समर्थन करता आ रहा है। मैदानी स्तर पर भी इसके कार्यान्वयन में काफी काम किया जाना अपेक्षित है। यह जबकि आयोग मानदण्डीय स्तर पर हानियां अनुज्ञेय करता आ रहा है, मानदण्डीय स्तर से अधिक की हानियों के कारण भार को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा वहन किया जाएगा जो कि एक स्वस्थकर स्थिति नहीं है तथा नकारात्मक रूप से अनुज्ञप्तिधारियों की वित्तीय स्थिति को भी प्रभावित कर रही है। ***अतः आयोग निर्देश देता है कि समस्त अनुज्ञप्तिधारी आगामी अवधि में इस अति महत्वपूर्ण विषय पर अपना ध्यान केन्द्रित करें ताकि न केवल मानदण्डीय हानियों के स्तर तक पहुंचा जा सके वरन् स्थिति में और सुधार भी लाया जा सके।***

6.4 **अमीटरीकृत संयोजनों को मीटरीकृत करना : (टैरिफ आदेश 2009–10 का पैरा 6.3)**

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये गये थे

(i) जैसा कि अध्यक्ष सह प्रबन्ध संचालकों की बैठक में पूर्व में सहमति व्यक्त की गई थी, शहरी क्षेत्रों में माह दिसम्बर 07 तक की स्थिति के अनुसार माह जून, 2009 के अन्त तक समस्त घरेलू संयोजनों पर मीटर स्थापित कर दिये जाने थे।

(ii) शहरी क्षेत्रों में माह दिसम्बर, 07 के उपरान्त प्रदान किये गये समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर मीटर चरणबद्ध रूप से स्थापित कर दिये जाएं तथा मीटरीकरण का कार्य माह मार्च, 2010 तक सम्पन्न कर दिया जाए।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर चरणबद्ध रूप से मीटर स्थापित कर दिये जाएं तथा मीटरीकरण का कार्य माह मार्च, 2010 तक सम्पन्न कर दिया जाए।

(iv) कम से कम 25% वितरण ट्रांसफार्मरों पर, जिनमें कम्पनी के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रमुख रूप से कृषि का भार है, पर माह मार्च 2010 के अन्त तक मीटर स्थापित कर दिये जाएं।

(v) कम से कम 10% कुल ऐसे वितरण ट्रांसफार्मर जो कि प्रमुख रूप से कृषि बहुल हों, के आंकड़े नियमित आधार पर संग्रहीत तथा संकलित किये जाने चाहिये। आयोग आगामी वर्ष हेतु सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के संबंध में याचिका प्रस्तुत करते समय उपरोक्त आंकड़ों की प्रस्तुति तथा इनका विश्लेषण प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निर्देशित करता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

(i) शहरी क्षेत्रों में अधिकाश अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटर प्रदान किये जा चुके हैं, केवल कुछ संयोजनों को छोड़कर जिन पर एकल फेज मीटरों के अभाव में मीटर स्थापित नहीं किये जा सके हैं। तथापि, माह मार्च 2010 की समाप्ति तक शहरी क्षेत्रों में शत–प्रतिशत मीटरीकृत संयोजन उपलब्ध कराये जाने के सभी संभव प्रयास किये जा रहे हैं। हाल ही में, कम्पनी द्वारा निम्न दाब उपभोक्ताओं को भी अनुमोदित विक्रेता के माध्यम से स्वयं अपने स्तर पर ऊर्जा मीटर की अधिप्राप्ति हेतु अनुमति प्रदान कर दी गई है ताकि मीटरीकरण प्रक्रिया में और अधिक वृद्धि की जा सके।

(ii) जहां तक ग्रामीण क्षेत्रों का संबंध है, विद्युत वितरण कम्पनी के अन्तर्गत मुख्य रूप से पिछले कुछ वर्षों के दौरान अनधिकृत उपभोक्ताओं को नियमित किये जाने की दृष्टि से काफी बड़ी संख्या में अमीटरीकृत संयोजन लंबित हैं। मीटरों की कमी के कारण, इन उपभोक्ताओं को अभी तक मीटर प्रदान नहीं किये जा सके हैं। कम्पनी अपेक्षा करती है कि जैसे ही समस्त जिलों में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति कर दी जाती है, जो कि राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत वितरण योजना के अंतर्गत अनिवार्य है, अमीटरीकृत श्रेणी को तीव्र गति से मीटरीकृत श्रेणी में परिवर्तित किया जा सकेगा।

(iii) जहां तक कृषि उपभोक्ताओं हेतु वैयक्तिक मीटर स्थापित किये जाने का प्रश्न है, यहां विशेष रूप से उल्लेख किया जाता है कि कम्पनी पूर्व से ही एचवीडीएस परियोजना का निष्पादन कर रही है जिसके अन्तर्गत समस्त प्रकार के कृषि उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण ट्रांसफार्मर स्थलों पर ऊर्जा मापयंत्र (मीटर) प्रदान कर दिये जाएंगे। अब तक कृषि उपभोक्ताओं हेतु, 6538 माप यंत्र स्थापित किये जा चुके हैं। समग्र रूप से परियोजना की समाप्ति, अर्थात् माह मार्च 2012 तक 1,29,030 कृषि उपभोक्ताओं को ऊर्जा मापयंत्र प्रदान कर दिये जाऐंगे।

(iv) कृषि बाहुल्य उपभोक्ता संभारकों हेतु स्थापित वितरण ट्रांसफार्मरों के नमूना खपत आधारित अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं के अमीटरीकृत आकलन की मापयंत्र वाचन (Metre Reading) की वर्तमान विधि में एचवीडीएस परियोजना के अन्तर्गत इन संस्थापित मापयंत्रों पर अभिलिखित खपत के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। इस संबंध में कृषि उपभोक्ताओं की खपत से संबंधित आंकड़ों को शीघ्र संग्रहण कर विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा।

(v) एचवीडीएस परियोजना के अंतर्गत, वैयक्तिक कृषि उपभोक्ताओं हेतु ऊर्जा मापयंत्रों के संस्थापन उपरांत, कृषि बहुल भार हेतु वितरण ट्रांसफार्मर मापयंत्र स्थापित किये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी

(i) कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है माह अक्टूबर 09 तक की स्थिति में 21,78,268 घरेलू उपभोक्ताओं में से अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों की संख्या 1,90,199 है। कम्पनी द्वारा माह सितम्बर, 2011 तक शत प्रतिशत अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों पर मापयंत्र स्थापित करने की कार्य योजना बनाई गई है।

(ii) वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण की अद्यतन स्थिति : कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया है कि 58,355 कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों में से केवल 6071 वितरण ट्रांसफार्मरों पर ही मापयंत्र स्थापित किये गये हैं तथा इस प्रकार कुल 52,284 वितरण ट्रांसफार्मरों पर वितरण मीटर स्थापित किया जाना शेष है। निवेदन किया गया है कि एडीबी योजना के अंतर्गत 24,707 वितरण ट्रांसफार्मरों मापयंत्रों की स्थापना का प्रावधान किया जा चुका है तथा वर्तमान में कार्य प्रगति पर है।

(iii) जहां तक कृषि बहुल भार वाले कुल वितरण ट्रांसफार्मरों के न्यूनतम 10 प्रतिशत आंकड़ों को संकलित किये जाने का संबंध है, निवेदन है कि 4373 वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े नियमित रूप से संग्रहीत किये जा रहे हैं तथा इन्हें आयोग को भी प्रस्तुत किया जा चुका है।

मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :

(i) शहरी क्षेत्र में, कम्पनी द्वारा समस्त उपभोक्ताओं को मीटर प्रदान कर दिये गये हैं जो माह दिसम्बर 07 तक की स्थिति में अमीटरीकृत थे। माह दिसम्बर 07 से तथा माह जून 09 तक 25,536 अतिरिक्त उपभोक्ता इसमें जुड़ चुके हैं जिनमें 6842 मीटरीकृत श्रेणी में है तथा शेष अमीटरीकृत श्रेणी में। अमीटरीकृत संयोजन मुख्य रूप से

नियमित किये गये अनधिकृत संयोजनों को प्रदान किये गये हैं। अन्ततः, इन्हें भी मीटरीकृत श्रेणी में परिवर्तित कर दिया जाएगा।

(ii) निवेदन है कि अनुज्ञप्तिधारी के अंतर्गत माह जून 09 की स्थिति में पूर्व के वर्षों में काफी बड़ी संख्या में अनधिकृत उपभोक्ताओं को नियमित किये जाने के प्रयोजन से 1.75 लाख अमीटरीकृत संयोजन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/गरीबी रेखा से नीचे वाली श्रेणी के तथा 0.67 लाख संयोजन सामान्य श्रेणी के अंतर्गत लंबित थे। मीटरों की कमी तथा वित्तीय प्रतिबंधों के कारण इन उपभोक्ताओं को अभी तक मीटर प्रदान नहीं किये जा सके हैं। कम्पनी की माह मार्च 2016 तक ग्रामीण क्षेत्र के समस्त घरेलू (प्रकाश एवं पंखा) श्रेणी के उपभोक्ताओं को चरणबद्ध रूप से मीटर प्रदान किये जाने की योजना है। राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति द्वारा भी ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू (प्रकाश एवं पंखा) श्रेणी के संयोजनों को पूर्ण रूप से मीटरीकृत किये जाने में सहायता मिल सकेगी।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश :

अद्यतन स्थिति में विद्युत वितरण कम्पनियों की ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू मीटरीकरण के संबंध में तथा कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मरों के मीटरीकरण के संबंध में अभी तक की प्रगति अति असन्तोषजनक है। आयोग महसूस करता है कि इस दिशा में और अधिक प्रामाणिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है। यह अनुज्ञप्तिधारियों के हित में है कि अमीटरीकृत संयोजनों पर मीटर प्रदान किये जाने की कम से कम वितरण ट्रांसफार्मरों पर आवश्यकता है ताकि वास्तविक खपत को अभिलेखबद्ध किया जा सके। अनुज्ञप्तिधारी कृषि उपभोक्ताओं की अमीटरीकृत श्रेणी के आकलन के संबंध में मानदण्ड स्तर बढ़ाये जाने हेतु तर्क प्रस्तुत करते आ रहे हैं। तथापि, मैदानी क्षेत्र से वास्तविक प्राप्त किये गये परिणामों के आधार पर एक विस्तृत अध्ययन द्वारा इसे प्रमाणित किये जाने हेतु वे असमर्थ रहे हैं। पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी ने 5923 मीटरों से ऐसे 4373 कृषि बहुल वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों के आंकड़े प्रस्तुत किये हैं, तथापि ये आंकड़े सुसंगत नहीं पाये गये। इनमें से भी, केवल 1690 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरों का वाचन ही नियमित आधार पर किया जाना प्रतिवेदित किया गया है जो कि कुल कृषि बहुल वितरण ट्राफार्मरों (लगभग 57000 की संख्या) का मात्र 2.9% ही है। नमूना आंकड़ों की संख्या अति अपर्याप्त होने के कारण, इस आंकड़े को मानदंडों के आकलन की समीक्षा हेतु पर्याप्त आधार नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ऐसे आधार पर की गई समीक्षा का प्रभाव कृषि उपभोक्ताओं की काफी बड़ी संख्या पर पड़ेगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा यद्यपि उपभोक्ताओं की काफी अल्प संख्या हेतु आंकड़े प्रस्तुत किये गये जिन पर किसी उपयोगी उद्देश्य हेतु विचार नहीं किया जा सकता है जबकि पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा कोई भी आंकड़े प्रस्तुत नहीं किये गये। आयोग द्वारा पूर्व तथा मध्य क्षेत्र विद्युत

वितरण कम्पनियों के मीटरीकृत वैयक्तिक उपभोक्ताओं के खपत आंकड़ों का भी अवलोकन किया गया तथा आयोग का यह मत है कि ये आकंड़े विद्युत–दर वृद्धि के पक्ष में निष्कर्ष प्रस्तुत नहीं करते। उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए, आयोग पुनः निर्देश देता है कि :

(i) शहरी क्षेत्रों में, समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों में माह दिसम्बर 2010 तक मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए।

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों में, समस्त अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों में माह मार्च 2011 तक चरणबद्ध रूप से मीटर स्थापित कर दिये जाने चाहिए।

(iii) कम से कम 25% वितरण ट्रांसफार्मरों पर, जिनमें कम्पनी के सम्पूर्ण क्षेत्र में प्रमुख रूप से कृषि का भार है, पर माह दिसम्बर 2010 के अन्त तक मीटर स्थापित कर दिये जाएं।

(iv) समस्त मीटरीकृत वितरण ट्रांसफार्मरों के आंकड़े जो कुल कृषि बहुल वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की संख्या का 10 प्रतिशत से कम न होंगे तथा विविध खपत प्रतिमान (Diverse consumption pattern) का प्रतिनिधित्व करेगे, को नियमित आधार पर संग्रहीत तथा संकलित किया जाना चाहिए। उपभोक्ता सूची को तैयार कराया जाए तथा वास्तविक संयोजित भार का सत्यापन अभिलिखित खपत से भी कराया जाए। आयोग उपरोक्त आंकड़े तथा उसका विश्लेषण त्रैमासिक आधार पर तथा आगामी वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों संबंधी याचिका के साथ भी प्रस्तुत किये जाने के निर्देश देता है।

6.5 तकनीकी हानियों को कम किये जाने संबंधी पूंजीगत व्यय योजना (Capex Plan) (देखें वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश का पैरा 6.7)

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग विस्तृत पूंजीगत व्यय योजना तीन माह के अन्दर प्रस्तुत करने तथा योजना प्रकोष्ठ अविलंब स्थापित करने संबंधी निर्देश देता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : योजना प्रकोष्ठ की स्थापना पूर्व में ही की जा चुकी है तथा यह दक्षता पूर्वक कार्यरत है। योजना प्रकोष्ठ द्वारा ऐसे समस्त 33 केवी फीडर तथा 11 केवी फीडर, जिनके भार 100 एम्पीअर से अधिक हैं, का अध्ययन किया जा चुका है। किसी भी योजना में निष्पादन हेतु प्रस्तावित पूंजीगत कार्य योजना प्रकोष्ठ द्वारा किये गये अध्ययन पर आधारित होती है। एक विस्तृत पूंजीगत

व्यय योजना मय अनुवर्ती संशोधनों के, स्वीकृत की जा रही विभिन्न योजनाओं के प्रभाव को समायोजित किये जाने हेतु मप्रविनिआ से अनुमोदित कराई जा चुकी है। तथापि यहां उल्लेख किया जाता है कि राज्य शासन मप्रविनिआ द्वारा समय पर निर्देशित प्रक्षेपण वक्र (loss trajectory) के साथ, पूर्व में अनुमोदित की गई पूंजीगत व्यय योजना में मामूली परिवर्तन किये जाने आवश्यक हैं जिन्हें यथासमय पूर्ण कर लिया जाएगा।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु विस्तृत पूंजीगत व्यय योजना तैयार की गई थी जिसे कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे आयोग को भी प्रस्तुत किया जा चुका है। निकाय प्रबंधन तथा योजना प्रकोष्ठ (Corporate Management & Planning Cell) की स्थापना के संबंध में सूचित किया जाता है कि निकाय स्तर पर प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जा चुका है तथा इसके द्वारा भार प्रबंधन शाखा (वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र) के समन्वयन से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

पूंजीगत योजना के अंतर्गत वर्ष 2008–09 के दौरान रू. 257.31 करोड़ का वास्तविक व्यय किया गया तथा वर्ष 2009–10 में रू. 301.89 करोड़ का व्यय किया जाना प्रस्तावित है। निर्माणाधीन कार्य प्रगति पर है। इन कार्यों में सम्मिलित हैं जेबीआईसी योजना के अन्तर्गत 33/11 केवी के 72 उपकेन्द्रों की स्थापना की जाना, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत ग्रामों तथा घरों का गहन विद्युतीकरण, जिला तथा तहसील स्थलों पर संभारकों का द्विभाजन किया जाना, 33/11 केवी उपकेन्द्रों में कैपेसिटर बैंकों की संस्थापना, पश्चिम क्षेत्र विविकं के अन्तर्गत कुछ जिलों में ग्राम स्तर तक प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जाना तथा एचवीडीएस के अन्तर्गत संभारक द्विभाजन कार्य का निष्पादन। उपरोक्त समस्त कार्यों के माध्यम से हानियों में कमी लाई जा सकेगी, प्रणाली का सुदृढ़ीकरण किया जा सकेगा, उपभोक्ताओं को गुणवत्ता युक्त विद्युत प्रदाय करने तथा कम्पनी के वित्तीय सशक्तिकरण में योगदान प्राप्त होगा। आयोग को सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ याचिका के अन्तर्गत प्रस्तावित पूंजी निवेश पर विचार किये जाने का अनुरोध किया जाता है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु विस्तृत पूंजीगत व्यय योजना तैयार की गई थी जिसे कम्पनी के संचालक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया है। इसे आयोग को भी अग्रेषित किया जा चुका है। निकाय प्रबंधन तथा योजना प्रकोष्ठ (Corporate Management & Planning Cell) की स्थापना के संबंध में सूचित किया जाता है कि निकाय स्तर पर प्रबंधन प्रकोष्ठ स्थापित किया जा चुका है तथा

इसके द्वारा भार प्रबंधन शाखा (वितरण कम्पनी नियंत्रण केन्द्र) के समन्वयन से कार्य प्रारंभ किया जा चुका है।

11केवी तथा 33 केवी की नवीन लाइनें स्थापित किये जाने, संभारक के द्विभाजन, नवीन 33/11 केवी उपकेन्द्र, अति उच्च वोल्टेज उपकेन्द्र से विद्युत की निकासी, आदि प्रस्तावों का परीक्षण इनकी व्यवहार्यता तथा नेटवर्क के विकास के संबंध में इस प्रकोष्ठ द्वारा किया जा रहा है। 'इगियोएमपीअर' (Igeoampre) नामक साफ्टवेयर क्रय किये जाने संबंधी आदेश एनआईसी भोपाल को प्रसारित किया जा चुका है जिससे 11 केवी तथा 33 केवी नेटवर्क के नियोजन में सहायता प्राप्त होगी। योजना प्रकोष्ठ स्थापित किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों के परिपालन के संबंध में आयोग को पूर्व में ही सूचित किया जा चुका है।

अतिभारित (over loaded) 11 केवी तथा 33 केवी संभारकों के द्विभाजन, 11 केवी के शहरी/ ग्रामीण संभारकों के पृथक्करण, अन्य भारों से कृषि पंपों को पृथक किये जाने के संबंध में एचवीडीएस के साथ फीडर द्विभाजन हेतु रू. 116 करोड़ के प्राक्कलन स्वीकृत किये जा चुके हैं। इस योजना के निष्पादन के फलस्वरूप कम की गई संभारक लम्बाई तथा कम भारण द्वारा उपरोक्त संभारक का अवरोधित होना (tripping) कम हो जाएगा। उपरोक्त स्वीकृत राशि में से रू. 40.39 करोड़ के कार्य वित्तीय वर्ष 2009–10 के दौरान माह नवम्बर 2009 तक पूर्ण किये जा चुके हैं तथा शेष कार्य प्रगति पर है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश :

समस्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके अन्तर्गत योजना प्रकोष्ठों द्वारा कार्य प्रारंभ किया जा चुका है। आयोग महसूस करता है कि पूंजीगत व्यय योजना के नियोजन तथा कार्यान्वयन के संबंध में असमेकित (Fragment) अवधारणा द्वारा अपेक्षित स्तर के परिणाम प्राप्त नहीं किये जा सकेंगे। पूंजीगत व्यय योजना को नियोजित करते समय तथ्यों/उद्देश्यों को अपने समक्ष रखना होगा जबकि क्रियान्वयन उपरांत इसका लागत–लाभ का विश्लेषण आवश्यक है। वांछित लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु समग्र पूंजीगत व्यय योजना के आकार की अवधारणा करनी होगी तथा तत्पश्चात् कड़े अनुवीक्षण के अंतर्गत कार्यान्वयन की प्रक्रिया आवश्यक होगी। आयोग पूंजीगत व्यय योजना को पिछली वास्तविक राशि के आधार पर अनुज्ञेय करता आ रहा है क्योंकि पूर्व वर्षों में अनुज्ञप्तिधारी उनके द्वारा निर्धारित किये गये लक्ष्यों के आसापास भी पहुंचने में असमर्थ रहे हैं। अनुज्ञप्तिधारी विनियमों की अर्हताओं के अनुरूप प्रति वर्ष माह जुलाई में पूंजीगत योजना प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं। *अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 2010–11 की पूंजीगत व्यय योजना की माह जून 2010 तक की प्रगति माह जुलाई 2010 के अन्त तक तथा तत्पश्चात त्रैमासिक प्रस्तुत किये जाने के निर्देश दिये जाते*

हैं। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष 2011–12 तक पूंजीगत व्यय योजना माह जुलाई 2010 तक दाखिल की जाए।

6.6 **ऐसे मीटरों की संस्थापना करना जिनमें उपभोक्ताओं की घरेलू श्रेणी में औसत मासिक मांग लेख्यांकित करने की सुविधा हो** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 केखुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.8)

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा वर्ष के दौरान 10 किलोवाट से अधिक संयोजित भार वाले समस्त घरेलू संयोजनों पर औसत मासिक मांग अभिलिखित किये जाने की सुविधा वाले मापयंत्र स्थापित किये जाने के निर्देश दिये गये।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : कम्पनी द्वारा 10 किलोवाट से अधिक भार वाले ऐसे समस्त उपभोक्ताओं हेतु स्वचालित मापयंत्र (Automatic Metre Reading -AMR) परियोजना का कार्य पूर्व में ही हाथ में लिया जा चुका है। अब तक लगभग 70% उपभोक्ताओं हेतु व्यवस्था की जा चुकी है तथा अवशेष 30% हेतु यह कार्य माह फरवरी, 2010 तक समाप्त किये जाने की आशा है। अतएव घरेलू उपभोक्ताओं हेतु, मांग आधारित टैरिफ, *विकल्प के रूप में,* चालू किये जाने बाबत प्रस्ताव पर विचार किया जाए।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : 10 किलोवाट तथा इससे अधिक भार वाले घरेलू संयोजनों हेतु पर्याप्त संख्या में मापयंत्र मुहैय्या कराये जा चुके हैं। निम्न दाब श्रेणी में भी स्थापित मापयंत्र वाचन प्रणाली का क्रियान्वयन किया जा चुका है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि वर्तमान में मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी के अंतर्गत 10 किलोवाट से अधिक भार वाला कोई भी उपभोक्ता अमीटरीकृत नहीं है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश :

पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा निवेदन किया गया कि 10 किलोवाट से अधिक भार वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं को मांग आधारित मापयंत्र उपलब्ध नहीं कराये गये हैं। पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा उल्लेख किया गया है कि पर्याप्त क्षमता वाले मापयंत्र स्थापित किये गये हैं परन्तु विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि मांग आधारित मापयंत्र स्थापित किये गये हैं। मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा विशेष रूप से यह उल्लेख नहीं किया है कि 10 किलोवाट या इससे अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं हेतु मांग अभिलेखित करने वाले मापयंत्र ही

उपलब्ध कराये गये हैं। इन परिस्थितियों के अंतर्गत घरेलू श्रेणी हेतु मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) लागू किया जाना संभव नहीं है। *आयोग निर्देश देता है कि वर्ष के दौरान समस्त घरेलू संयोजनों हेतु 10 किलोवाट या इससे अधिक संयोजित भार वाले मापयंत्र स्थापित कर दिये जाऐं।*

6.7 **ग्रामीण संभारकों का कृषि तथा अन्य श्रेणियों में पृथक्करण किया जाना** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 केखुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.9)

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग विद्युत वितरण कम्पनियों को कार्य की समाप्ति हेतु समय सीमा दर्शाते हुए एक विद्युत योजना तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाने के संबंध में निर्देश देता है।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : ग्रामीण संभारकों को कृषि तथा अन्य श्रेणी में पृथक्करण संबंधी कार्यक्रम को क्रियान्वित किये जाने हेतु, पूर्व क्षेत्र विवि कम्पनी द्वारा अपने अधिकारियों को गुजरात राज्य भेजकर, जहां ऐसे कार्य सफलतापूर्वक संचालित किये जा चुके हैं, एक विस्तृत अध्ययन का संचालन किया गया है। इस अध्ययन के आधार पर पूर्व क्षेत्र कंपनी द्वारा सम्पूर्ण सागर जिले में संभारक पृथक्करण का कार्य हाथ में लिया गया है जहां लगभग 6 की संख्या में 11 केवी संभारकों के कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं। शेष कार्यों का निष्पादन जारी है तथा इन्हें माह मार्च, 2012 से पूर्व समाप्त कर लिया जाएगा।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी के अन्तर्गत ग्रामीण संभारकों को कृषि तथा अन्य श्रेणी में पृथक्करण हेतु 'मध्य प्रदेश ग्रामीण ज्योति योजना' के नाम से ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (REC), नई दिल्ली को पूर्व में ही प्रस्तुत की जा चुकी है। योजना का कार्य वित्तीय सहायता प्राप्त होने पर प्रारंभ किया जाएगा।

घरेलू लाईनों के संभारकों का विभाजन तथा उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) : इस योजना के अंतर्गत नवीन 11 केवी लाईन की स्थापना, घरेलू (प्रकाश एवं पंखा) श्रेणी के उपभोक्ताओं को सेवाकृत किये जाने बाबत निम्न दाब लाईनों को 11 केवी लाईनों में परिवर्तन किये जाने तथा न्यून क्षमता वाले वितरण ट्रांसफार्मरों की स्थापना संबंधी कार्य प्रस्तावित हैं। पश्चिम क्षेत्र विवि कम्पनी के अन्तर्गत 12024 ग्रामों को सम्मिलित किये जाने की योजना है जिसके अंतर्गत रू.

1571.65 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता निहित है। यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

कृषि संयोजनों की उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस) : इस योजना में विद्यमान निम्न दाब वोल्टेज लाईनों अर्थात 415 वोल्ट लाईनों को एचवीडीएस लाईनों में परिवर्तित किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस योजना को विद्युत वितरण कम्पनी की पूंजीगत व्यय योजना के अन्तर्गत शामिल कर लिया गया है।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी अपने क्षेत्राधिकार में 15,006 ग्रामों में सेवाएं प्रदान कर रही है। वर्तमान में ग्रामीण भाग में कृषि तथा घरेलू उपयोग के लिये विद्युत प्रदाय सांझे तौर पर किया जा रहा है। घरेलू ग्रामीण तथा कृषि संभारकों के पृथक्करण हेतु दो पृथक–पृथक योजनाएं तैयार की गई हैं जिनके विवरण निम्नानुसार हैं :

अ.	संभारकों का पृथक्करण तथा घरेलू लाईन हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)	– रू. 1246 करोड़
ब.	कृषि संभारकों हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (एचवीडीएस)	– रू. 2062 करोड़

अ. संभारकों का पृथक्करण तथा घरेलू लाईन हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली

इस योजना के अंतर्गत योजना कायों का संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(i)	नवीन 11 केवी लाईन की स्थापना	–	15132 किलोमीटर
(ii)	निम्न दाब लाईनों का उच्च वोल्टेज लाईनों में परिवर्तन किया जाना	–	15761 किलोमीटर
(iii)	निम्न क्षमता वाले 11/0.44 केवी वितरण ट्रांसफार्मरों की संस्थापना (संख्या)	–	36007
(iv)	निम्न दाब लाईन का एबीएलटी केबल में परिवर्तन	–	4502 किलोमीटर

मध्य क्षेत्र विवि कम्पनी के लगभग 15006 ग्रामों को इस योजना के अन्तर्गत शामिल किया जाना प्रस्तावित है जिसमें रू. 1246 करोड़ की वित्तीय प्रतिबद्धता निहित है। यह योजना ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (Rural Electrification Corporation) को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत की जा चुकी है।

ब. कृषि संभारकों हेतु उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) :

कृषि संभारकों की उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली योजना के अन्तर्गत विद्यमान निम्न वोल्टेज वितरण लाईनों के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है, अर्थात 2.65 लाख पम्पों/नलकूपों को प्रेषित करने वाली 415 वोल्ट लाईनों को उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली लाईनों में परिवर्तन किया जाना। निम्न दाब वोल्टेज प्रणाली से उच्च दाब वोल्टेज प्रणाली के परिवर्तन में विद्यमान खंभों तथा संवाहकों को ही उपयोग में लाया जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन पर रू. 2031.14 करोड़ की राशि व्यय की जाएगी तथा वितरण हानियों तथा वितरण असफल होने की दर में कमी द्वारा, 2 वर्ष 7 माह की पुर्नप्राप्ति अवधि मानते हुए, रू. 776.88 करोड़ का वार्षिक प्रतिलाभ (Return) आकलित किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्य निम्नानुसार सारबद्ध किये गये हैं :

(i) निम्न दाब लाईनों को 11 केवी लाईन (उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली–HVDS) में परिवर्तन करना – 52278 किलोमीटर

(ii) 25 केवीए वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4) की स्थापना (संख्या) – 25481

(iii) 116 केवीए वितरण ट्रांसफार्मरों (11/0.4) की स्थापना (संख्या) – 49934

(iv) 10 केवीए वितरण ट्रांसफार्मरों की (11/0.4) स्थापना (संख्या) – 21500

नर्मदा नदी के दोनों ओर निम्न दाब लाईन नेटवर्क को उच्च दाब वोल्टेज प्रणाली में परिवर्तन 11 केवी संभारकों के द्विभाजन तथा बरेली, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, इटारसी व पिपरिया संचालन एवं संधारण संभागों के ग्रामीण क्षेत्रों के भाग में स्वचालित मीटर वाचन आधारित वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकरण के कार्य निष्पादन हेतु निविदाएं बुलाई गई हैं। परियोजना की लागत रू. 305 करोड है तथा इसे एडीबी (एशिया विकास बैंक) –II योजना द्वारा पोषित किया जाना प्रस्तावित है। कार्य समिति (Business Committee) द्वारा निविदा मूल्यांकन प्रतिवेदन का अनुमोदन कर दिया गया है तथा एडीबी का अनुमोदन अपेक्षित है। इस परियोजना को विद्युत वितरण कम्पनी की पूंजीगत योजना में सम्मिलित किया जा चुका है। अन्य क्षेत्रों में उच्च वोल्टेज वितरण प्रणाली (HVDS) का क्रियान्वयन निधि की उपलब्धता तथा क्षेत्र की विशिष्ट आवश्यकता पर निर्भर करेगा।

आयोग की अभियुक्ति तथा दिशा–निर्देश : ऐसा पाया गया है कि समस्त अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा अभी तक मात्र संभारक विभाजन की योजनाएं ही प्रस्तुत की गई हैं। तथापि, इनके बारे कोई ठोस परिणाम प्राप्त नहीं हुए हैं, सिवाय जिला सागर में स्वल्प उपलब्धि, के जहां 11 केवी के 6 संभारकों का द्विभाजन प्रतिवेदित किया गया है। *आयोग निर्देश देता है कि विस्तृत विवरण यह दर्शाते हुए प्रस्तुत किये जाएं कि कितने 11 केवी संभारकों में पृथक्करण की आवश्यकता है, संभारकों की संख्या जिन हेतु योजनाएं तैयार की जा चुकी हैं तथा संभारकों की संख्या जिन हेतु योजनाएं तैयार की जा रही हैं। इस हेतु वित्त प्रबंधन का प्रस्तावित स्त्रोत तथा कार्य पूर्ण किये जाने हेतु निर्धारित समय अवधि यह दर्शाते हुए कि ऐसे संभारकों को कब तक पृथक कर लिया जाएगा, बाबत भी सूचित किया जाए। यह जानकारी माह जुलाई 2010 तक प्रस्तुत की जाए।*

6.8 **न्यूनतम विद्युत प्रदाय हेतु घंटे** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 के खुदरा टैरिफ आदेश का पैरा क्रमांक 6.10)

आयोग के दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को निम्न न्यूनतम विद्युत प्रदाय घंटे सुनिश्चित किये जाने से संबंधित निर्देश दिये गये :

(i)	*संभागीय मुख्यालय*	*: 22 घंटे*
(ii)	*जिला मुख्यालय*	*: 19 घंटे*
(iii)	*तहसील मुख्यालय*	*: 14 घंटे*
(iv)	*ग्रामीण क्षेत्र*	*: कुल 12 घंटे, जिनमें से तीन फेज विद्युत प्रदाय कम से कम छः घंटे की अवधि तक हो।*

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वर्ष 2009–10 के दौरान माह नवम्बर 09 तक औसत प्रदाय घंटे निम्नानुसार थे :

(i)	**संभागीय मुख्यालय**	**: 23:10:15 घंटे**
(ii)	**जिला मुख्यालय**	**: 21:21:52 घंटे**
(iii)	**तहसील मुख्यालय**	**: 15:57:07 घंटे**
(iv)	**ग्रामीण क्षेत्र**	**: 12 : 50 : 08 घंटे जिसमें तीन फेज प्रदाय 7:18:22 घंटे का था।**

उपरोक्त दर्शाये गये वितरण से स्पष्ट है कि विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा टैरिफ आदेश में दर्शाई गई प्रतिबद्धता से अधिक अवधि में विद्युत प्रदाय किया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में औसत विद्युत प्रदाय 7:18:22 घंटे थी जो कि 6 घंटे के प्रतिबद्ध विद्युत प्रदाय से काफी अधिक है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : माह अप्रैल 09 से माह नवम्बर 09 तक विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

प्रदाय घंटे					
सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + 1 फेज)
1	अप्रैल–09	23.56	21.47	16.15	12.54
2	मई–09	24.00	21.44	16.08	12.30
3	जून–09	22.26	19.14	12.41	9.14
4	जुलाई–09	22.48	21.32	16.09	12.34
5	अगस्त–09	22.14	19.39	12.37	9.45
6	सितम्बर–09	23.42	21.47	17.45	14.37
7	अक्टूबर–09	23.27	21.58	17.57	11.24
8	नवम्बर–09	24.00	21.51	19.50	11.24

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** माह अप्रैल 09 से माह नवम्बर 09 तक विद्युत प्रदाय घंटे निम्नानुसार दर्शाये गये हैं :

सरल क्रमांक	माह	संभागीय मुख्यालय	जिला मुख्यालय	तहसील मुख्यालय	ग्रामीण (3 फेज + 1 फेज)
1	अप्रैल–09	23.56	22.22	17.28	13.50
2	मई–09	24.00	22.19	16.23	13.07
3	जून–09	23.14	20.00	13.14	10.13
4	जुलाई–09	23.08	20.15	15.33	12.00

5	**अगस्त–09**	**22.52**	**19.25**	**13.32**	**09.45**
6	**सितम्बर–09**	**23.42**	**22.32**	**18.42**	**16.13**
7	**अक्टूबर–09**	**23.45**	**23.25**	**17.07**	**13.52**
8	**नवम्बर–09**	**24.00**	**24.00**	**20.05**	**17.51**

उपरोक्त विद्युत प्रदाय घंटे स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि मध्य क्षेत्र विविकं द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश में निर्धारित की गई न्यूनतम अवधि से अधिक विद्युत प्रदाय किया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : यह संज्ञान में लिया गया कि पश्चिम क्षेत्र विविकं के अन्तर्गत माह जून तथा अगस्त में तहसील मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में माह जून, अगस्त, अक्टूबर तथा नवम्बर के विद्युत प्रदाय घंटे कम थे। इसी प्रकार मध्य क्षेत्र विविकं के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय तथा ग्रामीण क्षेत्र में माह जून तथा अगस्त में वांछित स्तर से विद्युत प्रदाय के घंटे कम थे। पूर्व क्षेत्र विविकं द्वारा वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु माहवार न्यूनतम विद्युत प्रदाय का विवरण प्रस्तुत नहीं किया गया। आयोग का मत है कि समस्त अनुज्ञप्तिधारी अपने उपभोक्ताओं को पर्याप्त विद्युत प्रदाय हेतु प्रतिबद्ध हैं, अतएव प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत न्यूनतम सुनिश्चित विद्युत प्रदाय घंटों का स्तर विभिन्न क्षेत्रों हेतु संधारित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी विद्युत कटौतियों के बारे में कई प्रेस रिपोर्ट भी देखी गई हैं। जन–सुनवाईयों के दौरान भी कई उपभोक्ताओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत प्रदाय की बिगड़ती हुई हालत के प्रति शिकायत की गई। *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को वित्तीय वर्ष 09–10 हेतु दिये गये निर्देशों के अनुरूप इस वर्ष भी न्यूनतम दैनिक विद्युत प्रदाय घंटे संधारित किये जाने के निर्देश देता है।*

6.9 **टैरिफ श्रेणी निम्न दाब औद्योगिक 4.1 के अंतर्गत नवीन संयोजन अथवा भार में वृद्धि बाबत** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 के खुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.11)

आयोग के दिशा–निर्देश : एलवी–4.1 (सी) श्रेणी के अंतर्गत नवीन संयोजन स्वीकृत न किये जाएं तथा न ही इन श्रेणियों में भार में वृद्धि किया जाना अनुज्ञेय किया जाए।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : टैरिफ श्रेणी 4.1 (सी) के अन्तर्गत न तो नये संयोजन स्वीकृत किये जा रहे हैं तथा न ही भार में वृद्धि अनुज्ञेय की जा रही है।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : परिपालन प्रतिवेदित नहीं किया गया।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : परिपालन प्रतिवेदित नहीं किया गया।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : पश्चिम क्षेविविकं. तथा मध्य क्षेविविकं. द्वारा दिशा निर्देशों का प्रतिपालन प्रतिवेदित नहीं किया गया है। आयोग द्वारा इस टैरिफ आदेश के अन्तर्गत इस संबंध में संबद्ध प्रावधानों में परिवर्तन किये गये हैं जिनका परिपालन किया जाए तथा परिपालन प्रतिवेदन अगले तीन माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाएं।

6.10 **व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्तियां** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 केखुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.12)

आयोग के दिशा निर्देश : आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देशित करता है कि जब कभी उनके द्वारा उनके क्षेत्र हेतु व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) की नियुक्ति की जाए इसके विवरण आयोग को भी प्रस्तुत किये जाएं।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : पूर्व क्षेत्र विविकं क्षेत्र में फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति संबंधी विवरण मय इनकी निबंधन एवं शर्तों के तथा आदेश अनुबंधों (Model Agreements) आदि के एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर किये जाएंगे।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : प्रारंभिक रूप से कम्पनी द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति रतलाम जिले के ग्राम रूपाखेड़ा में मार्गदर्शन परियोजना (pilot project) के बतौर कर दी गई है। यह एक आहरण (Input) आधारित फ्रेन्चाईजी माडल (प्रतिमान) है, अर्थात विद्युत प्रदाय के आहरण बिन्दु पर स्थापित अन्तर्मुख मापयंत्रों के माध्यम से 11 केवी संभारकों पर मीटरीकरण किया जाना। यह ग्राम पंचायत फ्रेन्चाईजी पिछले दो वर्षों से सन्तोषजनक ढंग से कार्य का निष्पादन कर रही है।

वर्तमान में चार आहरण आधारित ग्रामीण फ्रेन्चाईजी विद्युत वितरण कम्पनी क्षेत्र में कार्यरत हैं जो कि निम्नानुसार हैं :

अ. रूपाखेड़ा – जिला रतलाम
ब. पिपलोदा – जिला इन्दौर
स. पिवड़े – जिला इंदौर
द. कम्पेल – जिला इंदौर

ग्राम पंचायतों को फ्रेन्चाईजी प्राप्त करने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है। महू संभाग के अन्तर्गत कुछ और ग्राम पंचायतों द्वारा फ्रेन्चाईजीस अनुबंध हेतु विकल्प प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त के अतिरिक्त, ग्राम पंचायत स्तर पर आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी बढ़ाने के अतिरिक्त प्रयास भी किये जा रहे हैं। वितरण कम्पनी द्वारा फ्रेन्चाईजी विकसित किये जाने की दृष्टि से प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन भी किया गया है।

(ii) मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी : विद्युत वितरण प्रणाली की प्रचालन दक्षता तथा उपभोक्ताओं हेतु सेवा की गुणवत्ता बढ़ाये जाने के प्रयोजन से कम्पनी जन–निजी भागीदारी द्वारा विद्युत वितरण के क्षेत्र में प्रबंधन निपुणता लाये जाने की इच्छुक है। विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 14 के उपबन्ध 7 के अनुपालन में, कम्पनी विद्युत प्रदाय की गुणवत्ता तथा मात्रा, सम्पूर्ण तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों (ATEC loss) को न्यूनतम करने, मीटरीकरण, बिलिंग, राजस्व संग्रहण में सुधार लाये जाने तथा बिलिंग बकाया राशि को न्यूनतम स्तर पर लाये जाने हेतु तथा उपभोक्ताओं की समग्र सन्तुष्टि हेतु फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने की इच्छुक है।

प्रारंभिक रूप से, कम्पनी परिक्षेत्र स्तर पर एक आहरण आधारित फ्रेन्चाईजी प्रतिमान (input based franchisee model) अर्थात् 11 केवी संभारकों पर विद्युत प्रदाय के आहरण बिन्दु पर अन्तर्मुख मीटर पर मीटरीकरण द्वारा, फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये गये थे।

पिछले दो वर्षों के दौरान, 5 फ्रेंन्चाईजी निम्नानुसार नियुक्त किये गये :

सरल क्रमांक	परिक्षेत्र विद्युत वितरण केन्द्र का नाम	फ्रेन्चाईजी का नाम	प्रचालन तिथि
1	संचालन एवं संधारण वृत्त के अंतर्गत बैरसिया वितरण केन्द्र	सोशल वेलफेयर आर्गेनाईजेशन, विदिशा	1–05–2007
2	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत करोंद परिक्षेत्र	अग्रवाल पॉवर, भोपाल	1–10–2007
3	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत छोला परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–02–2008
4	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत जहांगीराबाद परिक्षेत्र	जूम डेवलपर, इंदौर	1–02–2008
5	शहर वृत्त भोपाल के अन्तर्गत चांदबड़ परिक्षेत्र	श्याम इण्डस पावर सोल्यूशन्स, नई दिल्ली	1–03–2008

वर्तमान मे केवल 3 फ्रेन्चाईज (सरल क्रमांक 2, 3 तथा 5 पर दर्शाये गये) कार्यरत हैं। सरल क्रमांक 3 तथा 5 पर दर्शाये गये फ्रेन्चाईजी द्वारा अपनी संविदा अवधि पूर्ण किये जाने से पूर्व कार्य बन्द कर दिया गया है। लघु स्तरीय फ्रेन्चाईजी की सफलता दर को दृष्टिगत रखते हुए, कम्पनी द्वारा संभाग/वृत्त स्तर पर फ्रेन्चाईजी नियुक्त करने का निर्णय लिया गया है। तद्नुसार गुना वृत्त हेतु एक इच्छा की अभिव्यक्ति (EOI) दिनांक 1.7.09 को जारी की गई है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग यह मानता है कि विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबन्ध के अनुसार फ्रेन्चाईजी की नियुक्ति को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तथापि, इस हेतु यथोचित देखभाल की जाना आवश्यक है कि ऐसे फ्रेन्चाईजी क्षेत्रों के अंतर्गत उपभोक्तागण नकारात्मक रूप से प्रभावित न हों तथा अनुज्ञप्तिधारी का न्यायोचित राजस्व भी सुरक्षित रहे। इसके अतिरिक्त, पूंजीगत व्यय योजना के पर्याप्त रूप से क्रियान्वयन में भी सावधानी बरतनी होगी। *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को निर्देश देता है कि उनके द्वारा अपने क्षेत्र के फ्रेन्चाईजी नियुक्त किये जाने पर वितरण आयोग को प्रस्तुत किये जाएं।*

6.11 **वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु प्रथम देयक के साथ नवीन विद्युत–दर (टैरिफ) से संबंधित टैरिफ कार्ड जारी करना** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 के खुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.13)

आयोग के दिशा–निर्देश : विद्युत वितरण कम्पनियों को वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अन्तर्गत प्रथम देयक के साथ समस्त उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों हेतु चालू वर्ष हेतु लागू एक टैरिफ कार्ड जारी करने के निर्देश दिये गये थे।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

1. **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2009–10 हेतु लागू विद्युत दर के क्रियान्वयन हेतु व्यापक प्रचार–प्रसार किया गया है। टैरिफ अनुसूची विद्युत वितरण कम्पनी की वैब साईट पर भी उपलब्ध है। तथापि, टैरिफ अनुसूची पुस्तिका समस्त उच्च दाब उपभोक्ताओं को प्रदान की गई है।

2. **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड जारी कर दिया गया है।

3. **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : वित्तीय वर्ष 2009–10 के टैरिफ आदेश के अनुसार उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड जारी कर दिया गया है।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा केवल उच्च दाब उपभोक्ताओं को ही टैरिफ पुस्तिका उपलब्ध कराई गई है यद्यपि उनके द्वारा व्यापक प्रचार–प्रसार का दावा भी किया गया है परन्तु समस्त उपभोक्ताओं को टैरिफ कार्ड प्रदान किये जाने संबंधी दिशा–निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया है। इसे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लिया गया है। अनुज्ञप्तिधारी का यह दायित्व है कि वह उपभोक्ताओं को आवश्यक विवरण उपलब्ध कराये। भविष्य में इस प्रकार की शिथिलता/गैर–अनुपालन हेतु उचित कार्यवाही की जा सकेगी। *विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि इस टैरिफ आदेश के बाद उपभोक्ताओं को जारी किये जाने वाले प्रथम देयक के साथ वित्तीय वर्ष 2010–11 के टैरिफ आदेश के अनुसार लागू विभिन्न श्रेणियों हेतु विद्युत–दर के विवरण दर्शाते हुए टैरिफ कार्ड जारी किये जाएं।*

6.12 **सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों को हिन्दी भाषा में दायर किया जाना** : (वित्तीय वर्ष 2009–10 केखुदरा टैरिफ आदेश का पैरा 6.14)

आयोग के दिशा निर्देश : समस्त वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये गये कि भविष्य में वे सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्तावों के साथ–साथ सत्यापन याचिकाएं भी दोनों अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में प्रस्तुत करें।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : यह प्रस्तुतिकरण अंग्रेजी में किया जा रहा है तथा इस याचिका को हिन्दी में रूपान्तरण के सभी संभव प्रयास किये जाएंगे तथा इसमें एक माह का समय लगेगा।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का हिन्दी रूपान्तरण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी** : सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता के हिन्दी अनुवाद हेतु कार्यादेश जारी किया गया है तथा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता का हिन्दी संस्करण शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : किसी भी अनुज्ञपित्धारी द्वारा सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता अभिलेख का हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है। समस्त विद्युत वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये जाते हैं कि सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ प्रस्ताव एवं सत्यापन याचिकाएं दोनों अंग्रेजी तथा हिन्दी भाषा में दाखिल की जाएं।

6.13 **छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों का लेखांकन** :

आयोग के दिशा निर्देश : समस्त वितरण कम्पनियों को निर्देश दिये गये थे कि वे इस आदेश के अन्तर्गत **छूटों/प्रोत्साहनों/अधिभारों** के संबंध में उपभोक्ता श्रेणीवार तथा माहवार विस्तृत विवरण संधारित करें तथा इसे आगामी वर्ष की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ प्रस्तावों के साथ प्रस्तुत करें।

विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा प्रतिवेदित अद्यतन स्थिति :

(i) **पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** पात्रता रखने वाले उपभोक्ताओं हेतु छूटों/प्रोत्साहनों/अधिभारों को नियमित रूप से उनके उपभोक्ता देयकों में दर्शाया जा रहा है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के माहवार विवरण इस प्रस्तुति के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाएंगे।

(ii) **पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** उपभोक्ता श्रेणीवार, माहवार छूट/प्रोत्साहन/अधिभार के विवरण अभिलिखित किये जाने हेतु साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है तथा वांछित जानकारी शीघ्र प्रस्तुत की जाएगी।

(iii) **मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी :** पात्रता रखने वाले उपभोक्ताओं हेतु छूट/प्रोत्साहनों/अधिभारों को नियमित रूप से उनेक उपभोक्ता देयकों में दर्शाया जा रहा है। उच्च दाब उपभोक्ताओं के माहवार विवरण इस प्रस्तुति के एक माह के अन्दर प्रस्तुत किये जाएंगे।

आयोग की अभ्युक्ति तथा दिशा–निर्देश : आयोग द्वारा चाहे गये विवरण किसी भी विद्युत वितरण कम्पनी द्वारा प्रस्तुत नहीं किये गये हैं। *आयोग अनुज्ञप्तिधारियों को पुनः उपभोक्ताओं की राजस्व बिलिंग से वांछित विवरण की प्राप्ति सुनिश्चित करने तथा आंकड़े प्रस्तुत करने के निर्देश देता है जिसका परिपालन न किये जाने पर आयोग उचित कार्यवाही कर सकेगा।*

नवीन दिशा–निर्देश :

उपरोक्त दिशा–निर्देशों के अतिरिक्त आयोग इस आदेश में निम्न नवीन दिशा–निर्देश भी जारी करता है:

एक सामान लेखा का संधारण करना : आयोग द्वारा यह पाया गया है कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों की लेखा प्रस्तुतिकरण की विधि एक समान नहीं है। इसके अतिरिक्त व्यय तथा राजस्व के प्रस्तुतिकरण की विधि भी तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों में अलग–अलग है। तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों को एक समान विधि द्वारा क्रियान्वयन हेतु लेखा विधि (Chart of

Accounts) विकसित किये जाने की आवश्यकता है। *आयोग निर्देश देता है कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक समान स्तरीय कार्य विधि विकसित की जाए तथा यह सुनिश्चित भी किया जाए कि भविष्य में प्रस्तुत किये जाने वाले लेखों में एक समान लेखा नीति के अनुसार यह विधि सुसंगत रूप से प्रयुक्त की जाए जिसके अन्तर्गत निम्न बिन्दुओं पर भी ध्यान दिया जाए :*

(i) लेखा को तैयार किये जाने का आधार तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों हेतु एक समान होना चाहिए।

(ii) तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा एक समान लेखा–विधि (Chart of Accounts) विकसित की जाए।

(iii) वित्तीय लेखों में व्यय तथा राजस्व के प्रस्तुतिकरण की विधि एक समान होनी चाहिए।

सुझाव दिया जाता है कि तीनों विद्युत वितरण कम्पनियों द्वारा उपरोक्त बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए उनके अधिकारियों की एक समिति गठित की जाए तथा उसके द्वारा उचित अनुशंसाएं माह अगस्त, 2010 तक प्रस्तुत की जाएं।

विनियमों का परिपालन : आयोग द्वारा पाया गया कि अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु अपनी सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता/टैरिफ याचिका विनियमों के उपबन्धों में दर्शाई गई विधि के अनुरूप, विशेष कर वितरण हानियों, प्रचालन एवं संधारण, अवमूल्यन आदि के संबंध में प्रस्तुत नहीं की गई है। *आयोग निर्देश देता है कि भविष्य में याचिका विनियमों के उपबन्धों के अनुरूप ही दाखिल की जाए तथा यदि कोई अनुज्ञप्तिधारी किन्हीं विशिष्ट बिन्दुओं पर आयोग का ध्यान आकृष्ट करने का इच्छुक हो तो इसे याचिका में अतिरिक्त प्रस्तुतिओं के माध्यम से किया जा सकता है।*

परिशिष्ट–1

आपत्तिकर्त्ताओं की सूची

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की याचिका पर आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	**आपत्तिकर्त्ताओं के नाम**
1	श्री प्रफुल्ल मालू, सिवनी
2	श्री संजय पटेल, अध्यक्ष, आत्मा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या. रिठोर, तह. खुरई, जिला सागर
3	श्री आलोक ब्योहार, ब्रह्मपुरा, सिहोरा, जिला जबलपुर
4	श्री दिलीप जायसवाल, न्यू टाउन चिकली, जिला छिंदवाड़ा
5	श्री राजनारायण भारद्वाज, प्लाट नं. 453, संजीवनी नगर, गढ़ा, जबलपुर
6	श्री राजेन्द्र प्रसाद मोरे, प्रबुद्धपुरी स्ट्रीट न.4 आदर्श कालोनी मार्ग, जिला कटनी–483501
7	श्री झुन्नीलाल जायसवाल, अध्यक्ष, एम.पी. फ्लोर मिल संघ, जिला कटनी–483501
8	श्री रवि दत्त सिंह, अध्यक्ष, भारतीय किसान संघ, महाकौशल प्रान्त, खुटेही, रीवा
9	डॉ. पी.जी. नाजपांडे, अध्यक्ष, नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, 6/47, रामनगर, आधारतल, जबलपुर–482004
10	मैनेजिंग डायरेक्टर, आर.एन.एम. इंजीनियरिंग एवं कंसलटेन्ट प्रा.लि., चैम्बर 17, गुडलक अपार्टमेंट कटंगा 82, नर्मदा रोड, जबलपुर–482001
11	श्री जी.सी. जैन, उपाध्यक्ष, एच.जे.आई.डिवीजन ऑफ ओरिएन्ट पेपर मिल्स पो.आ. अमलाई पेपर मिल्स – 484117, जिला अनूपपुर
12	श्री रवि गुप्ता, अध्यक्ष, मनेरी उद्योग संघ, मनेरी, जबलपुर
13	श्री श्रीधर अग्रवाल, प्राइमो पिक एन. पैक लि. प्राइमो हाउस, 1610, राईट टाउन, जबलपुर–482002
14	मे. सन पैटपेक जबलपुर प्रा.लि. 781, गोल बाजार, जबलपुर–482002
15	श्री रवि गुप्ता, अध्यक्ष, जबलपुर लद्यु उद्योग संघ, 1 इण्डस्ट्रियल इस्टेट, आधारतल, जबलपुर
16	श्री संजीब भट्टाचार्य प्रबंधक, नर्मदा जिलेटाइन्स लि., पोस्ट बॉक्स नं.91, जबलपुर 482001
17	श्री आनंद कुमार जैन, महाकौशल चैम्बर ऑफ कामर्स एंड इंडस्ट्री, चैम्बर भवन, सिविक सेंटर, मढ़ाताल, जबलपुर–486002

18	श्री आर.पी. निगम, सचिव, म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिएशन, कार्या. 39 सत्यानन्द विहार, रामपुर, जबलपुर–482008
19	प्रबंध संचालक (ई एंड एम) साऊथ–ईस्टर्न कोलफील्डस लि., सीपत रोड, पो.बा. नं. 60, बिलासपुर–495006 (छत्तीसगढ़)
20	श्री आर.के. मिश्रा, मुख्य विद्युत वितरण अभियंता जी.एम. बिल्डिंग, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
21	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जबलपुर दुग्ध संघ मर्या. करोन्दा नाला इमलिया, आधारतल जबलपुर
22	डॉ. नरेन्द्र सोमैय्या, महाकौशल उद्योग संघ, औद्योगिक क्षेत्र, रिछाई, जबलपुर–482010
23	श्री थारेश्वर महावर, पार्षद, जबलपुर
24	श्री सी.एस. तिवारी, कृषक, नरसिंहपुर
25	श्री रमेश पटेल, कृषक और अध्यक्ष भारतीय किसान संघ, सिहोरा
26	श्री रामावतार तिवारी, ग्राम झिरिया, रीवा
27	श्री अनिरूद्ध सिंह, ग्राम पोस्ट तिलखान, रीवा
28	श्री शिवकुमार माईनिंग इंजीनियर, पो. जैतवारा, जिला सतना

"अवधारणा पत्र" पर टिप्पणियां	
1	अतिरक्त मुख्य अभियंता, वाणिज्यिक म.प्र.. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि. शक्ति भवन, रामपुरा, जबलपुर

मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की याचिका पर आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम
1.	श्री आर.एन. शर्मा, समन्वयक, वरिष्ठ नागरिक मंच, 37, प्रकाश नगर, नवलखा, इंदौर
2.	पंडित दुर्गा प्रसाद शर्मा, डी–13, सेवा सरदार नगर, इंदौर
3.	श्री संजय जैन, इलेक्ट्रीकल कान्ट्रेक्टर, 25 बक्शी कालोनी, एक्सटेंशन इंदौर
4.	श्री मनोज आत्मज श्री लक्ष्मी नारायण खालवा, जिला खंडवा
5.	श्री अनिल कुमार जैन, 26, एम.आई.जी. शास्त्री नगर, उज्जैन
6.	श्री ए.एल. जैन, 15, व्यास कालोनी, बदनागर, उज्जैन
7.	श्री किशोर दीपक कोडवानी एवं अन्य, विकास मित्र दृष्टि, 2050, पुष्पदीप अपार्टमेंट, सर्वोदय नगर, इंदौर (अभ्यावेदन 130 उपभोक्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित)
8.	श्री संजय कुमार अग्रवाल, 970, मानक चौक, महू
9.	श्री राकेश खेमसरा, एस.बी.आई. के समीप मेघनगर, जिला झाबुआ–457779
10.	श्री जसबीर सिंह छाबरा, बिड़ला मार्ग, खरगोन
11.	श्री आर.एस. गोयल, 51, प्रकाश नगर, नवलखा रोड, इंदौर
12.	श्री आर. सी. सोमानी, 67 सी.एच. स्कीम नं. 74सी. विजय नगर, इंदौर
13.	श्री आर.एस. चौधरी, वरिष्ठ नागरिक मंच, देवास वरिष्ठ नागरिक संस्था, देवास–455001
14.	श्री मोहन लाल सिंघल, अध्यक्ष, अग्रवाल परिषद, 18, वैभव चैम्बर, उषा गंज, इंदौर
15.	श्री आशुतोष राव, सचिव, प्रकाश नगर, विकास संघ, 46, प्रकाश नगर, नवलखा, इंदौर
16.	श्री मनोहर चौधरी, अध्यक्ष, किसान विकास मंच समिति, किसान भवन, कृषि उपज मंडी, बुरहानपुर
17.	श्री शंकरलाल गोयल, संचालक, कृषि उपज मंडी समिति, खाचरोद, जिला उज्जैन
18.	श्री सुरेश चन्द्र मुकाती, अध्यक्ष, ग्राम किसान समिति, कृषि सचेतक भारतीय अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली, पो. बोरलाई, जिला बड़वानी
19.	श्री राजेन्द्र कुमार पाण्डे, संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्या. पो. भिखलदा जिला धार
20.	श्री देवेन्द्र सिंह, तोमर, ग्राम एकलबारा, तह. मनावर, जिला धार

21.	मेसर्स मित्तल एपलायसेंस लि. 338, शिवाजी नगर, इंदौर, 452003
22.	श्री उमेश डी. भाटिया, प्रबंध संचालक (वर्क्स), निवो कंट्रोल्स प्रा.लि. इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, इंदौर 425010
23.	श्री राम स्विचगियर प्रा.लि. श्री राम भवन, गौशाला रोड, रतलाम, 457001
24.	श्री के.एम. बालसुब्रमन्यम, साईंनटेक टेकनालॉजी, प्रा.लि. 94, इलेक्ट्रॉनिक्स काम्प्लेक्स, परदेसीपुरा, इंदौर–452010
25.	मेसर्स नवीश टेक्नालॉजी 141–बी, इलेक्ट्रानिक्स काम्प्लेक्स/परदेसीपुरा, इंदौर–452010
26.	श्री बी.के. खंडेलवाल, संचालक, नीरज इंजीनियरिंग कंपनी प्रा.लि. 206, नवनीत प्लाजा, ओल्ड पलासिया, इंदौर–452018
27.	श्री के.सी. जैन, प्रबंध संचालक, कुबेर लाइटिंग (प्रा) लि. 17, मनीषपुरी, चंद्रलोक एक्सटेंशन, इंदौर 452018
28.	संचालक, सचदेवा प्लास्टिक (प्रा.) लि. 305, चेतक सेंटर 12/2, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर–452001
29.	मेसर्स पोलीमर पैकेजिंग, अग्रवाल हाउस, 5 यशवंत कालोनी, इंदौर–452003
30.	मेसर्स इंडियन प्लास्टिक फोरम, चौथी मंजिल, दवा बाजार, आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर–452001
31.	प्रबंध संचालक, म.प्र. डाईकेम इंडस्ट्रीज प्रा.लि. प्लाट नं. 59 और 63, सेक्टर, ''ए'' सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
32.	संचालक, माउन्ट एवरेस्ट ब्रेवरीज लि. चौथी मंजिल, सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1, नया पलासिया, इंदौर–452001
33.	श्री रंजन मीमानी, प्रबंध संचालक, मीमानी, वायर्स प्रा.लि. 26/3, नया पलासिया, इंदौर–452001
34.	श्री सुनील चौरड़िया, प्रबंध संचालक, राजरतन ग्लोबल वायर लि. ''राजरतन हाउस'' 11/2, मीरा पथ, धेनु मार्केट, इंदौर–3
35.	श्री सुधीर देसाई, फैक्ट्री मैनेजर, गजरा गियर्स (प्रा.) लि., एल्वे चैम्बर्स, ग्रीन स्ट्रीट फोर्ट, मुम्बई–400023
36.	श्री संजय जोशी, वाणिज्यिक प्रबंधक, चेतक ऑटोइंजीनियरिंग प्रोडक्टस कं. लि. प्लाट नं. 249, औद्योगिक क्षेत्र, सेक्टर नं. 3, पीथमपुर–454775, जिला धार
37.	श्री एस. मनचंदा, प्रबंधक, (मैन्यूफैक्चरिंग) साइंटीफिक एमईएस टेकनिक प्रा.लि. बी–14, पोलोग्राउन्ड औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015

38.	श्री हितेश मेहता, प्रबंध संचालक, जे.एम. केमिकल्स प्रा.लि. 101, सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1, नया पलासिया, इंदौर–452001
39.	मेसर्स त्रिवेनी कंडक्टर्स लि. कान्ति मेंशन 6, मुरई, मोहल्ला इंदौर–452001
40.	मेसर्स पोरवाल आटो कम्पोनेन्टस लि. 209, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर–454775
41.	मेसर्स पोरवाल डीजल्स प्रा.लि. 193, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर–454775
42.	प्रोपराइटर, आरेल इंडस्ट्रीज, 52, सेक्टर–ए, सांवेर रोड, इंदौर–452015
43.	संचालक, काबरा ड्रग्स लि. 26, सेक्टर–ए, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
44.	मेसर्स ओमेगा रबर इंडस्ट्रीज, 63, सेक्टर–ए, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
45.	संचालक, जायंट रबर प्रा.लि. 63/1, सेक्टर–ए, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
46.	प्रबंधक, झावेरी टेक्सटाईल्स, 28, सेक्टर–ए, सांवेर रोड, औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
47.	श्री राहुल वैद्य, संचालक, परपल फोकस, 103, प्रिंस प्राइड, 21/3, नया पलासिया कार्यालय नारायण कोठी, इंदौर–452003
48.	श्री राहुल जैन, प्रबंध संचालक, राहुल प्रिसीजन वर्क्स प्रा.लि. एच–101/ए, मेटरो टॉवर्स, स्कीम नं.54, ए,बी, रोड, इंदौर–452010
49.	श्री एच.एस. रंगानाथ, अध्यक्ष, दी इंडस्ट्रीज ऑफ इंडियन फाउन्ड्रीमेन, द्वारा मेसर्स पोरवाल आटो कम्पोनेन्टस लि. सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर–454775
50.	डॉ. कमल भरानी, कृति इंडस्ट्रीज (इंडिया) लि. ''चेतक चैम्बर्स'', चौथी मंजिल, 14, आर. एन.टी. मार्ग इंदौर–452001
51.	प्रबंध संचालक, सोनी इस्पात लि., द्वितीय मंजिल, ''जनक'', II नया पलासिया इंदौर–452001
52.	संचालक, मैटलमैन इंडस्ट्रीज लि. ''जनक'', II नया पलासिया इंदौर–452001
53.	श्री कृष्णकान्त बागरी, अध्यक्ष, बागरी अलॉयज लि. द्वितीय मंजिल सिल्वर आर्क प्लाजा, 20/1, नया पलासिया इंदौर–452001
54.	मेसर्स एडमेनम पैकेजिंग लि. पीथमपुर बाईपास पो.राऊ, इंदौर–453331
55.	श्री सुधीर मेहता, संचालक, मै फोर्स ट्रक्स प्रा.लि. प्लाट नं. 3 (बी)–1, सेक्टर–1, औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर जिला धार–454775
56.	वाणिज्यिक प्रबंधक, दावेशमेन इंडिया प्रा.लि. एच.ओ. ''मानसा'' 20/8, दक्षिण तुकोगंज इंदौर–452001

57.	मेसर्स अल्प लेबोरेट्रीज लि. 33/2, ए बी रोड, पिगदम्बर 453446, इंदौर
58.	मेसर्स श्री केबल्स एवं कंडक्टर्स प्रा.लि. 7–सी औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
59.	श्री एम.डी. महाजन, उपाध्यक्ष, विप्पी इंडस्ट्रीज लि. 28, औद्योगिक क्षेत्र देवास–455001
60.	श्री एन.के. गुप्ता, वरिष्ठ प्रबंधक, के.एस. ऑयल लि., पंजीकृत कार्यालय जीवाजीगंज मुरैना–476001
61.	मेसर्स कैपेरो इंजीनियरिंग इंडिया प्रा.लि. 9 बी सेक्टर–2, ए.के.व्ही.एन. औद्योगिक क्षेत्र, पीथमपुर–454775
62.	श्री के.के. लाहोटी, कार्यपालन संचालक, राजश्री प्लास्टीवुड 10/1, दक्षिण तुकोगंज कंचन बाग, मेन रोड इंदौर–452001
63.	श्री सी.बी. सिंह, आयुक्त, इंदौर नगर निगम, इंदौर
64.	श्री आर.के. मिश्रा, मुख्य विद्युत वितरण अभियंता, जी.एम. बिल्डिंग, पश्चिम मध्य रेलवे, जबलपुर
65.	श्री आर.पी. निगम, सचिव, एम.पी. विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिऐशन कार्या. 39, सत्यानन्द विहार, रामपुर, जबलपुर–482008
66.	श्री व्ही.सी. मोदी, अध्यक्ष, म.प्र. विद्युत मंडल पेंशनर्स एसोसिऐशन सी–14/14, महाकाल वाणिज्यिक केन्द्र, नानाखेड़ा, उज्जैन
67.	श्री केशव लाल गुप्ता, महामंत्री, बिजली कर्मचारी संघ, पश्चिम क्षेत्र, 55, राजस्व कालोनी, फ्रीगंज, उज्जैन
68	श्री सुशील शर्मा, प्रांतीय महामंत्री, विद्युत मंडल कर्मचारी संघ, 197 के, सेक्टर–ए, स्कीम नं. 71, गुमाश्ता नगर, मेन रोड, इंदौर
69.	श्री पवन कुमार जैन, जोनल सचिव, म.प्र. विद्युत मंडल अभियंता संघ, पोलोग्राउन्ड इंदौर
70.	श्री कैलाश यादव, अध्यक्ष, क्षिप्रा उपभोक्ता संरक्षण संमिति 17, दुर्गा कालोनी, अंकपत मार्ग, उज्जैन
71.	श्री आर. सी. जैन, सचिव, उपभोक्ता जागृति संमिति 23/2, शंकू मार्ग उज्जैन
72.	श्री सतनारायण शर्मा, ''पाराशर'' सचिव, उज्जैन इलेक्ट्रिक कान्ट्रेक्टर एसोसिएशन, 31, उज्जैन निजातपुरा, द्रविड़ मार्ग, उज्जैन – 456006
73.	श्री आत्माराम जोशी, नीमच जिला सेवा निवृत्त एवं पेंशनर्स नागरिक महासंघ, पुराना कलेक्टर कार्यालय, नीमच 207, विकास नगर, नीमच

74.	श्रीमती मांगीबाई, हीरालाल गोयल, शिक्षा संस्थान एवं अन्य 6 संस्थाएं महेश्वर रोड बड़वाह
75.	श्री एस. एम. जैन, अध्यक्ष, (म.प्र. चैप्टर) ऑल इंडिया इंडक्शन फरनेस एसोसिएशन, 67 औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001
76.	श्री एस. एम. जैन, संचालक, वीनस एलायज प्रा.लि. 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001
77.	श्री संदीप जैन, जयदीप इस्पात एवं एलॉयज प्रा.लि. 103, लक्ष्मी टावर, प्रथम तल, 576, एम.जी. रोड, इंदौर
78.	श्री मयंक बंसल, संचालक, अनन्त स्टील प्रा.लि. पंजी. कार्या. 170/10, फिल्म कालोनी, आर.एन.टी. मार्ग रविन्द्र नाट्यगृह के पीछे इंदौर–452001
79.	श्री पंकज बंसल, संचालक, शिवांगी इस्टेट लि. पंजी. कार्या. 170/10, फिल्म कालोनी, आर.एन.टी. मार्ग रविन्द्र नाट्यगृह के पीछे इंदौर–452001
80.	श्री विमल टोडी, संचालक, मोइरा स्टील लि. 103, लक्ष्मी टावर, प्रथम तल 576, एम.जी. रोड, इंदौर
81.	श्री लालापन टी.के. जयदीप इस्पात एवं एलॉयज प्रा.लि. यूनिट–3, 103, लक्ष्मी टावर, प्रथम तल 576, एम.जी. रोड, इंदौर
82.	श्री रविन्द्र सिंह नारंग, संचालक, सरदार इस्पात प्रा.लि., तेजपुर गड़बड़ी पुल, ए, बी, रोड, इंदौर–452012
83.	श्री सुभाष जैन, संचालक, केसर गोल्ड टी.एम.टी. केसर एलॉयज एवं मैटल्स प्रा.लि. प्लाट नं.117–118, सेक्टर 3, पीथमपुर, जिला धार
84.	डॉ. गौतम कोठारी, मानसेवी सचिव, इलेक्ट्रसिटी कंस्यूमर सोसायटी, द्वारा ए.आई.एम.ओ. औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर
85.	डॉ. गौतम कोठारी, अध्यक्ष, पीथमपुर औद्योगिक संगठन, 231, साकेत नगर, इंदौर–452018
86.	मेसर्स ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लि. (केमिकल डिवीजन) बिरलाग्राम, नागदा 456331
87.	श्री एम.सी. रावत, सचिव, म.प्र. टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन, 56/1, जेल सभागृह, दक्षिण तुकोजीगंज, इंदौर–452001
88.	श्री महेश मित्तल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मैन्यूफैक्चरिंग आर्गेनाइजेशन (एम.पी.एस.बी.) औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015,
89.	मेसर्स दिव्या ज्योति इंडस्ट्रीज लि., कारपोरेट कार्या. 92/3, सपना संगीता मेन रोड अकाशदीप काम्प्लेक्स के सामने इंदौर–452001

90.	श्री विनोद तापडिया, कार्यपालन संचालक, धनलक्ष्मी साल्वेक्स प्रा.लि. 201, बंसी प्लाजा, 581, एम.जी. रोड, इंदौर म.प्र.
91.	मेसर्स दानोबट इंडोटेक इंडिया प्रा.लि. प्लाट नं. 28–29, प्राइवेट औद्योगिक क्षेत्र, 7, ग्राम बरदारी सांवेर, रोड, इंदौर
92.	श्री अशोक जायसवाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इन्डस्ट्रीज म.प्र. ''उद्योग भवन'', पोलोग्राउन्ड औद्योगिक क्षेत्र, इंदौर–452015
93.	श्री अशोक खंडेलिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष, एवं मान. सचिव, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, देवास 1बी, 1/बी/2ए, आई.एस.गजरा औद्योगिक क्षेत्र नं.1 ए. बी. रोड, देवास–455001
94.	श्री अभय दोशी, अध्यक्ष, मंदसौर चैम्बर ऑफ कामर्स, श्री नकोडा काम्प्लेक्स बस स्टेण्ड मंदसौर–458001
95.	श्री अतुल कुलकर्णी, सिद्धार्थ ट्यूबस लि., तीसरी मंजिल, पुराना आई.डी.ए. भवन, 15–16, जवाहर मार्ग, इंदौर–457007
96.	श्री बी.एल. जाजु, अध्यक्ष, म.प्र. कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, 115–बी औद्योगिक क्षेत्र, पोलोग्राउन्ड इंदौर–452015
97.	श्री नरेन्द्र मूंदड़ा, सचिव, लघु उद्योग भारती, देवास कार्या. अनिराज इंजीनियरिंग एवं कंसलटेंट 100–ए, औद्योगिक क्षे क्रं.3, ए बी रोड, देवास
98.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, विद्युत उपभोक्ता एसोसिएशन, 33 नगर निगम मार्केट डॉ. रोशन सिंह भंडारी मार्ग, जंजीरा चौराहा, इंदौर
99.	श्री विनय यादव, आत्मज श्री तिलकचंद यादव, 88 इमली बाजार, इंदौर
100.	डॉ. अमलेन्दु नागर, इंडियन रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग एसोसियेशन म.प्र. राज्य शाखा 2009–10, 286, एम.जी. रोड, इंदौर
101.	डॉ. आर.डी. माहेश्वरी, इंडियन रेडियोलॉजी एवं इमेजिंग एसोसियेशन म.प्र. इंदौर शाखा 2009–10, एडवांस डायगनोस्टिक सेंटर, श्रेयांस अपार्टमेंट, जंगमपुरा, मालगंज चौराहा के पास, इंदौर
102.	श्री पराग जयसिंह कौशल, पार्षद, वार्ड नं. 4 इंदौर नगर पालिक निगम, 186–बी, संगम नगर, इंदौर
103.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, इंदौर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. चंदा तलावली मांगलिया इंदौर,
104.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्या. मक्सी रोड, पो.बाक्स क्रं. 106, उज्जैन
105.	श्री चंद्र वल्लभ शर्मा, भारतीय किसान संघ, धार

106.	श्री तुलसीराम सिलावट, विधायक, सांवेर 80, अग्रवाल नगर, इंदौर
107.	श्री रघुनाथ विश्वनाथ पाटील, अध्यक्ष, क्षेत्रीय किसान संस्थान, डपोरा जिला बुरहानपुर
108.	मेसर्स वर्षा पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, प्लाट नं. 29 ए एवं 30 ए औद्योगिक क्षेत्र राऊ इंदौर–453331
109.	अध्यक्ष, सहारा सिटी होम्स, साख सहकारिता लि. इंदौर
110.	मेसर्स अनीक इंडस्ट्रीज लि. 2/1, दक्षिण तुकोगंज, हाई कोर्ट के पीछे, इंदौर
111.	मेसर्स व्हाईट स्टार मिल्क एवं मिल्क प्रोडक्टस, देवास
112.	मेसर्स डिलाईट डेरी लि. देवास
113.	श्री दयाराम पाटीदार आत्मज श्री मंगाजी पाटीदार, अध्यक्ष, नर्मदा–निमाड़ किसान मंच, 41, अमित नगर, नवलपुर बड़वानी
114.	श्री मधु पाटीदार आत्मज श्री शंकरलाल पाटीदार, ग्राम कड़माल, जिला धार
115.	श्री खेमा पाटीदार, आत्मज श्री नारायण पाटीदार, ग्राम कड़माल, धार
116.	श्री रूखाडिया आत्मज श्री धूरजी पाटीदार, ग्राम कड़माल, जिला धार
117.	श्री राजेश पाटीदार, आत्मज श्री वासुदेव पाटीदार, पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी जिला धार
118.	श्री देवराम पाटीदार, आत्मज श्री मंगाजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, जिला धार
119.	श्री तुलसीराम पाटीदार, आत्मज श्री शंकरलाल पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, जिला धार
120.	श्री नारायण पाटीदार, आत्मज श्री बोंदर पाटीदार, ग्राम खापरखेडी, तह. कुक्षी जिला धार
121.	श्री रामेश्वर पाटीदार आत्मज श्री गंगाराम पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, जिला धार
122.	श्री सुदामा पाटीदार आत्मज श्री हीरालाल पाटीदार, कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
123.	श्री धनराज पाटीदार आत्मज श्री सोमजी पाटीदार, ग्राम खापरखेड़ा, पो. कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
124.	श्री जगदीश चंदजी दीक्षित, आत्मज श्री कृष्णाजी दीक्षित, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, जिला धार
125.	श्री जीवन पाटीदार, आत्मज श्री भीमा पाटीदार, पो. कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
126.	श्री हीराजी पाटीदार आत्मज श्री मंगाजी पाटीदार, पो. कड़माल, जिला धार

127.	श्री मोहनलाल पाटीदार आत्मज श्री झापड़िया पाटीदार, ग्राम खापरखेड़ा, पो. कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
128.	श्री हीरालाल हरजी आत्मज श्री हरजी पाटीदार, गहलगांव
129.	श्री प्रेमाजी आत्मज श्री नत्थूजी ग्राम पो. कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
130.	श्री गंगाराम पाटीदार आत्मज श्री अर्जुन पाटीदार ग्राम पो. कड़माल, तह. कुक्षी जिला धार
131.	श्री सहदेव पाटीदार आत्मज श्री सत्याजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. कड़माल, तह. कुक्षी जिला धार
132.	श्री उधव पाटीदार, आत्मज श्री रूपाजी पाटीदार, ग्राम पो. कड़माल, तह. कुक्षी जिला धार
133.	श्री सत्या पाटीदार आत्मज श्री भावजी पाटीदार, ग्राम पो. कड़माल, तह. कुक्षी जिला धार
134.	श्री हीरा पाटीदार आत्मज श्री प्रेमाजी पाटीदार, मुकाम पो. कड़माल, तह. कुक्षी, जिला धार
135.	श्रीमती द्रौपदी बाई पत्नी श्री बाबड़िया, ग्राम पो. खारखेडा, तह. कुक्षी जिला धार
136.	श्री महेन्द्र कुमार पांडे आत्मज श्री दामोदर पांडे, ग्राम पो. चिखल्दा, तह. कुक्षी, जिला धार
137.	श्रीमती तुलसी बाई पत्नी श्री सालिगराम यादव, ग्राम पो. चिखल्दा, तह. कुक्षी, जिला धार
138.	श्रीमती मनोरमा पांडे पत्नी श्री राजेन्द्र पांडे, ग्राम पो. चिखल्दा, तह. कुक्षी, जिला धार
139.	श्री देवराम पाटीदार आत्मज श्री सापड़ियाजी पाटीदार, ग्राम खापरखेड़ा तह. कुक्षी, जिला धार
140.	श्री रामेश्वर पाटीदार आत्मज श्री कुंवरजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
141.	श्री राजाराम पाटीदार आत्मज श्री शंकरलाल पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
142.	श्री मोतीलाल आत्मज श्री गोविन्द, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
143.	श्री रामदेव पाटीदार आत्मज श्री राधेश्याम पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
144.	श्री मोहन पाटीदार आत्मज श्री देवजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
145.	श्री भगवान ओमकारजी आत्मज श्री ओमकारजी ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी,

	जिला धार
146.	श्री हेमराज पाटीदार आत्मज श्री खेमाजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
147.	श्री वेनीराम कृष्णाजी, ग्राम ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
148.	श्री घनश्याम मुकाती आत्मज श्री गंगाराम जी मुकाती, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
149.	श्री धुरजी आत्मज श्री खाजी, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
150.	श्री हर्षवर्धन पाटीदार आत्मज श्री घासीराम पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
151.	श्री वासुदेव पाटीदार ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
152.	श्री घनश्याम पाटीदार आत्मज श्री कृष्णाजी, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
153.	श्री कैलाश पाटीदार आत्मज श्री मांगीलाल पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
154.	श्री बसन्त कुमार पाटीदार आत्मज श्री मांगाजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
155.	श्री हरी पाटीदार आत्मज श्री मुंशीलाल पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
156.	श्री अम्बाराम पाटीदार आत्मज श्री कृष्णाजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
157.	श्री भगवान पाटीदार आत्मज श्री वीरजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार
158.	श्री मोहन पाटीदार आत्मज श्री तुलसी पाटीदार, ग्राम मालबाग, बाबुलगांव तह. कुक्षी, जिला धार
159.	श्री पइमा पाटीदार आत्मज श्री भगवान पाटीदार, ग्राम गनकार, बोधबाग तह. कुक्षी, जिला धार
160.	मो. अब्दुल लतीफ आत्मज गुलमोहम्मद मेन रोड, चिखल्दा
161.	श्री महेन्द्र पाटीदार आत्मज श्री गोपालजी पाटीदार, ग्राम निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार
162.	श्री नवीन पाटीदार आत्मज श्री शांतिलाल पाटीदार, चौक, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार

163.	श्री शिवाजी पाटीदार आत्मज श्री हीराजी पाटीदार, मारू मोहल्ला, ग्राम निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार
164.	श्री दयाराम जी कामदार आत्मज श्री मंगाजी कामदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
165.	श्री रामा मागा पाटीदार आत्मज श्री मागाजी पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
166.	श्री रेवाराम पाटीदार आत्मज श्री सीताराम पाटीदार, मारूपुरा, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
167.	श्री मांगीलाल, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
168.	श्री वेनीराम पाटीदार आत्मज श्री हरि जी पाटीदार, मारूपुरा, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
169.	श्री चुन्नीलाल पाटीदार आत्मज श्री दगडू पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
170.	श्री मंगतिया रणछोड़ ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
171.	श्री जगदीश आत्मज श्री मांगीलाल, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी जिला धार
172.	श्री मुकेश आत्मज श्री रूबदिया, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
173.	श्री राधेश्याम पाटीदार आत्मज श्री बुद्वाजी पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
174.	श्री खेमराज पाटीदार आत्मज श्री भुर्जी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
175.	श्री लीमजी पाटीदार आत्मज श्री गंगारामजी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
176.	श्री सचिन पछनी आत्मज श्री पछनी, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
177.	श्री बेनीराम आत्मज श्री नारायण, ग्राम निसरपुर, तह. कुक्षी, जिला धार
178.	श्री रामेश्वर भोलू आत्मज श्री भोलू, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
179.	श्री मांगीलाल पाटीदार, आत्मज श्री गणेश पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
180.	श्रीमती जमुना बाई पाटीदार, पत्नी श्री बाल्याजी पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
181.	श्री जगदीश चंद्र पाटीदार, आत्मज श्री बुद्वाजी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
182.	श्री गोविन्द पाटीदार, आत्मज श्री पोरजी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार

183.	श्री रामेश्वर पाटीदार, आत्मज श्री ओंकारजी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
184.	श्री गजानंद पाटीदार, आत्मज श्री शांतिलाल पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
185.	श्री तुलसीराम पाटीदार, आत्मज श्री वीरजी पाटीदार, ग्राम गणपुर तह. कुक्षी, जिला धार
186.	श्री देवराम पाटीदार, आत्मज श्री छितर पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
187.	श्री रामेश्वर आत्मज श्री भगवान, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
188.	श्री लिमजी पाटीदार, आत्मज श्री शिवजी पाटीदार, ग्राम निसरपुर तह. कुक्षी, जिला धार
189.	श्री वासुदेव पाटीदार, आत्मज श्री भगवान पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया तह. कुक्षी, जिला धार
190.	श्री मंशा राम जी कोप, संगठन मंत्री, ग्राम सातातलई, तह. मनावर, जिला धार
191.	श्री देवेन्द्र सिंह तोमर, आत्मज श्री प्रताप सिंह तोमर,ग्राम पिपलिया, तह.मनावर,जिला धार
192.	श्रीघनश्याम मुकाती, आत्मज श्री गंगाराम मुकाती, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया , जिला धार
193.	श्री मंशा रामजी जाट, ग्राम साता तलई, पो. सिरसी तह. मनावर, जिला धार
194.	श्री सोहनलाल पाटीदार, आत्मज श्री भगवान जी पाटीदार, पो. जोतपुर, तह. मनावर, जिला धार
195.	श्री मुकेश पाटीदार, (मुकाती) आत्मज श्री श्रीधरजी पाटीदार, पो. जोतपुर, तह. मनावर, जिला धार
196.	श्री हरिओम शिवपाल पाटीदार, ग्राम भड़की, तह. मनावर, जिला धार
197.	श्री गोविन्द पाटीदार, आत्मज श्री शंकर लाल पाटीदार, ग्राम पुरा तह. पिपलिया, जिला धार
198.	श्री देवराम पाटीदार, आत्मज श्री जीवाजी पाटीदार, ग्राम डोंगरगांव, तह. मनावर, जिला धार (कृषक)
199.	श्री देवराम पाटीदार, आत्मज श्री जीवाजी पाटीदार, ग्राम डोंगरगांव, तह. मनावर, जिला धार (उपाध्यक्ष)
200.	श्री भीमा भाई पाटीदार, आत्मज श्री मेघाजी पाटीदार, ग्राम जोतपुर, तह.मनावर, जिला धार
201.	श्री देवराम पाटीदार, आत्मज श्री प्रेमजी पाटीदार, ग्राम भड़की, तह. मनावर, जिला धार
202.	श्री दयाराम पाटीदार, आत्मज श्री मंगाजी पाटीदार, ग्राम पुरा, पो. पिपलिया, तह. कुक्षी, जिला धार

203.	श्री शिवकुमार सिंह कुशवाह, महामंत्री, जिला कांग्रेस कमेटी, बुरहानपुर
204.	श्री भागवत शिवराम चौधरी, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
205.	श्री कदुचंद महाजन,, ग्राम लोनी, जिला बुरहानपुर
206.	श्री रमेश नारायण महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
207.	श्री सुनील सुधाकर महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
208.	श्री विनोद महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
209.	श्री पांडुरंग दत्तात्रेय महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
210.	श्री रमेश बाबूराव महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
211.	श्री कादू लक्ष्मण महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
212.	श्री सुवराज दत्तात्रेय महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
213.	श्री विनोद कादू महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
214.	श्री भागवत गाबा महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
215.	श्री विट्ठल चौधरी, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
216.	श्री पांडुरंग रामभाऊ महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
217.	श्री विजय तुकाराम महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
218.	श्री प्रवीण दशरथ महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
219.	श्री कल्याण रामदास चौधरी, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
220.	श्री युवराज लक्ष्मण महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
221.	श्री रमेश आनंद चौधरी, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
222.	श्री सुनील दशरथ महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
223.	श्री बाबूराव महाजन, ग्राम लोनी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
224.	श्री लक्ष्मण भागचंद वर्मा, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
225.	श्री धन्नालाल मोतीराम पवार, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
226.	श्री अशोक पुना जुमदे, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
227.	श्री राजू रामचंद्र, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर

228.	श्री धुली प्रसाद अर्जुन, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
229.	श्री लाभसिंह ज्ञानसिंह, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
230.	श्री छगन पुना जुमाद, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
231.	श्री सौजन्य रामपाल तिवारी, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
232.	श्री गोपाल श्रीराम सावले, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
233.	श्री अनिल दागाराव पाटील, ग्राम रातागढ़ नेपानगर, जिला बुरहानपुर
234.	श्री छगन नारायण चौधरी, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
235.	श्री विजय कुमार पाल, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
236.	श्री सहदेव रामनाथ वर्मा, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
237.	श्रीमती मीना राजेन्द्र चौधरी, ग्राम रातागढ़, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
238.	श्री परमानंद मोहन पाटील, ग्राम रातागढ़, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
239.	श्रीमती प्रभा प्रमोद चौधरी, ग्राम रातागढ़, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
240.	श्री नारायण तोताराम देशमुख, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
241	श्री हीरालाल तोताराम देशमुख, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
242	श्री समाधान पाटील, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
243	श्री विजय तुकाराम पाटील, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
244	श्री तुकाराम नन्दू पटेल, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
245	श्री अशोक दामू चौधरी, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
246	श्री जगन्नाथ नारायण चौधरी, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
247	श्री गणेश जगन्नाथ चौधरी, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
248	श्री श्रीराम राजाराम पाटील, ग्राम बोरसाल, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
249	श्री माधव किशन पाटील, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
250	श्री विट्ठल रामचंद्र सोनवने, ग्राम रातागढ़, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
251	श्रीमती गुरप्रीत कौर पत्नी श्री उपवेन्द्र सिंह, ग्राम नेपानगर, जिला बुरहानपुर
252	श्री ज्ञानेश्वर नारायण साबले, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
253	श्री नारायण बाबूराव पाटील, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर

254	श्रीमती पार्वती बाई बाबूराव पाटील, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
255	श्री सचिन पंढरी कारे, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
256	श्री राधेश्याम नामदेव कोदी, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
257	श्री रामचंद्र लोटू साबरे, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
258	श्री दामोदर किटकुल, ग्राम रातागढ़, पो. चांदनी, जिला बुरहानपुर
259	श्री लक्ष्मण सोनाजी, ग्राम रातागढ़, पो. चांदनी, जिला बुरहानपुर
260	श्रीमती धुरपट बाई पत्नी श्री शंकर बाबस्कर, ग्राम नेपानगर, रातागढ़, जिला बुरहानपुर
261	श्री देवीदास दामू चौधरी, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
262	श्री संजय अनोखीलाल पॉल, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
263	श्रीमती कलाबाई बालु दामोदर, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
264	श्री किशोर बट्टु बरकरे, ग्राम बोरसाल, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
265	श्री हेमंत नारायण पाटील, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
266	श्री आनंद गाबा, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
267	श्रीमती फूलझड़ी पत्नी श्री चंद्रपाल वर्मा, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
268	श्री मांगीलाल महारू मागरे, ग्राम बोरसल, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
269	श्री प्रभाकर नारायण सावले, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
270	श्री यशवंत मोहन राव पाटील, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
271	श्रीमती द्वारका बाई मोहन राव पाटील, ग्राम चांदनी, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
272	श्री नारायण मोहन राव पाटील, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
273	श्री श्रीराम सोनजी चौधरी, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
274	श्रीमती कमला बाई, बलिराम चौधरी, ग्राम रातागढ़, जिला बुरहानपुर
275	श्री नरेन्द्र श्रीराम चौधरी, ग्राम बोरसल, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
276	श्री मुकुन्द आनंद चौधरी, ग्राम बोदारवी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
277	श्री रविन्द्र आनंद चौधरी, ग्राम बोदारवी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
278	श्री सुनील सीताराम महाजन, ग्राम बोदारवी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
279	श्री वसंत शिवराम महाजन, ग्राम बोदारवी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
280	श्री राजेन्द्र काशीनाथ महाजन, ग्राम बोदारवी, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर

281	श्री मानिक राव गणपत राव पाटील, ग्राम बसद, जिला बुरहानपुर
282	श्री जगन्नाथ काशीराम पाटील, ग्राम सोनी, जिला बुरहानपुर
283	श्री मनोज कुमार, ग्राम बड़गांव, जिला बुरहानपुर
284	श्री रतिलाल कन्हैयालाल शाह, ग्राम बड़गांव, मकी, जिला बुरहानपुर
285	श्री भारत कीरतराय रूपचंदानी, ग्राम झिरी, जिला बुरहानपुर
286	श्री कृष्ण दास बलदेव दास सर्राफ, ग्राम रिरगांव खुर्द, जिला बुरहानपुर
287	श्री जगन्नाथ कांशीराम चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
288	श्री सुरेश भाबद चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
289	श्री अरूण हीराजी चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
290	श्री प्रहलाद राजाराम महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
291	श्री रविन्द्र कन्हैया पाटील, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
292	श्री धीरेन्द्र प्रकाश महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
293	श्री अरूण मोतीराम पाटील, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
294	श्री प्रभाकर बाजीराव महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
295	श्री भास्कर बाजीराव महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
296	श्री बालू राजाराम महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
297	श्री प्रकाश बाबूराव महाजन, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
298	श्री अशोक राजाराम चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
299	श्री रामदास राजाराम चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
300	श्री रविन्द्र रामदास चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
301	श्री ज्ञानेश्वर बाबूराव पाटील, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
302	श्री अनिल दत्तात्रेय चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
303	श्री सुनील शांताराम चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
304	श्री रमाकांत रामदास चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
305	श्री श्रवण भागवत चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
306	श्री नीलेश श्रवण चौधरी, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
307	श्री मधुकर तुकाराम पाटील, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर

308	श्री सुधाकर तुकाराम पाटील, ग्राम नाचनखेड़ा जिला बुरहानपुर
309	श्री प्रहलाद करभारे, ग्राम नसीराबाद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
310	श्री गिरधर देवचंद प्रजापति, ग्राम नसीराबाद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
311	श्री संतोष दामोदर, ग्राम नसीराबाद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
312	श्री भागवत जगन्नाथ, ग्राम नसीराबाद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
313	श्रीमती जयवंत बाई, ग्राम नसीराबाद, नेपानगर, जिला बुरहानपुर
314	श्री के.के. पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
315	श्री अनिल रघुनाथ पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
316	श्री श्रीराम आशाराम पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
317	डॉ. प्रकाश मोरे, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
318	श्री अरूण यादव, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
319	श्री राजपाल सिंह प्रभुसिंह जादव, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
320	श्री जगन्नाथ किसन पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
321	श्री मनोहर विनोबा पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
322	श्री संतोष सुराजी पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
323	श्री रमेश सुराजी, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
324	श्री संजीव भारने, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
325	श्री जी. डी. पटेल, ग्राम नडखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
326	श्री दिगम्बर शंकर पाटील, ग्राम निबापुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
327	श्री आशिष डी. पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
328	श्री जानकीराम हरि पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
329	श्री विजय श्रीराम चौधरी, ग्राम निबापुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
330	श्री ईश्वर राजाराम प्रजापति, ग्राम खेरखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
331	श्री अरूण मोतीराम पाटील, ग्राम खेरखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
332	श्री धीरज भास्कर चौधरी, ग्राम खेरखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
333	श्री मधुकर लक्ष्मण भरते, ग्राम खेरखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
334	श्री भाऊलाल बाबूलाल प्रजापति, ग्राम खेरखेड़ा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर

335	श्री हीरासिंह फकीरा चौहान, ग्राम शिकारपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
336	श्री सुकराम फकीरा चौहान, ग्राम शिकारपुरा, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
337	श्री प्रहलाद जगन्नाथ पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
338	श्री सुरेश विश्वनाथ पाटील, ग्राम सिरपुर, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
339	श्री प्रभाकर भरते, पो. निबोला ग्राम नसीराबाद, तह. खकनार, जिला बुरहानपुर
340	श्री मनीकांत हुकुमचंद पटेल, ग्राम नसीराबाद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
341	श्रीमती मथुरा बाई भगन प्रजापति, ग्राम नसीराबाद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
342	श्री गंभीर विट्ठल महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
343	श्री दत्तु विटट्ल महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
344	श्री विनोद संतोष चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
345	श्री रविन्द्र श्रीराम चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
346	श्री अमोल नारायण चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
347	श्री संतोष बेदु चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
348	श्री विनोद एकनाथ महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
349	श्री गोकुल युवराज महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
350	श्री योगेश प्रभाकर पाटील, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
351	श्री एकनाथ प्रभुनाथ महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
352	श्री विनायक दत्तु महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
353	श्री सदाशिव विश्वनाथ चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
354	श्री यशवन्त सीताराम सोनवने, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
355	श्री अरूण जगन्नाथ महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
356	श्री मनोहर कादू महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
357	श्री गोपाल कादू महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
358	श्री मनोज संतोष चौधरी, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
359	श्री प्रवीण श्रीराम महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
360	श्री ईश्वर राजाराम महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
361	श्री श्रीराम हरि महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर

362	श्री राहुल युवराज महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
363	श्री राजू महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
364	श्री प्रहलाद हरि महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
365	श्री प्रभाकर सीताराम पाटील, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
366	श्री संतोष लक्ष्मण पाटील, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
367	श्री जगन्नाथ नारायण महाजन, ग्राम बडसिंगी, पो. कोपनार, जिला बुरहानपुर
368	श्री संदु लालमन भाई पो. निबोला ग्राम नसीराबाद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
369	श्री नारायण छांगो महाजन, ग्राम नसीराबाद, पो. निबोला, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
370	श्री नवीन कुमार छोटेलाल पाटीदार, ग्राम नसीराबाद, पो. निबोला, तह. नेपा नगर, जिला बुरहानपुर
371	श्री राजाराम परसराम कुम्हार, ग्राम नसीराबाद, पो.निबोला, तह.नेपानगर, जिला बुरहानपुर
372	श्री अशोक भरते, ग्राम नसीराबाद, पो. निबोला, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
373	श्री मानिक राव गणपत राव पाटीदार, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
374	श्री पुंडलिक कौशिक पाटील, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
375	श्री युवराज उखा चौधरी, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
376	श्री संतोष राजाराम शिवड़े, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
377	श्री प्रहलाद भैयाराम दहीभाते, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
378	श्री ज्ञानेश्वर भगवान पाटील, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
379	श्री मधुकर रामकृष्ण पाटील, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
380	श्री गोपाल कादू महाजन, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
381	श्री रामदास कादू महाजन, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
382	श्री संतोष भगवान पाटील, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
383	श्री भागवत उखा चौधरी, ग्राम हिंगना, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
384	श्रीमती आशा बाई गंगाराम, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
385	श्री अजब सिंह चुन्नीलाल, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
386	श्री ठाकुंर वीरेन्द्र सिंह, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
387	श्री भीवसन देवचंद, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
388	श्री चुन्नीलाल ठाकुर, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर

389	श्री लक्ष्मण कांशीराम चौहान, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
390	श्रीमती सुमन बाई, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
391	श्री रमेश देवचंद पाटील, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
392	श्री रमजान खान, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
393	श्री कमल सिंह चुन्नीलाल ठाकुर, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
394	श्री नवल सिंह ठाकुर, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
395	श्री सुरेन्द्र सिंह, ग्राम देवरी, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
396	श्री भगवान खुशाल नायक, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
397	श्री योगेश लक्ष्मण पाटील, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
398	श्री नामदेवधा तुकारामधा, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
399	श्री राजू आत्मज श्री कदू, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
400	श्री प्रभाकर नारसधा घंटी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
401	श्री संजय अशखड़के, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
402	श्री अनिल रामदास चौधरी ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
403	श्री अनिल रामदास खड़के, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
404	श्री सुधाकर किसन चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
405	श्री शंकर रामदास अशखड़के, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
406	श्री दिनेश गणेश अशखड़के, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
407	श्रीमती सुमन बाई गोपाल, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
408	श्री गोपाल छोदु, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
409	श्री बासु गोपाल, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
410	श्री गणेश किशन चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
411	श्री दिनकर रामदास चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
412	श्री पांडुरंग किशन चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
413	श्री अनिल हरिभाऊ सोनी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
414	श्री मधुकर रामदास चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
415	श्री रामदास दौधु चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर

416	श्री गुंडुराव नारायण, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
417	श्री विष्णु निबृती अप्पा, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
418	श्री भरत रामु अप्पा, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
419	श्री मधुकर हनुमंत, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
420	श्री कौशिक झामू, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
421	श्री सोधा तुकाराम अप्पा, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
422	श्री हीरामन मिनी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
423	श्री जयराम, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
424	श्री सुरेश ज्ञानु, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
425	श्री संतोष मनोहर, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
426	श्री सुभाष विनायक पवार, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
427	श्रीमती पुष्पा बाई प्रभाकर, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
428	श्री हरि नारायण , ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
429	श्री रमेश एकनाथ, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
430	श्री ज्ञानेश्वर किशन चौधरी, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
431	श्री प्रवीण रामदास अशखड़के, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
432	श्री आत्माराम, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
433	श्री युवराज, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
434	श्री गोपाल, ग्राम अम्बाड़ा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
435	श्री नारायण व्यंकट राव पाटील, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
436	श्री दत्तात्रेय वामन राव पाटील, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
437	श्री जगदीश नारायण पाटील, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
438	श्री माधव राव गणपत राव पाटील, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
439	श्रीमती कला बाई माधव राव पाटील, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
440	श्री हितेश पाटीदार, ग्राम मगरूल, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
441	श्री निखिल पाटीदार, ग्राम मगरूल, तह. बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर
442	श्री कनू भाई चम्पालाल पटेल, ग्राम निम्बोला, जिला बुरहानपुर

443	श्रीमती सुमन बाई जीवराम, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
444	श्री विजय कुमार पटेल, ग्राम चूल्खा, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
445	श्रीमती तारा बाई बंडू, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
446	श्रीमती हीराबेन पटेल रामलाल पटेल, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
447	श्री अजय रमेश पटेल, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर,
448	श्रीमती कुमुद बेन के. पटेल, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
449	श्री नत्थू हरि महाजन, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
450	श्रीमती कुमुदबेन केशव लाल, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
451	श्री रमेश, केशव लाल पटेल ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
452	श्री रमेश देवचंद, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
453	श्रीमती गोपी बेन, रमेश, ग्राम देवरीमाल, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
454	श्री राम लाल आत्मज श्री रामचंद्र, ग्राम बाजरीखेड़ा (खापखेड़ा), तह. कुक्षी, जिला धार
455	श्री कालूराम आत्मज श्री मुकुंदशा, ग्राम बाजरीखेड़ा (खापखेड़ा), तह. कुक्षी, जिला धार
456	श्री तुलसीराम मुकाती आत्मज श्री गेंदालाल मुकाती, ग्राम बाजरीखेड़ा (खापखेड़ा), तह. कुक्षी, जिला धार
457	श्री दयाराम मुकाती आत्मज श्री सुभान मुकाती, ग्राम बाजरीखेड़ा (खापड़खेड़ा), तह. कुक्षी, जिला धार
458	श्री नेमीचंद मालवीय आत्मज श्री गोपालजी,ग्रा.बाजरीखेड़ा (खापखेड़ा),त.कुक्षी, जिला धार
459	श्री रमेशचंद हुकुमचंद, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
460	श्रीमती मनु बाई, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
461	श्री आशिष रामपाल, जिला बुरहानपुर
462	श्री सतीश रामपाल पटेल, ग्राम निम्बोला, जिला बुरहानपुर
463	श्रीमती कोकिला बाई पाटीदार, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
464	श्री विजय कुमार, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
465	श्री गन्हार लाल राजाराम, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
466	श्री रमेशचंद सेवक दास, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
467	श्री त्रिभुवन श्रवण, ग्राम बसद, तह. नेपानगर, जिला बुरहानपुर
468	मे. आर.एस. मोल्ड प्लास्ट (इं) प्रा. लि. 305,चेतक सेंटर,12/2ए आर.एन.टी. मार्ग, इंदौर

	अवधारणा पेपर (एप्रोच पेपर)
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1.	श्री अशोक खण्डेलिया, वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं मान. सचिव, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज देवास 1/बी, 1/बी/2ए, आई.एस. गजरा, औद्योगिक क्षेत्र क्रं. 1 ए बी रोड, देवास 455001
2.	श्री अशोक जायसवाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज म.प्र. ''उद्योग भवन'' पालोग्राउन्ड, औद्योगिक क्षेत्र इंदौर–452015
3.	आर. सी. सोमानी, 67 सी.एच. स्कीम, क्रमांक 74 सी विजय नगर, इंदौर
4.	श्री आर.एस. गोयल, 51, प्रकाश नगर नेमावार रोड, इंदौर
5.	डॉ.गौतम कोठारी, मानसेवी सचिव, विद्युत उपभोक्ता समिति द्वारा एआईएमओ (एमपीएसईबी), इंडस्ट्रीयल इस्टेट, पोलोग्राउन्ड, इंदौर (म.प्र.)
6.	श्री एम.सी. रावत, सचिव, म.प्र. टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन, 56/1, जाल सभागृह, दक्षिण तुकोजीगंज, इंदौर–452001
7.	श्री महेश मित्तल, अध्यक्ष, ऑल इंडिया मैन्यूफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन (एम.पी.एस.बी.) औद्योगिक क्षेत्र पोलोग्राउन्ड, इंदौर–452015,
8.	श्री एस. एम. जैन, अध्यक्ष, (एमपीचेप्टर) ऑल इंडिया इंडक्शन फर्नेसिस एसोसिएशन 67 औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001
9.	श्री एस. एम. जैन, संचालक, वीनस एलॉयज प्रा.लि. पंजी. कार्या. तथा फैक्टरी 67, औद्योगिक क्षेत्र, मंदसौर–458001
10.	श्री रविन्द्र सिंह नारंग, संचालक, सरदार इस्पात प्रा.लि. तेजपुर गड़बड़ी पुल, ए बी रोड, इंदौर–452012
11.	श्री मयंक बंसल, संचालक, अनंत स्टील्स प्रा.लि. पंजीकृत कार्या. 170/10, फिल्म कालोनी, आर.एन.टी. मार्ग, रविन्द्र नाट्यगृह के सामने, इंदौर–452001
12.	श्री पंकज बंसल, संचालक, शिवांगी इस्टेट लि. 16/9, रेसकोर्स मार्ग, टोंगिया कंपाऊन्ड, इंदौर–452001
13.	श्री सुभाष जैन, संचालक, केसर एलायज मैटल्स प्रा.लि. प्लाट नं.201, रूद्राक्ष अपार्टमेंट, 16 मीरा पथ, धेनु मार्केट, इंदौर
14.	मेसर्स जे.एस.एम. देवकोन्स प्रा. लि. ब्रान्च कार्या. 302, ऑरबिट माल स्कीम नं. 54, प्लाट नं. 305–306, ए बी रोड, इंदौर 452001
15.	श्री अशिम तिवारी, वरिष्ठ उपाअध्यक्ष, कंस्ट्रक्शन ट्राईकॉम प्रोजेक्टस इंडिया लि. एस–2, द्वितीय तल, महाट टॉवर, स्टार सीटी माल, मयूर विहार दिल्ली
16.	श्री संदीप माथुर, वर्सेटाईल इंजीनियरिंग सर्विस प्रा.लि. जी–1, साकार रेसीडेंसी, ए.सी. 109 स्कीम नं. 54, इंदौर–10

मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी की याचिका पर आपत्तिकर्त्ताओं की सूची	
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्त्ताओं के नाम
1.	श्री एस.एस. रघुवंशी, कार्यकारी सदस्य, वरिष्ठ नागरिक मंडल–ई–6/2, अरेरा कालोनी, भोपाल
2.	श्री हकीम खान, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था, 85, बाबई, जिला होशंगाबाद
3.	श्री चंदन सिंह पुरलिया, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था, 87, सोहागपुर, जिला होशंगाबाद
4.	श्री पीएल. शुक्ला, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था, 86, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद
5.	श्री रामनारायण रघुवंशी, अध्यक्ष, जल उपभोक्ता संस्था, 84, ग्राम पिपरिया, जिला होशंगाबाद
6.	श्री कमल राठी, ई–2/48, अरेरा कालोनी, भोपाल – 462016
7.	श्रीमती शकुंतला माहेश्वरी, ए–555, ऐशबाग स्टेडियम कालोनी, भोपाल
8.	श्री के.एम. जैन, संचालक, सहभागिता सिंचाई प्रबंधन, जल संसाधन विभाग, तुलसी नगर, भोपाल
9.	प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, मछली पालन विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
10.	श्री सुनील कुमार पाली, महामंत्री, लघु उद्योग भारती, मध्य भारत प्रांत, जोन–1, महाराणा प्रताप नगर, भोपाल
11.	अधीक्षण यंत्री, (वि) बी.एस.एन.एल, इलेक्ट्रीकल सर्कल, भोपाल–462015
12.	वायरलेस टी.टी. इनफो सर्विस लि., मानसरोवर, हबीबगंज रेलवे स्टेशन, भोपाल
13.	श्री प्रवीण सक्सेना, अध्यक्ष, भोपाल हॉस्टल ओनर्स एसोसिएशन द्वारा विंध्यश्री गर्ल्स हॉस्टल जोन–2, एम.पी. नगर, भोपाल
14.	श्री एस. पाल, अनन्त स्पिनिंग मिल्स, प्लाट नं.1–ए, न्यू औद्योगिक क्षेत्र–1, मंडीदीप, 462046 जिला रायसेन
15.	श्री पंकज बिंद्रा, सचिव, गोविन्दपुरा इण्डस्ट्रीज एसोसियेशन, काम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा–भोपाल –462023
16.	श्री सौरभ अग्रवाल, संचालक, सौरभ मैटल्स प्रा.लि. 45, एंसेलरी औद्योगिक क्षेत्र, हबीबगंज, भोपाल
17.	श्री आर.पी. निगम, सचिव, एम.पी. विद्युत मंडल, पेंशनर्स एसोसिएशन, कार्यालय 39, सत्यानंद विहार रामपुर, जबलपुर–482008

18.	श्री संजय खंडेलवाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इण्डस्ट्रीज, मंडीदीप प्लाट नं. 85–ए, सेक्टर–ए, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, जिला रायसेन–462046
19.	श्री आर.के. मिश्रा, मुख्य इलेक्ट्रीकल डिस्ट्रब्यूशन इंजीनियर, जी.एम. बिल्डिंग पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर
20.	श्री यावर राशिद, संचालक, जहांनुमा पैलेस होटल प्रा.लि. 157, श्यामला हिल्स, भोपाल–462013
21	श्री आशिष वैद्य, प्रमुख (सीआईआई), म.प्र. कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (पश्चिम क्षेत्र म.प्र.) ई–2/109, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016
22.	श्री दर्शन मुथा, सचिव, एवं प्रबंधक न्यासी, आदित्य महाविद्यालय 6–सी, गलोबल स्क्वायर कैलाश विहार, सीटी सेंटर, ग्वालियर–474011
23.	मेसर्स कॉपर स्ट्रीप्स प्रा.लि. 7–बी, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
24.	मेसर्स म.प्र. क्यूप्रो मैटल्स प्रा.लि. डी–11, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा भोपाल–462023
25.	श्री मयुर पटेल, संचालक, मैक्सन हेल्थकेयर प्रा.लि. मंडीदीप, जिला रायसेन
26.	श्री एस.सी. खन्ना, अध्यक्ष, जी.ई.आई. इंडस्ट्रीयल सिस्टम लि. 26–ए, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
27.	श्री बी.आई. जवोदार, अध्यक्ष, जनकल्याण नागरिक समिति, लश्कर, ग्वालियर–474009
28.	श्री के.एन. माथुर, तकनीकी सलाहकार, एच.ई.जी. लि. मंडीदीप, जिला रायसेन–462046
29	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, ग्वालियर सहकारी दुग्ध संघ मर्या. ग्वालियर–474005
30	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, भोपाल सहकारी दुग्ध संघ मर्या. भोपाल–462024
31	श्री राजेन्द्र कोठारी, पी.एच.डी. चैम्बर, ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्रीज, 22, वैशाली, नगर, नेहरू नगर, भोपाल–462003
32	मेसर्स भारत फैब्रीकेटर्स, 50–ए, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
33	श्री प्रताप वर्मा, सचिव, फेडरेशन ऑफ म.प्र. चैम्बर ऑफ कामर्स एवं इंडस्ट्री उद्योग भवन, द्वितीय तल, 129–ए, मालवीय नगर, भोपाल
34	मेसर्स राज संस डेयरी, प्रोडक्टस प्लाट नं. 04–08, एच सेक्टर, गोविन्दपुरा, औद्योगिक क्षेत्र, भोपाल
35	श्री विपिन कुमार जैन, महामंत्री, म.प्र. स्माल स्केल इंडस्ट्रीज ऑर्गेनाइजेशन, ई–2/30, अरेरा कालोनी, भोपाल–462016

	अवधारणा पत्र (एप्रोच पेपर)
सरल क्रमांक	आपत्तिकर्ताओं के नाम
1.	महाप्रबंधक, (वाणिज्यिक) म.प्र. मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कं. लि., निष्ठा परिसर, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
2	श्री संजय खंडेलवाल, अध्यक्ष, एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज, मंडीदीप प्लाट नं. 85–ए, सेक्टर–ए, औद्योगिक क्षेत्र, मंडीदीप, जिला रायसेन–462046
3	श्री ए.के. कौशिक, सहायक उपाध्यक्ष, इंजीनियरिंग, वर्धमान यार्नस, सतलापुर, मंडीदीप
4	मेसर्स श्रायो इंजीनियरिंग वर्क्स, एफ–89, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल – 462023
5	मेसर्स ऋषि इंडस्ट्रीज, 155, सेक्टर–एच, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
6	श्री आर.एस. खार्ब, मैनेजिंग पार्टनर, भारत फैब्रीकेटर्स, 50–ए, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
7	श्री एस.के. पाली, प्रोपराईटर, पायोनियर डिलीजेंस, एफ–112, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
8	मेसर्स टेसला ट्रांसमिशन कंट्रोल, (ट्रांसफार्मर डिवीजन) 153, न्यू एच सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
9	श्री पंकज बिन्द्रा, सचिव, गोविन्दपुरा इंडस्ट्रीज एशोसिएशन, एसोसिएशन काम्प्लेक्स, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
10	मेसर्स विजय इनर्जी इक्यूपमेंट्स, प्लाट नं.102–ए, सेक्टर–एफ, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
11	मेसर्स इण्डियाना फैब्रीकेटर्स, 146–जी.एच. सेक्टर, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023
12	मोहम्मद अब्दुल खान, पार्टनर, फार्मर इंजीनीयर्स, 45–सी, सेक्टर–एफ, औद्योगिक क्षेत्र, गोविन्दपुरा, भोपाल–462023

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

निम्न दाब (लो टेंशन–एलटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एलवी–1 घरेलू	201
एलवी–2 गैर–घरेलू	204
एलवी–3 सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा पथ–प्रकाश	208
एलवी–4 निम्न दाब उद्योग	210
एलवी–5 कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग	216
निम्न दाब विद्युत–दर (टैरिफ) की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें।	221

———————

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–1

घरेलू :–

प्रयोज्यता :–

यह विद्युत–दर (टैरिफ) केवल आवासीय उपयोग के लिये बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी। इस श्रेणी के अंतर्गत धर्मशालाएं, वृद्धावस्था आवास गृह (ओल्ड एज हाऊसेज), सुधारालय (रेसक्यू हाऊसेज), अनाथालय, पूजा–स्थल, तथा धार्मिक संस्थाएं, भी शामिल होंगे।

विद्युत–दर (टैरिफ) (Tariff) :

एलवी 1.1 [100 वॉट (0.1 किलोवाट) से अधिक स्वीकृत भार के उपभोक्ताओं हेतु जिनकी मासिक खपत 30 यूनिट प्रति माह से अधिक नहीं है]

(ए) ऊर्जा प्रभार– मीटरीकृत संयोजन (कनेक्शन) की वास्तविक खपत हेतु

मासिक खपत	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण क्षेत्र	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
30 यूनिट तक	285	35

(बी) स्थाई प्रभार– इस श्रेणी के उपभोक्ताओं को कोई स्थाई प्रभार लागू न होगा।

एल वी 1.2

(ए) (i) **ऊर्जा प्रभार–** मीटरीकृत संयोजनों की वास्तविक खपत हेतु

मासिक खपत के खण्ड (Slabs)	ऊर्जा प्रभार दूरबीनी (टेलिस्कोपिक) लाभ के साथ (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण श्रेणी	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
50 यूनिट तक	315	50
51 से 100 यूनिट तक	360	
101 से 200 यूनिट तक	435	
200 यूनिट से अधिक	450	

अस्थाई/वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत संयोजन	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी क्षेत्र/ग्रामीण श्रेत्र	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु), सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजन तथा धार्मिक समारोहों हेतु अस्थाई संयोजन	600	500
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा, झुग्गी–झोपड़ी समूह हेतु जब तक व्यक्तिगत मीटर उपलब्ध नही करा दिये जाते हैं।	270	कुछ नहीं

(ii) अमीटरीकृत घरेलू संयोजनों हेतु ऊर्जा प्रभार :

विवरण	अमीटरीकृत संयोजनों हेतु प्रतिमाह बिल किये जाने वाले यूनिट तथा ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	न्यूनतम प्रभार (रूपये प्रति संयोजन प्रति माह)
शहरी क्षेत्र में अमीटरीकृत संयोजन	77 यूनिट हेतु, 350 पैसे प्रति यूनिट की दर से	कुछ नहीं
ग्रामीण क्षेत्रों में अमीटरीकृत संयोजन	30 यूनिट हेतु, 300 पैसे प्रति यूनिट की दर से	कुछ नहीं

(बी) स्थाई प्रभार – ऊर्जा प्रभार के अतिरिक्त,यह प्रभार निम्न तालिका के अनुसार प्रति माह वसूली योग्य होगा। यह प्रभार अस्थाई/अमीटरीकृत संयोजनों हेतु भी लागू होगा। परन्तु, यह प्रभार वितरण ट्रांसफार्मर मीटर के माध्यम से विद्युत प्राप्त कर रहे उपभोक्ताओं को लागू नहीं होगा।

स्थाई वैयक्तिक संयोजन/ अस्थाई/वितरण ट्रांस्फार्मर मीटरीकृत संयोजन हेतु मासिक खपत के खण्ड (स्लैब)	मासिक स्थाई प्रभार (रूपयों में)	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
50 यूनिट तक	20 प्रति संयोजन	10 प्रति संयोजन
51 से 100 यूनिट तक	40 प्रति संयोजन	20 प्रति संयोजन
101 से 200 यूनिट तक	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर, 55 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर 35 की दर से
200 यूनिट से अधिक	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर, 60 की दर से	प्रति आधा किलोवाट अधिकृत भार पर 50 की दर से
अस्थाई संयोजन, स्वयं के गृह निर्माण हेतु (अधिकतम एक वर्ष की अवधि हेतु)	स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित, भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, हेतु प्रति आधा किलोवाट पर, 100 की	स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित, भार, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, हेतु पर, प्रति आधा किलोवाट पर 75 की दर से

	दर से	
अमीटरीकृत संयोजन	50 प्रति संयोजन	20 प्रति संयोजन
वितरण ट्रांसफार्मर मीटर द्वारा झुग्गी/झोपड़ी के समूह हेतु, जब तक उनके लिये वैयक्तिक मीटर उपलब्ध नही कराये जाते हैं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

सामाजिक/वैवाहिक प्रयोजनों तथा धार्मिक समारोहों हेतु स्थाई प्रभार, प्रत्येक 24 घंटों की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु प्रत्येक आधा किलोवाट स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर, इनमें से जो भी सर्वाधिक हो, पर शहरी क्षेत्रों हेतु रू. 10/– तथा ग्रामीण क्षेत्रों हेतु रू. 6/– होगें।

टीप : अधिकृत भार वही होगा जैसा कि इसे विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में परिभाषित किया गया है (प्रत्येक 75 यूनिट प्रति माह की खपत अथवा उसके किसी अंश को आधा किलोवाट के अधिकृत भार के समतुल्य माना जाएगा। उदाहरण : यदि किसी माह के दौरान खपत 125 यूनिट हो तो अधिकृत भार को एक किलोवाट माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि किसी माह, में खपत 350 यूनिट हो तो अधिकृत भार को 2.5 किलोवाट माना जाएगा)

निबंधन तथा शर्तें

(अ) बिलिंग के प्रयोजन से, वितरण ट्रांसफार्मर मीटर में अभिलिखित किये गये ऊर्जा प्रभारों के तत्संबंधी ऊर्जा प्रभारों को उक्त वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं के मध्य बराबर–बराबर विभाजित किया जाएगा। अनुज्ञप्तिधारी द्वारा उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार बिलिंग हेतु ऐसे उपभोक्ताओं की सहमति प्राप्त की जाएगी ।

(ब) ऐसे प्रकरण में जहां वास्तविक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभार न्यूनतम प्रभारों से कम हो, वहां ऊर्जा प्रभारों के प्रति न्यनूतम प्रभारों की बिलिंग की जाएगी। अन्य समस्त प्रभार, जैसा कि वे प्रयोज्य है, की बिलिंग भी की जाएगी।

(स) अन्य निबन्धन तथा शर्ते वही होगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूची–एलवी–2

गैर–घरेलू :–

एलवी श्रेणी 2.1

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर शैक्षणिक संस्थाओं मय अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों/पॉलिटेक्निकों/औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं (आईटीआई) (जो किसी शासकीय निकाय अथवा किसी विश्वविद्यालय द्वारा पंजीकृत/से संबद्ध/द्वारा मान्यता प्राप्त हैं) स्थित कर्मशालाओं (वर्कशाप) तथा प्रयोगशालाओं को, विद्यार्थियों अथवा कामकाजी महिलाओं अथवा खिलाड़ियों हेतु छात्रावासों (हॉस्टल) (शासन द्वारा अथवा वैयक्तिक रूप से संचालित) को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विद्युत–दर निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप श्रेणी	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ग्रामीण क्षेत्र	मसिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
स्वीकृत भार आधारित विद्युत–दर	455	60 प्रति किलोवाट	40 प्रति किलोवाट
ऐच्छिक – 10 किलोवाट से अधिक संविदा मांग हेतु आधारित विद्युत–दर (टैरिफ)	455	150 प्रति किलोवाट अथवा रू. 120 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर	90 प्रति किलोवाट अथवा रू. 72 प्रति केवीए बिलिंग मांग पर

एलवी श्रेणी 2.2

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) [रेलवे कर्षण (ट्रैक्शन) तथा रेलवे कालोनीं/जलप्रदाय व्यवस्था के प्रयोजन को छोड़कर] दुकानों/शोरूम, बैठक–कक्ष (पारलर), शासकीय कार्यालयों, शासकीय अस्पतालों, शासकीय चिकित्सा देखभाल सुविधाओं, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सम्मिलित कर, सार्वजनिक/ निजी संस्थाओं के कार्यालयों, सार्वजनिक भवनों, अतिथि–गृहों (गेस्ट हाऊसों) सर्किट हाऊस, शासकीय विश्राम गृहों, क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट), मान्यता–प्राप्त लघु स्तर के सेवा संस्थानों, क्लब, रेस्टॉरेंट, खान–पान संबंधी स्थापनाओं, बैठक–परिसरों (मीटिंग हाल), सार्वजनिक मनोरंजन स्थलों, सर्कस–प्रदर्शनों, होटलों, सिनेमाघरों, व्यावसायिक परिसरों (चेम्बर्स) यथा, अधिवक्ताओं, सनदी लेखापालों (चार्टर्ड अकाऊंटेंट), परामर्शदाताओं, चिकित्सकों आदि के) निजी औषधालयों (क्लीनिकस), नर्सिंग होम तथा निजी अस्पतालों,

बॉटलिंग संयंत्रों, वैवाहिक उद्यान–स्थलों (मैरिज गार्डन), विवाह–घरों, विज्ञापन–सेवाओं, विज्ञापन पटलों (बोर्डों)/होर्डिंग, प्रशिक्षण अथवा कोचिंग संस्थाओं, पेट्रोल पंपों तथा सेवा केन्द्रों (सर्विस स्टेशन), सिलाई कार्य की दुकानों (टेलरिंग शॉप), वस्त्र धुलाई–घर (लाउण्ड्री), व्यायाम–घर (जिमनेजियम) तथा स्वास्थ्य–क्लब (हेल्थ–क्लब) तथा अन्य कोई संस्था (एलवी 2.1 श्रेणी में सम्मिलित की गई संस्थाओं को छोड़कर) जिन्हें केन्द्रीय/राज्य अधिनियमों के अंतर्गत वाणिज्यिक–कर/सेवा–कर/वेल्यू एडिड टैक्स (वैट)/मनोरंजन–कर/विलास–कर (लक्ज़री टैक्स) का भुगतान करने संबंधी अर्हता हो, को बत्ती, पंखा तथा पावर हेतु प्रयोज्य है।

टैरिफ :

विद्युत–दर (टैरिफ) निम्न तालिका के अनुसार होगी :

उप–श्रेणी	ऊर्जा प्रभार, पैसे/यूनिट) ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि मासिक खपत 50 यूनिट से अधिक नहीं है	500	30 प्रति किलोवाट	15 प्रति किलोवाट
समस्त खपत की गई यूनिटों पर, यदि खपत की मात्रा 50 यूनिट से अधिक है	545	60 प्रति किलोवाट	30 प्रति किलोवाट
ऐच्छिक * 10 किलोवाट से अधिक की संविदा मांग हेतु **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) पर**	455	165 प्रति किलोवाट अथवा 132 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर	95 प्रति किलोवाट अथवा 76 प्रति केवीए, बिलिंग मांग पर
अस्थाई संयोजन, निम्नदाब पर बहु–बिन्दु अस्थाई संयोजन, मेला स्थलों को सम्मिलित कर *	660	100 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो	60 प्रति किलोवाट अथवा उसका कोई अंश स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो
वैवाहिक प्रयोजनों हेतु, विवाह उद्यान स्थल (मैरिज गार्डन) अथवा विवाह–घर (मैरिज हाल) अथवा एलवी 2.1 तथा 2.2 श्रेणियों के अन्तर्गत आने वाले अन्य परिसरों हेतु अस्थाई संयोजन	660 (न्यूनतम खपत प्रभारों की बिलिंग 6 यूनिट प्रति किलोवाट भार पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा इसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत अथवा संयोजित अथवा अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी	30 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा	15 प्रत्येक किलो वाट के अथवा उसके किसी अंश पर प्रत्येक 24 घंटे की अवधि अथवा उसके किसी अंश हेतु, स्वीकृत किये गये अथवा संयोजित अथवा

	सर्वाधिक हो, पर की जायेगी जो कि न्यूनतम राशि रू. 500 के अध्यधीन होगी)	अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,	अभिलिखित भार पर इनमें से जो भी सर्वाधिक हो,
क्ष–किरण संयंत्र (एक्सरे प्लांट) हेतु	अतिरिक्त स्थाई प्रभार (रूपये प्रति मशीन प्रति माह)		
एकल फेज	200		
तीन फेज	300		

*टीप : * केवल उसी स्थिति में लागू होंगे जबकि मध्यप्रदेश शासन के राजस्व प्राधिकारियों द्वारा मेला आयोजन की अनुमति प्रदान की गई हो।*

निबंधन एवं शर्ते

(ए) न्यूनतम खपत :

(i) उपभोक्ता को **स्वीकृत भार अथवा संविदा मांग (मांग आधारित प्रभारों के प्रकरण में)** हेतु शहरी क्षेत्रों में 360 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 240 यूनिट प्रति किलोवाट अथवा उसके किसी अंश की न्यूनतम वार्षिक खपत को प्रत्याभूत (गारंटी) करना होगा। परन्तु, क्ष–किरण इकाई के भार को, न्यूनतम खपत की गणना हेतु उपभोक्ता के संयोजित भार पर विचार करते समय, सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ii) उपभोक्ता की बिलिंग प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) जो कि उसकी श्रेणी हेतु प्रति माह विनिर्दिष्ट की गई है, के बारहवें (1/12) भाग पर की जाएगी, यदि वास्तविक खपत उपरोक्त उल्लेखित की गई खपत से कम है।

(iii) उक्त माह, जिसमें वास्तविक संचित खपत (cumulative consumption) वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत के बराबर हो जाती है अथवा इससे अधिक हो जाती है तो वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में न्यूनतम मासिक खपत हेतु और आगे बिलिंग नहीं की जाएगी।

(iv) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से

समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा।

(बी) **अतिरिक्त प्रभार :** निम्नानुसार लागू होंगेः

i. **मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ता :** मांग आधारित विद्युत–दर का विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं, को समस्त समयों पर, उनकी वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग के अन्तर्गत सीमित रखनी होगी। उपभोक्ताओं, को स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों के संबंध में टैरिफ की डेढ़ गुना दर पर आधिक्य मांग, के तत्संबंधी भुगतान करने होंगे तथा ऐसा करते समय, अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि कोई लागू हो, तो वे कथित आधिक्य मांग पर भी लागू होंगी।

उदाहरण : यदि कोई उपभोक्ता जिसकी संविदा मांग 50 किलोवाट है, 60 किलोवाट की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो अतिरिक्त मांग (60 किलोवाट–50 किलोवाट) = 10 किलोवाट * के स्थाई प्रभार (fixed charges) तथा ऊर्जा प्रभार (energy charges) निम्नानुसार होंगेः

1. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = (संविदा मांग हेतु स्थाई प्रभार* 10 किलोवाट * 1.5) /संविदा मांग

2. आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत* आधिक्य मांग/संविदा मांग) * 1.5* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

ii. आधिक्य मांग हेतु उपभोक्ताओं को प्रयोज्य डेढ़ गुना सामान्य विद्युत–दर पर उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकार, जो आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हैं, प्रयोज्य होंगी।

(सी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–3

सार्वजनिक जलप्रदाय संयत्र (Public Water Works) एवं पथ–प्रकाश (Street Lights)

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.1** लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग अथवा नगरीय निकायों अथवा ग्राम पंचायतों अथवा कोई संस्था जिसे शासन द्वारा जलप्रदाय/जलप्रदाय संयंत्रों/जल–मल संयंत्रों का उत्तरदायित्व सार्वजनिक उपयोगिता (यूटिलिटी) की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार संयंत्रों (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट), जल–मल पंपिंग संयंत्रों हेतु जलप्रदाय/सार्वजनिक जलप्रदाय संयंत्रों /जल–मल संस्थापनों के संधारण का दायित्व सौंपा गया हो, को लागू होगा तथा नगरीय निकायों/ न्यासों द्वारा संधारित विद्युत शव–दाह गृहों (Electric crematorum) को भी लागू होगा।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–3.2** यातायात संकेतों, सार्वजनिक सड़कों तथा सार्वजनिक स्थलों की प्रकाश व्यवस्था मय उद्यानों, नगर भवन (टाऊन हाल), स्मारकों तथा इनसे संबद्ध संस्थानों, संग्रहालयों, सार्वजनिक प्रसाधनों (टायलेट), शासन, नागरिक निकायों, द्वारा संचालित सार्वजनिक पुस्तकालयों तथा वाचनालयों तथा सुलभ शौचालयों को लागू होगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

विभिन्न उप–श्रेणियों हेतु विद्युत–दरें, (टैरिफ), चालू मासिक खपत पर आधारित, निम्न तालिका के अनुसार होंगी :

उपभोक्ता श्रेणी/प्रयोज्यता का क्षेत्र	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये/ किलोवाट/ प्रति)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)	न्यूनतम प्रभार
एलवी 3.1 सार्वजनिक जल प्रदाय संयन्त्र			
नगर पालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	130	340	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगर पालिका/नगर पंचायत	110	340	
ग्राम पंचायत	45	340	

अस्थाई	प्रयोज्य टैरिफ से 1.3 गुना दर पर		
एलवी 3.2 पथ–प्रकाश			
नगर पालिक निगम/छावनी (केन्टोनमेंट) बोर्ड	220	350	**कोई न्यूनतम प्रभार लागू नहीं होंगे**
नगर पालिका/नगर पंचायत	200	350	
ग्राम पंचायत	45	350	

निबंधन तथा शर्ते

(ए) **मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** :

ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से **प्रोत्साहन** प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को उपयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था भी करनी होगी।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

————

टैरिफ अनुसूची एलवी – 4

निम्नदाब उद्योग

प्रयोज्यता :

टैरिफ अनुक्रमांक **एलवी–4** प्रिंटिंग प्रेस अथवा अन्य कोई औद्योगिक संस्थाओं तथा कर्मशालाओं [जहां कोई प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) अथवा विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) कार्य, टायर–रीट्रिडिंग को सम्मिलित कर, सम्पन्न हो] के लिए लाईट, पंखा या उपकरणों के प्रचालन हेतु पावर के लिये लागू होंगी। ये विद्युत–दरें (टैंरिफ) शीतागार (कोल्ड स्टोरेज), गुड़ (जैगरी) बनाने वाली मशीनों, आटा चक्कियों (फ्लोर मिल्स), मसाला चक्कियों, हलर, खाण्डसारी इकाईयों, ओटाई (गिन्निंग) तथा प्रेसिंग इकाईयों, गन्ना पिराई (गन्ने का रस निकालने वाली मशीनों को सम्मिलित करते हुए) विद्युत–करघा (पावरलूम), दालमिलों, बेसन मिलों तथा वर्फखानों (आईस–फैक्टरी) तथा अन्य कोई विनिर्माण (मेन्युफेक्चरिंग) अथवा प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग) इकाईयों (बाटलिंग संयत्रों को छोड़कर), खाद्य उत्पादन का प्रसंस्करण, उसका संरक्षण/इसके शेल्फ उपयोगी जीवन काल (shelf life) में अभिवृद्धि तथा डेरी इकाईयों [जहां दूध का प्रसंस्करण (प्रोसेसिंग), शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर, जिससे दुग्ध उत्पादों का उत्पादन हो सके] हेतु भी लागू होंगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) : गैर–मौसमी (नॉन सीजनल) तथा मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु

	उपभोक्ता श्रेणी	मासिकस्थाई प्रभार (रूपये मे)		ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट) शहरी/ ग्रामीण क्षेत्र में
		शहरी क्षेत्रों में	ग्रामीण क्षेत्रों में	
4.1 गैर–मौसमी उपभोक्ता				
4.1 ए	निम्न दाब उद्योग जिनका संयोजित भार 25 अश्वशक्ति (हार्स पावर) तक है	55 प्रति अश्वशक्ति	15 प्रति अश्वशक्ति	350
4.1 बी (i)	मांग–आधारित विद्युत–दर (Demand based tariff) (जिनकी संविदा मांग तथा संयोजित भार 100 अश्वशक्ति तक है)	180 प्रति किलोवाट अथवा 144 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	75 प्रति किलोवाट अथवा 60 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	455
4.1 बी (ii)	मांग आधारित विद्युत–दर (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 100	250 प्रति किलोवाट अथवा 200 प्रति केवीए की बिलिंग	175 प्रति किलोवाट अथवा 140 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	455

	अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर)	मांग पर		
4.1 सी	मांग आधारित विद्युत दर (100 अश्वशक्ति से अधिक 150 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा 150 अश्वशक्ति से अनाधिक संयोजित भार पर) (केवल विद्यमान उपभोक्ताओं हेतु लागू)	250 प्रति किलोवाट अथवा 200 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	175 प्रति किलोवाट अथवा 140 प्रति केवीए की बिलिंग मांग पर	455
4.1 डी	अस्थाई	प्रयोज्य विद्युत–दर का 1.3 गुना		
*इसके अतिरिक्त, इन उपभोक्ताओं द्वारा रूपांतरण (ट्रांसफार्मरमेशन) हानियां तीन प्रतिशत की दर से तथा ट्रांसफार्मर भाड़ा मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय लाईन प्रदाय करने अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 के अनुसार देय होगा।				
4.2 मौसमी उपभोक्ताओं हेतु (मौसम की अवधि एक वित्तीय वर्ष में निरंतर 180 दिवस से अधिक की न होगी)। यदि घोषित मौसम अथवा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में प्रयोज्य विद्युत–दर तत्संबंधी अवधि हेतु लागू होगी।				
4.2 ए	**मौसम के दौरान**	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ)
4.2 बी	**मौसम बाह्य (ऑफ–सीजन) के दौरान**	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनसे जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर, संविदा मांग के 10 प्रतिशत पर अथवा वास्तविक अभिलिखित (रिकार्डेड) मांग पर, इनमें से जो भी अधिक हो	गैर–मौसमी उपभोक्ताओं के अनुरूप सामान्य विद्युत–दर का 120 प्रतिशत

निबंधन तथा शर्तें

(ए) उपभोक्ता की प्रतिमाह अधिकतम मांग, उपभोक्ता के प्रदाय बिन्दु पर उक्त माह में निरंतर पन्द्रह मिनट की अवधि हेतु प्रदाय की गई चार गुना अधिकतम किलोवाट एम्पीयर आवर्स की मात्रा के बराबर मानी जाएगी।

(बी) कोई भी उपभोक्ता मांग आधारित टैरिफ हेतु अपना विकल्प दे सकेगा, परन्तु उन उपभोक्ताओं हेतु जिनका संयोजित भार **25 अश्वशक्ति से अधिक** है, इन्हें मांग आधारित टैरिफ आदेशात्मक है तथा अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता हेतु टाई–वेक्टर/बाई–वेक्टर मीटर जो कि मांग केवीए/किलोवाट, किलोवाट आवर, किलोवोल्ट एम्पीयर आवर तथा उपयोग का समय खपत (टाईम ऑफ यूज कंसम्पशन) में अभिलिखित किये जाने हेतु सक्षम हो, प्रदान करेंगे।

(सी) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के भारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) केवल **विद्यमान उपभोक्ताओं** हेतु श्रेणी एलवी 4.1 सी के अन्तर्गत लागू है। इस श्रेणी के अन्तर्गत कोई भी नवीन संयोजन जारी न किये जाएं।

(डी) **न्यूनतम खपत** : निम्नानुसार मानी जाएगी :

(डी.1) 100 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 240 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 360 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत उपरोक्त निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

(डी.2) 100 अश्वशक्ति से अधिक तथा 150 अश्वशक्ति तक के संयोजित भार हेतु

i. **ग्रामीण क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 300 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश, पर आधारित

संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

ii. **शहरी क्षेत्रों में निम्नदाब उद्योगों हेतु** : उपभोक्ता द्वारा न्यूनतम वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर) 480 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश पर आधारित संविदा मांग को प्रत्याभूत (गारंटी) किया जाएगा, भले ही वर्ष के दौरान उसके द्वारा किसी ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

iii. उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 25 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह अथवा उसके किसी अंश हेतु संविदा मांग की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 40 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत निर्दिष्ट की गई यूनिटों की संख्या से कम हो।

(डी.3) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (guaranteed) खपत पूर्णतः प्राप्त कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

(डी.4) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा।

(ई) अतिरिक्त प्रभार : निम्नानुसार देय होगा :

i. वह उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत–दर (टैरिफ) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करता है उसे वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अन्तर्गत सीमित रखना होगा। यदि अभिलिखित की गई अधिकतम मांग संविदा मांग से अधिक हो तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर की डेढ़ गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबन्धन एवं शर्ते, यदि वे लागू हों, तो वे भी कथित आधिक्य मांग पर प्रयोज्य होंगी।

उदाहरण : यदि कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 किलोवाट है, 60 किलोवाट की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो अतिरिक्त मांग (60 किलोवाट–50 किलोवाट) = 10 किलोवाट के स्थाई प्रभार (fixed charges) तथा ऊर्जा प्रभार (energy charges) निम्नानुसार होंगे :

1. आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = (संविदा मांग हेतु स्थाई प्रभार * 10 किलोवाट/संविदा मांग)* 1.5

2. आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = (माह के दौरान अभिलिखित कुल खपत* 10 किलोवाट/संविदा मांग)* 1.5* ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

ii. आधिक्य मांग हेतु उपभोक्ताओं को प्रयोज्य डेढ़ गुना सामान्य विद्युत–दर पर उपरोक्त बिलिंग, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अनुबन्ध के पुनरीक्षण हेतु उसके द्वारा कहे जाने के अधिकारों तथा अन्य अधिकारों जो आयोग द्वारा इन विनियमों के अन्तर्गत या अन्य किसी कानून के अर्न्तगत अधिसूचित किये गये हैं, प्रयोज्य होंगी।

(एफ) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी और जैसा कि इन्हें सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) मौसमी (सीजनल) उपभोक्ताओं हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें :

i. उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मौसम के तथा मौसम बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। चूंकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के दो माह लगभग व्यतीत हो चुके हैं तथा उपभोक्ता द्वारा इसके बारे में टैरिफ आदेश जारी होने से पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को सूचित किया जा चुका हो तो अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे संज्ञान में लिया जाएगा तथा अनुज्ञप्तिधारी द्वारा इसे स्वीकार किया जाएगा।

ii. उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

iii. यह टैरिफ दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

iv. उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को, पिछले तीन मौसमों के दौरान औसत मासिक खपत के अधिकतम 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि इस सीमा का किसी बाह्य मौसम माह के दौरान उल्लंघन किया जाता है तो ऐसी दशा

में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

v. उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वित्तीय वर्ष हेतु, लागू विद्युत दर (टैरिफ) के अनुसार की जाएगी।

————————

टैरिफ अनुसूची–एलवी–5

कृषि संबंधी एवं कृषि संबंधी अन्य उपयोग

1. प्रयोज्यता :

टैरिफ दर **एलवी–5.1** कृषि संबंधी पंप संयोजनों, भूसा काटने वाले उपकरणों (chaff cutters), थ्रेशरों, भूसा उड़ाने वाली मशीनों, (Winnowing machines) बीजारोपण मशीनों, उद्‌वहन सिंचाई योजनाओं हेतु सिंचाई पंप मय पशुओं के उपयोग हेतु कृषि पंपों द्वारा निकाले गये जल हेतु संयोजनों पर प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ दर **एलवी–5.2** फूल/पौधे/पौध (सैपलिंग) फल उगाने वाली रोपणियों, मत्स्य तालाबों, एक्वाकल्चर, रेशम उद्योग (सेरीकल्चर), अण्डा सेने के स्थानों (हैचरी), कुक्कुट पालन केन्द्रों, पशु–प्रजनन केन्द्रों (कैटल ब्रीडिंग फार्म्स), चारागाह (ग्रासलैंड) तथा कुकुरमुत्ता (मशरुम) उगाने वाले कृषि प्रक्षेत्रों तथा केवल उन्हीं डेरी इकाईयों हेतु, जहां केवल दूध निकालने तथा इसका प्रसंस्करण करने, जैसे कि शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण, आदि का कार्य किया जाता है, हेतु संयोजन पर प्रयोज्य होगी।

2. विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये में)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**कृषि संबंधी उपयोग हेतु**		
ए)	प्रथम 300 यूनिट प्रतिमाह	कुछ नहीं	280
बी)	माह के अंतर्गत, शेष यूनिटों की खपत हेतु	कुछ नहीं	330
सी)	अस्थाई संयोजन	कुछ नहीं	380
डी)	वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ता	कुछ नहीं	250
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग हेतु**		
ए)	शहरी क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 50 प्रति अश्वशक्ति	330
बी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, 25 अश्वशक्ति तक	रू. 15 प्रति अश्वशक्ति	330
सी)	शहरी क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत–दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू.160/किलोवॉट अथवा रू. 128/केवीए, बिलिंग मांग का	425
डी)	ग्रामीण क्षेत्रों में, मांग आधारित विद्युत दर (Demand based Tariff) (100 अश्वशक्ति तक की संविदा मांग तथा संयोजित भार पर)	रू. 70 किलोवाट अथवा रू.56/ केवीए बिलिंग मांग का	425

3. अमीटरीकृत विद्युत खपत की बिलिंग का आधार :

चूंकि यह आदेश माह मई, 2010 में जारी किया जा रहा है, तथा दिनांक 1 जून, 2010 से प्रभावशील हो जाएगा, अतएव नवीन विद्युत दर (टैरिफ) पर बिलिंग माह जून, 10 से आगे की अवधि हेतु की जाएगी; अतएव :अमीटरीकृत उपभोक्ताओं की बिलिंग निम्न दर्शाई गई विधि के अनुसार की जाएगी।

अमीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं हेतु बिलिंग की आकलित खपत निम्न तालिका में दर्शायेनुसार होगी :

विवरण		प्रति माह प्रति अश्वशक्ति की संख्या, स्वीकृत भार हेतु					
		शहरी क्षेत्र			ग्रामीण क्षेत्र		
मोटर पम्प का प्रकार	संयोजन का प्रकार	अप्रैल तथा मई 2010	जून से सितम्बर 2010 तक	अक्टूबर 2010 से मार्च 2011 तक	अप्रैल तथा मई 2010 तक	जून से सितम्बर 2010 तक	अक्टूबर 2010 से मार्च 2011
तीन फेज	स्थाई	70	100	170	40	55	150
	अस्थाई	175	175	175	155	155	155
एकल फेज	स्थाई	70	100	180	50	65	160
	अस्थाई	190	190	190	170	170	170

3.1 निबंधन तथा शर्तें :

3.1.1 अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु विकल्प देने वाले उपभोक्ताओं को तीन माह के अग्रिम प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा इनमें वे उपभोक्ता भी शामिल होंगें जो केवल एक माह हेतु संयोजन का लाभ लेने हेतु अनुरोध करते हैं जो कि बढ़ाई गई अवधि हेतु समय–समय पर की गई संपूर्ति (Replacement) के अध्यधीन तथा संयोजन विच्छेद उपरान्त अन्तिम देयक के अनुसार समायोजन के अध्यधीन होगा। फसलों की थ्रेशिंग के प्रयोजन से अस्थाई संयोजन के संबंध में केवल रबी तथा खरीफ मौसम के अन्त में एक माह की अवधि हेतु अस्थाई संयोजन एक माह के प्रभारों के अग्रिम भुगतान द्वारा प्रदाय किया जा सकेगा।

3.1.2 मीटरीकृत कृषि उपभोक्ताओं द्वारा ऊर्जा बचत उपकरण स्थापित किये जाने पर, निम्न **प्रोत्साहन*** प्रदान किये जाएंगे :

सरल क्रमांक	ऊर्जा बचत उपकरणों का विवरण	टैरिफ में छूट (रिबेट) दर
1	पंप सेट्स हेतु जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं	15 पैसे प्रति यूनिट
2	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्व के उपयोग हेतु	30 पैसे प्रति यूनिट
3	पंप सेट्स हेतु, जो आई.एस.आई./बी.ई.ई. स्टार लेबल्ड मोटरों से संयोजित हैं तथा घर्षण रहित पीवीसी पाईप तथा फुटवाल्ब के उपयोग हेतु मय उपयुक्त श्रेणी (रेटिंग) के शंट कैपेसिटर की संस्थापना हेतु	45 पैसे प्रति यूनिट

***मांग परक प्रबंधन के अंतर्गत, ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना हेतु प्रोत्साहन सामान्य टैरिफ दर पर (पूर्ण टैरिफ दर में से शासकीय अनुदान प्रति यूनिट घटा कर, यदि यह देय हो) पर उपभोक्ता के अंशदान भाग पर ही अनुज्ञेय किया जाएगा।** यह प्रोत्साहन केवल उसी दशा में अनुज्ञेय होगा, यदि पूर्ण बिल की राशि का भुगतान निर्धारित तिथियों के अंदर कर दिया जाए जिसका परिपालन न किये जाने पर, समस्त खपत किये गये यूनिटों को सामान्य दर पर प्रभारित किया जाएगा। प्रोत्साहन स्थापना के माह के उपरान्त ही अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किये जाने के उपरांत ही अनुज्ञेय होगा। अनुज्ञिप्तधारी को ग्रामीण क्षेत्रों में उपरोक्त प्रोत्साहन की व्यवस्था हेतु वृहद् रूप से इसका प्रचार–प्रसार करना होगा। अनुज्ञप्तिधारी को प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक सूचना अपनी वैबसाईट पर प्रदर्शित करनी होगी।

3.1.3 न्यूनतम खपत :

(i) मीटरीकृत कृषि संबंधी उपभोक्ताओं हेतु (एलवी–5.1) : ऐसे उपभोक्ताओं को माह जून से सितम्बर तक संयोजित भार की 25 यूनिट प्रति अश्वशक्ति अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह की न्यूनतम खपत तथा माह अक्टूबर से मार्च तक संयोजित भार की 75 यूनिट प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की प्रतिमाह न्यूनतम खपत प्रत्याभूत (गारंटी) करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(ii) कृषि संबंधी अन्य प्रयोग हेतु (एलवी–5.2):

(ए) उपभोक्ता को अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में सविंदा मांग का 240 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर तथा शहरी क्षेत्रों में सविंदा मांग का 360 यूनिट/अश्वशक्ति अथवा उसके अंश पर आधारित न्यूनतम वार्षिक

खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी, इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है अथवा नहीं।

(बी) उपभोक्ता को ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम 20 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रति माह की मासिक बिलिंग तथा शहरी क्षेत्रों में 30 यूनिट प्रति अश्वशक्ति प्रतिमाह की मासिक बिलिंग की जाएगी यदि उपभोक्ता की वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर में) से कम हो।

(सी) उक्त माह में जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

(डी) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा।

3.1.4 **कृषि संबंधी अन्य प्रयोग वाले उपभोक्ताओं हेतु अतिरिक्त प्रभार (एलवी–5.2)** : वे उपभोक्ता जो मांग आधारित विद्युत–दर टैरिफ के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं उन्हें, समस्त समयों पर उनकी वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अन्तर्गत सीमित रखना होगा। यदि अभिलिखित की गई मांग संविदा मांग से अधिक हो तो ऐसी दशा में उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत हेतु स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की विद्युत–दर की डेढ़ गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा तथा ऐसा करते समय, टैरिफ की अन्य निबन्धन एवं शर्तें, यदि वे लागू हों, तो वे भी कथित आधिक्य मांग पर प्रयोज्य होंगी।

उदाहरण : यदि कोई उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 50 किलोवाट है, 60 किलोवाट की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो अतिरिक्त मांग (60 किलोवाट–50

किलोवाट) = 10 किलोवाट के स्थाई प्रभार (fixed charges) तथा ऊर्जा प्रभार (energy charges) निम्नानुसार होंगे :

(अ) आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = (संविदा मांग हेतु स्थाई प्रभार* 10 किलोवाट/संविदा मांग)* 1.5

(ब) आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = (माह के दौरान अभिलिखित की गई कुल खपत* 10 किलोवाट/अधिकतम अभिलिखित की गई मांग संविदा मांग)* 1.5* ऊर्जा प्रभार यूनिट पर

3.1.5 वितरण ट्रांसफार्मर मीटरीकृत उपभोक्ताओं हेतु विशिष्ट शर्तें :

(अ) वितरण ट्रांसफार्मर से संयोजित समस्त उपभोक्ताओं को उनके वास्तविक संयोजित भार पर की गई यूनिटों की गणना के अनुसार ऊर्जा प्रभारों का भुगतान करना होगा।

(ब) अनुज्ञप्तिधारी द्वारा ऐसे संयोजित उपभोक्ताओं से बिलिंग हेतु उपरोक्त (अ) में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार सहमति प्राप्त की जाएगी।

3.1.6 पावर सर्किट से पंप पर या उस के समीप एक 40 वॉट लैम्प लगाने की अनुमति होगी।

3.1.7 तीन–फेज कृषि पंप का उपयोग, एकल फेज पर उपलब्ध विद्युत प्रदाय के दौरान बाह्य उपकरण की स्थापना को अवैध विद्युत की निकासी माना जाएगा तथा त्रुटिकर्ता उपभोक्ता के विरूद्ध विद्यमान नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी।

3.1.8 अन्य निबंधन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसा कि इन्हें सामान्य निबंधन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट किया गया है।

निम्नदाब (लो टेंशन) टैरिफ की सामान्य निबंधन तथा शर्तें

1. **ग्रामीण क्षेत्रों** से अभिप्रेत है ऐसे क्षेत्र जिन्हें कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिसूचना क्रमांक 2010/एफ 13/05/13/2006 दिनांक 25 मार्च, 2006 द्वारा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया गया है, अधिसूचित किया गया है। **शहरी क्षेत्रों** से अभिप्रेत है, मध्य प्रदेश शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा समस्त अन्य क्षेत्र।

2. **पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ)** : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक की राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

3. **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : मांग आधारित टैरिफ के प्रकरण में, माह हेतु बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी। बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जाएगा।

4. **स्थाई प्रभारों की बिलिंग (Fixed charges billing)–** बिलिंग के प्रयोजन से स्थाई प्रभार की भिन्न (Fractional load) को आगामी अंक तक पूर्णांक किया जाएगा जब तक कि इस हेतु अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

5. **अन्य निबंधन तथा शर्तें:–**

   (ए) खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह की छूट उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

   (बी) **तत्पर (Prompt) भुगतान हेतु छूट** : ऐसे प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. एक लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है, देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर) के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस छूट की पात्रता नहीं होगी।

(सी) स्वीकृत भार/संयोजित भार/संविदा मांग 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि उपभोक्ता उसके भार/मांग को 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति की इस उच्चतम सीमा का उल्लंघन टैरिफ अवधि के अन्तर्गत दो बिलिंग माह में दो अवसरों से अधिक बार करता है, तो अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता को उच्चदाब विद्युत प्रदाय प्राप्त किये जाने बाबत आग्रह कर सकेगा।

(डी) मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग, मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। बिलिंग के प्रयोजन से माह के एक अंश को पूर्ण माह माना जाएगा।

(ई) ऐसे प्रकरण में, जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश (चेक) को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां नियमों के अनुसार, बिना किसी पक्षपात अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार के कोई कार्यवाही किये जाने हेतु, जैसा कि सुसंगत कानून के अन्तर्गत उपलब्ध हो, 150 रूपये प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा।

(एफ) अन्य प्रभार, जैसा कि इनका उल्लेख विविध प्रभारों की अनुसूची में किया गया है, भी अतिरिक्त रूप से लागू होंगे।

(जी) **वेल्डिंग अधिभार** वेल्डिंग ट्रांसफार्मरयुक्त संस्थापनाओं के साथ प्रयोज्य होगा, जहां पर वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का भार कुल संयोजित भार से 25 प्रतिशत अधिक हो तथा जहां पर निर्दिष्ट क्षमता के उपयुक्त कैपेसिटर स्थापित नहीं किये गये हैं जिससे कि ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) न्यूनतम 0.8 (80%) लैगिंग का सुनिश्चित किया जा सके। वेल्डिंग अधिभार, माह के दौरान सम्पूर्ण अधिस्थापना हेतु 75 (पिचहत्तर) पैसे प्रति यूनिट की दर से अधिरोपित किया जाएगा।

(एच) वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का संयाजित भार किलोवॉट में गणना किये जाने के प्रयोजन से ऐसे वेल्डिंग ट्रांसफार्मरों का 0.6 (60%) का भार–कारक (पावर फेक्टर) अधिकतम करंट का अथवा केवीए रेटिंग पर प्रयोज्य होगा।

(आई) विद्यमान निम्नदाब उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि इस संबंध में उसके द्वारा उचित क्षमता (रेटिंग) के निम्नदाब कैपेसिटर की व्यवस्था की जाए। इस संबंध में मध्यप्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन मार्गदर्शन हेतु किया जा सकता है। उपभोक्ता द्वारा यह सुनिश्चित किये जाने का उत्तरदायित्व रहेगा कि

किसी एक माह के दौरान समग्र रूप से औसत भार–कारक (पावर फेक्टर) 0.8 (80%) से कम न रहे। उपरोक्त मानदण्ड प्राप्त न किये जाने पर, उपभोक्ता को माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों पर निम्न दरों के अनुसार निम्न भार–कारक (लो पावर फेक्टर) हेतु भुगतान करना होगाः

1. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम है :**

   (क) 80% से नीचे 75% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये, ऊर्जा प्रभारों पर 1% की दर से अधिभार

   (ख) 75% से नीचे 70% तक, ऊर्जा कारक की प्रत्येक 1% गिरावट के लिये ऊर्जा प्रभारों पर 5% + 1.25% की दर से।

   अधिभार की अधिकतम सीमा माह के दौरान बिल किये गये ऊर्जा प्रभारों के 10% राशि तक सीमित होगी।

2. **ऐसे निम्न दाब उपभोक्ता के लिये, जिसका मीटर औसत ऊर्जा कारक (पावर फैक्टर) अभिलेखन हेतु सक्षम नहीं है** : उपभोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वह उचित क्षमता के निम्न दाब कैपेसिटर की व्यवस्था करे तथा इसे सही हालत में कार्यरत रखे। इस संबंध में, मार्गदर्शन हेतु मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 का अवलोकन किया जा सकता है। उपरोक्त मानदण्डों का परिपालन न किये की दशा में, उपभोक्ता पर माह के दौरान ऊर्जा प्रभारों के विरूद्ध बिल की गई सम्पूर्ण राशि पर 10% की दर से निम्न ऊर्जा कारक (Low Power Factor) अधिभार अधिरोपित किया जाएगा तथा इसे ऐसी अवधि तक जारी रखा जाएगा जब तक कि उपभोक्ता उपरोक्त मानदण्डों की आपूर्ति नहीं कर लेता।

(जे) उपरोक्तानुसार दर्शाये गये वेल्डिंग/भार–कारक (पावर फेक्टर) सरचार्ज, अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात, उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन–विच्छेद (डिसकनेक्ट) किये जाने के अधिकारों के अंतर्गत होंगे, यदि उपभोक्ता द्वारा भार–कारक (पावर फेक्टर) में सुधार किये जाने के संबंध में उचित शंट कैपेसिटरों की स्थापना द्वारा उचित कदम नहीं उठाये जाते।

(के) **भार कारक (लोड फेक्टर) रियायत** : मांग आधारित टैरिफ (डिमांड बेस्ड टैरिफ) के अंतर्गत, उपभोक्ताओं को निम्नानुसार रियायत के स्लैब (खण्ड) अनुज्ञेय होंगे :

भार–कारक (लोड फेक्टर)	ऊर्जा प्रभारों में रियायत
संविदा मांग पर 25 प्रतिशत से अधिक तथा 30 प्रतिशत तक के भार–कारक (लोड फेक्टर) पर	बिलिंग माह के दौरान, 25 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 12 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।
संविदा मांग पर 30 प्रतिशत से अधिक तथा 40 प्रतिशत तक के भार कारक पर	30 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 30 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 24 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।
संविदा मांग पर 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर	40 प्रतिशत भार कारक तक उपलब्ध भार कारक रियायत के अतिरिक्त, बिलिंग माह के दौरान, 40 प्रतिशत से अधिक के भार कारक पर समस्त ऊर्जा की खपत पर, सामान्य ऊर्जा प्रभारों पर 36 पैसे प्रति यूनिट की रियायत देय होगी।

भार कारक (लोड फेक्टर) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मासिक खपत} \times 100}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या} \times \text{मांग} \times \text{भार कारक (पी.एफ)}}$$

i. मासिक खपत माह के दौरान की गई यूनिटो में खपत के अनुसार होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी के अलावा बाह्य स्त्रोतों से प्राप्त किये यूनिटों की संख्या सम्मिलित नहीं होगी।

ii. बिलिंग माह में अनुसूचित विद्युत अवरोध (Scheduled Outages) घंटों की संख्या शामिल नहीं होगी।

iii. मांग, अभिलिखित की गई अधिकतम मांग अथवा संविदा मांग इनमें जो भी अधिक हो, होगी।

iv. भार कारक, 0.8 अथवा वास्तविक औसत मासिक भार कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा। बिलिंग माह, मीटर वाचन की दो क्रमवर्ती (consecutive) तिथियों की दिवस संख्या में वह अवधि होगी जो कि उपभोक्ता हेतु, बिलिंग के प्रयोजन से एक माह के रुप में, विचाराधीन हो।

(एल) किसी विशिष्ट निम्न दाब श्रेणी पर, टैरिफ की प्रयोज्यता के संबंध में विवाद होने की दशा में, आयेाग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

(एम) विद्युत–दर (टैरिफ) में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं होतीं, जो कि तत्समय प्रचलित किसी कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती हैं। ऐसे प्रभार, यदि लागू हों तो उपभोक्ता द्वारा इनका भुगतान टैरिफ प्रभारों तथा प्रयोज्य विविध प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

(एन) **समस्त श्रेणियों हेतु विलम्बित भार अधिभार** : बकाया (outstanding) राशि पर पूर्व की अवशेष राशि (Arrears) सम्मिलित कर, पर 1.25% प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश अनुसार, की दर से अधिभार की राशि देय होगी, यदि देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक नहीं किया जाता जो कि कुल बकाया देयक का राशि रू. 500/– तक न्यूनतम रू. 5/– तथा देयक राशि के रू. 500/– से अधिक होने पर रू. 10/– के अध्यधीन होगी। विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन से, माह के किसी अंश को पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता का विद्युत प्रदाय संयोजन स्थाई तौर पर विच्छेद किये जाने के उपरान्त विलंबित भुगतान अधिभार को अधिरोपित नहीं किया जाएगा।

(ओ) निम्नदाब संयोजन को उच्चदाब संयोजन में परिवर्तन किये जाने की दशा में, उपभोक्ता द्वारा उच्च दाब विद्युत प्रदाय की सुविधा का लाभ उठाने से पूर्व दोनों उपभोक्ता तथा अनुज्ञप्तिधारी को उच्चदाब अनुबंध निष्पादित किया जाना अनिवार्य (आदेशात्मक) होगा।

(पी) **ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन :** यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) 85 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो ऐसी दशा में प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर प्रोत्साहन निम्नानुसार देय होगा, जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से अधिक हो :

ऊर्जा–कारक (पावर फैक्टर)	देय प्रोत्साहन
85 प्रतिशत से अधिक होने पर तथा 95 प्रतिशत तक	शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अंतर्गत ऊर्जा कारक की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर कुल बिल राशि पर 0.5 प्रतिशत (आधा प्रतिशत) की दर से,

95 प्रतिशत से अधिक होने पर	95 प्रतिशत ऊर्जा कारक तक देय प्रोत्साहन के अतिरिक्त, शीर्ष ''ऊर्जा'' प्रभार के अन्तर्गत ऊर्जा कारक की प्रत्येक एक प्रतिशत वृद्धि पर कुल देयक राशि पर एक प्रतिशत की दर से,

उदाहरणः— 1. यदि औसत मासिक भार—कारक 92% है तो प्रोत्साहन ऊर्जा प्रभारों का 3.5% देय होगा।

2. यदि औसत मासिक भार—कारक 97% है तो प्रोत्साहन ऊर्जा प्रभारों का 5% + 2% = 7% होगा।

इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम न्यूनतम संख्या (Integer) तक पूर्णांक किया जाएगा।

(क्यू) **एक ही संयोजन से मिश्रित भार** : जब तक किसी टैरिफ श्रेणी में विशिष्ट रूप से अनुज्ञेय न किया जाए, विभिन्न प्रयोजनों हेतु मिश्रित भारों हेतु अनुरोध करने वाले उपभोक्ता को उक्त प्रयोजन हेतु विद्युत—दर की बिलिंग की जाएगी जो कि उच्चतर है। तथापि, माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के डब्लू पी क्रमांक 6006/2008 के अंतर्गत दिनांक 13—05—08 को पारित अन्तरिम आदेश के अनुसार माननीय म.प्र. उच्च न्यायालय के आगामी आदेशों तक अधिवक्ताओं के निवासों पर संलग्न व्यावसायिक चेम्बरों में श्रेणी एलवी—1 घरेलू विद्युत—दर लागू रहेगी।

(आर) अधिसूचित औद्योगिक विकास केन्द्रों के अन्तर्गत शहरी नियमावली (discipline) के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय प्राप्त करने वाले उपभोक्ताओं पर शहरी विद्युत बिलिंग लागू की जाएगी।

(एस) टैरिफ तथा टैरिफ संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की लिखित अनुमति के बिना की गई किसी कार्यवाही को शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा प्रकरण में विद्युत अधिनियम, 2003 के सुसंगत उपबन्धों के अन्तर्गत उचित कार्यवाही की जा सकेगी।

(टी) यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही कोई उपबंध उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीतात्मक हो।

6. **निम्नदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु अतिरिक्त शर्तें** :

(ए) किसी प्रत्याशित विद्यमान उपभोक्ता द्वारा अस्थाई विद्युत प्रदाय की मांग अधिकार के रूप में नहीं की जा सकती, परन्तु अनुज्ञप्तिधारी द्वारा सामान्यतः इसकी व्यवस्था की जा सकेगी, जब मांग हेतु यथोचित नोटिस दिया जाए। अस्थाई अतिरिक्त विद्युत प्रदाय को अतिरिक्त सेवा माना जाएगा तथा निम्न शर्तों के अध्यधीन इसे प्रभारित किया जाएगा। तथापि, तत्काल योजना के अंतर्गत विविध प्रभारों की अनुसूची अंतर्गत विनिर्दिष्ट प्रभारों के अनुसार सेवा 24 घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

(बी) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग सामान्य टैरिफ की **1.3 गुना** की दर से, जैसा कि वह तत्संबंधी श्रेणी हेतु लागू हो, की जाएगी, यदि वह विशिष्ट रूप से अन्यथा विनिर्दिष्ट न की गई हो।

(सी) प्राक्कलित देयक राशि का भुगतान अस्थाई संयोजनों को सेवाकृत करने से पूर्व, अग्रिम रूप से भुगतान योग्य है जिसकी समय–समय पर सम्पूर्ति (replenishment) की जाएगी तथा संयोजन विच्छेद के समय इसे अन्तिम देयक के अनुसार समायोजित किया जाएगा। इस अग्रिम भुगतान पर उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का ब्याज देय न होगा।

(डी) स्वीकृत भार/संयोजित भार 75 किलोवाट/100 अश्वशक्ति से अधिक न होगा।

(ई) अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु प्रभारों की बिलिंग के प्रयोजन से, माह से अभिप्रेत है संयोजन की दिनांक से 30 दिवस की अवधि। बिलिंग के प्रयोजन से तीस दिवस से कम की किसी भी अवधि को पूर्ण माह माना जाएगा।

(एफ) संयोजन एवं संयोजन विच्छेद प्रभार तथा अन्य विविध प्रभारों का भुगतान पृथक से करना होगा जैसा कि इन्हें विविध प्रभारों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(जी) भार–कारक (लोड–फैक्टर) रियायत (कन्सेशन) को अस्थाई संयोजन खपत हेतु अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा।

(एच) ऊर्जा–कारक (पावर फेक्टर) प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन के अनुरुप एक समान दर पर प्रयोज्य होंगे।

————————

वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा पारित विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश का परिशिष्ट

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

उच्च दाब (हाई टेंशन–एचटी) उपभोक्ताओं हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) अनुसूचियां

अनुक्रमणिका

टैरिफ अनुसूचियां	पृष्ठ क्रमांक
एचवी–1 रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	229
एचवी–2 कोयला खदानें (कोल माईन्स)	231
एचवी–3 औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल	232
एचवी–4 मौसमी (सीजनल)	235
एचवी–5 सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग	237
एचवी–6 थोक आवासीय प्रयोक्ता	239
एचवी–7 छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय	241
उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन तथा शर्तें	242

टैरिफ अनुसूची–एचवी–1

रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन) :

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) रेलवे के केवल कर्षण (ट्रेक्शन) भारों हेतु ही लागू होगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रतिमाह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे/यूनिट)
1	132 केवी/220 केवी पर रेलवे कर्षण (ट्रेक्शन)	200	450

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते

(ए) राज्य में रेलवे नेटवर्क को प्रोत्साहन प्रदान किये जाने की दृष्टि से संयोजन तिथि से पांच वर्षो की अवधि हेतु उन्हीं नवीन रेलवे कर्षण परियोजनाओं हेतु ऊर्जा प्रभारों में 10 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाएगी जिनके अनुज्ञप्तिधारी के साथ विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु अनुबंध वित्तीय वर्ष 2010–11 के दौरान अंतिम किये जाते हैं। पूर्व में जारी किये गये आदेशों में दी गई, छूट उक्त टैरिफ आदेशों के अन्तर्गत उल्लेखित दर तथा अवधि हेतु जारी रहेगी।

(बी) समर्पित संभारक संधारण प्रभार (डेडिकेटिड फीडर मेंटनेंस चार्जेस) लागू **नहीं** होंगे।

(सी) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption) संविदा मांग की 1500 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबन्धन एवं शर्तों में दर्शाये गये के अनुरूप होगी।

(डी) ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर) अर्थदण्ड :

i. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उसे प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। **ऊर्जा कारक के अवधारण हेतु, केवल अनुगामी तर्क (लैग लॉजिक) का उपयोग किया जाएगा तथा अग्रगामी (लीडिंग) ऊर्जा–कारक अभिलिखत होने पर कोई ऊर्जा कारक अर्थदण्ड अधिरोपित नहीं किया जाएगा।**

ii. यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को शीर्ष ''ऊर्जा प्रभारों'' के अन्तर्गत कुल देयक राशि

पर 5 (पांच) प्रतिशत + 2 (दो) प्रतिशत की दर से जिसके अनुसार औसत मासिक ऊर्जा कारक 85% प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, अधिरोपित किया जाएगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक नहीं होगा।

iii. इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान ''कुल किलोवॉट आवस' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कार के इस अनुपात (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

iv. उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम छः माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उपभोक्ता उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु प्राधिकृत होगा :

- यह छः माह की अवधि उक्त तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया था।
- समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों की बिलिंग की जाएगी, परन्तु यदि उपभोक्ता अनुवर्ती तीन माह में (इस प्रकार कुल–मिलाकर चार माह) कम से कम 90% से अधिक औसत ऊर्जा कारक संधारित करता है तो कथित छः माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा इन्हें आगामी मासिक बिलों में आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।
- उल्लेखित की गई यह सुविधा, नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार देय नहीं होगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से छः माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90% प्रतिशत से कम पाया जाता है तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

(सी) अन्य निबन्धन तथा शर्तें वही होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबन्धन एवं शर्तें में उल्लेखित की गई है।

———————

टैरिफ अनुसूची–एचवी–2

कोयला खदानें (कोल माईन्स)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) दर कोयला खदानों को पावर, वातायन (वेटिंलेशन), बत्तियां, पंखे, कूलर आदि हेतु लागू होगी जिससे अभिप्रेत है समस्त ऊर्जा का कोयला खदानों, कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन में प्रकाश व्यवस्था, प्रांगण की प्रकाश व्यवस्था आदि तथा उनसे संलग्न आवासीय उपयोग में विद्युत ऊर्जा की खपत को सम्मिलित किया जाना। संविदा मांग केवल पूर्णाकों में अभिव्यक्त की जाएगी।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

स.क्र.	उपभोक्ता उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
	कोयला खदानें			
1	11 केवी प्रदाय	420	470	390
2	33 केवी प्रदाय	430	450	370
3	132 केवी प्रदाय	440	440	360
4	220 केवी प्रदाय	450	430	330

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें

ए. **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट ऑवर में) प्रति केवीए संविदा मांग का
220/132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1620
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

बी. **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

सी. **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

डी. अन्य निबन्धन तथा शर्तें वहीं होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में उल्लेख की गई हैं।

टैरिफ अनुसूची–एचवी–3

औद्योगिक, गैर–औद्योगिक तथा शॉपिंग मॉल

प्रयोज्यता :

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.1 (औद्योगिक) समस्त उच्चदाब औद्योगिक उपभोक्ताओं को, खदानों को सम्मिलित कर (कोयला खदानों को छोड़कर) पावर, बत्ती, पंखा आदि को लागू होगा जिससे अभिप्रेत है कार्यालयों, मुख्य फेक्टरी भवन, भण्डारों, केन्टीन, उद्योगों की आवासीय कालोनियों, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था तथा डेरी इकाईयां जहां दूध का प्रसंस्करण (शीतलीकरण, पाश्चुरीकरण आदि को छोड़कर)अन्य दुग्ध पदार्थों के उत्पादन में खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.2 (गैर–औद्योगिक) रेलवे स्टेशनों, कार्यालयों, होटलों, शासकीय अस्पतालों संस्थानों आदि (उपभोक्ताओं के समूह को छोड़कर) जैसी संस्थापनाओं को लागू होगा जिनके पावर, बत्ती तथा पंखा आदि के मिश्रित भार हैं जिस से अभिप्रेत है कार्यालयों, भण्डारों, केन्टीन, प्रांगण आदि की प्रकाश व्यवस्था हेतु खपत की गई समस्त विद्युत ऊर्जा को सम्मिलित किया जाना। इसमें समस्त अन्य श्रेणी के उपभोक्ता भी सम्मिलित होंगे, जो कि निम्नदाब गैर–घरेलू श्रेणी में परिभाषित होते हैं, बशर्ते उच्चदाब उपभोक्ता किसी भी प्रकार से अन्य निम्नदाब/उच्चदाब उपभोक्ताओं को विद्युत ऊर्जा को न ही पुनर्वितरित करेगा अथवा न ही इसे उप–भाटक (सब–लेट) पर देगा।

टैरिफ क्रमांक एचवी–3.3 (शॉपिंग मॉल) शॉपिंग मॉल की संस्थापनाओं को लागू होगा जिनमें निम्न परिभाषित गैर–औद्योगिक समूह सम्मिलित हैं **जो कि इस अनुसूची (ई) में दर्शाये विशिष्ट निबन्धनों तथा शर्ते के अध्यधीन होंगे।**

शॉपिंग मॉल किसी शहरी क्षेत्र में एक बहुमंजिला बाजार करने का एक केन्द्र है जो कि पैदल भ्रमण करने वालों के लिये समावृत होगा जिसमें घेरी गई भूमि के अन्तर्गत पैदल चलने वालों के लिये मार्ग निर्मित होंगे तथा जिसका प्रबन्धक संस्था/विकास–अभिकरण (डेवलपर) द्वारा एक इकाई के रूप में स्वतंत्र खुदरा स्टोर समूह सेवाओं तथा पार्किंग स्थलों का निर्माण तथा संधारण किया जाता है।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ता उप–श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
3.1	**औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	180	450	360
	33 केवी प्रदाय	280	427	325
	132 केवी प्रदाय	375	395	31
	220 केवी प्रदाय	400	380	305
3.2	**गैर–औद्योगिक**			
	11 केवी प्रदाय	150	470	390
	33 केवी प्रदाय	240	440	360
	132 केवी प्रदाय	345	405	335
3.3	**शॉपिंग मॉल**			
	11 केवी प्रदाय	150	480	405
	33 केवी प्रदाय	225	450	375

विशिष्ट निबन्धन शर्तें

(ए) **प्रत्याभूत न्यूनतम खपत (Guaranteed Minimum Consumption)** : निम्न आधार पर होगी :

प्रदाय वोल्टेज	उपभोक्ता उप–श्रेणी	प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत यूनिट (किलो वाट आवर) में प्रति केवीए संविदा मांग का
132 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	रोलिंग मिलें	1200
	शैक्षणिक संस्थाऐं	720
	अन्य	1800
33/11 केवी पर विद्युत प्रदाय हेतु	शैक्षणिक संस्थाऐं	600
	100 केवीए संविदा मांग तक	900
	अन्य	1200

टीप : न्यूनतम खपत की बिलिंग विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होंगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता को उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन की पात्रता होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) **अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत प्रदाय करने वाले ग्रामीण संभारकों (फीडरों) के माध्यम से छूट** : इस श्रेणी के अन्तर्गत उच्च दाब उपभोक्ता जो ग्रामीण संभारकों (फीडर) के माध्यम से विद्युत प्रदाय प्राप्त करते हैं, उन्हें उपरोक्तानुसार तत्संबंधी वोल्टेज हेतु विनिर्दिष्ट स्थाई प्रभारों पर 10% तथा न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) पर 20% कमी की जाएगी।

(ई) **शॉपिंग मॉल अतिरिक्त हेतु, विनिर्दिष्ट निबंधन तथा शर्तें** :

(i) वैयक्तिक अन्तिम छोर के प्रयोक्ता को ऐसी विद्युत–दर (टैरिफ) अधिरोपित नही की जाएगी जो निम्न दाब संयोजन के प्रकरण में, गैर–घरेलू वाणिज्यिक विद्युत–दर तथा (उपश्रेणी एलवी 2.2) उच्च दाब संयोजन के प्रकरण में उच्च दाब गैर–औद्योगिक विद्युत–दर श्रेणी (उपश्रेणी एचवी 3.2) से अधिक हो, जैसा कि इसे आयोग द्वारा अवधारित किया जाए।

(ii) इस श्रेणी के अन्तर्गत, समस्त अन्तिम छोर प्रयोक्ताओं को प्रबन्धक संस्थान/विकास अभिकरण (डेवलपर) तथा अनुज्ञप्तिधारी से शॉपिंग मॉल में विद्युत प्रदायकी प्राप्ति तथा उपलब्धि हेतु विद्युत–दर के लाभ प्राप्ति हेतु एक त्रि–पक्षीय अनुबन्ध निष्पादित करना होगा।

(एफ) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–4

मौसमी (सीजनल) :–

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) ऐसे मौसमी (सीजनल) उद्योगों/उपभोक्ताओं को लागू होगी जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में उत्पादन के प्रयोजनों से एक वित्तीय वर्ष में निरंतर एक सौ अस्सी दिवस की अवधि हेतु तथा न्यूनतम तीन माह की अवधि हेतु विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। **यदि घोषित मौसम का विस्तार दो टैरिफ अवधियों के अन्तर्गत होता है, तो ऐसी दशा में संबंधित अवधि की विद्युत–दर प्रयोज्य होगी।**

अनुज्ञप्तिधारी इस विद्युत–दर (टैरिफ) दर को केवल मौसमी उपयोग वाले किसी उद्योग को ही अनुज्ञेय करेगा।

विद्युत–दर (टैरिफ) :

उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
मौसम (सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	215	460	385
33 केवी प्रदाय	240	440	365
मौसम बाह्य (आफ सीजन) के दौरान			
11 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 215	552 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं
33 केवी प्रदाय	मौसम के दौरान, संविदा मांग अथवा वास्तविक अभिलिखित मांग, इसमें से जो भी अधिक हो के 10 प्रतिशत पर, रूपये 240	528 अर्थात्, मौसमी (सीजनल) ऊर्जा प्रभारों का 120 प्रतिशत	लागू नहीं

विशिष्ट निबंधन तथा शर्ते :

(ए) प्रत्याभूत न्यूनतम खपत संविदा मांग का 900 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : यह अधिभार/छूट उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट अनुसार होगा।

(डी) उपभोक्ता को वित्तीय वर्ष 2010–11 हेतु मौसम के तथा मौसम–बाह्य (ऑफ सीजन) के महीने, टैरिफ आदेश के 60 दिवस के भीतर घोषित करने होंगे तथा इन्हें अनुज्ञप्तिधारी को सूचित करना होगा। चूंकि वित्तीय वर्ष 2010–11 के दो माह लगभग व्यतीत हो चुके हैं तथा यदि इस आदेश के जारी होने से पूर्व उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को वित्तीय वर्ष के दौरान उसके मौसमी/मौसम–बाह्य महीनों की घोषणा कर दी गई हो तो इसे इस टैरिफ आदेश के संबंध में स्वीकार कर लिया जाएगा तथा इस हेतु वैध माना जाएगा।

(ई) उपभोक्ता द्वारा एक बार घोषित की गई मौसमी अवधि को वित्तीय वर्ष के दौरान परिवर्तित नहीं किया जा सकेगा।

(एफ) यह विद्युत–दर उन सम्मिश्रित इकाईयों को प्रयोज्य न होगी जिनके पास मौसमी तथा अन्य श्रेणी भार विद्यमान हैं।

(जी) उपभोक्ता को उसकी मासिक मौसम–बाह्य खपत को पिछले तीन मौसमों के अंतर्गत उच्चतम औसत मासिक खपत के 15 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि किसी प्रकरण में ऐसे किसी मौसम बाह्य माह में कोई खपत इस सीमा से अधिक पाई जाए तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची दर के अनुसार की जाएगी।

(एच) उपभोक्ता को मौसम–बाह्य के दौरान उसकी अधिकतम मांग को संविदा मांग का 30 प्रतिशत तक सीमित करना होगा। यदि उसके द्वारा घोषित मौसम–बाह्य के अंतर्गत किसी माह में अधिकतम मांग इस सीमा से अधिक पाई जाती है तो ऐसी दशा में उपभोक्ता की बिलिंग सम्पूर्ण वर्ष हेतु, एचवी–3.1 औद्योगिक टैरिफ अनुसूची के अनुसार की जाएगी।

(आई) अन्य निबंधन तथा शर्तें वह होंगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–5

सिंचाई, सार्वजनिक जल–प्रदाय संयत्र तथा कृषि संबंधी अन्य उपयोग

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.1 उद्वहन सिंचाई (लिफ्ट इरीगेशन) योजनाओं, समूह सिंचाई (ग्रुप इरीगेशन), सार्वजनिक उपयोगिता की जलप्रदाय योजनाओं, जल–मल उपचार सयंत्रों/जल–मल पंपिंग संयत्रों में पावर प्रदाय तथा पंप हाऊस में प्रकाश व्यवस्था हेतु उपयोग की गई ऊर्जा हेतु ही लागू होगी।

टीप : निजी जल प्रदाय योजनाएँ, संस्था द्वारा अपने स्वयं के उपयोग/कर्मचारियों/टाऊनशिपों हेतु चलाई जा रही जल प्रदाय आदि योजनाएं इस श्रेणी के अन्तर्गत नहीं आएंगी, वरन् इनकी बिलिंग समुचित टैरिफ श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी, जिससे वह संस्था संबद्ध है। यदि जल प्रदाय का उपयोग दो या इससे अधिक प्रयोजनों हेतु किया जा रहा है, तो ऐसी दशा में उच्चतम विद्युत–दर (टैरिफ) प्रयोज्य होगी।

टैरिफ श्रेणी एचवी–5.2 कृषि पंप संयोजनों को छोड़कर अन्य विद्युत प्रदाय, जैसे कि अंडे सेने के स्थल (हैचरी), मत्स्य तालाबों कुक्कुट पालन (पोल्ट्री फार्म), पशु–प्रजनन केन्द्र (केटल ब्रीडिंग फार्म), चारागाह (ग्रासलेंड), सब्जी/ फल/ पुष्प कृषि (फ्लोरीकल्चर), कुकरमुत्ता (मशरूम) उगाने वाली इकाईयों, आदि तथा डेरी [वे डेरी इकाईयां जहां केवल दूध निकालने का कार्य तथा इसका प्रसंस्करण जैसे कि शीतलीकरण (चिलिंग), पाश्चरीकरण आदि किया जाता है] को लागू होगी। परन्तु ऐसी इकाईयों में, जहां दूध का प्रसंस्करण दूध के अन्य दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में किया जाता है वहां बिलिंग, एचवी–3.1 (औद्योगिक) श्रेणी के अन्तर्गत की जाएगी।

टैरिफ :

क्रमांक	उपभोक्ताओं की उप श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
5.1	**सार्वजनिक जल प्रदाय संयत्र, समूह सिंचाई तथा उद्वहन सिंचाई योजनाएं**		
	11 केवी प्रदाय	145	180
	33 केवी प्रदाय	165	360
	132 केवी प्रदाय	185	340
5.2	**कृषि संबंधी अन्य उपयोग**		
	11 केवी प्रदाय	165	385
	33 केवी प्रदाय	185	365
	132 केवी प्रदाय	205	350

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत** : संविदा मांग का 720 यूनिट (किलोवाट ऑवर) प्रति केवीए होगी। न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट** : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) **मांग–परक प्रबन्धन (डिमांड साईड मैनेजमेंट) अपनाए जाने पर प्रोत्साहन** : ऊर्जा बचत उपकरणों की स्थापना किये जाने पर [जैसे कि, पम्प सेट्स हेतु, भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणित ऊर्जा दक्ष मोटरों तथा पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु कार्यक्रमबद्ध चालू–बन्द/मन्द करने वाला स्विच, स्वचालन व्यवस्था सहित] उपभोक्ता को 5% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। **प्रोत्साहन** उसी दशा में अनुज्ञेय किया जाएगा, यदि पूर्ण देयक की राशि का भुगतान निर्धारित तिथि तक कर दिया जाता है, जिसका परिपालन न किये जाने पर समस्त खपत किये गये यूनिटों का भुगतान सामान्य दरों पर करना होगा। इस प्रकार का प्रोत्साहन, ऊर्जा बचत उपकरणों को आयोग में लाये जाने वाले माह से आगामी माह से अनुज्ञेय किया जाएगा तथा इसका सत्यापन अनुज्ञप्तिधारी द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाएगा। यह प्रोत्साहन उक्त अवधि तक अनुज्ञेय किया जाना जारी रहेगा जब तक ये ऊर्जा बचत उपकरण सेवारत रहते हैं। अनुज्ञप्तिधारी को उपरोक्त प्रोत्साहन हेतु, वृहद् प्रचार–प्रसार की व्यवस्था करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारी को उपभोक्ताओं हेतु प्रदान किये गये प्रोत्साहनों के संबंध में त्रैमासिक जानकारी अपनी वैबसाईट पर भी प्रदर्शित करनी होगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–6

थोक आवासीय प्रयोक्ता (बल्क रेसीडेन्शियल यूजर्स)

प्रयोज्यता :

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.1** औद्योगिक अथवा अन्य टाऊनशिप [उदाहरणतया विश्वविद्यालय अथवा शैक्षणिक संस्थाएं, अस्पताल सैनिक अभियन्ता सेवा (एमईएस), सीमान्त ग्राम, आदि] के लिए केवल घरेलू प्रयोजन हेतु, जैसे कि प्रकाश व्यवस्था, पंखे, ऊष्मा प्रदाय (हीटिंग) हेतु लागू होगी, बशर्ते यह कि अत्यावश्यक सामान्य सुविधाओं जैसे कि आवासीय क्षेत्र में गैर–घरेलू विद्युत प्रदाय, पथ–प्रकाश व्यवस्था हेतु संयोजित भार निम्नानुसार विनिर्दिष्ट की गई सीमाओं के अंतर्गत होगा :–

(i) जलप्रदाय तथा जल–मल (सीवेज) पंपिंग, अस्पताल हेतु–**कोई सीमा का बंधन नहीं होगा**

(ii) गैर–घरेलू/वाणिज्यिक तथा अन्य सामान्य प्रयोजन हेतु समन्वित रूप से–**कुल संयोजित भार का 10 प्रतिशत**

टैरिफ श्रेणी **एचवी–6.2**, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 798 (ई) दिनांक 9 जून 2005 के अनुसार पंजीकृत सहकारी समूह गृह–निर्माण समितियों तथा अन्य पंजीकृत समूह गृह–निर्माण समितियों को विद्युत प्रदाय हेतु लागू होगी। उपभोक्ताओं की इस श्रेणी हेतु निबन्धन तथा शर्ते विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 की धारा 4.77 से 4.95 (दोनों धाराएं सम्मिलित करते हुए) के उपबन्धों, जैसे कि ये समय–समय पर संशोधित किये गये हैं, के अनुसार प्रयोज्य होंगी।

टैरिफ :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	50% भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)	50% से अधिक भार कारक (लोड फैक्टर) की खपत हेतु (पैसे प्रति यूनिट)
1.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.1 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	160	410	340
	33 केवी प्रदाय	175	385	320
	132 केवी प्रदाय	190	370	300
2.	**टैरिफ उप–श्रेणी एचवी–6.2 हेतु**			
	11 केवी प्रदाय	100	425	375
	33 केवी प्रदाय	105	415	360
	132 केवी प्रदाय	110	400	345

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) **प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत :** संविदा मांग का 780 यूनिट (किलोवाट आवर) प्रति केवीए होगी । न्यूनतम खपत की बिलिंग की विधि उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों के अनुरूप होगी।

(बी) **भार कारक प्रोत्साहन (लोड फेक्टर इन्सेन्टिव) :** भार कारक (लोड फैक्टर) प्रोत्साहन : उपभोक्ता के उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबन्धन तथा शर्तों में दर्शाई गई योजना के अनुरूप ऊर्जा प्रभारों पर भार कारक आधारित प्रोत्साहन हेतु पात्रता होगी।

(सी) समस्त वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता या उपभोक्ता (end users) को इस श्रेणी के अन्तर्गत विद्युत दर (टैरिफ) के लाभ की प्राप्ति हेतु समूह गृह निर्माण समिति तथा अनुज्ञप्तिधारी के साथ समिति के अन्तर्गत विद्युत प्रदाय की प्राप्ति हेतु, त्रिपक्षीय समझौता करना होगा। वैयक्तिक अन्तिम छोर प्रयोक्ता को तत्स्थानी निम्न दाब श्रेणी की प्रयोज्य विद्युत–दर (टैरिफ) से अधिक की दर अधिरोपित नहीं की जाएगी।

(डी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में उल्लेख की गई है।

———

टैरिफ अनुसूची–एचवी–7

छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय (बल्क सप्लाई टू एक्जेम्पटीज)

प्रयोज्यता :

यह विद्युत–दर (टैरिफ) सहकारी समितियों, किसी स्थानीय प्राधिकरण, पंचायत संस्था, प्रयोक्ताओं के संध (यूजर्स एसोसियेशन), सहकारी संस्थाओं, गैर–सरकारी संस्थाओं अथवा उनके व्यावसायिक प्रतिनिधियों (फ्रेन्चाईजी) अर्थात् वे उपभोक्ता जिन्हें कि विद्युत अधिनियम 2003, (क्रमांक 36, वर्ष 2003) की धारा 13 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई हो, को लागू होगी।

समस्त वोल्टेज स्तरों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) :

सरल क्रमांक	उपभोक्ताओं की श्रेणी	मासिक स्थाई प्रभार (रूपये प्रति केवीए बिलिंग मांग प्रति माह)	ऊर्जा प्रभार (पैसे प्रति यूनिट)
	विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 13 के अंतर्गत छूट प्राप्तकर्ताओं को थोक विद्युत प्रदाय		
(ए)	सहकारी समितियां जो विद्युत का मिश्रित उपयोग कर रही हैं	200	320
(बी)	राज्य शासन द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्र में मिश्रित घरेलू तथा कृषि उपयोग (अधिकतम 10 प्रतिशत गैर–घरेलू उपयोग अनुज्ञेय किया जावेगा)	100	260
(सी)	शहरी क्षेत्रों में मिश्रित घरेलू तथा गैर–घरेलू उपयोग (कुल प्रयोग के 10 प्रतिशत के अध्यधीन)	150	320

विशिष्ट निबंधन तथा शर्तें :

(ए) विद्युत प्रदाय केवल 33 केवी तथा इससे अधिक वोल्टेज पर प्रदाय किया जावेगा। **तथापि, सहकारी समितियों को 11 केवी पर संयोजन किये जाने बाबत अनुज्ञेय किया जा सकता है।** छूट प्राप्तकर्ताओं द्वारा वैयक्तिक उपभोक्ताओं से वसूल किये जाने वाले प्रभार, तत्संबंधी श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट टैरिफ दर के अनुसार सीमित रखे जाएंगे।

(बी) अन्य निबंधन तथा शर्तें वही होगी जैसी कि वे उच्च दाब टैरिफ की सामान्य निबंधनों तथा शर्तों में विनिर्दिष्ट की गई है।

———

उच्चदाब विद्युत–दर (टैरिफ) हेतु सामान्य निबंधन तथा शर्तें

<u>निम्न निबंधन तथा शर्तें समस्त उच्चदाब उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होंगी, जो कि तत्संबंधी श्रेणी हेतु उल्लेखित टैरिफ अनुसूची के अंतर्गत उक्त श्रेणी हेतु विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के अध्यधीन होंगी</u> :

1.1 संविदा मांग को केवल पूर्णांक में ही व्यक्त किया जाएगा

1.2 **सेवा का स्वरूप :** सेवा का स्वरूप मध्य प्रदेश विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 के अनुसार होगा जैसा कि इसे समय–समय पर संशोधित किया जाए।

1.3 **प्रदाय बिन्दु** :–

(ए) उपभोक्ता को सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय सामान्य तौर पर एकल बिन्दु पर ही प्रदान किया जाएगा।

(बी) रेलवे के प्रकरण में, प्रत्येक उपकेन्द्र पर विद्युत प्रदाय पृथक रूप से मीटरीकृत तथा प्रभारित किया जाएगा।

(सी) कोयला खदानों के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर विद्युत प्रदाय सम्पूर्ण परिसर हेतु एक ही बिन्दु पर किया जाएगा। विद्युत प्रदाय, तथापि, उपभोक्ता के अनुरोध पर उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदाय किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

(डी) श्रेणी एचवी–7 के उपभोक्ताओं के प्रकरण में, उपभोक्ताओं को सामान्य तौर पर सम्पूर्ण परिसर हेतु विद्युत प्रदाय एकल बिन्दु पर किया जाएगा। तथापि विद्युत प्रदाय, सहकारी समिति के अनुरोध पर, उसकी तकनीकी संभावनाओं के अध्यधीन, एक से अधिक बिन्दुओं पर प्रदान किया जा सकेगा परन्तु ऐसे प्रकरण में मीटरीकरण तथा बिलिंग व्यवस्था प्रदाय के प्रत्येक बिन्दु हेतु अलग–अलग की जाएगी।

1.4 **मांग की अवधारण :** प्रत्येक माह में विद्युत प्रदाय की **अधिकतम मांग**, माह के दौरान 15 मिनट की निरंतर अवधि के दौरान, मांग के मापन के सलाईडिंग विंडो सिद्धांत के अनुसार प्रदाय बिन्दु पर प्रदत्त अधिकतम किलोवाट एम्पीयर घंटे का चार गुना होगी।

1.5 **बिलिंग मांग (बिलिंग डिमांड)** : माह के दौरान, माह हेतु, बिलिंग मांग, उपभोक्ता की वास्तविक अधिकतम केवीए मांग अथवा संविदा मांग का 90 प्रतिशत, इसमें से जो भी अधिक हो, होगी।

बिलिंग मांग को निकटतम एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न (फ्रेक्शन) को आगामी अंक पर पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम के भिन्न को उपेक्षित (इग्नोर्ड) किया जाएगा।

1.6 टैरिफ न्यूनतम खपत की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1) उपभोक्ता को उसकी श्रेणी हेतु प्रत्याभूत वार्षिक न्यूनतम खपत (किलोवाट आवर) में विनिर्दिष्ट संविदा मांग की यूनिट संख्या प्रति केवीए के आधार पर बिलिंग की जाएगी इस तथ्य से असंबद्ध कि वर्ष के दौरान किसी विद्युत मात्रा की खपत की गई है, अथवा नहीं।

2) उपभोक्ता की बिलिंग प्रति माह उसकी श्रेणी से संबंद्ध निर्धारित की गई प्रत्याभूत वार्षिक खपत (किलोवाट ऑवर में के बारहवें (1/12) भाग) पर की जाएगी यदि वास्तविक खपत मासिक न्यूनतम खपत से कम हो।

3) उक्त माह में, जिसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत (Guaranteed) खपत की प्राप्ति पूर्ण कर ली जाती है, उसके अनुवर्ती महीनों में वित्तीय वर्ष के दौरान मासिक न्यूनतम खपत की बिलिंग नहीं की जाएगी।

4) उक्त माह, जिसके अन्तर्गत उपभोक्ता की संचयी वास्तविक खपत, वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक होती हो तथा यदि उपभोक्ता को उसकी वास्तविक खपत कम होने के कारण, पूर्व के महीनों में मासिक न्यूनतम खपत हेतु प्रभारित किया गया हो तो ऐसी दशा में टैरिफ की न्यूनतम अन्तर खपत का समायोजन उक्त माह में किया जाएगा जिसके अन्तर्गत संचयी खपत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत खपत से अधिक हो जाती है। यदि ऐसा टैरिफ न्यूनतम अन्तर इस माह में पूर्ण रूप से समायोजित नहीं हो पाता है तो इस प्रकार के समायोजनों को वित्तीय वर्ष के अनुवर्ती महीनों में भी जारी रखा जाएगा।

1.7 पूर्णांक करना (राऊडिंग ऑफ) : समस्त देयकों को निकटतम रूपये की राशि तक पूर्णांक किया जाएगा। अर्थात्, 49 पैसे तक की राशि की उपेक्षा की लाएगी तथा 50 पैसे से अधिक के राशि को अगले रूपये तक पूर्णांक किया जाएगा।

<u>प्रोत्साहन/छूट/अर्थदण्ड</u> :

1.8 ऊर्जा कारक प्रोत्साहन (पावर फेक्टर इनसेन्टिव)

यदि किसी उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 95 प्रतिशत से अधिक बढ़ जाता है तो ऐसी दशा में शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार (Energy charges)'' के अंतर्गत प्रोत्साहन कुल देयक राशि पर निम्नानुसार देय होगा :

ऊर्जा कारक (पावर फेक्टर)	देय प्रोत्साहन
95 प्रतिशत से अधिक तथा 98 प्रतिशत तक	ऊर्जा कारक में प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) वृद्धि होने पर पर 1.0 प्रतिशत (एक प्रतिशत) की दर से
98 प्रतिशत से अधिक	ऊर्जा कारक में प्रत्येक 0.50 प्रतिशत वृद्धि पर 3 प्रतिशत (+), 0.75 प्रतिशत की दर से

उदाहरणः–(i) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 97 प्रतिशत है, तो देय प्रोत्साहन ऊर्जा प्रभारों का 2 प्रतिशत होगा।

(i) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक 99.5 प्रतिशत है, तो देय प्रोत्साहन 3%+0.75 3= 5.25 होगा।*

1.9 **भारक कारक की गणना तथा भार कारक प्रोत्साहन**

(i) **भार–कारक (लोड फेक्टर)** : की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{भार कारक (लोड फेक्टर) (प्रतिशत में)} = \frac{\text{मसिक खपत x 100}}{\text{बिलिंग माह में कुल घंटों की संख्या x मांग x ऊर्जा कारक}}$$

i मासिक खपत, माह के दौरान खपत किये गये यूनिटों की संख्या के बराबर होगी जिसमें अनुज्ञप्तिधारी से प्राप्त ऊर्जा के अतिरिक्त अन्य स्त्रोतों से प्राप्त की गई ऊर्जा को शामिल नहीं किया जाएगा।

ii बिलिंग माह के दौरान, घंटों की संख्या में, अनुसूचित अवरोध अवधियों (scheduled outages) के घंटे शामिल न होंगे।

iii मांग (Demand), अधिकतम अभिलिखित मांग अथवा संविदा मांग, इनमें से जो भी अधिक ही, होगी।

iv ऊर्जा कारक (Power Factor), 0.9 अथवा वास्तविक औसत मासिक ऊर्जा कारक, इनमें से जो भी अधिक हो, होगा।

टीप : भार कारक (लोड फेक्टर) प्रतिशत को निकटतम निम्न एकीकृत (इनटेगरल) अंक तक पूर्णांक किया जाएगा। यदि उपभोक्ता विद्युत ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से प्राप्त कर रहा हो, तो अन्य स्त्रोतों से प्राप्त किये गये यूनिट, उपभोक्ता को बिल की गई शुद्ध ऊर्जा (खपत किये गये यूनिटों में से अन्य स्त्रोतों से प्राप्त यूनिटों को घटाकर) को ही केवल भार कारक की गणना के प्रयोजन से माना जाएगा। उपभोक्ता हेतु बिलिंग के प्रयोजन से माह के दौरान

मापयन्त्र (मीटर) वाचन की दो क्रमवर्ती (Consecutive) तिथियों के बीच की अवधि दिवस संख्या के रुप में होगी।

(ii) **भार कारक प्रोत्साहन** की गणना निम्न योजना के अनुसार उपभोक्ताओं को प्रदान की जाएगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया हो :

भार कारक सीमा	प्रोत्साहन	ऊर्जा प्रभार (भार कारक = x%) पर प्रतिशत छूट (डिसकाउंट) की गणना
भार कारक <=50%	किसी प्रोत्साहन की पात्रता नहीं होगी	= 0.00%
50%<भार कारक <=75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 50% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 0.1% का प्रोत्साहन देय होगा	(x-50) * 0.10
भार कारक >=75%	सम्पूर्ण खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर 75% से अधिक, 50% भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, भार कारकों में प्रत्येक 1% वृद्धि पर 2.5% (+) 0.15% का प्रोत्साहन देय होगा	= 2.5 + (x-75) * 0.15

उदाहरण,

- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 42 प्रतिशत का होगा, वह ऊर्जा प्रभारों पर कोई प्रोत्साहन प्राप्त नहीं करेगा।*
- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 52 प्रतिशत होगा, वह सम्पूर्ण खपत पर 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत ऊर्जा प्रभारों पर, [0.1 * (52–50)%] = 0.2 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।*
- *वह उपभोक्ता, जिसका भार कारक (लोड फेक्टर) 82 प्रतिशत होगा, वह 50 प्रतिशत भार कारक से अधिक धनात्मक खपत हेतु, ऊर्जा प्रभारों पर* [2.5 प्रतिशत+0.1.5 *(82-75)]=2.5%+1.05%=3.55 प्रतिशत प्रोत्साहन प्राप्त करेगा।

टीप : **धनात्मक खपत** की गणना हेतु 50% भार कारकों से तत्संबंधी भार कारक को कुल खपत में से घटाया दिया जाएगा। उपरोक्त भार कारक प्रोत्साहन केवल ऊर्जा प्रभारों पर, जो कि ऐसी धनात्मक खपत से तत्संबंधी हैं, लागू होंगे, जिसके लिये पृथक दरें विनिर्दिष्ट की गई हैं।

1.10 खपत की अवधि प्रारंभ होने से पूर्व किये गये किसी **अग्रिम भुगतान** की राशि जिसके लिए कि देयक तैयार किया गया है, एक प्रतिशत प्रतिमाह का प्रोत्साहन उक्त राशि (प्रतिभूति निक्षेप राशि को छोड़कर) पर, जो कि अनुज्ञप्तिधारी के पास कलेण्डर माह के अंत में शेष रहती है, उसके द्वारा अनुज्ञप्तिधारी को देय राशि को समायोजित कर, उपभोक्ता के खाते में आकलित (क्रेडिट) कर दी जाएगी।

1.11 **त्वरित भुगतान हेतु छूट** : के प्रकरणों में, जहां किसी चालू माह हेतु देयक की राशि रू. 1 लाख या इससे अधिक हो तथा देयक का भुगतान निर्धारित भुगतान तिथि से कम से कम 7 दिवस पूर्व कर दिया जाता है तो ऐसी दशा में देयक राशि [विद्युत शुल्क (Electricity Duty) तथा उपकर को छोड़कर)] के तत्पर भुगतान पर 0.25% की दर से प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा। वे उपभोक्ता, जिनके विरूद्ध देयकों की राशि बकाया हो, उन्हें इस प्रोत्साहन पात्रता नहीं होगी।

1.12 **दिवस के समय (टाईम ऑफ डे–टीओडी) अधिभार/छूट**: यह योजना उन उपभोक्ता श्रेणियों को लागू होगी जहां इसे विनिर्दिष्ट किया गया है। यह योजना दिवस की अलग–अलग अवधियों हेतु प्रयोज्य होगी, अर्थात सामान्य अवधि (नार्मल पीरियड), शीर्ष–भार (पीक लोड) तथा शीर्ष–बाह्य भार (ऑफ पीक लोड) अवधि हेतु। खपत की अवधि के अनुसार ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट निम्न तालिका के अनुसार लागू होंगे :

स.क्र.	शीर्ष/शीर्ष–बाह्य अवधि	तत्संबंधी अवधि हेतु खपत की गई विद्युत पर ऊर्जा प्रभारों पर अधिभार/छूट
1	सायं शीर्ष–भार अवधि (सायं 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 15 प्रतिशत, अधिभार के रूप में
2	शीर्ष–बाह्य अवधि (रात्रि 10 बजे से आगामी दिवस प्रातः 6 बजे तक)	ऊर्जा प्रभार की सामान्य दर का 7.5 प्रतिशत, छूट के रूप में

टीप : ***स्थाई प्रभारों की बिलिंग सदैव केवल सामान्य दरों पर की जाएगी, अर्थात्, दिवस के समय (टीओडी) अधिभार/छूट स्थाई प्रभारों पर प्रयोज्य न होंगे।***

1.13 **ऊर्जा कारक अर्थदंड (पावर फेक्टर पैनाल्टी) (रेलवे कर्षण एचवी–1 श्रेणी से अन्य उपभोक्ताओं हेतु)**

(i) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो वह प्रत्येक 1 (एक) % गिरावट प्रतिशत हेतु, जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 90 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु अतिरिक्त कुल बिल राशि पर 1% (एक प्रतिशत) का अर्थ दण्ड भुगतान शीर्ष ''ऊर्जा प्रभार'' के अन्तर्गत करेगा।

(ii) यदि उपभोक्ता का औसत मासिक ऊर्जा कारक, 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो उपभोक्ता को ऊर्जा प्रभारों के अन्तर्गत प्रत्येक 1% (एक प्रतिशत) गिरावट हेतु

जिससे कि औसत मासिक ऊर्जा कारक 85 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है, हेतु 5% (पांच प्रतिशत) (+) 2% (दो प्रतिशत) की दर से, अर्थदण्ड का भुगतान करना होगा। यह अर्थदण्ड इस शर्त के अध्यधीन होगा कि निम्न ऊर्जा कारक के कारण समग्र अर्थदण्ड 35% से अधिक न होगा।

(iii) यदि औसत मासिक ऊर्जा कारक, 70 प्रतिशत से नीचे गिर जाता है तो ऐसी दशा में अनुज्ञप्तिधारी उपभोक्ता की संस्थापना के संयोजन को विच्छेद करने का अधिकार सुरक्षित रखता है जब तक कि इसमें अनुज्ञप्तिधारी की तुष्टि होने तक इसमें उचित सुधार लाये जाने बाबत उचित कदम उठाये नहीं जाते। तथापि, यदि संयोजन का विच्छेद नहीं किया जाता है तो ऐसी दशा में, अनुज्ञप्तिधारी बिना किसी भेद–भाव के निम्न दाब कारक हेतु, दाण्डिक प्रभारों को अधिरोपित कर सकेगा।

(iv) इस प्रयोजन से, ''औसत मासिक ऊर्जा कारक (Average monthly power factor)'' को माह के दौरान अभिलिखित की गई 'कुल किलोवॉट आवर्स' तथा 'कुल किलो वोल्ट एम्पीयर आवर्स' के प्रतिशत अनुपात के रुप में परिभाषित किया गया है। ऊर्जा कारक (%) को निकटतम एकीकृत अंश तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 अथवा इससे अधिक की भिन्न को आगामी उच्च अंक तक पूर्णांक किया जाएगा तथा 0.5 से कम की भिन्न को उपेक्षित किया जाएगा।

(v) उपरोक्त कथन में भले कुछ भी कहा गया हो, यदि किसी नवीन उपभोक्ता का औसत ऊर्जा कारक, संयोजन तिथि से प्रथम 6 (छः) माह के दौरान किसी भी समय 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उपरोक्त को इसका सुधार कम से कम 90 प्रतिशत तक लाये जाने हेतु निम्न शर्तों के अध्यधीन अधिकतम 6 माह की अवधि हेतु अधिकृत होगाः

(ए) यह 6 माह की अवधि उस तिथि से मान्य की जाएगी जिस पर औसत ऊर्जा कारक प्रथम बार 90 प्रतिशत से कम पाया गया हो।

(बी) समस्त प्रकरणों में, उपभोक्ता को निम्न ऊर्जा कारक हेतु अर्थदण्ड प्रभारों का बिलिंग किया जाएगा, परन्तु यदि उपभोक्ता औसत आगामी तीन माह के दौरान (इस प्रकार कुल चार माह) कम से कम 90% ऊर्जा कारक संधारित करता है तो निम्न ऊर्जा कारक के कारण बिल किये गये प्रभारों को कथित 6 माह की अवधि को वापस ले लिया जाएगा तथा आगामी मासिक बिलों में इन्हें आकलित (क्रेडिट) किया जाएगा।

(सी) उल्लेखित की गई उपरोक्त सुविधा नवीन उपभोक्ताओं को एक से अधिक बार प्रदान नहीं की जाएगी, जिनका औसत ऊर्जा कारक संयोजन तिथि से 6 माह के दौरान 90 प्रतिशत से कम न रहा हो। तत्पश्चात्, निम्न औसत ऊर्जा कारक के कारण यदि यह 90 प्रतिशत से कम पाया जाता है, तो उन्हें प्रभारों का भुगतान किसी अन्य उपभोक्ता की भांति ही करना होगा।

1.14 आधिक्य मांग हेतु अतिरिक्त प्रभार :

i. उपभोक्ताओं को समस्त समयों पर, वास्तविक अधिकतम मांग को संविदा मांग के अंतर्गत सीमित रखना होगा। ऐसे प्रकरण में, जहां कि किसी एक माह में वास्तविक अधिकतम मांग, संविदा मांग से बढ़ जाती है तो विभिन्न दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) संविदा मांग की सीमा तक ही प्रयोज्य होंगी। उपभोक्ता को आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभारों तथा स्थाई प्रभारों पर प्रभारित किया जाएगा तथा ऐसा करते समय टैरिफ की अन्य निबन्धन तथा शर्तें, यदि वे लागू हो, तो वे कथित आधिक्य मांग हेतु भी लागू होंगी। किसी माह के अन्तर्गत इस प्रकार की गई आधिक्य मांग की गणना, यदि कोई हो, को समस्त उपभोक्ताओं पर, केवल रेलवे कर्षण को छोड़कर, निम्न दरों के अनुसार भारित किया जाएगा :–

ii. **आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार** : ऐसे प्रकरण में, जहां अभिलिखित अधिकतम मांग संविदा से अधिक हो, उपभोक्ता को आधिक्य मांग से तत्संबंधी खपत के ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत–दर (टैरिफ) की डेढ़ गुना दर पर प्रभारों का भुगतान करना होगा।

उदाहरण : एक ऐसा उपभोक्ता, जिसकी संविदा मांग 200 केवीए है, यदि 250 केवीए की अधिकतम मांग अभिलिखित करता है तो (250 केवीए–200 केवीए) = 50 केवीए हेतु ऊर्जा प्रभारों की बिलिंग निम्न के बराबर होगी, अर्थात् (माह के दौरान अभिलिखित की गई खपत * 50 केवीए/संविदा मांग) * 1.5 * ऊर्जा प्रभार यूनिट दर

iii. **आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार** : इन प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

1. **संविदा मांग से अधिक,** 15% मांग की सीमा तक आधिक्य मांग प्रभार पर, **स्थाई प्रभार** सामान्य स्थाई प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर भारित किये जाएंगे।

2. **संविदा मांग 15% अधिक से ऊपर की आधिक्य मांग पर,** स्थाई प्रभारों को सामान्य स्थाई प्रभारों की दो गुना दर पर भारित किया जाएगा।

आधिकय मांग हेतु स्थाई प्रभारों का उदाहरण : यदि किसी उपभोक्ता की संविदा मांग 100 केवीए है तथा बिलिंग के दौरान अधिकतम मांग 140 केवीए है तो उपभोक्ता की स्थाई प्रभारों की बिलिंग निम्नानुसार की जाएगी :

(अ) 100 केवीए तक, सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) पर।

(ब) 100 केवीए से अधिक तथा 115 केवीए तक, अर्थात् 15 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की डेढ़ गुना दर पर।

(स) 115 केवीए से अधिक तथा 140 केवीए तक, अर्थात् 25 केवीए हेतु, सामान्य विद्युत–दर की दो गुना दर पर।

iv. **रेलवे कर्षण** के प्रकरण में, उपरोक्तानुसार इस प्रकार गणना की गई आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को किसी माह के अंतर्गत निम्न दरों पर भारित किया जायेगा :

(अ) संविदा मांग से 15 प्रतिशत की आधिक्य मांग तक हेतु – रू. 225/– प्रति केवीए की दर से।

(ब) संविदा मांग से 15 प्रतिशत से अधिक आधिक्य मांग हेतु – रू. 300/– प्रति केवीए की दर से।

ऐसा करते समय, विद्युत–दर (टैरिफ) (जैसे कि टैरिफ, न्यूनतम प्रभार, आदि) के अन्य उपबंध उपरोक्त दर्शाई गई आधिक्य मांग हेतु भी प्रयोज्य होंगे।

v. किसी माह में की गई अधिक मांग की गणना को, मासिक देयकों के साथ प्रभारित किया जाएगा तथा उपभोक्ता को इसका भुगतान करना होगा।

vi. उपभोक्ता को सामान्य विद्युत–दर से अधिक मांग की बिलिंग किया जाना, विद्युत प्रदाय संहिता, 2004 में अंतर्विष्ट उपबंधों के अनुसार, विद्युत प्रदाय विच्छेद किये जाने संबंधी अनुज्ञप्तिधारी के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

1.15 **विलंबित भुगतान अधिभार :** देयकों का भुगतान निर्धारित तिथि तक न किये जाने पर, उपभोक्ता को (outstanding) राशि, {बकाया पूर्व की अवशेष (एरियर्स) राशि को सम्मिलित कर}, पर अधिभार का भुगतान 1.25 प्रतिशत प्रतिमाह अथवा उसके किसी अंश की दर से करना होगा। माह के किसी अंश को विलंबित भुगतान अधिभार की गणना के प्रयोजन हेतु पूर्ण माह माना जाएगा। किसी उपभोक्ता के विद्युत संयोजन को स्थाई तौर पर विच्छेदित कर दिये जाने पर, विलंबित भुगतान अधिभार प्रयोज्य न होगा।

1.16 **अनादरित धनादेशों (डिसआनर्ड चेक्स) पर सेवा प्रभार :** ऐसे प्रकरण में, जहां कि उपभोक्ता द्वारा प्रस्तुत किये गये धनादेश/धनादेशों [cheque(s)] को अनादरित (डिसआनर्ड) कर दिया गया हो, वहां पर नियमों के अनुसार रूपये 1000/– प्रति चेक की दर से सेवा प्रभार, विलंबित भुगतान अधिभार के अतिरिक्त, अधिरोपित किया जाएगा। यह प्रावधान अनुज्ञप्तिधारी के बिना किसी पक्षपात सुसंगत कानून के अन्तर्गत, राहत प्राप्त किये जाने के अधिकार के अध्यधीन होगा।

1.17 **उच्चदाब पर अस्थाई विद्युत प्रदाय :** यदि कोई उपभोक्ता किसी अस्थाई अवधि के लिए विद्युत प्रदाय चाहता हो, तो अस्थाई विद्युत प्रदाय को पृथक सेवा माना जाएगा तथा इसे निम्न दरों के अध्यधीन प्रभारित किया जाएगाः

(ए) स्थाई प्रभार तथा ऊर्जा प्रभार सामान्य टैरिफ दरों की 1.3 गुना दर पर प्रभारित किये जाएंगे। स्थाई प्रभार की वसूली पूर्ण बिलिंग माह अथवा उसके किसी अंश हेतु की जाएगी।

(बी) उपभोक्ता को न्यूनतम खपत (किलोवाट ऑवर में) प्रत्याभूत करनी होगी जैसा कि यह स्थाई उपभोक्ताओं को अनुपातिक आधार पर निम्न दर्शाई गई दिवस संख्या संबंधी विवरण पर प्रयोज्य है :–

$$\text{अस्थाई अवधि हेतु, अतिरिक्त विद्युत प्रदाय हेतु, न्यूनतम खपत} = \frac{\text{स्थाई विद्युत प्रदाय को प्रयोज्य वार्षिक न्यूनतम खपत} \times \text{अस्थाई संयोजन की दिवस संख्या}}{\text{वर्ष के अन्तर्गत दिवस संख्या}}$$

(सी) बिलिंग मांग, उपभोक्ता द्वारा विद्युत प्रदाय अवधि के अंतर्गत संयोजन माह से प्रारंभ होकर बिलिंग माह की समाप्ति तक आवेदित की गई मांग अथवा उच्चतम मासिक अधिकतम मांग, इनमें से जो भी अधिक हो, होगी। उदाहरण के तौर पर :

माह	अभिलिखित की गई अधिकतम मांग (केवीए में)	बिलिंग मांग (केवीए में)
अप्रैल	100	100
मई	90	100
जून	80	100
जुलाई	110	110
अगस्त	100	110

सितम्बर	80	110
अक्टूबर	90	110
नवम्बर	92	110
दिसम्बर	95	110
जनवरी	120	120
फरवरी	90	120
मार्च	80	120

(डी) उपभोक्ता को अस्थाई संयोजन प्रदान किये जाने से पूर्व, उसे प्राक्कलित प्रभारों का अग्रिम भुगतान करना होगा जो कि उसके द्वारा समय–समय पर की गई संभूति (Replenishment) के अध्यधीन होगा तथा जिसे संयोजन विच्छेद के उपरान्त अन्तिम देयक में समायोजित किया जाएगा। इस प्रकार की अग्रिम राशि पर ब्याज की राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(ई) उपभोक्ता को मीटरिंग प्रणाली हेतु भाड़े का भुगतान करना होगा।

(एफ) संयोजन तथा संयोजन विच्छेद प्रभारों का भुगतान भी करना होगा।

(जी) विद्यमान उच्च दाब उपभोक्ता के प्रकरण में, अस्थाई संयोजन को विद्यमान स्थाई उच्च दाब संयोजन के माध्यम से निर्धारण की गई निम्न पद्धति के अनुसार प्रदान किया जा सकेगाः–

(i) स्थाई प्रभार हेतु सामान्य विद्युत–दर (टैरिफ) के अनुसार माह हेतु बिलिंग की जाने वाली मानी गई संविदा मांग = स्थाई संयोजन हेतु सामान्य टैरिफ पर संविदा मांग (विद्यमान) + अस्थाई विद्युत प्रदाय हेतु, अस्थाई संयोजन हेतु सामान्य विद्युत–दर पर संविदा मांग।

(ii) किसी माह हेतु, बिलिंग मांग टैरिफ आदेशानुसार उक्त माह हेतु, मानी गई संविदा मांग के अनुसार होगी।

(iii) माह के दौरान स्थाई संयोजनकी बिलिंग हेतु, खपत (ए) की गणना निम्न सूत्र के अनुसार की जाएगी :

$$\text{खपत ए} = \frac{\text{संविदा मांग (स्थाई)}}{\text{मानी गई संविदा मांग}} \times \text{कुल खपत}$$

अस्थाई संयोजन हेतु खपत=कुल खपत – (A)

(iv) उपरोक्तानुसार, अस्थाई संयोजन हेतु खपत की गणना, बिलिंग सामान्य ऊर्जा प्रभारों की 1.3 गुना दर पर की जाएगी।

(v) उपरोक्त जी (i) में गणना की गई मानी गई संविदा मांग को आधिक्य मांग माना जाएगा। बिलिंग के प्रयोजन से किसी माह के अन्तर्गत, इस प्रकार की आधिक्य मांग, यदि कोई हो, को अस्थाई संयोजन भार से संबद्ध माना जाएगा तथा इसे सामान्य अस्थाई संयोजन के स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की डेढ़ गुना दर पर प्रभारित किया जाएगा। अस्थाई संयोजन की अवधि के दौरान लेख्यांकित की गई आधिक्य मांग के अतिरिक्त प्रभारों की गणना निम्नानुसार की जाएगी :

आधिक्य मांग हेतु स्थाई प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु ऊर्जा प्रभार प्रति केवीए * आधिक्य मांग * 1.5 (डेढ़)

आधिक्य मांग हेतु ऊर्जा प्रभार = अस्थाई संयोजन हेतु प्रति यूनिट ऊर्जा प्रभार * 1.5 (डेढ़) * (आधिक्य मांग/मानी गई संविदा मांग) * कुल खपत

(एच) अस्थाई संयोजन संबंधी खपत पर भार–कारक रियायत (लोड फेक्टर कन्सेशन) अनुज्ञेय नहीं की जाएगी।

(आई) ऊर्जा कारक प्रोत्साहन/अर्थदण्ड स्थाई संयोजन हेतु तथा दिवस के समय (टाईम ऑफ डे) अधिभार/छूट हेतु शर्त स्थाई संयोजन की शर्तों के अनुरूप दरों पर होगी।

स्थाई संयोजन हेतु अन्य निबंधन तथा शर्तें

1.18 पूर्व में दर्शाई गई विद्युत–दरें (टैरिफ) विभिन्न विद्युत प्रदाय वोल्टेज सहित, संविदा मांग के भारों हेतु निम्नानुसार प्रयोज्य होंगी :

मानक प्रदाय वोल्टेज	न्यूनतम संविदा मांग	अधिकतम संविदा मांग
11 केवी	50 केवीए	300 केवीए
33 केवी	100 केवीए	10000 केवीए
132 केवी	5000 केवीए	50000 केवीए
220 केवी	40000 केवीए	–

1.19 तकनीकी कारणों से उपरोक्त न्यूनतम/अधिकतम संविदा मांग से विचलन, यदि कोई हो, को अनुज्ञप्तिधारी द्वारा आयोग से विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त किये जाने के उपरान्त, अनुज्ञेय किया जा सकेगा।

1.20 विद्यमान 11 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 300 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 11 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 5 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.21 विद्यमान 33 केवी उपभोक्ता, जिनकी संविदा मांग 10000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 33 केवी पर उसी के अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 3 प्रतिशत की दर से, अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.22 विद्यमान 132 केवी उपभोक्ता जिनकी संविदा मांग 50000 केवीए से अधिक हो तथा जो कि 132 केवी पर उसके अनुरोध पर विद्युत प्रदाय जारी रखना चाहते हों, को माह के दौरान स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों की कुल बिलिंग की गई राशि पर 2 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त प्रभार का भुगतान करना होगा।

1.23 मापयंत्र प्रभारों (metering charges) की बिलिंग मीटरिंग तथा प्रभारों की अनुसूची के अनुसार जैसा कि इसे मप्रविनिआ (विद्युत प्रदाय के प्रयोजन से विद्युत प्रदाय करने का अथवा उपयोग किये गये संयंत्र हेतु व्ययों तथा प्रभारों की वसूली) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम) 2009 में विनिर्दिष्ट किया गया है, के अनुसार की जाएगी। माह के एक अंश को बिलिंग के प्रयोजन से पूर्ण माह माना जाएगा।

1.24 टैरिफ दर में विद्युत ऊर्जा पर कर (टैक्स), उपकर (सेस) अथवा चुंगी (डूयूटी) सम्मिलित नहीं है जो कि तत्समय प्रचलित कानून के अनुसार किसी भी समय देय हो सकती है। ऐसे प्रभार, यदि ये लागू हों, तो इनका भुगतान उपभोक्ता द्वारा विद्युत–दर (टैरिफ) प्रभारों के अतिरिक्त करना होगा।

1.25 इस विद्युत–दर (टैरिफ) आदेश की व्याख्या के संबंध में और/या विद्युत–दर (टैरिफ) की प्रयोज्यता के संबंध में, किसी विवाद होने की दशा में, आयोग का निर्णय अंतिम तथा बाध्यकारी होगा।

1.26 विद्युत–दर (टैरिफ) अथवा विद्युत–दर (टैरिफ) संरचना में, उपभोक्ता की किसी भी श्रेणी हेतु, न्यूनतम प्रभारों को सम्मिलित कर, किसी प्रकार के परिवर्तन, सिवाय आयोग की लिखित अनुमति के, अनुज्ञेय न होंगे। आयोग की बिना लिखित अनुमति की गई किसी कार्यवाही को

शून्य तथा अप्रवृत्त माना जाएगा तथा उल्लंघनकर्ता के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 के की सुसंबद्ध उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकेगी।

1.27 यदि कोई उपभोक्ता, उसी के अनुरोध पर, सुसंगत श्रेणी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट की गई मानक प्रदाय वोल्टेज से अधिक वोल्टेज पर विद्युत प्रदाय का उपयोग करता हो, तो ऐसी दशा में उसकी बिलिंग उसके द्वारा वास्तविक रूप से उपयोग की गई वोल्टेज के अनुसार की जाएगी तथा उसके द्वारा उच्चतर वोल्टेज उपयोग किये जाने के कारण कोई अतिरिक्त प्रभार उस पर अधिरोपित नहीं किये जाएंगे।

1.28 ऐसे समस्त उपभोक्ताओं को, जिनके लिये द्वारा स्थाई प्रभार प्रयोज्य है, को प्रत्येक माह में स्थाई प्रभारों का भुगतान करना अनिवार्य होगा, भले ही उनके द्वारा विद्युत ऊर्जा की खपत की गई हो अथवा नहीं।

1.29 यहां पर विनिर्दिष्ट की गई समस्त शर्तें उपभोक्ता को लागू होंगी, भले ही उपबंध, यदि कोई लागू हों, उपभोक्ता द्वारा अनुज्ञप्तिधारी के साथ निष्पादित किये गये अनुबंध से विपरीत हों।

1.30 ग्रिड से संयोजित विद्युत उत्पादकों लागू की जाने वाली विद्युत–दरों (टैरिफ) हेतु निबन्धन तथा शर्तें जो अनुज्ञप्तिधारी के उपभोक्ता नहीं है तथा जो विद्युत की प्राप्ति ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली को प्रारंभ करने (start up) के इच्छुक हों।

(i) स्थाई प्रभारों तथा ऊर्जा प्रभारों हेतु विद्युत दरें अस्थाई दरों के आधार पर लागू होंगी जो उच्च दाब/अति उच्च दाव उद्योग हेतु प्रयोज्य विद्युत दर में तत्संबंधी अनुसूची एचवी–3.1 के अंतर्गत संबद्ध वाल्टेज श्रेणी के अन्तर्गत आती हैं।

(ii) ग्रिड से समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु (start up power) विद्युत संयंत्र में विद्युत प्रदाय उच्चतम मूल्यांकन (Rating) इकाई की क्षमता के 15% से अधिक नहीं किया जाएगा।

(iii) न्यूनतम खपत की शर्त विद्युत उत्पादकों हेतु, तथा कैप्टिव विद्युत उत्पादकों को, लागू नहीं होगी। विद्युत खपत की बिलिंग वास्तविक तथा बिलिंग माह के दौरान अभिलिखित विद्युत खपत हेतु की जाएगी।

(iv) कैप्टिव विद्युत उत्पादक को विद्युत प्रदाय विनिर्माण (production) गतिविधि हेतु विद्युत प्रदाय अनुज्ञेय नहीं किया जाएगा जिस हेतु वह सुसंबद्ध विनियमों के अन्तर्गत वैकल्पिक समर्थन (stand-by support) प्राप्त कर सकेगा।

(**v**) ग्रिड के साथ समकालन (Synchrornization) अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ किये जाने हेतु विद्युत प्रदाय वार्षिक नियोजित संधारण, अन्य संधारण हेतु, विद्युत अवरोधों (outages) हेतु, विद्युत उत्पादक इकाईयों के विवशजन्य अवरोधों (forced outages) तथा ग्रिड से विद्युत उत्पादक के पृथक किये जाने के अवसर पर भी, जिस हेतु जो भी कारण निहित हों, उपलब्ध कराया जाएगा।

(**vi**) ग्रिड के साथ समकालन अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु ऊर्जा एक वर्ष में अधिकतम 42 दिवस हेतु प्रदान की जाएगी। प्रत्येक अवसर पर, दिवस के एक अंश को एक पूर्ण दिवस माना जाएगा।

(**vii**) विद्युत उत्पादक, कैप्टिव विद्युत विद्युत उत्पादक को सम्मिलित करते हुए, अनुज्ञप्तिधारी के साथ ग्रिड का समकालन किये जाने बावत अथवा विद्युत उत्पादन प्रणाली प्रारंभ करने हेतु विद्युत की आपूर्ति हेतु एक अनुबंध का निष्पादन करेंगे, जिसमें उपरोक्त निबंधन तथा शर्तों का भी समावेश किया जाएगा।

————